राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 7

सोमवार,

8 जुलाई, 1996

(शक सम्वत् 1918, आषाढ़ बदी 8)

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई-वे नम्बर 11 पर आज ही 8 आदमियों की मौत हुई है, इतनी भयंकर दुर्घटना वहां हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह सरकार कम से कम जो लोग मर रहे हैं लगातार, उनको तो रुकवाइये। आज ही भयंकर घटना हुई है। मैं आ रहा हूं उसी नेशनल हाई-वे पर होकर, वहां पड़े थे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना है, होम मिनिस्टर साहब तो यहां मौजूद ही नहीं हैं, यह घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, आप इन घटनाओं को रुकवाओ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रतनलाल ताम्बी।

भीलवाड़ा में स्ट्रिप आफ लैण्ड पर निर्माण कार्य

185. **श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में बाहेतियों की बगीची के पास स्थित स्ट्रिप आफ लैण्ड पर नगर परिषद् द्वारा भूमि विक्रय कर उस पर निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो यह भूमि किस नियम एवं कितनी राशि में विक्रय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्ट्रिप आफ लैण्ड पर दुकानों का निर्माण किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो बाहेतियों की बगीची के पास स्थित सार्वजनिक उपयोग तथा रोडवेज बसों एवं विभिन्न बस्तियों पर जाने वाले मार्ग को चौड़ा करने के बजाय भूमि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विक्रय अथवा अतिक्रमण से निर्माण किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस बाबत पार्षदों एवं जनता ने एतराज कर उक्त निर्माण को रोकने की मांग की है? यदि हां, तो एतराज ज्ञापन पर कब क्या कार्यवाही की गयी? ज्ञापन एवं एतराज की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्ट्रिप आफ लैण्ड की भूमि नगर पार्षदों की सहमति से बैठक में विक्रय की गयी? यदि नहीं, तो नगर परिषद् ने जनता एवं पार्षदों के एतराजों पर कब क्या कार्यवाही की?

(5) क्या जनहित में स्ट्रिप आफ लैण्ड के नाम पर अवैधानिक तथा जन विरोधी भूमि विक्रय की कार्यवाही पर रोक लगाकर पूर्ववत् यथास्थिति कायम रखी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) भीलवाड़ा में तत्कालीन नगरपालिका, प्रशासक द्वारा 382 वर्ग गज भूमि बापी पट्टे के आधार पर दिनांक 20-10-1967 को विक्रय करने के आदेश पारित किये गये थे और 3634.40 रुपये पालिका कोष में जमा करा यह विक्रय किया गया।

(2) मूल भूमि का उपयोग जिस रूप में हो रहा है, वही उपयोग स्ट्रिप के रूप में दी गयी भूमि का किया जा सकता है। चूंकि 28 वर्ष पूर्व यह भूमि पालिका प्रशासन द्वारा विक्रय की गयी थी, विक्रय की गयी भूमि के आगे 6 फीट चौड़ा नाला है तथा उसके आगे सड़क है, ऐसी स्थिति में सड़क की चौड़ाई पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

(3) नगर परिषद् आयुक्त द्वारा दिनांक 12-1-94 को दी गयी 16 दुकानों की निर्माण स्वीकृति के बाद मौके पर जब निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ तब सर्वप्रथम 27-1-94 को 3 पार्षदों द्वारा इस निर्माण कार्य को रुकवाने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन नगर परिषद् को प्रस्तुत किया गया। इस पर नगर परिषद् ने दिनांक 30-1-94 को निर्माण कार्य को अग्रिम आदेशों तक रोकने हेतु निर्देश जारी कर दिये तथा मौके पर निर्माण कार्य भी तत्काल बन्द हो गया, जो आज भी बन्द है तथा यथास्थिति कायम है। अभी तक केवल आर. सी. सी. के कुछ फाउण्डेशन पिलर, जो भरे गये थे, के अतिरिक्त किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। नगर परिषद् आयुक्त द्वारा अग्रिम आदेश तक निर्माण कार्य रोकने की आज्ञा तथा पार्षदों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(4) जी नहीं। भूमि विक्रय 28 वर्ष पूर्व तत्समय के पालिका प्रशासक द्वारा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किया गया था। नगर परिषद् द्वारा पार्षदों के एतराजों पर की गयी कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग 3 में दर्शाया गया है।

(5) जहां तक इस 28 वर्ष पूर्व किये गये भूमि विक्रय की कार्यवाही को निरस्त करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कानूनी परामर्श लिया जाकर ही कार्यवाही करना सम्भव होगा।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। 10×328 फीट पट्टी है जो नाले के किनारे-किनारे है तो पट्टियों की परिभाषा में मेरे ख्याल से यह आती नहीं, दूसरा, जो मास्टर प्लान वहां का बना उसमें व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग करने की योजना नहीं है। तीसरा यह है कि भूमि उपयोग के लिए परिवर्तन का जहां मामला आयेगा उसमें राज्य सरकार से स्वीकृति होनी आवश्यक है। इस मामले में यह तीनों बातें न होने के कारण नगर परिषद् के सामने जिला कलक्टर ने, कई लोगों ने, और पार्षदों ने भी इसका एतराज किया। मैं समझता हूं इसको जिन शर्तों पर दिया गया उसके विपरीत बिना बोर्ड में मामला आये हुए गलत ढंग से स्वीकृति दी गयी। नाले को भी बन्द करने की कुछ शर्तों के आधार पर स्वीकृति कर दी गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य आपने रखे हैं वह करीब-करीब सही हैं। अब 28 वर्ष पूर्व जमीन का विक्रय कर लिया गया था उस सम्बन्ध में क्या किया जाय, इसमें कानूनी सलाह लेने के बाद ही कोई कारगर कदम उठाने की बात मैंने कही है। जहां तक अभी निर्माण का सवाल है, उस निर्माण की स्वीकृति रोक दी गयी है और आज उसके आधार पर कोई निर्माण कार्य वहां नहीं हो रहा है। यदि आपकी जानकारी में यह बात हो कि आज भी वहां कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो आप मुझे बतायें। उस निर्माण कार्य को रोकने के बाद जो अधिकारी है, अगर वह रोक नहीं पा रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं आपको इस बात का तो धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रश्न को उठाकर पूरी बात ध्यान में ला दी है लेकिन मुझे तो यही आश्चर्य हुआ जब आपने प्रश्न किया, आप तो स्वयं इतने जागरूक विधायक हैं, 28 साल से यह मामला होता रहा, आप वहीं विराजते रहे थे, यह कैसे हुआ। मंत्री भी रह चुके थे आप। तो कहीं न कहीं आपके ध्यान से बात स्लिप हो गयी होगी, किसी न किसी बात से रह गयी होगी। खैर, कोई बात नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैं आपसे सहमत हूं और इसको रोक दिया गया है और इसकी जांच कर रहे हैं कि इसका अब क्या कर सकते हैं। 28 साल पहले मामला रजिस्टर हो गया। अब तो आप सुझाव दें।

(4)

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा एक लास्ट प्रश्न इसमें इतना सा है जिसमें आपसे आश्वासन चाहूंगा....

श्री भंवरलाल शर्मा : सुझाव फरमा दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब, यह मामला ऐसा गुपचुप हुआ, भीलवाड़ा की जनता में किसी को मालूम नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 28 साल पहले की बात है।

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, बिलकुल गुपचुप हुआ। प्रशासक काल में गुपचाप हो गया। यह निर्माण का सवाल जब 1994 में आया तब जनता के, पार्षदों के ध्यान में आया। मेरा निवेदन यह है कि जो आपने शर्तें तय कीं उसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा बिना किस्म परिवर्तन किये इसका निर्माण कार्य हुआ है। उस आधार पर यह मौका आप स्वयं दिखवा लें। रोडवेज के बस स्टैण्ड पर जो सड़क जाती है उसके नाले तक को भी रोक दिया गया। मैं समझता हूं जनहित में यह स्वीकृति राज्य सरकार ने प्राप्त नहीं की। इस आधार पर यह निरस्त होने के काबिल है। इसको निरस्त करके जनता के हित को कायम किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्ट्रिप आफ लैण्ड दी गयी है, माननीय मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया कि इसकी जांच हो रही है और इसका कार्य रोका गया है। एक तो जिन अधिकारियों ने स्ट्रिप आफ लैण्ड गलत दी उसकी जांच नहीं की गयी। मौके पर नाला है और सड़क बिलकुल सकड़ी है जो कि मेन सड़क है और मुख्य बाजार से बस स्टैण्ड पर जाने वाली मेन सड़क है, उस सड़क को और चौड़ा करने के लिए उस नाले का उपयोग किया जाना चाहिए था जबकि उस नाले के ऊपर यह प्लाट दिये गये हैं। तो जिन-जिन अधिकारियों ने इस तरह से स्ट्रिप आफ लैण्ड ग्रांट की है और बिना बोर्ड की स्वीकृति के की है ऐसे लोगों के खिलाफ माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप कार्यवाही करें।

नम्बर दो, मेरा निवेदन यह है कि यह जमीन सार्वजनिक हित की है और इस तरह से नहीं दी जा सकती। आपके नोटिस में लाये हुए दो साल हो गये। तो अब आप जो भी उस पर निर्णय करें, तत्काल करें। उसको कैंसिल करें और उसको रोड में मिलाकर रोड को वहां चौड़ा करने की कार्यवाही करें ताकि शहर से आने जाने वालों को वहां सुविधाजनक रास्ता मिल सके।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह मास्टर प्लान में भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह कार्यवाही 28 साल पहले उस समय के तत्कालीन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नगर परिषद् के जो प्रशासक थे उन्होंने की है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था उस समय।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप भी नहीं थे मैं भी नहीं था और वह भी अब नहीं हैं। यानी कि रिटायर होकर अब अपने घर गये। अब उनको पकड़कर लायें और क्या कार्यवाही करें, यह तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। अब सवाल यह है कि....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इसके ऊपर पहले कितना कंस्ट्रक्शन हो गया और वह कंस्ट्रक्शन्स किस रूप में है, कितना मूर्तरूप उसने ले लिया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सौभाग्य की बात है कि कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी कुछ नहीं हुआ, जमीन खाली है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी जानकारी में है।

श्री रामनारायण चौधरी : खाली है तो उसको खाली रखवा दीजिये, उसको कैंसिल करवा दीजिये, मामला खतम हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वही कह रहा हूं मैं आपको।

श्री रामनारायण चौधरी : आप इसको इतना लम्बा क्यों खींचते हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कहां लम्बा खींचा ?

श्री रतनलाल ताम्बी : पूरा भीलवाड़ा चाहता है इसको, आप मालूम करवा लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उसकी सेल है उसको रिजेक्ट कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12-1-94 को यह बात ध्यान में लायी गयी थी कि यह काम गलत हुआ है और नगरपालिका ने इसको 27-1-94 को रुकवा दिया। 15 दिन बाद ही रुकवा दिया। तो रुकवाने का जहां तक सवाल है, वह तो ठीक हो गया। अब परमिशन देने वाला जो है, जिसने उसको सेल करा दिया, जो स्ट्रिप ग्राफ लैण्ड नहीं दी जा सकती, वह व्यक्ति तो इस काम को 28 साल पहले कर गया। तो उसके खिलाफ कार्यवाही आप यदि चाहे और कोई हो सकती है कानून में उनके खिलाफ कार्यवाही, रामनारायण जी, आप बता दें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं क्या बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मालूम है, अच्छे वकील हैं, बहुत वर्षों का अनुभव है, लोकल सेल्फ का अनुभव है, कानून में जांच करवा लीजिये। जिस स्ट्रिप ग्राफ लैण्ड पर खरीददार का 30 साल तक कब्जा नहीं हुआ उसका

(श्री रामनारायण चौधरी)

अधिकार ही क्या है उस जमीन पर। उसने पट्टा ले रखा है नगरपालिका से। 30 साल पहले लिया था उसका क्या है? उसका फैक्चुअल पजेशन ही नहीं, जमीन तो आपकी है आज के दिन भी।

श्री रतनलाल ताम्बी : और यह जिला कलक्टर के यहां से भी हुई रुकावट।

श्री रामनारायण चौधरी : न नगरपालिका में उसकी रजिस्ट्री है, न नगरपालिका ने उसका पजेशन दिया है, न पजेशन उसके पास है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, इतना लम्बा नहीं खींचें। बिराजें आप।

श्री कालूलाल गूर्जर : उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। जब नरसिंह रावजी के खिलाफ 1983 के मामलों की जांच हो सकती है तो यह कोई ज्यादा पुराना मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वो कार्य बन्द है अभी। कृपया दूसरे प्रश्न भी आने दें।

श्री कालूलाल गूर्जर : नरसिंह राव प्रधान मंत्री नहीं हैं, गलतफहमी में मत रहो।

श्री रामस्वरूप मीणा : मालूम है। गलतफहमी में हम नहीं हैं, आप हो।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें आप। बिराजें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बिन्दु स्पष्ट है। एक तो स्ट्रिप आफ लैण्ड में जो जमीन दी थी उसकी रजिस्ट्री हो गयी और दूसरा उसमें निर्माण की परमिशन। अब विवाद बढ़ा इस बात का कि निर्माण बन्द नहीं होना चाहिये और वो जो जमीन ली गयी है वह निरस्त हो। तो निर्माण के लिए तो मैं निवेदन करता हूं कि जब निर्माण की परमिशन हमने दी और उसको रोका, रोकने के बाद वो गया कोर्ट में और कोर्ट में जाकर यह कहा कि निर्माण की मुझे परमिशन दी गयी थी, इसको वापस नहीं किया जा सकता, मुझे रोका नहीं जा सकता। हम उस केस को लड़ रहे हैं। उस केस में वो एक दिन तारीख पर हाजिर नहीं हुआ तो अदम पैरवी वो खारिज हो गया। अब दुबारा जो रेस्टोर करने की एप्लीकेशन लगा रखी है उसका जो निर्णय होगा वो केस करेंगे। इसी मामले को लेकर कुछ लोग जिलाधीश के पास गये हुए हैं और जिलाधीश द्वारा इसको उचित मानकर 285 में स्टे किया हुआ है। यथा-स्थिति कायम करने के आदेश दिये हुए हैं। इधर सरकार की ओर से, राज्य की ओर से तो पूरी तत्परता है इसमें। अब 285 के बाद जो निर्णय होगा, न्यायालय जो निर्णय करेगी उससे हम पाबन्द रहेंगे। जब तक यह नहीं होगा हम उसका निर्णय....

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह जी।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह जमीन स्ट्रिप आफ लैण्ड की परिभाषा में नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। भरतसिंह जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस समय दिया गया था उस समय इसकी कोई परिभाषा नहीं थी। उस समय परिभाषा नहीं थी स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की। यह तो बाद में आयी है। तो यह कहें कि वो सन्तुष्ट हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं सन्तुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री भरतसिंह जी।

ग्राम सुनेल (झालावाड़ा) का चुंगी प्रकरण

186. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सुनेल में वर्ष 1991 के पहले नगरपालिका थी तथा उस के द्वारा चुंगी वसूली जाती थी एवं उसके पश्चात् ग्राम पंचायत बनने पर भी प्रशासन द्वारा पूर्ववत् चुंगी वसूल की जाती रही एवं ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद भी वही व्यवस्था लागू रही ?

(2) क्या यह भी सही है कि नये पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 124 (आई) के अनुसार यदि पूर्व से ही चुंगी वसूली लागू हो तो उसे यथावत् ग्राम पंचायत चालू रख सकती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि चुंगी वसूली को लेकर सुनेल के व्यापारियों ने हड़ताल की थी तथा जिला कलक्टर झालावाड़ ने राजनीतिक दबाव में आकर चुंगी वसूली स्थगित कर दी थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर ने चुंगी वसूली का कारण शांति भंग होना बताया है ? यदि हां, तो क्या शांति भंग होने की किसी प्रकार की रिपोर्ट थाना सुनेल में दर्ज है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पंचायत राज्य (श्री नाथू सिंह गूर्जर) : (1) यह सही है कि सुनेल ग्राम पंचायत 1991 से पूर्व नगरपालिका थी तथा ग्राम पंचायत बनने के बाद पंचायत प्रशासक द्वारा पूर्ववत चुंगी वसूली की जा रही थी। पंचायतों के चुनाव होने के बाद ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 15-4-95 पारित किया तथा पूर्ववत वसूली की जा रही चुंगी को यथावत् रखा। इस प्रकार चुनाव के उपरान्त ग्राम पंचायत ने चुंगी वसूली की कार्यवाही यथावत् रखी।

(2) यह सही है कि निरसित राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई टैक्स पूर्व से ही वसूल किया जा रहा हो तो वह नये पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 124 (आई) के अनुसार जहां तक वह नये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों से असंगत नहीं हो तो, प्रवृत्त बना रहेगा। परन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि कोई ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 189 में चुंगी से छूट

(8)

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

दिये गये माल पर भी चुंगी वसूलना प्रारम्भ कर दे।

(3) यह सही है कि चुंगी वसूली को लेकर सुनेल के व्यापारियों ने हड़ताल की थी। यह गलत है कि किसी राजनैतिक दबाव के कारण जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा चुंगी वसूली स्थगित की गयी हो। सही तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 15-4-95 के द्वारा चुंगी वसूली करने का निर्णय लिया था। व्यापारियों की हड़ताल के कारण कस्बे में शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 15-4-95 की क्रियान्विति दिनांक 7-1-96 तक अथवा राज्य सरकार के आदेश, जो भी पहले हो, तक पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत निलम्बित की गयी थी।

(4) यह सही है कि जिला कलक्टर के आदेश में चुंगी वसूली को स्थगित करने का मुख्य कारण शांति व्यवस्था भंग होना है। थानाधिकारी, सुनेल से इस सम्बन्ध में उनके पत्रांक 3966-67 दिनांक 23-12-95 के द्वारा चुंगी वसूली के प्रकरण को लेकर कस्बे में अशांति होने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, एक तो यह रिपोर्ट जिसका उल्लेख कर रहे हैं, मुझे तो प्राप्त हुई नहीं है। क्या थानेदार की रिपोर्ट थी? मुझे प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न करूंगा और उसके पहले कुछ तथ्य माननीय मंत्री जी के सामने और सदन के सामने लाना चाहूंगा। 1916 से सुनेल में नगरपालिका थी। 1991 में उसे ग्राम पंचायत बनाया गया। किन कारणों से बनाया गया वह एक अलग बात है मगर वह झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और महिलाओं के लिये आरक्षित पंचायत है और महिला उसकी सरपंच है। जब सरपंच ने कार्यभार सम्भाला था तो पंचायत के पास बैलेंस 800/- रुपये था और आमदनी प्रतिमाह करीब 30 हजार रुपये थी जिससे पंचायत के कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे सकते थे। सरपंच ने उसी व्यवस्था से जो पहले नगरपालिका में लागू थी और पंचायत एक्ट के तहत वो वसूल कर सकते हैं, उस चुंगी से आमदनी को 30 हजार से 90 हजार रुपये तक पहुंचाया। चूंकि जब चुंगी बढ़ी तो व्यापारियों को उससे परेशानी हुई और उन्होंने हड़ताल करके और जिला कलक्टर के ऊपर दबाव डालकर राजनैतिक कारणों से इसको स्थगित करवाया। फिर पंचायत मंत्री ने उस पर विचार करके पुनः वही व्यवस्था लागू की। मेरा मंत्री जी से एक ही प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था लागू की और व्यवस्था के तहत ही चुंगी वसूली हो रही है। कुछ पीरियड में चुंगी स्थगित रही जिससे पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ और पंचायत के कर्मचारियों, जो अस्थाई कर्मचारी थे, को

(श्री भरतसिंह)

हटाया गया, उसका उनको नुकसान हुआ। पंचायत को नुकसान हुआ, वह एक बात है मगर प्रश्न जो मेरा है वह यह है कि सरपंच को चुनने की व्यवस्था में विशेष प्रावधान के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया, 30 पर्सेण्ट रिजर्वेशन राज्य सरकार ने दिया, क्या सरकार पंचायतों में रिजर्वेशन की व्यवस्था से प्रथम बार चुन कर आयी महिला जन प्रतिनिधियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु कार्य करना चाहती है या फिर उनके सामने इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा करना चाहती है कि पढ़ी-लिखी भली महिलाएं परेशान होकर भविष्य में अपने आप इस माहौल से दूर हो जायं ? क्या चुंगी बन्द करने के पहले महिला सरपंच को किसी प्रकार का नोटिस दिया गया था या जिला कलक्टर या राज्य सरकार ने उनसे वार्ता करी थी ? चुंगी बन्द करने के बाद आपने उनको बुलाकर वह व्यवस्था वापस लागू की उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं मगर उस कार्यकाल में जब आपने चुंगी बन्द की पंचायत को आर्थिक कठिनाई हुई। क्या उसके पहले आपने या जिला कलक्टर ने सरपंच से वार्ता की उन बिन्दुओं पर ? आपने पूरी चुंगी बन्द कर दी। कौनसी चुंगी ऐसी थी, कौनसी वस्तु ऐसी थी जिसके ऊपर नियमानुसार पंचायत चुंगी नहीं लगा सकती थी, यह आप बताने की मेहरबानी करें और जो मेरा प्रश्न है उस पर भी माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया सही काम करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, यह कोई इतना बड़ा मामला नहीं था वहां। पहले म्यूनिसिपैलिटी थी। म्यूनिसिपैलिटी के बाद पंचायत बन गयी। पंचायत में जो चुंगी वसूल की जा रही थी, प्रशासक वही चुंगी पहले वसूल कर रहा था। वहां पर इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ कि कुछ आइट्म्स हमने नये पंचायती राज अधिनियम में ऐसे रखे हैं जिन पर चुंगी वसूल नहीं की जा सकती। तो वहां से रिप्रेजेंटेशन दिया गया राज्य सरकार को भी, प्रशासन को भी कि यह जो चुंगी वसूल की जा रही है वह ऐसे आइट्म्स पर भी की जा रही है जो प्रतिबन्धित हैं। इस बात को लेकर वहां पर एक हड़ताल हुई, धरना हुआ। एस. एच. ओ. ने वहां से रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि यहां शांति भंग होने की आशंका है इसलिए इस स्थिति पर विचार करके कुछ न कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। कलक्टर ने वहां पर स्टे दे दिया। उसके बाद अग्रीव्ड पार्टी का एक डेपुटेशन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि ये जो दो प्रावधान हैं, कोई पंचायत नयी चुंगी लगाना चाहती है तो प्रस्ताव लेकर सरकार के सामने भेजे और उस पर स्वीकृति प्रदान करती है उसके बाद ही चुंगी वसूल की जा सकती है। लेकिन कानून में यह भी प्रावधान है कि पहले कोई म्यूनिसिपैलिटी हो और

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

वह आज तक वसूल करती आ रही हो तो वह चुंगी लगातार वसूल की जा सकती है। इन्होंने पंचायत में प्रस्ताव भी ले लिया। लेकिन उसमें लेकुना सिर्फ इतना था कि कुछ बैण्ड आइट्म्स थे जिन पर भी चुंगी वसूल की जा रही थी। इस बात को लेकर तनाव हुआ। मैंने दोनों पार्टियों को सुना। सुन कर के जो बैण्ड आइट्म्स थे उन पर तो हमने चुंगी को रुकवा दिया और बाकी पर हमने कह दिया कि इस पर चुंगी लेना जारी रखा जाए, जो बैण्ड आइट्म्स नहीं हैं। उसके बाद वह स्थिति ठीक हो गयी। यह इतनी सी बात है। माननीय सदस्य ने भी कहा कि उसमें कोई इर्रेगुलेरिटी नहीं हुई है। कोई तुरन्त हमारे पास कोई प्राब्लम लेकर आता है तो स्टे कोर्ट भी देता है, गवर्नमेंट भी देती है। प्रशासन भी स्टे देता है। उसके बाद सुनवाई करके उसका निपटारा किया जाता है। मैंने सुनवाई की और उसके बाद निपटारा कर दिया। इसमें कहीं भी कोई इर्रेगुलेरिटी नहीं हुई है।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी ऐसा मामला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। अभी नहीं यह मात्र सुनेल के लिए ही है।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : हां, सुनेल के सम्बन्ध में ही है। उसके संदर्भ में ही प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, आप का नहीं है। गहलोत जी।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, तब से हमारी सुनेल पंचायत विवाद के घेरे में फंसी हुई है। उसकी सैंकड़ों शिकायतें कलक्टर के यहां, राज्य सरकार के पास, मंत्रीजी के पास पहुंची हैं। सबकी जाँच हो चुकी हैं लेकिन आज दिन तक कोई एक्शन पंचायत के खिलाफ राज्य सरकार ने नहीं लिया है। जो चुंगी की बात अभी चल रही थी, जिन वस्तुओं को पंचायत एक्ट में कर मुक्त रखा गया है, कृषि यंत्र, खाद आदि, इनके ऊपर भी बदस्तूर अभी भी वही चुंगी ली जा रही है तथा किसानों और व्यापारियों को बुरी तरह परेशान किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह पंचायत बनी उसके बाद अनियमित तरीके से तीन गरीबों, जो वर्षों से उस पंचायत में काम करते थे, को बिना किसी चार्ज के निकाल दिया गया और अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी दी गयी। सरपंच के देवर को नौकरी मिली है और आज तक सरपंच का वह देवर पंचायत में नौकरी कर रहा है। जिन तीन को निकाला था उनमें से एक गरीब एक हादसे की वजह से दो-तीन महीने बाद ही मर गया क्योंकि उसके पास रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं था। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पंचायत के खिलाफ जो शिकायतों का

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

पुलिन्दा बन चुका है उसके बारे में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक पंचायत के खिलाफ शिकायतों की बात की है, अगर हमारे पास शिकायत आयी है तो मैं दिखाऊंगा और यदि आप और शिकायत देते हैं तो अगर कोई गैरकानूनी....

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : एक जांच कमेटी बैठी हुई है....(व्यवधान) जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गयी । पंचायत ने अवैध कार्य किया है, उसके लिए पंचायत को भंग किया जाए, यह रिपोर्ट आपकी आयी है ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जितने भी चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का एक सिस्टम है । वह सिस्टम यह है कि जब जांच रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद हमारे कमिश्नर, इंक्वायरी उस चुने हुए जन-प्रतिनिधि को नोटिस देते हैं । 15 दिन में उससे जवाब तलब करते हैं, रजिस्टर्ड नोटिस जाता है । उसके बाद वहां से जांच होकर के उसमें क्या कार्यवाही की जा सकती है, वह होकर के हमारे निदेशक के पास आती है । वहां से छानबीन होकर फिर डवलपमेंट कमिश्नर के पास फाइल आती है । उसके बाद मेरे पास आती है । क्योंकि इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव्ज होते हैं तो हमें डीपली इंक्वायरी करनी पड़ती है । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं....

श्री राजेन्द्र गहलोत : जांच कर दी ना आपने.... (व्यवधान) नहीं, जांच की है या नहीं, यह बताइये । जांच शुरू की है, उस जांच की रिपोर्ट क्या आयी है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए । अभी तो चुंगी का मामला आया है । अभी सब थोड़े आ पाएगा ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चुंगी का सवाल अलग था, यह अलग है लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि पंचायत ने कानून के विरुद्ध काम किया है तो निश्चित रूप से उसकी जल्द जांच करवा करके I will take action.

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । श्री बनवारी लालजी ।

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट के साथ चुंगी में कुछ संशोधन किया गया था....(व्यवधान) जैसे गेहूं पर चुंगी की वसूली नहीं की जावे । उसके बाद भी ग्राम पंचायत के सरपंच चुंगी वसूल कर रहे हैं । खाद पर छूट है, खाद पर भी चुंगी वसूल की जा रही है । अभी 18-2-96 को गेहूं के ऊपर चुंगी की वसूली की गयी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । आप मंत्रीजी के नोटिस में ले आए हैं तथा आप और बात कर लेना बाद में । (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ : चुंगी वसूल की है। (व्यवधान) जबकि राज्य सरकार ने मना कर रखा है । इसके बावजूद भी चुंगी वसूल की जा रही है तो क्या ऐसे सरपंच को तत्काल निलम्बित करेंगे ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सरकार ने घोषणा की थी, आपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि राजस्थान में चुंगी समाप्त कर देंगे। (व्यवधान) अब चुंगी समाप्त करना तो दूर रहा, चुंगी बढ़ाते चले जा रहे हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी से इस बात के लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप । रामस्वरूप जी, बिराजिए । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : चुंगी बढ़ा रही है समाप्त करने के बजाय।

श्री जगन्नाथ : चुंगी समाप्त करने के बावजूद भी चुंगी वसूल हुई है । (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसे सरपंच को तत्काल निलम्बित करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत बी. जे. पी. वालों के खिलाफ है क्या ? यह ग्राम पंचायत बी. जे. पी. वालो के खिलाफ प्रतीत होती है इसलिए माननीय सदस्य इतने एजीटेटेड हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । माननीय मंत्रीजी को जवाब देने दें। दूसरे प्रश्न और लेने हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, कांस्टीट्यूशनल, कानून के द्वारा, विधि के द्वारा स्थापित ग्राम पंचायत है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, बिराजिए आप।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय ....(व्यवधान) कांग्रेस-बी.जे. पी. का कोई विषय नहीं है । विषय नीतिगत इस बात का है कि चुंगी किस पर ली जाए और किस पर नहीं ली जाए । इस पर माननीय मंत्री महोदय थोड़ा स्पष्टीकरण दें।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : ग्राम सभा की बैठक में....(व्यवधान) सरपंच साहब के परिवार के मैम्बर जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने ग्राम सभा की मीटिंग में लोगों की शिकायतों पर यह कहा है कि हम तो पंचायतों में मनमानी करेंगे, आपकी सरकार है, जो करना हो, करते रहो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । आप बाद में बात करना....(व्यवधान) अभी चुंगी की बात करिये, आप इधर-उधर की बातें न करें। माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : लेकिन आज तक हमारी सरकार....(व्यवधान) वे मनमानी कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य कह रहे है मनमानी करके .. (व्यवधान) और माननीय सदस्य मनमानी करके उसको बरखास्त करवाना चाहते हैं ....(व्यवधान) यह कोई बात हुई क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब, आप बिराजें। इससे आगे और प्रश्न भी हैं। कई इम्पार्टेंट प्रश्न हैं, बिराजिए आप।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, चुंगी के बारे में मैं रूपवास की एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह सुनेल की बात हो रही है।

श्री मोतीलाल : ऐसा है कि रूपवास के अन्दर जो चुंगी लगी हुई है, जब हमारे चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले बंद थी और अब दुबारा सरपंच जीत करके आए हैं, वे-चौगुने हिसाब से चुंगी ले रहे हैं। मंत्री महोदय से रूपवास का डेपुटेशन और मैं कम से कम 10 बार मिल लिए लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें कम से कम यह तो हो कि कितनी चुंगी ली जाए, कितनी नहीं ली जाए। आबकारी विभाग से कोई चुंगी नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान) क्योंकि उस सरपंच का अपना धन्धा चल रहा है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमको इस तरह की शिकायतें मिली थीं कि जो बैण्ड आइटम्स हैं, सरकार के द्वारा बैण्ड कर दिये गये हैं उन पर भी चुंगी लेना जारी है। इस तरह की शिकायतें मिली थीं। हमने उन शिकायतों को जांच अधिकारी के पास भिजवा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं इन मामलों के बारे में कार्यवाही करता हूं तो मैं न तो पुरुष और महिला में भेद करता हूं और न बी. जे. पी. और कांग्रेस में भेद करता हूं। मैं कानून को देखता हूं और कानून के अनुसार कार्यवाही करता हूं। कानून के अनुसार अगर पंचायत दोषी होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और दोषी नहीं होगी तो नहीं की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल जी। बिराजिए, चौधरी साहब, बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके लिए थोड़े कह रहे हैं। (व्यवधान) विधायक ज्यादती कर रहे हैं, उन पर गैर-कानूनी दबाव डाल रहे हैं।

टोंक जिले की सिंचाई योजनाएं

187. **श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टोंक जिले में वर्ष 1995-96 में कुछ लघु सिंचाई योजनाएं चालू की

(१५)

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

गयी थीं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अजमेर, जयपुर एवं टौंक जिले में कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजनाएं हैं और उनकी भराव क्षमता क्या है ? उनसे कितनी एकड़ भूमि सिंचित होती है ?

(3) क्या इन योजनाओं से अनुमानित भूमि सिंचित हो पा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि टौंक अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने माथोलाव योजना के साथ ही जयसिंहपुरा योजना भी सरकार को भेजी थी ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

सिंचाई मन्त्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी हां, टौंक जिले में वर्ष 95-96 में दो लघु सिंचाई योजनाएं क्रमशः बिडोली लघु सिंचाई परियोजना एवं मानपुरा लघु सिंचाई परियोजना चालू की गयी थीं । दोनों सिंचाई परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जिला अजमेर, टौंक, जयपुर में क्रमशः 387, 167 एवं 97 लघु सिंचाई योजनाएं हैं । जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" में प्रस्तुत है ।

(3) सामान्यतया ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनका सीसीए 2500 एकड़ से अधिक है, इनकी सिंचाई का इन्द्राज सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है । इन परियोजनाओं पर जयपुर जिले के कालख सागर के अलावा अनुमानित सिंचाई हो रही है जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है । राज्य सरकार की 2500 एकड़ से कम भूमि सिंचित करने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई का इन्द्राज राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है । परन्तु जयपुर, अजमेर व टौंक जिलों में उक्त लघु सिंचाई परियोजनाओं से होने वाली सिंचित भूमि के आंकड़ों का संधारण विगत 10-12 वर्षों से राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है अतः यह कहना कठिन है कि इन योजनाओं से अनुमानित भूमि सिंचित हो पा रही है अथवा नहीं ।

(4) जी हां । माथोलाव लघु सिंचाई परियोजना के साथ ही जयसिंहपुरा लघु सिंचाई परियोजना अधिशासी अभियंता द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी । माथोलाव सिंचाई परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य शुरू कर दिया गया था परन्तु जयसिंहपुरा लघु सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर जिले के ढील सिंचाई परियोजना के जल भराव क्षेत्र में आने के कारण तथा इसका लाभ लागत अनुपात मात्र 1.263:1 होने के कारण जयसिंहपुरा सिंचाई परियोजना स्वीकृति योग्य नहीं पायी गयी । माथोलाव व जयसिंहपुरा लघु सिंचाई परियोजना का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पानी के बारे में बहुत ज्यादा सैंसिटिव है। चाहे पेयजल की व्यवस्था हो और चाहे सिचाई की व्यवस्था हो, एक-एक बूंद पानी की हम लोग कद्र करते हैं और उसको सुरक्षित, संचित करना चाहते हैं। जब राजस्थान सरकार बनी....

श्री अध्यक्ष : डायरेक्ट प्रश्न पूछिये, माननीय।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक मिनट, श्रीमन्। "राजस्थान राज्य बना तब हमारे पास 4 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि की व्यवस्था थी। उसके बाद कालान्तर में बढ़ते-बढ़ते वह काफी हुई है लेकिन जहां तक टौंक जिले का सवाल है उसकी स्थिति आज भी बहुत शोचनीय है और दयनीय है। उसमें भी विशेष रूप से मेरे निवाई क्षेत्र की बात मैं निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्षजी, आज भी उसकी हालत बहुत खराब है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि टौंक के अन्दर टौंक तहसील में 6965 हैक्टेयर भूमि की सिचाई नहरों के माध्यम से होती है। देवली में 169, निवाई में 697, उनियारा में 9694, मालपुरा में 10599, टोडारायसिंह में 11747, कुल मिलाकर के निवाई ऐसी जगह है जहां पर आज न्यूनतम सिचाई की व्यवस्था है। अब जो सिंचाई की व्यवस्था है उसके अन्दर 16208 हैक्टेयर भूमि तो कुएं से सिंचित होती है और 697 हैक्टेयर भूमि नहरों से सिंचित होती है। कोई बड़ी सिंचाई योजना से निवाई लाभान्वित नहीं है, मध्यम सिंचाई योजनाओं से निवाई लाभान्वित नहीं है। केवल मात्र हमारे पास में लघु सिंचाई योजनाओं की बात थी, जिसके माध्यम से हमको यह व्यवस्था हो सकती थी। अब उसके अन्दर भी, माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी से मैंने यह जानना चाहा था कि उनकी तरफ से जो हमारे यहां पर सिंचाई योजनाएं हैं उनसे कितनी सिंचाई हो रही है। लेकिन उसका जवाब बहुत तरकीब से टाल गये हैं और उसमें यह लिखा है कि जयपुर, अजमेर और टौंक जिलों में उक्त लघु सिंचाई परियोजनाओं से होने वाली सिंचित भूमि के आंकड़ों का संधारण राजस्व विभाग द्वारा विगत दस-बारह साल से नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है फिर यह सिंचाई का लगान किससे वसूल किया जा रहा है? किस आधार पर वसूल किया जा रहा है? जब तक आप हमको यह रिकार्ड नहीं देंगे, हम आपको आगे की बात कैसे बताएंगे। माननीय मंत्रीजी, आप स्वयं विभाग को देख रहे हैं, इतनी कम सिंचाई होने पर क्या कोई तहसील, क्या कोई कांस्टीट्यूएंसी खड़ी रह सकती थी? उनका काश्तकार आज किस तरीके से एकदम बिलख रहा है हालूलाव एक छोटी लघु परियोजना है जिसकी बात मैंने अनेक बार रखी, सवाल भी उठाया, जिला अधिकारियों से भी यह बात कही कि हालूलाव की व्यवस्था को ठीक किया जाए, उसको सुधारा जाए क्योंकि जितना

(16)

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

पहाड़ का पानी है वह चलकर हालूलाव में आता है। ठीक से उसकी आवक नहीं होने के कारण वह हालूलाव में तो आता नहीं है बल्कि देहातों को खराब करता है। उधर चोरपुरा है, खनदेवत है, कभी-कभी तो यह पानी डांगर तक जाता है और तमाम काश्तकारों के खेतों को खराब करता है। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि एक तो पहले की जो आपकी सिंचाई की लघु योजनाएं हैं उनको सुदृढ़ करें और उनको सुदृढ़ करने में खासतौर से हालूलाव के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : हालूलाव है या माधोलाव ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : हालूलाव। माधोलाव की दूसरी बात कह रहा हूं मैं। हालूलाव है जो निवाई के पश्चिम में है। एक तो मेरा निवेदन करना यह था। दूसरा माधोलाव के बारे में तो अभी कुछ यह तय ही नहीं हुआ कि इससे कितनी भूमि सिंचित हो पाएगी। जरा उस बात को बतायें कि उससे कितनी भूमि इस साल सिंचित हुई है? अगर आपके पास आंकड़ें हो तो बतायें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता था, मान्यवर, कि ललवाड़ी के बारे में एक लघु सिंचाई योजना एक समय बनी थी, उस योजना का क्या हुआ ?

चौथी बात यह जानना चाहता था, जो आपने बात फरमायी कि ढीलबन्ध के अन्दर वह जगह जिस पर जयसिंहपुरा बांध बनने की बात थी, उसका पानी ढील में जा रहा है, क्या राजस्थान में ऐसी कोई और जगह नहीं है कि जहां पर इस तरीके की आपने इजाजत दी है? तमाम दी है, स्वीकृति दी है। कृपया बताइये ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह चिन्ता तो सही है कि जितने भी हमारे मेजर, मीडियम और माइनर इरिगेशन के वर्कस हैं, जो वर्षों पुराने निर्मित हैं वहां टेल क्षेत्रों में पानी सही रूप से मिले, इसके मेंटीनेंस के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर हम नये प्रोजेक्ट्स में ज्यादा बजट खर्च करते हैं और मेंटीनेंस में इतना खर्च कर नहीं पाते। अगर उसमें ज्यादा खर्च करेंगे तो नये प्रोजेक्ट्स लेने में दिक्कत आएगी यह बात सही है कि मेंटीनेंस के लिए हमें इसके अन्दर कुछ प्रावधान ज्यादा करना चाहिए जिससे इसका सही संधारण हो सके। दूसरी माननीय सदस्य ने यह चिन्ता जाहिर की है कि जो ढाई हजार एकड़ से कम क्षेत्र है उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। जैसे प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको बताया कि 2500 एकड़ से कम सिंचित होने वाले क्षेत्र का संधारण, संधारण नहीं, जो इसका रख-रखाव, इन्द्राज जो करते हैं, यह राजस्व विभाग को दिया गया है और वही इसका सारा टैक्स रेवेन्यू लेते हैं। सिंचाई शुल्क और उसका जो रिकार्ड किया जाता है, वह

(श्री देवीसिंह भाटी)

रेवेन्यू विभाग द्वारा किया जाता है। ढाई हजार ऐकड़ से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह हमारे पास है और उसका पूरा लेखा-जोखा आपको दिया जाता है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मान्यवर, आपका जवाब यह कि दस-बारह वर्ष से राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर, अजमेर और टोंक जिले के राजस्व कर्मचारियों ने इस बात के लिए विरोध किया कि यह हमारे जो रूल्स हैं उनमें आता नहीं है। इसका निपटारा अलग से चाहे सिंचाई विभाग करे। यह एक विवाद का विषय हो रहा है। इसके लिए एक संशोधन लाने के लिए हमने प्रस्ताव दिया है कि यह मुद्दा तय होना चाहिये जिससे इसका सही लेखा-जोखा रखा जा सके।

आपने एक जयसिंहपुरा के लिये पूछा, यह मैंने प्रश्न के उत्तर में भी बताया क्योंकि यह ढील क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में आता है इस कारण से हम इसको नहीं ले पा रहे हैं और इसका पी. सी. रेश्यो भी नहीं बैठ पा रहा है। माथोलाव के लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि इसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। यह कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही मैं आपको यह बता पाऊंगा कि कितना कब काम शुरू हो जाएगा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने यह बात फरमायी कि दस-बारह साल से राजस्व विभाग भी इसका रख-रखाव नहीं कर पा रहा है और वह अभी झगड़े में पड़ा है। तो क्या दस-बारह साल से उन काश्तकारों से लगान नहीं लिया जा रहा है ? नम्बर एक।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्षजी, बीसलपुर, डैम, जो हमारे जिले में बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, उसके बारे में मुझे ठीक से याद है कि एक बार हाउस में एक प्रश्न उठा था कि इसके कैचमेंट एरिया के अन्दर एनीकट नहीं बनाये जाएं। लेकिन उनको विशेष रूप से अनुमति दी गयी थी। चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर कैचमेंट एरिया में आपने इजाजत दी है। जब आप वहां इजाजात दे सकते हैं तो बीसलरपुर बांध के बारे में हमारी मान्यता यह थी कि उससे पीने का पानी अजमेर जिले को मिलेगा और सिंचाई के लिए पानी हमारे टौंक जिले को मिलेगा लेकिन उसके अन्दर संशोधन करके राज्य सरकार ने यह व्यवस्था कर दी कि जयपुर के लिये भी पेयजल की व्यवस्था उसी से कराएंगे। तो जो हमको उधर से घाटा हो रहा है, क्या उसकी आपूर्ति के लिए आप हमारे छोटे-छोटे बांधों को मंजूर नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले से जुड़े हुए बन्धे के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : जयसिंहपुरा

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

के लिए मेरा खास तौर से यह निवेदन था कि इस पर आप विचार करें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अजमेर जिले में मेड़ता क्षेत्र में जाने वाली लूणी नदी पर गोविन्दगढ़ बांध बनने से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास : नदी पूरी सूखी हो गयी और सिंचाई मंत्रीजी को याद दिलाता हूं कि डेढ़ साल पहले यह निर्णय लिया गया था कि तीन अण्डर रिवर बैंक एनीकट बनाये जाएंगे। वे आज तक नहीं बने हैं। अधिकारी मुझे यह कहते हैं कि हमने एस्टीमेट बना दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास : इसी क्षेत्र का है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरे प्रश्न का उत्तर दें, साहब।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री क्या बताने का कष्ट करेंगे कि क्या बीसलपुर बांध....(व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा) : सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिला अजमेर में....(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध मुझे आश्वासन दें। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : वे 1996 तक बन गये क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीतरामजी।

श्री जीतराम : मेरा वाला भी साथ ही ले लें, साहब। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी मेरे मालपुरा क्षेत्र में गये थे। टोरडी और तानसेन, लाम्बा, यह मेरे क्षेर में बांध हैं। उनसे पानी जो नहरों से जाता है, वह टेल तक नहीं पहुंचता है। हर बार काश्तकार कहते हैं कि पानी हमारे टेल पर नहीं आया है। मंत्रीजी को शिकायत की। सबसे ज्यादा, जैसे गंगानगर में है, ऐसी पक्की नहरें की जाएं, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह माटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पूर्व में निवेदन किया कि 2500 एकड़ से कम क्षेत्र का सारा इन्द्राज राजस्व विभाग ही करता है इसलिए जब तक यह विवाद तय नहीं हो जाता इन तीनों जिलों के अन्दर, तब तक हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इसका रिकार्ड किया जाय

(श्री देवीसिंह भाटी)

और यह बात भी सही है तब तक कोई सिंचाई शुल्क भी वसूल नहीं कर पा रहे है ।

दूसरा इन्होंने पूछा कि ढील बांध के क्षेत्र में यदि यह जयसिंहपुरा कैचमेंट एरिया में आता है तो इसका निर्माण क्यों नहीं कर दिया जाता? निवेदन यह है कि आपका माथोलाव बन रहा है उसके ऊपर यदि एक और बांध बना दिया जाए तो क्या माथोलाव के अन्दर पानी आएगा? दूसरे कैचमेंट को इन्टरसेप्ट करना उचित नहीं होता इसलिए इसको ड्राप किया गया वरना हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलाजी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मथोलाव पानी नहीं आता उसका तो। जयसिंहपुरा वाला पानी माथोलाव में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : जहां तक ढील का प्रश्न है, आप यह देखिये रिकार्ड यह कहता है... (व्यवधान) ओवर फ्लो पानी इसमें जाता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : जब ओवर फ्लो पानी 8 साल से जाता है तो फिर हमको इजाजत देने मे आपको कहां दिक्कत आती है जबकि आप बीसलपुर डैम के कैचमेंट एरिया के अन्दर एनीकट्स की इजाजत दे सकते हैं? तो हमारे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : यदि आपको ऐसी जानकारी है कि इसमें ढील क्षेत्र का पानी कोई भी टेप नहीं हो सकता, दूसरा पानी मिल सकता है तो हमें उसके ऊपर पुनर्विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप पुनर्विचार करें। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : मंत्री महोदय, वह 36 गेज बनने थे। (व्यवधान)

श्री जीतराम : मंत्रीजी, वह हमारा तो रह ही गया। पक्की नहरों का क्या किया?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलाजी। इन्होंने सुन ली आपकी बात, विराजें आप।

श्री जीतराम : जवाब तो दिलवा दें।

श्री उगमराज मेहता : मंत्री महोदय, बीसलपुर बांध पर 36 गेज बनने थे, उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी से मैंने सिर्फ आश्वासन मांगा है, एक माह के अन्दर तीनों अण्डर बैल्ट, रि-बैल्ट....

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : बांध की स्वीकृति फरमा देंगे ? (व्यवधान) और आपने हां भरी थी।

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, वह पक्की नहरों का तो करवाओ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय उजलाजी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : निर्देश दे रहे हैं (व्यवधान)

जयपुर शहर में उचित मूल्य की दुकानें

188. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में राशन वितरण की कुल कितनी दुकानें हैं ?

(2) उक्त दुकानों पर वर्ष भर में कितना राशन उपलब्ध कराया जाता है और उसमें से कितना राशन जनता में वितरित किया गया ?

(3) क्या सरकार जयपुर शहर के बढ़ते स्वरूप और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए राशन की दुकानों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) जयपुर शहर में कुल 705 उचित मूल्य की दुकानें हैं।

(2) जयपुर शहर की राशन की दुकानों पर वर्ष भर में अप्रेल, 1995 से मार्च, 1996 तक जो वस्तुएं उपलब्ध करायी गयीं तथा जनता में वितरित की गयीं, का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

नाम वस्तु	आबंटन	उठाव	वितरण
कैरोसिन	29593	29391	29391 किलो लीटर
लेवी चीनी	7630.5	7109	7109 मीट्रिक टन
गेहूं	26240	560	560 मीट्रिक टन
चावल	2400	18	18 मीट्रिक टन

(डा. रामप्रताप)

(3) जी हां । जयपुर शहर के बढ़ते स्वरूप/जनसंख्या की वृद्धि एवं आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जाती हैं । वर्तमान में 60 नवीन दुकानें तथा 20 रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह अपर्याप्त उत्तर दिया है । मैं निवेदन करना चाहूंगी, आपने यहां बताया कि जयपुर शहर में 705 दुकानें वर्तमान में हैं ।यह कितनी यूनिट पर हैं और कितनी यूनिट एक दुकान पर है, यह स्पष्ट करने का कष्ट करें । मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जितना आबादी का विस्तार है, जितना जनसंख्या का विस्तार है, उसको देखते हुऐ आपके द्वारा एक विस्तृत सर्वे कराया जाना चाहिये जिससे दूर की आबादी में फैले हुए स्थानों पर निकट ही राशन की दुकानें उपलब्ध हो सकें, लोगों को कष्ट नहीं हो ।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी, आपने यहां जो उठाये गये राशन की लिस्ट दी है, जितना उठाया गया है उतना वितरित नही किया, शेष राशन का क्या हुआ, यह आपने स्पष्ट नहीं किया है । साथ ही कपड़ा, सफोला घी और एल. पी. जी. गैस के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं है, कृपया बतायें कि क्या स्थिति रही है ।

तीसरा, मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोगों के पास डबल राशन कार्ड है और बहुत से लोगों के पास हैं ही नहीं, तो....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : याद नहीं रहेगा, मंत्रीजी को ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सब याद रहेगा, आपकी तरह भुलक्कड़ कोई नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या आपने इस पर भी कभी ध्यान दिया है कि जयपुर नगर में बहुत से लोगों के पास डबल ही नहीं तीन-तीन, चार-चार राशन कार्ड हैं और कुछ लोगों के पास है ही नहीं और कुछ के बनाने के लिए कह दिया गया है कि आप करदाता हैं इसलिए आपके राशनकार्ड नहीं बनेंगे ? यह डाक्यूमेंट है, कई जगह इसकी आवश्यकता होती है । मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था दी है ? यदि नहीं दी है तो सभी के राशन कार्ड बनाये जाने में और दुबारा राशन कार्ड बनाये जाने में आप को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सागानेर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मुझे भी कहना है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । पहले मूल प्रश्नकर्ता का तो जवाब आ जाने दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मेरा जवाब आने दें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इससे सम्बन्धित ही है, साथ ही जवाब आ जाएगा ।

(22)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, पहले जवाब आ जाने दो फिर पूछ लेना। एक मिनट।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में 2988 यूनिट पर एक दुकान है और पूरी स्टेट का एवरेज 2948 है। अभी 60 नयी दुकानें खोली जा रही हैं। इसी 26 तारीख को आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग होगी और उसमें यह तय किया जाएगा।

जहां तक दुकानें खोलने की बात है जिस-जिस जगह पर दुकानें खोली जा रही हैं उसकी मैं आपको तादाद बता देता हूं। दिल्ली बाईपास पर तीन, मालवीय नगर क्षेत्र में सात, सीकर रोड पर तीन, झोटवाड़ा-कालवाड़ रोड क्षेत्र में छह, मानसरोवर- गोपालपुरा मोड़ क्षेत्र में पांच, सांगानेर आवासन मण्डल कालोनी में चार, इस तरह 28 दुकानें हैं और 32 दुकानें शहर की चार दीवारी के अन्दर हैं। फिर भी यह अगर कम पड़ती हैं और माननीय सदस्या बताती हैं कि इस एरिया में दुकाने कम हैं तो उसका सर्वे कराकर और इसको दुबारा दिखवा कर अगर जरूरत पड़ी तो दुकाने और खुलवा देंगे।

जहां तक एल. पी. जी. का सवाल है, एल. पी. जी. हम पी. डी. एस. में नहीं देते हैं। एडीबल आयल है, घी की बात नहीं है, एडीबल आयल हम देते हैं उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस वजह से हम इसको नहीं देते।

राशन कार्ड का जो मुद्दा उठाया है, अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात से चिंतित हूं। राशनकार्ड आज की तारीख में एक बहुत ही आवश्यक चीज हो गयी है क्योंकि इसकी जरूरत चाहे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाते, हैं तो पड़ती है, पासपोर्ट में भी जरूरत पड़ती है, मूल निवास प्रमाण-पत्र में जरूरत पड़ती है, इत्यादि-इत्यादि कई कामों में राशनकार्ड की जरूरत पड़ती है। फेक राशनकार्ड हैं, उनकी तादाद से भी मैं इन्कार नहीं कर सकता। नये राशनकार्ड बनना और उनकी जांच हो करके निरस्त होना एक निरन्तर प्रक्रिया है, फिर भी काफी लम्बे समय से पुराने राशनकार्ड चले आ रहे हैं। मैंने यह सोचा है कि मेरे स्पेशल सैक्रेटरी के स्तर पर इसकी एक कमेटी बना कर, जिसमें एक दो जनप्रतिनिधि भी हों और साथ में कुछ डी. एस. ओ. को लेकर दूसरी स्टेट्स की जहां की व्यवस्था ठीक है, उसको देख कर हम इसको नये सिरे से लागू करें जिससे फेक राशनकार्ड को बन्द नहीं किया जा सके तो इसको मिनिमाइज किया जा सके।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न और है।

मंत्री महोदय ने यहां पर दुकानों पर यूनिट की संख्या तो बतायी लेकिन जयपुर नगर की यूनिट की संख्या नहीं बतायी जो कि 20 लाख है और सांख्यिकी की विभाग ने जो आंकड़े दिये हैं 1991 के उसमें 15 लाख 61 हजार इतने हैं। तो इतने यूनिट फाल्स नहीं हैं तो क्या हैं ? और फिर भी अनेकों लोगों के राशनकार्ड नहीं बने हैं, न स्थायी और न अस्थायी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन राशनकार्ड की पकड़ के लिए दुबारा राशन कार्ड बनवायें उनका रंग

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बदल कर बनायें, गुलाबी रंग के बनायें जिससे यह कागज, इनकी जिल्द और अन्दर का कागज, फिर इस्तेमाल नहीं हो। तो फाल्स रिकार्ड तभी पकड़ा जा सकता है कि जब आप बिलकुल ही इसको चेंज करके बनायें और अपने विभागीय स्तर पर बनवायें। यह मेरा आपसे आग्रह है। क्योंकि विभाग के अलावा जब-जब राशन कार्ड बनवाये गये हैं तब-तब फाल्स राशन कार्ड के रूप में सामने आये हैं और आज भी आप जांच करायेंगे तो निश्चित रूप से आपको साढ़े चार लाख राशन कार्ड गलत मिलेंगे।

एक मेरा इसमें निवेदन और है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि वर्णमाला के आधार पर आप इनका रजिस्ट्रेशन करायेंगे तो जितने फाल्स राशनकार्ड हैं, आपकी नजर में आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप सजेशन बाद में भी दे सकती हैं, यहां तो आप पाइंटेडली पूछें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो जितना जिसका ध्येय है, आप 20 लाख में वह यूनिट बाटेंगे जो 16 लाख की है तो कम मिलेंगी। जरूरी बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप 425.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार लाख।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कोई पाइंटेडली प्रश्न पूछना है तो पूछें। सजेशन देने हैं तो आप सजेशन बाद में भी दे सकती हैं अब बिराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मुझे प्रश्न ही पूछना है। आप कितनी चीनी एक यूनिट पर देते हैं, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इंदिरा मायाराम जी।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मंत्री महोदय, मुझे बोलने की परमिशन मिली है, आप बाद में जवाब दें। मुझे बोलने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा हमारी एक सदस्या ने बताया कि यहां पर राशन कार्ड बहुत लोगों के नहीं बने हैं, यह बात बिलकुल सही है। बहुत-सी बस्तियों के गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए एक तो मेरा मंत्री महोदय से यह कहना है कि इसके लिए दो-चार अलग-अलग जगह पर आप ऐसे आफिसेज खुलवाएं जिससे कि यह राशन कार्ड जल्दी बन सकें, परेशानी के बिना बन सकें।

दूसरा निवेदन यह है कि जो दुकाने आप देते हैं उनका सलेक्शन करने का आपका क्या तरीका है, किसको देते हैं ? कोई समिति बना रखी है या आप

(श्रीमती इंदिरा मायाराम)

अपनी मनमर्जी से जिसको चाहे उसको दे देते हैं ? उससे यह होता है कि वह जो पांच लीटर तेल देते हैं या दस लीटर तेल देते हैं उसकी जगह तीन लीटर और एक किलो चीनी की जगह आधा किलो चीनी देते हैं क्योंकि आप अपने मनचाहे लोगों को देते हैं। मेरा निवेदन यह कि एक समिति बनायी जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। एक सप्लीमेंट्री होती है।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : एक ही सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरभारद्वाज (किशनपोल) : एक छोटा-सा प्रश्न मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : हां फरमाएं।

श्री रामेश्वरभारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, शहर में जो राशन की दुकानें हैं, मंत्रीजी निश्चित रूप से उनकी जांच कराएंगे तो पचास प्रतिशत दुकानें ऐसी होंगी जो न तो समय पर खुलती हैं, और जिस क्षेत्र में दुकान अलाट होती है न उस क्षेत्र में दुकाने हैं। व्यक्ति अलाट तो करा लेता है पर कराता वह कहीं की है और दुकान कहीं पर खोलता है और जब वितरण का समय आता है तो वह दुकान बन्द करके चला जाता है। इसलिए अन्य प्रश्नों के साथ इस प्रश्न की भी जांच कराएंगे तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि झोटवाड़ा में कालवाड़ रोड पर छह दुकाने खुलेंगी। नगर निगम का वार्ड नम्बर 2, पहले पंचायत समिति झोटवाड़ा का भाग था, अब वह नगर निगम में आ गया, वहां राशन की वितरण व्यवस्था पहले जी. एस. एस. के माध्यम से होती थी लेकिन वहां पर नयी दुकानें अभी तक तय नहीं की गयी हैं तो जैसा आपने बताया, क्या उसी के साथ नयी दुकानें खोलने की घोषणा आप करेंगे ? इसी के साथ एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि एक ही व्यक्ति विभिन्न नामों से कई दुकाने ले लेता है। आज की तारीख में दकिया की जोगी पर एक दुकान है वह किसी और के नाम है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दें।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही व्यक्ति विभिन्न नामों से दुकाने ले लेता है, आप उसकी जांच करवाएं ताकि उसमें अनियमितता खतम हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। एक ही सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्रीजी।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि आपके यूनिट 21

(डा. रामप्रताप)

लाख से ज्यादा हैं और जो 1991 की सेन्सस है, उसमें 15 लाख से ज्यादा हैं तो पांच साल के डिफरेंस में निश्चित तौर पर आबादी में बढ़ोतरी हुई है, बाहर से भी लोग आये हैं। मैं नहीं कह रहा कि इसमें फर्क नहीं है लेकिन जो 6 लाख का फर्क दिखायी दे रहा है उसका कारण यह पांच साल का डिफरेंस है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जांच करवाइये न।

डा. रामप्रताप : जांच करवा रहा हूं। यह प्रक्रिया निरन्तर चालू है। दूसरा, राशन कार्ड के बारे में उधर से भी कहा गया है। मैं जो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल करूंगा, उसमें से आपमें से सोचूंगा। आपके साथ जाकर उस कमेटी में जो भी अच्छे सुझाव होंगे, निश्चित तौर पर उस पर मैं कार्यवाही करूंगा।

दूसरा, आपने फरमाया कि आधा किलो चीनी दे रहे हैं। हम आधा किलो चीनी नहीं दे रहे हैं। हम सवा चार सौ ग्राम ही दे रहे हैं और वह भी इसलिए दे रहे हैं कि अभी इसको 1191 की सेन्सस से अटैच किया गया है। पहले तो 1986 के हिसाब से मिल रही थी। सिटी के अन्दर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, सवा चार सौ ग्राम है और देहात में तीन सौ पचास ग्राम से चार सौ ग्राम तक दे पाते हैं। इसमें फर्क का मुख्य कारण यह है कि इनकम टैक्स पेयी को हम खाद्य सामग्री नहीं देते। इसलिए कुछ लोग जो इनकम टैक्स पेयी हैं वह नहीं लेते हैं इस वजह से सवा चार सौ ग्राम के आसपास मिल रही है।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न पूछा है, जैसा पहले मैंने निवेदन किया कि आप मुझे एरिया बताएं और उस एरिया में अगर दुकान की जरूरत है तो मैं सर्वे करवाकर वहां दुकान खुलवा दूंगा।

प्रश्न संख्या 189

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जी जीनगर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री परसादीलाल जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात मैं स्पष्ट कराना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय, दुबारा राशन कार्ड बनवाएंगे या नहीं (व्यवधान) एक मिनट खड़े होकर कह दें। आप बता दीजिए कि दुबारा राशन कार्ड बनाएंगे या नहीं ?

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनाकर उसमें तय करेंगे और विचार कर जरूरी होगा तो निश्चित तौर पर बनवाएंगे।

श्रीमती इन्दिरामायाराम : मेरा जवाब दिया ही नहीं कि दुकान किस तरह से सलेक्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अर्जुनलाल जी तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। मैं नाम बोल चुका हूं। आप बोलिये।

जिला दौसा के शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

190. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दौसा जिले में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विभिन्न बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि में अब तक कितने बेरोजगार युवाओं को ऋण किस-किस बैंक से उपलब्ध हो चुका है ? लाभार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त योजना की क्रियान्विति में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया है ? यदि हां, तो पत्र व्यवहार का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) दौसा जिले में प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में 200 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित था। बैंकवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ" में।)

(2) सूची संलग्न है (परिशिष्ट "आ" पर)

(3) जी हां, विवरण संलग्न है (परिशिष्ट "इ")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में 200 शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने का लक्ष्य था, 1995-96 में केवल 75 लोगों को ऋण मिल पाया है। उपलब्धि बहुत कम है। माननीय डिप्टी सी. एम. साहब, आपके रहते हुए इतनी कम उपलब्धि अगर इसमें आएगी तो फिर ठीक नहीं है। आप इसमें ऐसा समन्वय स्थापित करें, ऐसी कोशिश करें भारत सरकार और आप मिलकर, पहले मुख्य मंत्रीजी ने और आपने मिलकर आश्वासन भी दिया था कि हम ऐसी कोशिश करेंगे जिससे जितना लक्ष्य राजस्थान को मिले, जिस जिले को मिले, उस लक्ष्य की पूर्ति हो। यह तो हाल हमारे दौसा जिले का है कि 200 के बदले आपने ज्यादा भेजे। उद्योग विभाग ने 564 भेजे 200 के मुकाबले आप 200 ही भेजते। क्या होता है, मंत्रीजी, कि वहां पर जो पैसा देते हैं, जो वहां उससे तालमेल करं लेता है

(श्री परसादीलाल मीणा)

उसका पास हो जाता है। जितना आपका लक्ष्य है उतने ही भेजिये। मान लो उसमें से रिजेक्ट हो जाए उसके बाद आप दूसरा फार्म भेजिये। वहां एक बैंक में आपका लक्ष्य तो 5 का है, आपने 50 फार्म वहां भेज दिये तो जो बैंक वालों को पैसा देगा और जो उनसे जाकर बात करेगा उसको दे देंगे, जरूरतमंद गरीब आदमी रह जायेगा। आपको जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है उसका एक कारण यह है कि आप लम्पसम में फार्म भेज देते हैं। आप ऐसा तालमेल करिये भारत सरकार से। आपने आश्वासन दिया था उसके अनुरूप आपने आश्वासन देने के बाद कोशिश नहीं की है। आपके विभाग ने कोई कोशिश नहीं की है। मेहरबानी करके आप यह बताइये कि आप इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या करने जा रहे हैं?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश की उसी का परिणाम यह है कि 200 का लक्ष्य था और 200 की बैंकों ने सैंक्शन दी। वितरण 75 का हुआ यह बात सही है लेकिन सैंक्शन 200 की हो गयी और यह केवल हमारे प्रयासों से हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको पूरा विस्तार से दिया भी है। आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं कि समय-समय पर निदेशक, उद्योग विभाग ने....(व्यवधान)।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बताइये आपने क्या कोशिश की, सैटिसफाइड वैसे ही?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आखिर में हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सारे बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को बुलाकर हमने एक बैठक रखी और इस तरह की बैठकें हम निरन्तर करते आ रहे हैं और उन पर इस बात का दबाव डालते रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशंस है, जो कोटा हमारा निर्धारित है और हम ज्यादा इसलिए भेजते हैं कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के डायरेक्शंस है ताकि उनको स्वीकृत करने में सुविधा रहे, हमने एक भेजा और वह एक फार्म किन्हीं कारणों से खारिज कर दिया तो कोटा पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम आप्शंस भेजते हैं कि जितनी एप्लीकेशंस हैं उनमें से आप कम से कम 200 को छांटकर जो हमारा कोटा है, वह पूरा करिये। लेकिन बैंक हमारे सीधे नियन्त्रण में तो हैं नहीं और इसलिए हम जितना दबाव उन पर डाल सकते हैं, डालते हैं। मुझे यह भी पता है कि इस सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधान मंत्री और भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कई बार बैंकों को निर्देश भी जारी किये हैं कि यह पी एम. आर. वाई. में वो कोआपरेट करें, सहयोग करें। इसके बावजूद भी बैंकों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। इस कारण से यह स्वीकृत होने के बाद भी ऋण वितरण में कमी होती है। हालांकि हमारे दस हजार के अगेंस्ट में हमने जो ट्रेनिंग दी वह भी 8,253 लोगों को आलरेडी ट्रेण्ड कर दिया। यदि वह पूरी की पूरी सैंक्शन कर दें तो इतने ट्रेंड लोग भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी केवल 4,050 में ही ऋण वितरण किया है। हमारी ओर से निरन्तर इस सम्बन्ध में कार्यवाही

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

जारी है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी ओर से तो कमी है नहीं।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो लक्ष्य दिये, साल भर तक वह लक्ष्य पूरे नहीं करते और आखिर में जाकर वह सैंक्शन करते हैं। क्या आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हर तीसरे माह लक्ष्य आवंटित करें ताकि वह प्रोग्रेस आगे से आगे चलती रहे? अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो इसमें थोड़ा-सा सुधार हो सकता है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : ऐसा नहीं है। इस साल 10,400 का हमारा लक्ष्य है। मई तक हमने 3,003 एप्लीकेशंस भेज दी है उसमें से 2,598 ऋण एप्लीकेशंस स्वीकृत की हैं....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अगर जून के महीने में आप उनको कहें कि तीन-तीन महीने में दें तो यह ज्यादा प्रगति होगी।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मार्च, अप्रेल, मई की बता रहा हूं। आप तीन महीने की बात कह रहे हैं। हमने आल-रेडी तीन महीने में 2,598 एप्लीकेशंस वहां भेज दी हैं। उन्होंने सैंक्शन 16 की हैं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : आप उसमें यह कीजिये कि तीन महीने में यह करिये और अगले तीन महीने में यह करिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिये। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट--1 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा-कपासन मार्ग पर बस सेवा

189. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के मार्ग भीलवाड़ा से कपासन वाया राशमी पर रोडवेज की बसों के कितने नम्बर चालू किये गये तथा अब उनकी स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मार्ग पर रोडवेज की बसों को पुनः चालू करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं तो क्यों।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला-चित्तौड़गढ़ के मार्ग भीलवाड़ा से कपासन वाया राशमी पर निगम द्वारा वर्ष 1991 में 8 परिचक्र दैनिक संचालित किये गयेथे। की वर्तमान में इस मार्ग पर निगम द्वारा कोई वाहन सेवा संचालित नहीं की जा रही है।

(राज्य मंत्री यातायात)

(2) जी हां। भीलवाड़ा से कपासन वाया पुर--गुरला--कारोई--पहुंना--राशमी--डिडोली मार्ग पर वाहन संचालन प्रारम्भ करने का निर्णय निगम प्रशासन ने ले लिया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कुदायला औद्योगिक क्षेत्र (कोटा)

230. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंज मण्डी कोटा के कुदायला औद्योगिक क्षेत्र में पत्थर पालिस तथा चिराई की वर्तमान में कुल कितनी इकाइयां कार्यरत है ?

(2) क्या यह सही है कि 1978 में कुदायला में जब औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था तब उद्यमियों को औद्योगिक सुविधाओं की वचनबद्धता के साथ रीका ने प्लाटों का बेचान किया गया ? यदि हां, तो क्या 18 वर्ष बाद भी इस औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा कोई मूलभूत सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कुदायला औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत इकाइयां पानी पर आधारित हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में भूगर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट के कारण उक्त क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां बंद हो गयी हैं तथा कुछ इकाइयां बन्द होने के कगार पर हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुदायला औद्योगिक क्षेत्र में 77 भूखण्डों पर पत्थर पोलिश तथा चिराई की 73 इकाइयां कार्यरत है।

(2) यह सही है कि वर्ष 1973 में कुदायला औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया था और नियमानुसार भूखण्डों का आवंटन भी किया गया था। निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में समस्त आधारभूत सुविधायें जैसे सड़क, बिजली, पानी, इत्यादि उपलब्ध करवा दी गई थी। कुदायला में निगम के पास स्वयं का जल स्रोत नहीं होने की स्थिति में जलदाय विभाग द्वारा प्राप्त तकमीनों के अनुसार रुपये 1,48,000/- की राशि जलदाय विभाग को उपलब्ध करवाई थी और जलदाय विभाग द्वारा 1200 मीटर पाइप लाइने बिछाकर एवं 10,000 गैलन क्षमता के जलाशय का निर्माण करवाकर औद्योगिक क्षेत्र में जलापूर्ति की गई है।

(3) कुदायला औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतर इकाइयां कोटा स्टोन कटिंग एवं पालिश की है। अतः उत्पादन के समय पानी की आवश्यकता होती है। भू-गर्भीय स्तर में निरन्तर गिरावट के कारण जलदाय विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना में पानी की उपलब्धता कम हुई है। परन्तु रीको द्वारा उद्यमियों की अपेक्षा-

(उद्योग मंत्री)

नुसार नलकूप लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार औद्योगिक इकाइयां स्वयं के स्रोतो से विकसित जलापूर्ति कर उद्योग चलाती आ रही है ताकि इकाइयां जलापूर्ति के कारण प्रभावित न हो। अतः यह कहना सही नहीं है कि जलाभाव के कारण क्षेत्र में इकाइयां बन्द हो गई है या बन्द होने के कगार पर हैं। रामगंज मण्डी में पानी की समस्या के निवारण हेतु जलदाय विभाग द्वारा ऐक योजना का भी क्रियान्वयन प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत रावत भाटा से रामगंज मण्डी तक पानी लाया जावेगा। इस योजना की क्रियान्विति के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में भी जल समस्या का निवारण हो सकेगा।

वैशाली नगर (जयपुर) क्षेत्र में मकानों के बाहर की भूमि पर अतिक्रमण

231. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की बाहरी बस्तियों में मकानों के आगे सरकारी भूमि पर हरियाली लगाने के नाम पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसको उचित मानती है? यदि नहीं, तो सरकार इन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि वैशाली नगर के 'ए' ब्लाक में हरियाली के नाम पर पक्की तारबन्दी बहुतायत से है? यदि हां, तो किस-किस आवासधारी ने ऐसे कब्जे कर रखे हैं? उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर की वैशाली नगर आवासीय कॉलोनी में सभी ब्लाकों में बहुत से प्लाट होल्डर्स ने पक्के चबूतरे तथा पक्की तारबंदी आदि करके 10-15 फीट तक सड़क पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे उचित मानती है? यदि नहीं, तो इसे हटाने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि जयपुर शहर की बाहरी बस्तियों में मकानों के आगे सरकारी जमीन पर हरियाली लगाने के नाम पर लोगों ने कब्जे कर रखें हैं, जो उचित नहीं है, जिन्हें समय समय पर नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जाती रही है।

(2) जी हां, वैशाली नगर के "ए" ब्लाक में बत्तीस आवासधारियों द्वारा फुटपाथ पर पेड़-पौधे लगाये जाकर तारबन्दी कर रखी है, जिनकी सूची संलग्न है। इस तारबन्दी को हटाये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) यह सही है कि वैशाली नगर योजना की विभिन्न ब्लॉकों में कुछ प्लाट होल्डर द्वारा सड़क एवं प्लांट के मध्य में तारबन्दी एवं चबूतरे बनाये हुए हैं, जिसे अतिशीघ्र हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

जिला कलक्टर, सीकर के निवास के समीप स्थित भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

232. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कलक्टर निवास सीकर के पास की भूमि का नगर परिषद् सीकर द्वारा अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त अधिग्रहित की गई भूमि किसकी थी ?

(3) क्या उक्त भूमि का मुआवजा दिया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त भूमि का मुआवजा दिया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) इस कार्यवाही में विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 17-2-82 को।

(2) अधिग्रहित भूमि खातेदार स्व. श्रीमती त्रिलोक्य राज्य लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. श्री हरदयालसिंह जी की थी।

(3) जी नहीं। स्व. श्रीमती त्रिलोक्य राज्य लक्ष्मी देवी का स्वर्गवास होने के पश्चात् उनका जायज वारिस तय नहीं होने के कारण मुगतान उक्त अधिग्रहित भूमि का नहीं किया गया।

(4) जी हां। श्रीमती त्रिलोक्य राज्य लक्ष्मी देवी का जायज वारिस तय होने के पश्चात् भुगतान कर दिया जावेगा।

(5) जिला कलक्टर, सीकर द्वारा इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण अपने निर्णय दिनांक 24--5--89 द्वारा कर दिया गया। इस निर्णय के पश्चात् स्व. श्रीमती त्रिलोक्य राज्य लक्ष्मी देवी का स्वर्गवास हो गया। अब श्रीमती त्रिलोक्य राज्य लक्ष्मी देवी के वारिस तय होने पर मुआवजा का भुगतान कर दिया जावेगा। इस प्रकार विलम्ब होने का कोई प्रश्न नहीं हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुध कार्यवाही

233. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि लोकायुक्त ने जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश सरकार को दिया था ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस अधिकारी के विरुद्ध किस-किस आरोप में ? लोकायुक्त द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त रिपोर्ट के आधार अब पर तक किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री एस. मिश्रा तत्कालीन जोन अधिकारी को जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) विनियम 1984 के विनियम 8 के तहत दिनांक 9-4-96 को आरोप पत्र जारी किया है। इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत निदेशक आयोजना श्री बी. एल. मेहरा (सेवा नियुक्त मुख्य नगर नियोजक) को कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 24-4-96 द्वारा सी. सी. ए. नियम 1958 के नियम 16 के तहत चार आरोप पत्र जारी किये गये हैं। श्री एस. सी. महागांवकर उप नगर नियोजक को कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 22-4-96 के द्वारा नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है। श्री बी. एम. शर्मा, प्राध्यापक रीजनल इंजीनियरिंग महाविद्यालय जो तत्कालीन समय में जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर बी. पी. सी. द्वितीय के सदस्य सचिव थे के विरुद्ध भी जांच विचाराधीन है। माननीय लोकायुक्त महोदय की जांच रिपोर्टों की प्रतियां गोपनीय दस्तावेज होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(2) बिन्दू संख्या एक के उत्तर के आधार पर।

जयपुर शहर में पुराने मकानों को पट्टे देने की योजना

234. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा शहर की चार दीवारी में स्थित पुराने मकानों के पट्टे दिये जाने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर पट्टे जारी करने की कार्य योजना हाथ में ली गई थी ? यदि हां, तो कब और इस कार्य योजना के तहत निगम कोष में कितनी राशि जमा हुई ?

(2) क्या निगम द्वारा ऐसे मकान मालिकों के दस्तावेज सही पाये गये थे एवं क्या इस सम्बन्ध में कोई सूची प्रकाशित कर शीघ्र पट्टे जारी करने का निर्णय भी लिया गया था ? यदि हां, तो अब तक ऐसे लोगों को पट्टे जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि निर्धारित राशि जमा होने के पश्चात् भी अभी तक ऐसे मकान मालिकों को पट्टे जारी होने

(स्वायत्त शासन मंत्री)

की कार्य योजना क्रियान्वित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार मकानों के पट्टों के अभाव में मकान में और निर्माण कार्य कराने तथा ऋणदात्री संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में मकान मालिकों को हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य योजना पर शीघ्र अमल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा शहर की चार दीवारी में स्थित पुराने मकानों के पट्टे दिये जाने की योजना दिनांक 1-6-94 से हाथ में ली, उक्त योजना के तहत निगम कोष में 20 रुपये की राशि जमा हुई है।

(2) जी हां। उक्त योजना के तहत जो प्रार्थना पत्र सही पाये गये थे उनकी सूची प्रकाशित कर शीघ्र पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे लोगों को पट्टे नहीं दिये जाने के कारण बहुत से द्वारा नजूल सम्पत्ति पर पट्टा चाहना मुस्तरका मार्गों पर पट्टे चाहे जाने के कारण 40 वर्ष कब्जा प्रमाणित नहीं होने के कारण तथा अन्य दस्तावेजात पूर्ण नहीं होने के कारण एवं देव स्थान व सरकारी सम्पत्ति होने के कारण पट्टा नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं।

(4) पुराने मकानों के पट्टे दिये जाने हेतु राजस्थान गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट 1961 प्रभावशील है।

घेर अचलपुरा (जयपुर) के बुनकरों की आवासीय व्यवस्था

235. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : (केकड़ी) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर शहर की चौकड़ी रामचन्द्रजी में परशुराम मार्ग स्थित घेर अचलपुरा में पीढ़ियों से आबाद अनुसूचित जाति के कोली बुनकरों को व्यवस्थित रूप से बसाने के लिये तत्कालीन नगर परिषद् जयपुर ने कोई योजना प्रारूपित की थी ? यदि हां, तो कब ? प्रारूपित योजना का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रारूपित योजना के अनुसार बुनकरों को बसा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो किस-किस ने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अतिक्रमियों द्वारा न्यायालय से इस योजना की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था ? यदि हां, तो सम्पूर्ण भूमि पर अथवा आंशिक भू-भाग पर ?

(5) क्या घेर अचलपुरा का विवाद अभी तक न्यायालय के विचाराधीन है ?

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

अथवा निर्णय हो गया ? यदि निर्णय हो गया तो न्यायालय के अन्तिम निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या न्यायिक निर्णय के बाद जयपुर नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम (तत्कालीन नगर परिषद्) ने परशुराम मार्ग स्थित घेर अचलपुरा में पीढ़ियों से आबाद अनुसूचित जाति के कोली बुनकरों को बसाने के लिये कोली बस्ती को आदर्श बस्ती बसाने का प्लान दिनांक 8-2-63 को तैयार किया गया था। योजना का मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। ग़ैर अनुसूचित जाति के लोगों अतिक्रमण होने एवं उन पर न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण बुनकरों को प्रारूपित योजना के अनुसार नहीं बसाया जा सका।

(3) जी हां। यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत 13 प्लाटों में से 3 प्लाटों पर ग़ैर अनुसूचित जाति के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमियों की सूची संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि अतिक्रमियों द्वारा न्यायालय से उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण के स्थान पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था हालांकि स्थगन आदेश अतिक्रमित भूमि के लिये है परन्तु सम्पूर्ण स्कीम वैधानिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं।

(5) जी नहीं। निर्णय की प्रति संलग्न है।

(6) जी नहीं। नगर निगम द्वारा न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(मानचित्र व सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जयपुर शहर में बूचड़खानों का निर्माण

236. श्री हीरालाल इन्दोरा (केशरीसिंहपुर) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर पाड़ा वध से हो रही गन्दगी व इससे शहरवासियों को उत्पन्न परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए क्या जयपुर शहर में भी अन्य जिलों की भांति "बफेलो स्लोटर हाउस" का निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कहां और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही है कि जयपुर शहर में अवैध पाड़ा वध किया जाता है लेकिन इनकी रोक थाम हेतु नियमित पूरे शहर में जहां-जहां अवैध वध किया जाता है वहां पाड़ा मांस जब्त कर चालान किया जाता है। गन्दगी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

की नियमित रूप से सफाई की जाती है। अब तक कुल 1002 चालान एवं 110.46 टन पाडा मांस जब्त किया गया है। अभी नगर निगम का बफेलो स्लॉटर हाउस का निर्माण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

को-आपरेटिव कालोनी, जयपुर में जन उपयोगी सुविधाएं

237. **श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि को-आपरेटिव कालोनी, सोडाला, अजमेर रोड जयपुर में स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त कार्य अब तक नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अब उक्त कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सड़क, नाली हेतु सर्वे मार्च 1987 में करवाया गया था लेकिन स्ट्रीट लाइट हेतु नहीं करवाया गया।

(2) उक्त कालोनी में पूर्व में आंशिक सड़कें एवं नालियां बनायी गयी थीं। भविष्य में योजना वासियों द्वारा और विकास शुल्क जमा करवाये जाने पर सड़क व नाली के शेष कार्य विकास शुल्क की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर करवा दिये जायेंगे।

पाल रोड योजना (जोधपुर)

238. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर सुधार न्यास, जोधपुर पूर्वी एवं पश्चिमी पाल रोड योजना के लिए किसानों की भूमि अवाप्त की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि किस-किस ग्राम की तथा किन-किन खातेदारों की ? विवरण खातेदार के नाम, पिता का नाम, खसरा नम्बर, रकबा, बीघा सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह उपरोक्त योजना की अधिसूचना की विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो कब-कब अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हुई ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 व 6 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् 2 वर्षों में एवार्ड जारी करना कानूनन आवश्यक है ? यदि हां, तो समय पर एवार्ड जारी नहीं होने से क्या उक्त कार्यवाही अधिनियम के अनुसार स्वतः ही समाप्त हो जाती है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त योजनाओं की कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। इन दोनों योजनाओं के लिये ग्राम जोधपुर पाल एवं चौपासनी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

की भूमि अवाप्ति की जा रही है। पूर्वी पाल रोड योजना में 3360 बीघा एवं पश्चिमी पाल रोड योजना में 2300 बीघा भूमि अवाप्ति में शामिल है अधिसूचनाओं में खातेदारों का नाम अंकित नहीं होने से सम्पूर्ण खातेदारों को सूचना उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

(2) जी, हां। पूर्वी पाल रोड योजना के लिये केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 की घोषणा का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13-6-91 एवं पश्चिमी पाल रोड योजना के लिये भी धारा 6 की घोषणा का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13-6-91 को हुआ है। दोनों घोषणाओं के राजपत्र की प्रतियां परिशिष्ट क व ख संलग्न है।

(3) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 11(ए) के तहत धारा 6 की घोषणा के अन्तिम प्रकाशन तिथि से दो वर्ष में अवार्ड घोषित होना आवश्यक है, लेकिन यदि अवाप्ति की कार्यवाही पर न्यायालय की रोक हो तो रोक वाली अवधि को इस अवधि से अलग कर दिया जावेगा। पूर्वी पाल रोड योजना की अवाप्ति की कार्यवाही दिनांक 14-11-91 से 29-11-95 एवं पश्चिमी पाल रोड योजना की अवाप्ति की कार्यवाही दिनांक 30-1-92 से 29-12-95 तक स्थगित रही है। अतः अवाप्ति की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है। एवं अवार्ड दिनांक 18-8-97 एवं 2-6-97 तक घोषित हो सकता है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गयी।)

मानसरोवर कालोनी (जयपुर) के मार्गों का नामकरण

239. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर कालोनी के सैक्टर 5 के जोन 54 के विकास कार्य की कड़ी में उनके मार्गों का नामकरण किया जाकर नाम पट्टिकाएं लगवाई जा रही हैं? यदि हां, तो किन-किन मार्गों का क्या-क्या नामकरण किया जाकर उनमें नाम पट्टिकाएं लगवाई गई?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी सैक्टर के इसी जोन के आवास संख्या 115, 167, 163 व कतिपय अन्य निवासियों ने उनके मार्ग का नाम "देवर्षि मार्ग" रखने का अनुरोध बोर्ड को किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त आवासों के निवासियों के अनुरोध पर विचार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? अब इस सम्बन्ध में कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर कॉलोनी के सैक्टर 5 के जोन संख्या 54 में जिन मुख्य मार्गों पर पूर्व

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

में नाम पट्टिकाएं लगाई जाकर नामकरण किया गया था वो निम्न प्रकार है:-पंचवटी मार्ग, सरयू मार्ग एवं विन्ध्याचल मार्ग। शेष की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। इस मार्ग का नाम देवर्षि मार्ग लिखवा दिया है।

(3) अनुरोध पर विचार कर लिया है।

जयपुर शहर की कृषि भूमि पर बनी सहकारी समितियां

240. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिन द्वारा कृषि भूमि पर भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं एवं उन पर मकान बने हुए हैं ?

(2) मकान बनी हुई समितियों में से कितनी समितियों का अब तक नियमन किया जा चुका है और शेष का कब तक नियमन कर दिया जावेगा।

(3) कितनी समितियों का रूपान्तरण और विकास शुल्क जमा हो चुका है और इसमें सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बनी जयपुर विकास प्राधिकरण में 102 गृह निर्माण सहकारी समितियों की 1159 योजनायें हैं इनमें से जो अवाप्ति में हैं या न्यायालय में विवादग्रस्त हैं उनको छोड़कर शेष में आंशिक अथवा लगभग पूर्ण रूप से मकान बन चुके हैं।

(2) मकान बनी हुई योजनाओं में से 154 योजनाओं को नियमित किया जा चुका है तथा शेष के नियमन हेतु परीक्षण किया जा रहा है तथा नियमन में आ रही कानूनी बाधाओं के निराकरण के उपरान्त ही उनका नियमन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) 417 गृह निर्माण सहकारी समितियों के भूखण्डधारियों द्वारा रूपान्तरण शुल्क/विकासशुल्क प्राधिकरण में जमा कराया गया है। राज्य सरकार को 346.77 लाख रुपये (रूपान्तरण शुल्क शास्ति व ब्याज की सम्पूर्ण राशि तथा भूमि की कीमत का 20 प्रतिशत हिस्सा) की राशि भेजी गई है।

हरिवंश कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर के परिसर में स्थित दुकानों की नीलामी

241. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शास्त्री नगर, जयपुर स्थित हरिवंश कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर परिसर की दुकानों की नीलामी की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दुकानों की नीलामी के लिए

(38)

(श्री विष्णु मोदी)

आरक्षित राशि कितनी-कितनी निर्धारित की गयी थी और नीलामी में अधिकतम कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय परिसर स्थित दुकानों में से दुकान संख्या 9 एवं 10 तत्समय नीलाम की गयी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त हॉस्पिटल परिसर स्थित दुकान संख्या--9 का आवंटन अक्टूबर, 1994 में विभाग के ही एक कर्मचारी को कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसे और किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां। शास्त्री नगर जयपुर स्थित हरिबक्स कांवटिया अस्पताल परिसर में प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों की नीलामी की गयी थी। प्राधिकरण द्वारा इन दुकानों की आरक्षित दर रु. 9837/- प्रति व. मी. निर्धारित की गयी थी। इन दुकानों की नीलामी में उच्चतम रु. 7 लाख की राशि प्राप्त हुयी जिसकी उच्चतम दर रु. 35860/-- प्रति व. मी. है।

(2) यह सही नहीं है कि दुकान नं. 9 व 10 दोनों ही नीलामी में बेची गयी हो अपितु उपरोक्त चिकित्सालय परिसर में दुकान नं. 9 खुली नीलामी द्वारा तथा दुकान नं. 10 राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर को आबंटन द्वारा बेची गयी थी।

(3) उक्त चिकित्सालय परिसर में दुकान नं. 9 अन्य दुकानों के साथ ही उसी दिन दिनांक 27-8-93 को नीलाम की गयी थी। इसलिये यह गलत है कि दुकान नं. 9 का आबंटन अक्टूबर, 1994 में विभाग के ही एक कर्मचारी को कर दिया गया।

परसरामनगर (जयपुर) में पानी के निकास की व्यवस्था

242. श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 68 की परसरामनगर, ढेहर का बालाजी आवासीय कालोनी के पानी की निकासी के रास्ते भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण उक्त कालोनी में बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे कालोनी के निवासियों का आना-जाना मुश्किल हो गया है तथा मकानों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका हो गई है ?

(2) यदि हां, तो उक्त स्थिति के निराकरण हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है और क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि भवानी निकेतन

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

शिक्षा समिति द्वारा दीवार बनाकर बरसात के पानी का निकास बन्द कर दिया गया था। वर्तमान में बरसात का पानी कालोनी में इकट्ठा नहीं होता है। अतः मकानों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका नहीं है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन जयपुर द्वारा भी दो वर्ष पूर्व हस्तक्षेप कर पानी निकासी हेतु दो रास्ते बना दिये गये थे।

(2) निराकरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर नं. 19 जो कि सीकर रोड एवं जयपुर सीकर रेल्वे लाइन के बीच स्थित है के लिए ड्रेनेज प्लान बना लिया गया है एवं निविदाएं आमंत्रित कर दरें भी तय करली गई हैं। कार्य जल्दी ही शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

मकराना शहर की पेयजल व्यवस्था

243. **श्री रूपाराम (मकराना)** : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मकराना शहर में पेयजल की व्यवस्था के लिए अभी क्या-क्या साधन हैं?

(2) मकराना शहर की जनसंख्या को देखते हुए यहां पर पानी की खपत का औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है और अभी कितना पानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है?

(3) क्या मकराना शहर में पेयजल की कमी को दूर करने और पेयजल वितरण में सुधार के लिए सरकार कोई आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) मकराना शहर में संचारित पाइप्ड जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कुचामन में स्थित 11 नलकूपों तथा 2 खुले कुओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) मकराना शहर की 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या 66728 एवं वर्तमान में लगभग 82880 है। मापदण्डों के अनुसार, प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की मांग 188 लीटर निर्धारित है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 18 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मात्रा की आपूर्ति किया जाना सम्भव हो पा रहा है।

(3) जी हां, वितरित मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से शाहजी की कोठी के पास। नलकूप का निर्माण किया जा चुका है एवं दूसरा बनाया जा रहा है। इन्हें शीघ्र चालू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

मकराना शहर हेतु निकट कोई समुचित पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है। जूसरिया एवं बुडसू में भूजल की उपलब्धता ज्ञात करने हेतु भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। भूजल वैज्ञानिकों की अनुशंषा के अनुसार भूजल की उपलब्धता ज्ञात कर उस पर आधारित पेयजल योजना बनाना प्रस्तावित है।

अजमेर जिले को पेयजल आपूर्ति

244. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में कितना-कितना पानी किन-किन स्रोतों से कितने-कितने समय उपलब्ध करवाया जा रहा है ?

(2) अजमेर जिले में वर्तमान में कुल कितने हैण्डपम्प खुदे हुये हैं, उनमें से कितने हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य नहीं है, कितने हैण्डपम्पों का पानी सूख गया है या अत्यधिक नीचे चला गया है तथा कितने हैण्डपम्प कार्यरत हैं ? विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में भूमिगत जल काफी नीचे एवं कम मात्रा में है तथा जो पेयजल वितरित किया जा रहा है वह गंदा एवं पीने योग्य नहीं है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो सरकार अजमेर जिले की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिये क्या कारगर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित जिले के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कराये जा रहे जल की मात्रा, वितरण अवधि इत्यादि का वांछित विवरण परिशिष्ट 1 व 2 में संलग्न है।

(2) अजमेर जिले में 18005 हैण्डपम्प स्थापित हैं जिनमें से 2500 हैण्डपम्पों का पानी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं हैं, एवं 421 हैण्डपम्प सूखे हैं। कुल 9030 हैण्डपम्प कार्यरत हैं। विधान सभा क्षेत्रानुसार इनका विवरण परिशिष्ट 3 में संलग्न है।

(3) अजमेर जिले में भूमिगत जल सामान्यत: 20 से 35 मीटर की गहराई पर उपलब्ध है एवं यह मात्रा भी अत्यन्त सीमित है। विभिन्न स्रोतों से वितरित किया जा रहा पेयजल स्वच्छ एवं पीने योग्य है एवं इसे किटाणु रहित बनाये रखने की व्यवस्था है बीमारियों का होना पेयजल के माध्यम से प्रमाणित नहीं है। समय-समय पर जल स्रोतों की उपलब्धता व आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समाधान किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

भोपालगढ़ में स्वीकृत नलकूप

245. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ में समर कन्टीन्जैन्सी योजना में कितने नल कूप स्वीकृत किये गये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण डूडी)

(2) स्वीकृत नल कूपों को कब तक खोद दिया जायेगा एवं इनको कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम थोब एवं खेड़ापा पंचायत समिति ओसियां में जो नलकूप खोदे गये वे जनता की मांग के अनुसार न खोदकर अन्यत्र खोद दिये गये ? यदि हां, तो क्यों व इसमें दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम थोब में खोदे गये नल कूप का पानी फ्लोराईड युक्त था एवं इसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि भोपालगढ़ में दो नलकूप एक पूर्व में विभागीय क्वार्टर के पास व एक नाड़ी के पीछे इस समर कन्टिन्जैन्सी योजना में खुदवाये गये तथा दोनों असफल हुए ? यदि हां, तो यह किन-किन अधिकारियों की मिली भगत से खोदे गये ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित निर्वाचन क्षेत्र में 1996 के ग्रीष्मकालीन संवर्द्धन कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत 30 नलकूपों की वांछित ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत 30 नलकूपों में से 10 निर्मित हो चुके हैं। शेष 20 नलकूपों हेतु भूजल वैज्ञानिक एवं विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थानों का चयन किया जा रहा है। जैसे-जैसे स्थान उपलब्ध होंगे, नलकूपों को निर्मित किया जाकर विद्युत सम्बन्ध प्राप्त कर इस वित्तीय वर्ष में चालू किया जाना लक्षित है।

(3) उल्लेखित ग्रामों एवं पंचायत समिति में नलकूप भूजल वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययन एवं योजना हेतु उपयोग में उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए ही निर्मित किये गये हैं। कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं।

(4) ग्राम थोब में बने नलकूपों में फ्लोराईड की मात्रा इस क्षेत्र को देखते हुए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार हैं। वांछित रासायनिक विश्लेषण की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(5) एक नलकूप विभागीय आवास के निकट न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं दूसरा नलकूप नाड़ी के निकट ग्रीष्मकालीन संबर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बनवाया गया। आवास के निकट निर्मित नलकूप से जल उत्पादन किया जा रहा है। नाड़ी के निकट निर्मित नलकूप की जल उत्पादन क्षमता कम है परन्तु इसमें वर्षा के पश्चात् वृद्धि की सम्भावना है। दोनों के स्थानों का चयन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--4 देखें।)

अचरोल एवं आमेर (जयपुर) की पेय जल योजनाएं

246. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि अचरोल और आमेर हेतु जल योजनायें स्वीकृत हुई हैं ? यदि हां, तो स्वीकृति के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु टेण्डर आमन्त्रित करके निर्माण कार्यों के आरम्भ के निर्देश दे दिये गये हैं ? यदि, हां तो कार्य पूर्ण कराने की अवधि कब तक है ?

(3) इस योजना से कितनी जनसंख्या लाभान्वित होगी ? मोहल्लेवार जनसंख्या का ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, स्वीकृति सम्बन्धी निर्णयों की प्रतियां परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां, सन्दर्भित दोनों पेयजल योजनाओं को दिसम्बर, 1996 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(3) सन् 1991 की जनगणना के आधार पर अचरोल पेयजल योजना द्वारा 5950 एवं आमेर पेयजल योजना द्वारा 23289 जनसंख्या लाभान्वित होगी। मोहल्लेवार जनसंख्या का विवरण परिशिष्ट "ग" एवं "घ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--5 देखें।)

राज्य के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम

247. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) वर्तमान में राज्य के किन-किन जिलों के कुल कितने ग्राम पेयजल समस्या से ग्रस्त हैं ?

(2) सरकार ने पेयजल संकट के निवारण हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1991 की जनगणना के अनुसार 37889 आबाद ग्राम हैं, जिनमें से 37274 ग्रामों को विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से 31 मार्च 1996 तक लाभान्वित किया जा चुका है। शेष बचे 615 आबाद एवं पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा धन संसाधनों की उपलब्धता के, अनुसार, समस्त ग्रामों, ढाणियों, मजरों को एक चरण बद्ध कार्यक्रम के रूप में पेयजल योजनाओं द्वार

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 37274 ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। बचे हुए 615 ग्रामों में से 175 ग्रामों की जनसंख्या 20 अथवा इससे कम है तथा फैली हुई है। अतः वर्तमान में इन्हें प्राथमिकता दी जानी उचित नहीं है, शेष 440 ग्रामों को धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार लाभान्वित किया जा सकेगा। वर्ष 1996-97 की अवधि में 4300 ग्रामों एवं ढाणियों, मजरों को पेयजल से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 700 आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों को भी पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जाना लक्षित है। चालू वित्तीय वर्ष में 144.50 करोड़ रुपये की राशि नये समस्याग्रस्त ग्रामों तथा ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार द्वारा भी त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 106 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है--

(अ) दिनांक 25-6-96 तक 4009 नये हैण्डपम्प बनाकर एवं 435 नलकूपों को चालू कर अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

(ब) सभी जिलों में विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान दिनांक 25-3-96 से 15-7-96 तक चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 25-6-96 तक 65565 हैण्डपम्पों को सुधारा जा चुका है। इस कार्य हेतु 4.75 करोड़ रुपये विशेष रूप से उपलब्ध कराये गये हैं। अभियान अभी प्रगति में है।

(स) ऐसे 1068 ग्राम/ढाणियों में जहां कोई उचित पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं थे, टैंकरों से पेयजल सुलभ कराया गया है। इसके अतिरिक्त 78 निजी कुओं को किराये पर भी लेकर समस्याग्रस्त योजनाओं में जल की उपलब्धता बढ़ाई गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--6 देखें।)

ग्राम कानरपुरा (चौमूं) की पेयजल व्यवस्था

248. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में पेयजल का जो मुख्य कुआं मन्दिर श्री सीताराम जी का है उसमें फ्लोराइडयुक्त पानी है ?

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा उक्त कुएं के पानी की कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उसके पानी में कितनी मात्रा में फ्लोराइड

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

है ? क्या उक्त कुएं का पानी पीने योग्य है ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त ग्रामवासियों को शुद्ध पानी देने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या, और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उल्लेखित खुला कुआं निजी सम्पत्ति है। विभाग द्वारा इसे पेयजल वितरण हेतु उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। ग्राम में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 6 हैण्डपम्प लगे हुए हैं, जिनमें से 5 कार्यरत हैं।

(2) फ्लोराइड की मात्रा की जांच मार्च, 1996 में विभाग द्वारा करवाई गयी थी। जाच रिपोर्ट के अनुसार यह मात्रा 11.5 पी. पी. एम. है। निर्धारित मापदण्डों से अधिक होने के कारण उक्त कुएं का पानी पीने योग्य नहीं है। जांच रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) ग्राम की वैकल्पिक योजना के प्रस्ताव बनाने हेतु स्रोत का अन्वेषण भूजल वैज्ञानिक द्वारा कराया जा रहा है, जिसके पश्चात् योजना बनाई जाकर धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित कराई जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7देखें।)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली को डार्क जोन से समाप्ति प्रकरण

249. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील को सरकार ने डार्क जोन क्षेत्र घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) डार्क जोन घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं ? क्या कोटपूतली क्षेत्र उन मानदण्डों की श्रेणी में आता है ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली को डार्क जोन क्षेत्र से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति कोटपूतली में दो पोटेन्शियल जोन "ए" व "क्यू" आते हैं, विभाग द्वारा भूजल उपलब्धि के पुनर्मूल्यांकन 1-1-93 के आधार पर दोनों जोन डार्क श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि इनमें भूजल विकास की दर 85 प्रतिशत से अधिक है।

(2) भू-जल आंकलन समिति के अनुसार जिन क्षेत्रों में भू-जल विकास की दर 85 प्रतिशत व अधिक आती है, वह क्षेत्र डार्क श्रेणी में आते हैं।

राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति का भूजल पुनर्मूल्यांकन किया जाता है यदि

(भू-जल मंत्री)

किसी क्षेत्र में भूजल विकास की दर में बदलाव पाया जाता है तो भूजल आंकलन समिति के मापदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र को पुनंवर्गीकृत किया जाता है।

(3) कोटपूतली पंचायत समिति का भू-जल पुनंमूल्यांकन 1-1-95 को किया गया था। भू-जल आंकलन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् भू-जल धारक क्षेत्रों का पुनः निर्धारण संभव हो सकेगा। साधारणतया दो वर्ष में पुनंमूल्यांकन कर दिया जाता है।

पैट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल में मिलावट के प्रकरण

250. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोड़ा-भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पैट्रोल, डीजल एवं मिट्टी तेल के लिये सरकार द्वारा कितने परमिट दिये गये हैं उनमें से कितनी परमिटों के बारे में अब तक शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या मिट्टी के तेल को डीजल में मिलाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या इस कारण सारा मिट्टी का तेल ब्लैक हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पैट्रोल एवं डीजल परमिट नहीं दिये जाते हैं। केवल केरोसीन तेल के परमिट राज्य सरकार के आदेश, 1993 केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन एवं कीमत नियंत्रण) के खण्ड 3 (1) के तहत सरकारी विभाग, अर्द्ध सरकारी संस्थाएं, चिकित्सीय, शैक्षणिक प्रयोग शालाओं, स्टोव एवं पैट्रोमैक्स की मरम्मत करने वाले और स्वर्णकारों को ही दिये जाते हैं। इस तरह के राज्य में कुल 2445 परमिट दिये गये हैं। इनमें से किसी की भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(2) केरोसीन तेल को डीजल में मिलाने की पांच शिकायतें प्राप्त हुई। केरोसीन ब्लैक करने की संभावना को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर प्रवर्तन स्टाफ से जांच करवाई जाती है तथा संबंधित के खिलाफ प्रथम सूचना (एफ. आई. आर.) दर्ज करवाना, इस्तगासे दायर करवाना, विभागीय कार्यवाही, प्रतिभूति जब्त करना व दुकान निलम्बित करने की कार्यवाही की जाती है।

बसन्त विहार कालोनी (जयपुर) में गैस सिलेण्डरों का वितरण

251. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर नगर निगम के वार्ड नं. 48 की कालोनी बसंत विहार प्रथम,

(46)

(श्री हीरालाल)

अयोध्या नगर, पोल्ट्रीफार्म आगार रोड में कुकिंग गैस सिलेण्डर की होम डिलीवरी नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी में गैस सिलेण्डर की होम डिलिवरी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस गैस एजेन्सी के माध्यम से एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर नगर निगम के वार्ड नं. 48, की कालोनी बसंत बिहार प्रथम, अयोध्या नगर, पोल्ट्री फार्म, आगार रोड, में गैस वितरक द्वारा उपभोक्ताओं की संख्या कम होने एवं शहर से अधिक दूरी होने के कारण वर्तमान में होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है ।

(2) जी हां, उक्त कालोनी में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने पर इण्डेन वितरक मैसर्स मणी एन्टर प्राइजेज, जयपुर द्वारा गैस की होम डिलीवरी की सुविधा प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

जवाई बांध का निर्माण

252. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाई बांध निर्माण कब व किसके द्वारा करवाया गया ?

(2) जवाई बांध की कुल ऊंचाई तथा कुल भराव क्षमता कितनी है ? क्या यह सही है कि इसका मूल प्रारूप कम ऊंचाई का था किन्तु बाद में परिवर्तन कर उसे वर्तमान ऊंचाई प्रदान की गई ? यदि हां, तो मूल एवं परिवर्तित दोनों प्रारूप सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्रारूप में ऐन मौके पर परिवर्तन के क्या कारण एवं उद्देश्य थे ?

उत्तर

(1) जवाई बांध का निर्माण वर्ष 1946 से प्रारम्भ होकर 1957 तक पूरा हुआ है । इसका निर्माण कार्य रियासत काल में जोधपुर सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा करवाया गया है ।

(2) जवाई बांध की कुल ऊंचाई नहर के सिल लेवल से 60 फुट है तथा इसकी भराव क्षमता 7000 एम. सी. एफ. टी. है । जवाई बांध की ऊंचाई मूल प्रारूप में भी 60 फुट ही रखी गई थी एवं इसमें परिवर्तन नहीं किया गया ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में नालों एवं बांधों का निर्माण

253. श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में मोरस, राजोला, नादिया अचपुरा एवं आबूरोड में मुखणीमाता नाले,

(श्री प्रभूराम गरासिया)

कोलर नोब तलवार नाका : के छोटे बांधों के प्रस्ताव कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन हैं ? क्या यह भी सही है कि आबादी क्षेत्र में कोई बांध नहीं बनाने से अरावली व आबू पर्वत का सारा पानी गुजरात चला जाता है ? क्या सरकार इसकी रोकथाम के उपाय करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि एम.आई. डब्ल्यू. से स्वीकृत काला दांता जल परियोजना तथा जर्मन सरकार के सहयोग से बनने वाली मैंसासींग, बगेरी व बालोरियां जल ग्रहण परियोजना को मात्र स्वीकृति के लिए रोक रखा है जबकि जर्मन सरकार के स्वीकृति पत्र भी आ चुके हैं ?

(3) क्या सरकार इन सर्वे किये गये बांधों को चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ये निर्माण कार्य शुरू हो जायेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बांधों के जलमग्न क्षेत्र में अवाप्त भूमि का कृषकों द्वारा लिया गया मुआवजा पुनः जमा कर भूमि का स्वामित्व देने बाबत विचाराधीन कार्यवाही का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निस्तारण कब तक होगा ?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में मोरस से जाम्बूरी अम्बानी और तलवार नाका से नादियां तक के पहाड़ी क्षेत्र में छोटे-छोटे एनीकट निर्माण की योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा की मोरस सिंचाई परियोजना की 1994 की बी. एस. आर. पर आंकी गई अनुमानित लागत को नई बी.एस. आर. पर गणना की जा रही है । राजोला आंता बांध में एवम् नादिया बनास बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में आने के कारण विचाराधीन है । अच्छपुरा की कोई सिंचाई परियोजना विचाराधीन नहीं है । आबूरोड़ में मुखणी माता नाला, एवम् कालरनोब एनीकटों के निर्माण हेतु अकाल राहत के अन्तर्गत सन् 1995 में प्रस्ताव जिला कलक्टर सिरोही को भिजवाये गये थे लेकिन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । अब इनको जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है । तलवार का नाका लघु सिंचाई परियोजना का आंकलन तैयार कर लिया गया है । तथा इसकी लाभ-लागत अनुपात की गणना की जा रही है ।

सिरोही जिले में आबू पर्वत श्रृंखलाओं से वर्षा का 5105 मी. घ. फु. पानी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व, गुजरात राज्य में बहकर चला जाता था उसमें से अब तक 1579 मी. घ. फ. पानी रोका जा चुका है । शेष पानी को रोकने हेतु 10 नई लघु सिंचाई योजनायें प्रस्तावित है ।

(2) कालादाता लघु सिंचाई परियोजना लघु सिंचाई मद में राज्य सरकार के पास विचाराधीन है तथा मैंसासिंह, बगेरी बालोरिया लघु सिंचाई परियोजना

(सिचाई मंत्री)

का कार्य एफ. आर. जी. (F.R.G.) चरण द्वितीय में सम्मिलित किये गये हैं। तथा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। जर्मन सरकार से उक्त की स्वीकृति के पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर सर्वे कराये गये बांधो का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) राज्य सरकार के आदेशानुसार जो कृषक भूमि का पूर्व में लिया हुआ मुआवजा पुनः जमा करवाते हैं उन्हे गैर खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं। जवाई बांध के ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा कर दिया गया है। ओडा, खेवांदी, बाकली बांध के ऐसे प्रकरणों को विभाग द्वारा कलक्टर सिरोही एवं कलक्टर पाली को गैर खातेदारी अधिकार देने हेतु भिजवाया जा चुका है। सिरोही खण्ड का ऐसा कोई प्रकरण विभाग में बकाया नहीं है।

(5) जी नहीं। एनीकटों के निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में बांध/एनीकट निर्माण

254. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पांचना बांध के टूटने के क्या कारण रहे तथा इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गए हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या पांचना बांध से दाईं ओर नहर निर्माण की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में गम्भीर नदी पर कोई एनीकट निर्माण कराने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पांचना बांध कभी नहीं टूटा है। अतः इसके लिए कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं है।

(2) जी नहीं। पांचना बांध से नीचे 11 5 कि. मी. तक कोई कमाण्ड उपलब्ध नहीं होने से 11.5 कि. मी. तक एक बांई ओर मुख्य नहर का निर्माण किया गया है।

इस मुख्य नहर की आर. डी. 384 से दो नहर निकाली गई है बांई ओर की नहर पिलोदा ब्रांच कैनाल एवं दांई ओर की नहर श्री महावीर जी ब्रांच कैनाल है। बांध स्थल पर से ही दायीं ओर कोई कमाण्ड उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में गम्भीरी नदी पर कोई एनीकट बनाने की योजना विचाराधीन नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा एनीकटों का निर्माण नहीं करवाया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर में बांध निर्माण

255. श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जीरावल बांध तहसील रेवदर का निर्माण हुए कितना समय हुआ है ? इसमें कितनी लागत आई तथा बांध से कितनी जमीन प्रति वर्ष सिंचित होती है ?

(2) सिरोही जिले के विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत सूकली सेलवाढ़ा परियोजना कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

(3) क्या प्रशासनिक तखमीना केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो सरकार से वित्तीय स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हुई ?

(4) वर्ष 1996-97 में क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जीरावल बांध तहसील रेवदर का निर्माण वर्ष 1988 में पूर्ण हुआ है तथा परियोजना के निर्माण की लागत राशि रुपये 34.44 लाख रुपये आयी है। बांध द्वारा वर्ष 90-91 में 300 एकड़, 91-92 में शून्य, 92-93 में 15 एकड़, 93-94 में 16 एकड़, 94-95 में 48 एकड़, वर्ष 95-96 में शून्य जमीन सिंचित हुई है। जिन वर्षों में सिंचाई नहीं हुई उन वर्षों में बांध में पानी नहीं था। राजस्व पटवारी द्वारा भी कम सिंचाई दर्ज किये जाने की सूचना मिली है तथा इस विषय में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की गई है।

(2) सिरोही जिले के विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत सूकली सेलवाढ़ा माध्यम सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पास विचाराधीन है तथा केन्द्रीय जल आयोग से Clearance होने पर ही परियोजना का प्रशासनिक तखमीना स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) जी नहीं। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से सूकली सेलवाढ़ की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(4) केन्द्रीय सरकार से परियोजना की स्वीकृति के अभाव में राज्य सरकार वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकती।

ग्राम मण्डावरा (झुन्झुनूं) के हरिजनों को भू–खण्डों का आबंटन

256 श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति के मण्डावरा ग्राम के करीब 19 हरिजनों को वर्ष 1994-95 में आबादी भूमि में मकान बनाने हेतु भू-खण्ड आबंटित किए जाकर कब्जे दिए गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि हरिजन

(श्री शिवनाथ सिंह)

परिवारों को ये कब्जे तहसील उदरपुरवाटी के अधिकारी/कर्मचारी एवं पंचायत समिति उदयपुरवाटी के प्रसार अधिकारी की मौजूदगी व देख-रेख में दिए गए थे तथा पंचायत मण्डावरा ने अपनी पंचायत की बैठक में इनकी पुष्टि कर दी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उच्च अधिकारियों के बार-बार आदेशों के बावजूद श्री हजारीलाल, सरपंच मण्डावरा द्वारा इन प्लाटों के तैयारशुदा पट्टों पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं ?

(4) यदि हां, तो सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है तथा पट्टों पर हस्ताक्षर कर पट्टे हरिजनों को देने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 19 हरिजन व्यक्तियों को वर्ष 1994-95 में आबादी भूमि में मकान बनाने हेतु ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा भूखण्डों का कोई आबंटन नहीं किया गया है। दिनांक 27-5-95 को पंचायत की बैठक श्री श्रवणसिंह पच की अध्यक्षता में तीन अन्य पंचों को साथ लेकर बुलाई गई, जिससे 19 हरिजन व्यक्तियों को नि:शुल्क पट्टे जारी किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रस्ताव में यह भी अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 1782/809 एवं 1001/3 में दिनांक 28-5-95 को सीमा ज्ञान के दौरान 19 हरिजन परिवारों को भूखण्डों का कब्जा दिया गया।

(2) जी नहीं। दिनांक 19-5-95 को ग्राम सेवक, पटवारी, निरीक्षक, भू-अभिलेख एवं पंचायत प्रसार अधिकारी की उपस्थिति में पुलिस मदद से संदर्भित भूमि का सीमा ज्ञान करवाया गया था, न कि कब्जे दिये गये थे। तत्पश्चात ग्राम पंचायत मण्डावरा ने पंच की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 27-5-95 को इन व्यक्तियों को कब्जा दिया जाना कार्यवाही विवरण में दर्शाया हैं।

(3) उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। श्री हजारीलाल सरपंच मण्डावरा को तैयार शुदा पट्टों पर हस्ताक्षर करने के कोई निर्देश नहीं दिए गये हैं। भूमि आबंटन करने का निर्णय पंचायत स्तर पर ही लिया जाना हैं।

(4) सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये गये है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् नागौर को सौंपे गए जांच प्रकरण

257. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर कार्यालय नागौर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् नागौर को कई मामलों की जांच सौंपी गई थी ? यदि हां, तो 10 जनवरी, 1995 से अब तक किस-किस मामले की जांच उनको कब-कब

(51)

(श्री हरजीराम बुरडक)

सौंपी गई तथा कब-कब जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट कब-कब प्रस्तुत की गई ? जांच रिपोर्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उपरोक्त जांच कार्यवाहियां समय पर पूर्ण की गई या अधिक समय लगा ? यदि अधिक समय लगा तो क्यों तथा उसके कारण क्या थे ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 1-1-1995 से अब तक जिला कलक्टर, नागौर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर को कुल 12 मामलों की जांच सौंपी गई जिसमें से 6 मामलों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई । जांच रिपोर्ट की सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(2) विभाग की ओर से प्राथमिक जांच एक माह में एवं विभागीय जांच 3 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये हुए हैं । इन मामलों में विलम्ब होने की जांच सक्षम अधिकारी से करवाकर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं ।)

लूणकरणसर में पंचायत मुख्यालयों पर बस अड्डों के पास शौचालयों का निर्माण

258. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत लूणकरणसर, खाजूवाला, नापासर, महाजन खियेरा आदि पंचायत मुख्यालयों पर बस अड्डों के पास व अन्य उपयुक्त स्थानों पर पेशाब घरों/शौचालयों के निर्माण हेतु क्या कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है ?

उत्तर

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों पर बस अड्डों के पास एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर शौचालय मय मूत्रालय-निर्माण का प्रावधान नहीं है । इस कार्यक्रम के तहत शाला भवनों/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय मय मूत्रालय इकाइयां चयनित ग्रामों में निर्मित कराई जा सकती हैं । तदानुसार लूणकरणसर में पंचायत स्कूल नई आबादी प्राथमिक शाला (छात्र) में शौचालय मय मूत्रालय इकाइयां निर्मित करवायी जा चुकी है ।

राज्य की भवनहीन पंचायत समितियां

259. श्री अमराराम, (धोद) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी पंचायत समितियां भवन विहीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या पंचायत समिति धोद के भवन का निर्माण करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री अमराराम)

(3) पंचायत समिति धोद का मुख्यालय धोद क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(4) ग्राम पंचायत श्यामपुरा पंचायत समिति, दांतारामगढ़ (सीकर) के पंचायत भवन के निर्माण को क्यों बन्द कर दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें। इस भवन का निर्माण अब कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में 6 पंचायत समितियां भवन विहीन हैं । भवन विहीन पंचायत समितियों के नाम निम्नानुसार है :—

(1) धोद (सीकर)

(2) अनूपगढ़ (गंगानगर)

(3) आमेर (जयपुर)

(4) बैर (भरतपुर)

(5) डीग (भरतपुर)

(6) मनोहर थाना (झालावाड)

(2) जी नहीं। भवन निर्माण के लिए भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण नहीं हो सका हैं।

(3) ग्राम धोद पंचायत समिति, धोद के क्षेत्र के एक कोने में पड़ता है । जन साधारण को धोद जाने-आने व रूकने में होने वाली असुविधा व स्टाफ के आवास की कोई सुविधा नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति, धोद का मुख्यालय धोद में नहीं किया जा रहा हैं ।

(4) पंचायत भवन का निर्माण कार्य स्थानीय स्थल विवाद के कारण अति. कलक्टर (विकास) सीकर के पत्रांक 30 26-27 दिनांक 7-10-94 के अग्रिम आदेशों तक लम्बित रखा गया हैं । ग्राम पंचायत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4 (1) वियोस/जरोयो/94/16581-632 दिनांक 13-9-94 के अनुसार पंचायत मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन निर्माण स्थल का चुनाव ग्रामवासियों की राय से कर जब चाहें भवन निर्माण करवा सकती हैं ।

पंचायतों में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पद

260. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो पद कब तक भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां । जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कुल 93 कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं । रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

(2) राजस्थान पंचायत सीमित तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला स्थापना समिति की सिफारिश पर जिला परिषद् द्वारा पदोन्नति दी जाती हैं जो एक निरन्तर प्रक्रिया हैं ।

भीलवाड़ा जिले में राहत कार्यों में लगे श्रमिक

261. श्री कालूलाल गूर्जर (मांडल) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार कितने-कितने श्रमिक राहत कार्यों पर लगे हुए हैं ?

(2) क्या भीलवाड़ा जिले की अकाल की विभिषिका को देखते हुए श्रमिक संख्या बहुत कम है ? यदि हां, तो सरकार कब तक कितने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट—"क")

(2) जी नहीं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8-देखें ।)

अकाल राहत पर्यवेक्षण समितियों का गठन

262. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अकाल राहत पर्यवेक्षण समितियों का विभिन्न स्तरों पर गठन करने के आदेश/दिशा-निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो आदेश/दिशा-निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन समितियों के कार्य/दायित्व/अधिकार क्या हैं ? क्या भीलवाड़ा व अजमेर जिले में उसके अनुरूप इन समितियों की औचित्यता तथा कार्य प्रणाली है ? यदि हां, तो इनके कार्यकलापों की क्या समीक्षा रही है ?

(3) क्या सरकार ने जिलों में मंत्रियों को अकाल प्रभारी बना कर दायित्व सौंपा था ? यदि हां, तो अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले के कौन-कौन मंत्री प्रभारी थे तथा उन्होंने जिलों में कब-कब बैठकें की तथा क्या-क्या कार्य कर अपने दायित्व का निर्वाह किया ?

(4) सरकार के अकाल राहत मंत्री ने अजमेर व भीलवाड़ा जिले में कब-कब

(५४)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बैठकें की उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई, किन-किन को आमंत्रित किया गया और क्या-क्या दिशा निर्देश दिये गये ? दिये गये दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अकाल राहत के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं ? यदि हां, तो क्या अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले में सड़कों पर उसी दिशा निर्देश के अन्तर्गत कार्य हुए ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अकाल से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) बैठकों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी हां। बैठक का विवरण एवं बैठक में भाग लेने वालों की सूची सदन की मेज पर दी गई हैं।

(प्रति विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 263 स्थगित)

राजसमन्द जिले में राहत कार्य

264. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996 में राहत कार्यों हेतु राजसमन्द जिले को कब-कब कितने-कितने श्रमिकों की संख्या आबंटित की गई थी ?

(2) राजसमन्द जिले की किस-किस पंचायत समिति में किस-किस विभाग के किस-किस कार्य पर कितने-कितने श्रमिकों की स्वीकृति कब-कब प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजसमन्द जिले की विभिन्न पंचायत समितियों की आबादी कितनी है ?

(4) जून 1996 को राजसमन्द जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में कितनी श्रमिक संख्या स्वीकृत व कार्यरत थी ? पंचायत समिति व विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त जिले की भीम पंचायत समिति में जनसंख्या के अनुपात में अन्य पंचायत समितियों की तुलना में श्रमिक संख्या का निर्धारण उचित था ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

(6) क्या यह सही है कि दिनांक 25 मई, 1996 को पंचायत राज मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भीम पंचायत समिति में श्रमिक संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त श्रमिक संख्या को तत्काल क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

(7) क्या सरकार जिला कलक्टर द्वारा पंचायत राज मंत्री के आदेशों की

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

अवहेलना को गम्भीरता से लेकर समुचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आवंटन की गयी श्रमिक संख्या का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"एक")

(2) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"दो")

(3) राजसमन्द जिले की पंचायत समितियों की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	जनसंख्या
1.	राजसमन्द	108526
2.	रेलमगरा	100294
3.	कुम्भलगढ़	112626
4.	आमेट	71557
5.	भीम	104066
6.	देवगढ़	63804
7.	खमनोर	143917
	योग :-	704790

(4) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"तीन")

(5) जी, हां। केवल जनसंख्या ही श्रमिक संख्या निर्धारित करने का आधार नहीं होता है। अकाल की गम्भीरता एवं अन्य चल रहे विभागीय कार्यों को ध्यान में रखकर रोजगार हेतु अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं।

(6) जी, हां। श्रमिक संख्या बढ़ाई गई।

(7) माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय द्वारा बैठक दिनांक 25-5-96 में पंचायत समिति भीम में श्रमिक संख्या बढ़ाने बाबत दिए गये निर्देशों की राज्य सरकार द्वारा श्रमिक सीमा बढ़ाने पर पालना कर दी गई। इस प्रकार माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों की अवहेलना नहीं की गयी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया :)

जयपुर शहर की सिटी बस सेवा

265. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर के रूट नम्बर 1, 2, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 21, पर वर्ष 1994-95 व 1995-96 में किन-किन बस मालिकों को विभाग द्वारा परमिट

(श्री रामगोपाल बैरवा)

जारी किये गये ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में जिन गाड़ियों के पास परमिट नहीं है और इन रूट्स पर चल रही हैं, क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है ?

(3) जयपुर शहर में चलने वाली सिटी बसेज की समय की पाबन्दी हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? वर्ष 1995-96 में समय पर बसेज न चलने पर किन-किन बस मालिकों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के रूट नम्बर 1, 2, 5, 7, 13, 15, 16, 17, पर वर्ष 1994-95 व 1995-96 में जिन बस मालिकों को विभाग द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। मार्ग संख्या 21 अस्तित्व में नहीं है। अतः उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जयपुर शहर में इन मार्गों, पर चल रही अवैध वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और राजस्थान वाहन नियम, 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इस कार्य हेतु जयपुर शहर में 5 उड़नदस्तों का गठन किया गया है।

वर्ष 1994-95 और 1995-96 में जयपुर शहर में अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल वाहन जांच किए गए	चालान किए गऍ वाहन	जब्त किए गए वाहन
1994-95	735	324	21
1995-96	842	370	53

(3) जयपुर शहर में चलने वाली सिटी बसेज को विभाग द्वारा समय सारणी जारी करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(57)

सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड (जयपुर) में यात्रियों हेतु आवश्यक सुविधाएं

266. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड पर यात्रियों के लिए पीने के ठण्डे पानी की, पंखों एवं पर्याप्त संख्या में उनके बैठने के लिए कुर्सियां कम होने एवं उपलब्ध कुर्सियों के टूटी-फूटी होने एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अभाव के सम्बन्ध में निगम प्रशासन को शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस स्टैण्ड पर निगम ने हाल में खराब पड़े वाटर कूलर्स की मरम्मत का कार्य भी करवाया था ? यदि हां, तो किस-किस फर्म से कितनी-कितनी राशि का ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस स्टैण्ड पर जयपुर के ही किसी व्यापारी ने यात्रियों की सुविधार्थ कुछ पंखे उपलब्ध करवाये थे ? यदि हां, तो कितने और उनके स्थान पर हटाये गये चालू हालत वाले पंखे किस स्थान पर लगवाये गये ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर स्थित सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड पर यात्रियों के लिए पर्याप्त रूप से आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। दिनांक 5-6-96 को समाचर पत्र राष्ट्रदूत के अंक में इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुआ था। बस स्टेण्ड पर पीने के ठण्डे पानी हेतु स्थापित 8 वाटर कूलरों में से 4 वाटर कूलर माह अप्रेल, 96 में खराब हो गये थे। इनमें से 3 कूलरों को ठीक करा दिया गया है। यात्रियों की सुविधा हेतु 2 अतिरिक्त प्याऊ भी स्थापित की गई है। टूटी-फूटी कुर्सियों आदि की निगम प्रशासन द्वारा समय-समय पर मरम्मत कराई जाती है।

(2) जी हां। मरम्मत कार्य ब्ल्यू स्टार कम्पनी से करवाया गया है, जिस पर करीब 27000/- रुपये खर्चा होने का अनुमान है।

(3) जी हां, मैसर्स गोपीराम-देवीलाल जौहरी बाजार, जयपुर ने 15 पंखे दिनांक 28-3-96 को उपलब्ध करवायें, जिन्हें प्लेट फार्म नम्बर-1 पर लगा दिया गया है। नये पंखे लगने से जो पंखे उतारे गये उन्हें भी प्लेट फार्म नं. 1 पर अन्यत्र आवश्यक स्थान पर लगा दिया गया है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आय

267. श्री जुबेर खान (रामगढ़) एवं **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्ष 1995-96 में लाभ अर्जित किया है ? यदि हाँ, तो कितना ?

(श्री जुबेर खान)

(2) वर्ष 1990-91 से वर्ष 1994-95 की अवधि में निगम द्वारा कितना लाभ अथवा हानि अर्जित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में निगम द्वारा कितनी-कितनी राशि बोनस के रूप में वितरित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्ष 95-96 में तदर्थ लेखों के अनुसार 8.34 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

(2) निगम द्वारा वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक अर्जित किये गये लाभ-हानि का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

क्र. सं.	वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि
1.	1990-91	10.11 करोड़ रुपये हानि
2.	1991-92	12.09 करोड़ रुपये लाभ
3.	1992-93	5.89 करोड़ रुपये लाभ
4.	1993-94	22.93 करोड़ रुपये लाभ
5.	1994-95	24.13 करोड़ रुपये लाभ

(3) वर्ष 1990-91 से 94-95 तक बोनस/एक्सग्रेसिया के रूप में भुगतान की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

क्र सं.	वर्ष	बोनस/एक्सग्रेसिया का भुगतान
1.	1990-91	3.30 करोड़ रु.
2.	1991-92	3.66 करोड़ रु.
3.	1992-93	4.47 करोड़ रु.
4.	1993-94	6.65 करोड़ रु.
5.	1994-95	7.98 करोड़ रु.

टोंक आगार में प्राप्त शिकायतों की जांच

268. श्री बनवारीलाल मिण्डा (फतेहपुर) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) :

(59)

(श्री बनवारीलाल भिण्डा)

क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि टोंक आगार में प्रशासनिक अधिकारियों की अनियमितताओं के कारण परिवहन निगम को राजस्व की हानि हो रही है ?

(2) यदि हां तो क्या सरकार द्वारा इन शिकायतों की जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 93-94 में टोंक आगार की राजस्व आय 700·15 लाख रुपये थी जिसकी तुलना में वर्ष 94-95 में राजस्व आय 815·64 लाख रुपये अर्जित की गई तथा वर्ष 95-96 में 893·24 लाख रुपये राजस्व आय अर्जित की गई।

(2) आगार के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध दैनिक जागरण नई दिल्ली के अंक दिनांक 20-4-96 में प्रकाशित समाचार एवं श्री एस. एम. टोंकी द्वारा प्रेषित शिकायतें निगम प्रशासन को प्राप्त हुई हैं जिन पर महा प्रबन्धक स्तर के अधिकारी से जांच कराने का निर्णय निगम प्रशासन ने लिया है।

निगम में बुकिंग खिड़कियों पर विधायकों को विशेष सुविधा

269. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या वर्तमान विधायकों को कूपन से बस यात्रा करते समय बुकिंग खिड़की से टिकिट प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो मुख्य प्रबन्धक सी. बी. एस. आगार, जयपुर ने आदेश क्रमांक प्रयाता/सी. बी. एस./96/4 दिनांक 2 अप्रेल 1996 किस आधार पर एवं किस अधिकार से जारी किया ? आदेश की प्रति जारी करने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मुख्य प्रबन्धक के आदेश को उचित मानती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आदेश को निरस्त कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (यातायात) सी. बी. एस. आगार, जयपुर द्वारा विद्यमान प्रक्रिया की अनभिज्ञता के कारण यह पत्र जारी हुआ प्रतीत होता है। पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मुख्य प्रबन्धक का स्थानान्तरण इस पद से कर दिया गया है और प्रबन्धक (यातायात) का कार्यभार सम्बन्धित

(यातायात राज्य मंत्री)

अधिकारी से हटाने का निर्णय निगम प्रशासन ने लिया है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

शोकाभिव्यक्ति

श्री यज्ञदत्त शर्मा, भूतपूर्व राज्यपाल, उड़ीसा के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री यज्ञदत्तजी शर्मा के देहावसान पर मैं सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, यज्ञदत्तजी शर्मा का जन्म पंजाब में हुआ था । पंजाब में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की लेकिन विशेष तौर पर श्री दयानन्दजी की फिलोसोफी को लेकर उन्होंने इस विषय में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी ।

श्री यज्ञदत्तजी शर्मा दो बार संसद के भी सदस्य रहे और मैं आज कह सकता हूं कि संसार के उन व्यक्तियों में से वह एक थे जो हिन्दी के बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते थे । उनका जीवन बहुत ही सादा था । दयानन्द सरस्वती के आदर्शों के आधार पर उन्होंने पंजाब और पंजाब के आस-पास के क्षेत्रों में बहुत कुछ प्रचार किया । सामाजिक कुरीतियों के विरोध में उन्होंने संघर्ष किया । छुआछूत के मामले में जितने भी आन्दोलन हुए, वह छुआछूत को मिटाने के लिए ऐसे आन्दोलनों के अग्रणी भी रहे ।

उन्होंने साहित्य में भी बहुत बड़ी रूचि ली और मैं ऐसा कह सकता हूं कि देश के धार्मिक ग्रन्थों का उस व्यक्ति ने जितना अध्ययन किया, यह तो मैं नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा अध्ययन किया है लेकिन उन्होंने काफी अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर समाज में जिस प्रकार की विषमताएं बन रही हैं उन विषमताओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाए, यह उनके जीवन का लक्ष्य रहा ।

वह लोकसभा में कई समितियों के सदस्य रहे । लोक सभा और राज्य सभा में उन्होंने जिस प्रकार की अभिव्यक्ति अपनी दी उस आधार पर उन्होंने एक प्रकार की वक्तृता की ही नहीं, अपने ज्ञान की भी छाप छोड़ी ।

वे उड़ीसा के राज्यपाल रहे और राज्यपाल के रूप में उस राज्य की कितनी सेवा हो सकती है, उतनी सेवा भी की । साथ ही उन्होंने यह भी एक आदर्श उपस्थित किया कि सरकार चाहे दूसरे दल की हो, उनकी विचारधारा कुछ और हो लेकिन सरकार और राज्यपाल में जिस प्रकार का सामंजस्य रहना चाहिए उसका उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारी कार्यसमिति की बैठक भोपाल में थी, वहां वह थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि पन्द्रह दिन के पश्चात् ही इस व्यक्ति का निधन हो जाएगा। इतने हंसमुख और विनोदप्रिय थे कि यदि पांच व्यक्तियों बैठ गये और आपस में चर्चा उन्होंने शुरू कर दी तो अपने विनोदी स्वभाव से वह हर व्यक्ति को आकर्षित करने की क्षमता रखते थे।

आज उस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, मुझे दुःख है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और साथ ही इस बात की भी प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री यज्ञदत्तजी शर्मा के निधन पर जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उनकी भावना में मैं अपनी और अपने दल की भावना मिलाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

जैसा कि कहा गया, श्री यज्ञदत्तजी शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे। श्री शर्मा चौथी और छठी लोक सभा के संसद भी रहे थे। पहले वे भारतीय जनसंघ में थे, बाद में जनता पार्टी में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे। इन दलों में वे विभिन्न पदों पर रहकर अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करते रहे।

सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने गरीबों, हरिजनों, दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य किये। पंजाब में हिन्दू और सिख एकता की स्थापना करने में भी आपने सक्रिय भूमिका निभायी थी। 04 जुलाई, 1996 को उनका निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री यज्ञदत्तज शर्मा को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके शोक संतप्त परिवार को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और मुख्य मंत्री महोदय ने उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल, श्री यज्ञदत्त शर्मा के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा है और प्रतिपक्ष के नेता ने उसमें शामिल राय रखी है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा देश की संसद के सदस्य रहे और वे समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ें, समाज को ऊपर उठाने में योगदान दिया। और सार्वजनिक जीवन में इस समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। वह हमारे बीच में आज नहीं रहे।

(श्री अमराराम)

उस शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को झेलने के लिए मैं प्रकृति से कामना करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, श्री यज्ञदत्तजी शर्मा के निधन से हमने एक विद्वान, अच्छा वक्ता, विचारक, एक लेखक और समाज सुधारक खोया है।

आपके जीवन पर आर्य समाज की छाप थी और जहां भी आपको कार्य करने का अवसर मिला, समाज सुधार के कार्यों में आपने बड़ी दिलचस्पी दिखायी। भारतीय संसद के सदस्य के रूप में, उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में जहां-जहां भी आपको अवसर मिला आपने इस देश की, समाज की सेवा करने का प्रयत्न किया। भारतीय जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी को भी इनकी बहुत बड़ी देन है। उनका बड़ा सम्मान था।

एक योग्य व्यक्ति हमारे बीच से उठा है, हम सबको पीड़ा है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में सदन के माननीय नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, श्री यज्ञदत्त शर्मा के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना व्यक्त की है, मैं उसमें अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा का जन्म 28 अक्टूबर, 1922 को पंजाब अभी हरियाणा के रोपड़ जिले के ग्राम तखतगढ़ में हुआ। आपने डी. ए. वी. हाई स्कूल, हिसार तथा लाहौर के दयानन्द आयुर्वेद कालेज, ब्रह्म कालेज एवं डी. ए. वी. कालेज से बी. ए. तथा कविराज निधि की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री शर्मा जी अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

आप चौथी लोक सभा (1967-70) एवं छठी लोकसभा (1977-80) में सांसद भी रहे। छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1977-78 में सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति तथा वर्ष 1978-79 में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

आप फरवरी, 1990 से जनवरी, 1993 तक उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के पद पर भी रहे।

आप पहले भारतीय जनसंघ और बाद में जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे और आपने इन दलों के अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 1957-59 में आप अखिल भारतीय हिन्दी बचाओ समिति के प्रचार मंत्री, वर्ष 1962-65 में पंजाब राज्य भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के महामंत्री भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में आपने गरीबों, हरिजनों एवं दलित वर्ग के उत्थान तथा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये वर्षों तक कार्य किया। पंजाब में सिख-हिन्दू एकता स्थापित करने के लिए भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1975-76 में अमृतसर में आपात स्थिति के विरोध में सत्याग्रह करने पर आपको रासुका के अन्तर्गत जून, 1975 में बंदी बनाया गया तथा आप 19 माह बाद रिहा किये गये।

लेखन में आपकी विशेष अभिरूचि रही। आपने दार्शनिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आचार सम्बन्धी विषयों पर अनेक लेख लिखे तथा आकाशवाणी पर भी आपकी वार्ताएं प्रसारित हुईं। अध्ययन के अलावा तैराकी और भ्रमण में भी आपकी रुचि रही।

श्री यज्ञदत्त शर्मा का दिनांक 4 जुलाई, 1996 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत यज्ञदत्त जी शर्मा को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक सन्तप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भीमसेन चौधरी एवं श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 1 जून, 1996 को थाना कोटगेट बीकानेर में श्री व्हीलर चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौत के सम्बन्ध में।

(2) श्री अरुण सिंह एवं श्रीमती बीना काक, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्रीय जन्तुआलय प्राधिकरण द्वारा राज्य के पांचों जन्तुआलयों को बन्द करने की कथित सिफारिश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण मीणा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में स्टाफ व अन्वेषण अधिकारियों की कमी से मुकदमों के अन्वेषण में होने वाली देरी से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की पंचायत समिति उमरेण के कार्यकलापों में कथित अनधिकृत हस्तक्षेप करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(64)

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री परसादीलाल मीणा एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा द्वारा शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किये गये एवं कार्यग्रहण करवाये गये 83 व्यक्तियों में से उप निदेशक (पुरुष), जयपुर द्वारा मात्र 31 व्यक्तियों को ही कार्य पर लिये जाने से शेष शारीरिक शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री भंवरसिंह डांगावास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में डी. आर. डी. ए. व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बनाये गये भवनों की जीर्ण शीर्ण हालत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के मीटर रीडर्स द्वारा मीटर्स की रीडिंग किये बिना बिजली के बिल भिजवाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिजौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के विस्तार हेतु राशि स्वीकृत होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र ठीकरिया में वर्ष 1980 से पहले स्थापित इकाइयों के निर्माण को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर आगार एवं लोहागढ़ आगार की बस सेवा के घटिया होने से वहां की जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के दरिया एवं कीटनोद बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने तथा करेवा ऐनीकट को पक्का बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) रिछपाल मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में अधिकाधिक तालाबों की खुदाई करवाने तथा छोटे-बड़े बांध बनवाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीदासर–श्री डूंगरगढ़ रोड पर बीदासर स्टैण्ड के पास स्थित एक खान को तुरन्त प्रभाव से बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर--बीकानेर राजमार्ग, पानीपेच से हरमाड़ा तक छह लाइन का तथा हरमाड़ा से चौमूं दो लाइन की सड़क बनाकर उसका विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री कमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में पुलिस प्रशासन के कथित निष्क्रिय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बिजली की समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

यदि आप कहें तो आज इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा राज्य मंत्री) : हां, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष : आज 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मैं आज आपसे निवेदन करूंगा की चालीस स्लिपें शून्यकाल के लिए आ गयी हैं और बड़ी मुश्किल हो रही है। आज आप नहीं रखें कल इन्हीं बातों को आप उठा लें, आज क्योंकि बजट पर वाद-विवाद होना है और कई माननीय सदस्यों के अमूल्य सुझावों से आप वंचित हो रहे हैं, यदि आज आप कहेंगे तो मैं कल जितना आप कहेंगे उतना अलाऊ कर दूंगा।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट--10 देखें।)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : स्लिपाई थोड़ा लेट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मुश्किल क्या हो रही है ...(व्यवधान)... मैं तो आपकी अनुमति से ही सब काम करना चाहता हूं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : यह अनुमति नहीं है आपको।

श्री अध्यक्ष : यह इतनी स्लिपें आयी हैं। कम से कम चालीस होगी... (व्यवधान) अब इनका कोई न कोई सिस्टम इवोल्व हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यह चालीस स्लिपें आएंगी तो कम से कम It will take another three hours.

श्री अरूणसिंह (डीग) : एक-एक मिनट में कह देंगे, अध्यक्ष महोदय, एक-एक मिनट लेंगे।....(व्यवधान)

(66)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि....(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : यह अत्यन्त लोक महत्व के मामले हैं जो हमने शून्यकाल में उठाये हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, दुर्घटनाएं हो रही हैं। नेशनल हाई-वे नम्बर पर....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मैम्बर डे आप खतम कर दें, जीरो अवर आप खतम कर दें,.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त लोक महत्व के मामले हैं जो....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइ-वे नम्बर 11 पर बीस व्यक्ति घायल हुए और तीन आदमियों की मौत हुई है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त लोक महत्व के मामले हैं इसलिए शून्यकाल में उठाने के लिए आपसे प्रार्थना की गयी है। आप शून्यकाल में बोलने की अनुमति दीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है इसलिए हमें शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : बीस आदमी घायल हुए हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था...

श्री अध्यक्ष : आज बहुत ज्यादा ही दे दी। साथ-साथ होता तो मामला जम जाता।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक्सीडेंट हुए हैं। बीस आदमी गम्भीर घायल हुए हैं, एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, तीन आदमियों की मौत हो चुकी है। यह घटनाएं लगातार हो चुकी हैं। आज ही हुई हैं तीन घटनाएं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, कृपया बिराजें। माननीय रामस्वरूपजी, आप बिराजें।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : जिनकी पर्ची दी हुई है उनको बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आज तो सोचकर ही आए हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : एक घण्टे का समय रख दीजिए।

श्री अध्यक्ष : पर यह एक घण्टे में होगा नहीं। माननीय विष्णु जी।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक घण्टे में नहीं होगा। इसलिए आज

(श्री शिवनाथ सिंह)

छोड़ दीजिए, कल ले लीजिये। आज बजट पर चर्चा हो जाए।

श्री विष्णु मोदी : यह बहुत जरूरी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमें अत्यन्त लोक महत्व की बात कहनी है शून्यकाल में। (व्यवधान) हम पांच-पांच मिनट में बात कह देंगे।

श्री अध्यक्ष : पांच-पांच मिनट में चालीस स्लिपें हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त लोक महत्व का मामला है जो माननीय सदस्यगण शून्यकाल में बोलना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : अल्पकाल तो दीजिए बोलने के लिए। हमने आपसे निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीस वर्षों से, जब से राजस्थान बना है, पश्चिमी राजस्थान को रेगिस्तानी भू-भाग विकास के लिए राजस्थान का बहुत बड़ा पैसा लगता था और यह समझते थे कि पश्चिमी राजस्थान, के लिए एक अभिशाप है। अध्यक्ष महोदय, जो पिछले तीस वर्षों से ऑयल इण्डिया कारपोरेशन जैसलमेर के अन्दर तेल और गैस की खुदाई कर रहा था तो यह 5 जुलाई, 1996 राजस्थान के इतिहास में एक वह दिन दर्ज कराया है कि जब से प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन कार्मशियल बेसिस पर शुरू हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय को, ऑयल इण्डिया के चेयरमैन को और उन सभी इंजीनियर्स को और वह सभी श्रमिक जो उस कार्य में संलग्न रहे हैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और मैं इस सदन की भावनाओं के द्वारा राजस्थान की जनता को भी यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास में एक नया आयाम स्थापित करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुणसिंह जी।

श्री अरुणसिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा; न तो मुख्य मंत्री यहां है, न सिंचाई मंत्री यहां है, गोवर्धन ड्रेन ने दो दिन पहले ब्रीच होकर डीग विधान सभा क्षेत्र में पांच बड़ी-बड़ी पंचायतों को छह-छह फीट पानी से डुबो दिया। सामईखेड़ा जो माननीय विद्युत मंत्री का ननिहाल है, वहां 6-6 फीट पानी है। भेज है, करौली है, दांदू का नगला है। आज सुबह मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला और उनसे अनुरोध किया कि वह हरियाणा के सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश के सिंचाई सचिव और राजस्थान के सिंचाई मंत्री की तुरन्त मीटिंग या तो आगरा में या फरीदाबाद

(श्री अरूणसिंह)

में बुलवाये और यह जो समस्या है, जो भरतपुर जिले के साथ हो रहा है इसका कोई न कोई समाधान निकालें। थैंक्यूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह गम्भीर मसला है। डीग में ही नहीं कुम्हेर के अनेकों गांवों के अन्दर गोवर्धन ड्रेन टूटने से पानी भर गया है और बढ़ता जा रहा है। लोगों की हालत बहुत खराब है। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय को या सिंचाई मंत्री महोदय को इसमें अविलम्ब कोई कार्यवाही करनी चाहिये, यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो माननीय सदस्यों का एक ही साथ आया है। श्री धनखड़जी का भी आया है और टीकमचन्दजी का भी आया है। श्री धनखड़जी।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य में हजारों वकीलों की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है। इस हड़ताल का मुद्दा यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पाली के एक वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को गुजरात की पुलिस पकड़ कर ले गयी। एक प्रान्त से जब दूसरे प्रान्त में पुलिस आती है तो जिस प्रान्त में पुलिस आती है उस पुलिस से बात की जाती है। ऐसा नहीं किया गया और इस वकील को षड्यन्त्रकारी तरीके से एन. डी. पी. एस. एक्ट के एक मुकदमे में लिप्त किया गया। जब राजस्थान बार कौंसिल को इस बात की जानकारी मिली तो पता चला कि गुजरात के एक न्यायाधीश भी इस मामले में लिप्त पाये गये हैं। जब यह पूरा मामला राजस्थान बार कौंसिल ने और एसोशियेशन ने देखा तो, अध्यक्ष महोदय, सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की गयी। अध्यक्ष महोदय, यह सम्भवतः पहली बार है जबकि राजस्थान बार कौंसिल और एसोसियेशन ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान में हजारों की संख्या में वकील समुदाय के लोग इस बात से चिन्तित हैं कि राजस्थान के एक वकील को बाहर की पुलिस षड्यन्त्रकारी तरीके से किसी न्यायाधीश को खुश करने के लिए प्रापर्टी के झगड़े को खतम करने के लिए ले जाए इसलिए उच्च स्तरीय जांच राज्य स्तर पर होनी चाहिये कि हमारे प्रान्त में बाहर की पुलिस क्यों आई, कैसे आई, किन नियमों की उन्होंने अवहेलना की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें सरकार उचित कार्यवाही नहीं करती है तो यह सांकेतिक हड़ताल जो वकीलों ने की है, जिसका समर्थन राजस्थान बार कौंसिल और एसोसियेशंस ने किया है, उग्र रूप धारण करेगी। मैं समझता हूं, सरकार का ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व बनता है कि वह शीघ्र इसमें कार्यवाही करें ताकि यह सांकेतिक हड़ताल नहीं हो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार सुमेरसिंह को... (व्यवधान) राजस्थान के कई लोगों को षड्यन्त्र करके

(श्री अमराराम चौधरी)

पालनपुर की पुलिस ले जा रही है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : राजस्थान के 35 हजार वकील आज हड़ताल पर हैं। सारे न्यायालय ठप्प पड़े हैं। (व्यवधान) और यह वकीलों के मान सम्मान का प्रश्न है। (व्यवधान) नोबल प्रोफेशन आफ दी सोसायटी का प्रश्न है। इसको बड़ी संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिये। लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने में वकील वर्ग की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गयी है इसलिए नोबल प्रोफेशन आफ दी सोसायटी के लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : असत्य मुकद्मे बना रही है। यह सुमेरसिंह के अलावा कई मुकदमे ऐसे....(व्यवधान) मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि षड्यन्त्र करके ले जा रहे हैं। (व्यवधान)....होम मिनिस्टर साहब बिराजे हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है। राजस्थान के किसी वकील को पड़ोसी प्रदेश से, गुजरात से पुलिस आकर ले जाए उसके अन्दर सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखायेगी... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : कुछ दिनों पहले शाहतुर के विश्नोई को ले गये। (व्यवधान)... वकील पर एन. डी. पी. एस. एक्ट का असत्य मुकद्मा बनाया। सुमेरसिंह को ले जाना इस प्रकार बाढ़ ही खेत को खा रही है, मेरा निवेदन है कि आप प्रोटेक्शन करें। राजस्थान गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करें .. (व्यवधान) वकीलों के साथ अन्याय नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात सुन ली है। श्री टीकमचन्दजी।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, दो महीने से कोर्ट बन्द हैं। इससे क्लाइन्ट्स को प्राब्लम हो रही है। सारे लोग पेशियों पर आते हैं और जाते हैं। सारे वकीलों की हड़ताल है। सरकार बिलकुल सो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्दजी। (व्यवधान) आप बोल चुके हैं, आप बार-बार खड़े हो रहे हैं? बिराजें।

श्री माधवसिंह दीवान : मुख्य मंत्रीजी, आपका जिला है, आज तो वहां.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पूरा ही मेरा जिला है। मैं संकीर्ण विचारधारा का नहीं हूं। मैं पूरे राजस्थान को अपना क्षेत्र मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय का यहां जिक्र किया उसकी मुझे भी जानकारी मिली है। यह भी सही है कि आज उसी के विरोध में वकीलों ने हड़ताल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर रखी है। जिस समय यह घटना हुई उस घटना का मैं अविकृत रूप से तो विवरण दे नहीं सकता लेकिन जो मेरी जानकारी में है, पाली के वकीलों ने, नेताओं ने जो मुझे जानकारी दी है उसके आधार पर मैं सदन को कुछ बताना चाहता हूं। किसी दुकान के मामले को लेकर एक विवाद था। दुकान सुमेरसिंह के किसी रिलेटिव के नाम पर थी। उसको खाली करवाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा था। उस प्रयत्न में गुजरात की पुलिस का सहयोग लिया गया। गुजरात की पुलिस ने पालनपुर में, कोई गलत हो तो आप करेक्ट कर देना, एन. डी पी. एस. एक्ट में एक केस रजिस्टर किया और उस केस को रजिस्टर करने के बाद में सीधे पाली आए। पाली में वकील के घर पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया और उसके हथकड़ी लगा दी। लगाने के बाद में जब लोगों को जागृति हुई, यह रात की बात है कोई 12 साढ़े 12 बजे की, लोग सारे उठे और उसका प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करके उसको थाने में ले गये। थाने में ले गये तो पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और पुलिस की जो गश्त पर गाड़ियां थीं उन्होंने भी यह सारी घटना देखी और वहां पहुंच गये। पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा कि हम इसको इन्टेरोगेशन के लिए ले जा रहे हैं। वहां रोजनामचे में रिकार्ड भी इन्टेरोगेशन के नाम से किया गया। यह उनको पालनपुर ले गये। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं अपनी जानकारी ही दे रहा हूं। वहां पर इस बात की कोशिश की गयी कि इस दुकान का कोई राजीनामा हो जाए। उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके रिमाण्ड लिया गया। गिरफ्तारी के पहले यह घटना बताई गयी थी कि इस प्रकार का वकील पालनपुर में आया, पाली होटल के फलां कमरे में ठहरा, उनके पास 10 किलो अफीम थी और इसलिए मुकदमा बना कर इस प्रकार की कार्यवाही की गयी। उसके बाद में शायद कुछ अफीम भी बरमाद की। अफीम बरामद की उस समय वकील साहब नहीं थे। इस पर भी लोगों को संदेह है कि वो जो अफीम बरामद की गयी है उसमें कितनी सत्यता है और किस प्रकार से बरामद हुई है। यह प्रश्न इन्क्वायरी का है। उसके बाद में कोई समझौता हुआ। समझौते के बाद में उसका रिमाण्ड लेने के उपरान्त 169 में उनकी रिहाई करवा दी। रिहाई कराने के बाद में जब वो पाली आये, उसके पहले वकीलों में रोष होना स्वाभाविक था। उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। पुलिस में इस मामले की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी और सीधे वह शायद दिल्ली गये और दिल्ली में उन्होंने एक रिप्रजेन्टेशन चीफ जस्टिस आफ इण्डिया को दिया। चीफ जस्टिस आफ इण्डिया के डायरेक्शन पर वह गुजरात हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से मिले और उन्होंने इस बात का एश्योरेंस दिया बताया कि मैं सारे मामले की जांच करूंगा। लेकिन उनका मामला सीमित है कि वो एक जज के कण्डक्ट की जांच करेंगे। बाकी इश्यूज क्या हैं, इसकी जांच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं कर सकते। कई दिनों से मैं लगातार कोशिश कर रहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था कि पाली एडवोकेट्स को बुला कर इस सम्बन्ध में बातचीत करूं। मैं भी बाहर चला गया और अभी 5-6 दिन पहले वकीलों के प्रतिनिधि मुझसे मिले। मैंने सारे कागज देखे। उनको एक संदेह था कि जब मामला हम सी. जे. आई. को दे चुके हैं और सी. जे. आई को देने के साथ साथ उन्होंने ह्यूमन राइटस कमीशन को भी अपना रिप्रजेंटेशन दिया है, वहां कार्यवाही हो रही है उस कार्यवाही के सन्दर्भ में हम यहां पुलिस में केस रजिस्टर्ड करायें या नहीं करायें। मैंने उनसे कहा था कि पुलिस में केस रजिस्टर्ड करवा दें, राजस्थान सरकार उस पर जो भी कार्यवाही कर सकती है वह करेगी। क्योंकि सी. जे. आई. या गुजरात हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस केवल एक जुडिशियल आफिसर्स के कण्डक्ट की ही इन्क्वायरी करेंगे, बाकी का जो सारा केस है उसमें नहीं करेंगे। इस पर विचार हुआ कि इस मामले में किस प्रकार की धाराएं लगें, किस प्रकार की नहीं लगें। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि धाराएं कौनसी लगे, कौनसी नहीं लगें, है। लेकिन मोटे वकीलों को मुझे कहने की आवश्यकता रूप से मैं समझता हूं कि एक तो उन्होंने गलत मुकदमा बनाया, नम्बर-एक। गिरफ्तारी की, गिरफ्तारी का रोंगफुल कन्फाइनमेंट का केस भी हो सकता है। एक एक्स्ट्रेक्शन का केस भी हो सकता है कि दबाव से हम इस दुकान को खाली करायें। पहले उनकी यह इच्छा थी कि हम सी. जे. एम. के यहां अपनी एप्लीकेशन देंगे, सी. जे. एम. जो डायरेक्शंस देंगे, अगर वह यह डायरेक्शंस देंगे कि पुलिस कार्यवाही करे तो पुलिस कार्यवाही कर लेगी, वह डायरेक्शंस यह देंगे कि मैं तो सुओमोटो इसकी इंक्वायरी शुरु करना चाहता हूं तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। इस आधार पर यह मामला चार दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उनको यह एश्योर किया था कि चाहे गुजरात की या कहीं की पुलिस हो, उस पुलिस के खिलाफ राजस्थान के सरकार कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं करेगी, आज भी मैं इस सदन को आश्वासन देता हूं कि अगर उन्होंने मेरे पास रिपोर्ट दर्ज कराई। अब वकील हैं, जबरदस्ती तो मैं कह नहीं सकता कि आपको एफ. आई. आर. दर्ज करानी पड़ेगी। उनको सलाह दी है। आज भी शायद वह आए हुए हैं। किसी समय मिलेंगे। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि हम सी. जे. एम. के पास जाकर आएंगे। तो वह उस तरीके से भी आ सकते है। वह डायरेक्ट पुलिस के पास आना चाहें तो डायरेक्ट पुलिस के पास भी आ सकते हैं। मुझे कल जानकारी मिली है कि वह फिर दिल्ली में सी. जे. आई. से मिलेंगे और उसके बाद जुडिशियल अथारिटीज के सामने पहले इस मामले का न्याय कराएंगे। बाकी मैं कह सकता हूं कि जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अनुचित कार्यवाही हुई है। दूसरे माननीय सदस्यों ने जालौर के कुछ रेफरेंसेज दिये हैं वह मेरी जानकारी में तो नहीं हैं लेकिन उस संबन्ध में मैंने जो जानकारी की है, वह भी पुलिस की गलती है। मैं आपको यह एश्योरेंस

(72)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देता हूं कि चाहे गुजरात की पुलिस हो, चाहे हिन्दुस्तान में कहीं की पुलिस हो, अगर राजस्थान के नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करेगी तो राजस्थान की सरकार उस अन्याय का प्रतिकार करने में पीछे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : यही तो कहा है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : यह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो क्या है?

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं तो बांग्लादेशियों की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी बोले नहीं है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, समाचार जरा गम्भीर है। जयपुर के अन्दर बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से बसे तो हुए ही हैं, साथ ही साथ यह कह रहे हैं कि मतदाता सूचियों के अन्दर भी उनके नाम दर्ज हो गये हैं। राजस्थान के अन्दर गुप्तचर एजेंसियों ने भी यह सूचना प्राप्त की है कि यह बास बदनपुरा, जनता कालोनी कब्रिस्तान, जगतपुरा, गैटोर के अन्दर यह दो-दो, पांच-पांच हजार की संख्या में बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अवैध रूप से बांग्लादेशियों का आगमन राजस्थान के लिए, इस देश के लिए खतरनाक है। बाड़मेर के अन्दर भी यह लोग निरन्तर आ रहे हैं। उसके बाद यह वापस बांग्लादेश भेजे जाते हैं या नहीं भेजे जाते हैं, अगर यह इस प्रकार से यहां जम जाते हैं तो किसी भी दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें, माननीय सदस्य। आपने अपनी बात कह दी।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह उचित नहीं है इसलिए मैं सदन के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं कि इनको तुरन्त वापस बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : यह कोई डिबेट की बात नहीं है, इन्होंने इनकी बात रखी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : जिनके सूचियों में नाम दर्ज हो गये हैं, काबिज हो गये है उनको तो हटाइये।

श्री अध्यक्ष : यह बात उन्होंने रखी है। आपको इसमें क्या कहना है?

श्री मदन मोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है इसी प्रस्ताव को मैंने गत वर्ष इस विधान सभा में रखा था लेकिन उस समय भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी इस प्रकार के विदेशी नागरिक यहां आकर बस रहे हैं,

(श्री मदन मोहन)

मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : जयपुर में लगभग दस हजार बांग्लादेशी नागरिक बसे हुए हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : बहुत गम्भीर मुद्दा है । धीरे-धीरे आसाम वाली स्थिति हो जाएगी ।

श्री कालीचरण सराफ : इनके राशन-कार्ड बन गये हैं, मतदाता सूचियों में नाम लिखे हुए हैं, अगर यह बढ़ते गये तो देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा हो जायेगा । सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए । यह दस हजार बांग्लादेशी तो केवल जयपुर शहर में हैं, राजस्थान में कितने होंगे यह पता नहीं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य ।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : मतदाता सूचियों से नाम हटाने की तां पुख्ता कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : अन्य जरिये से भी बात आ गयी, आप बिराजें ।

श्री कालीचरण सराफ : इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजे, माननीय सदस्य । श्री रामचन्द्र जी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, जवाब देना चाहिए, उप मुख्य मंत्री जी यहां बिराजे हुए हैं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गम्भीर मसला है कि महिला अत्याचारों को रोकने के लिए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य । श्री रामचन्द्र जी । पहले रामचन्द्र जी का नम्बर है, पहले उन्हें बोलने के लिए कह रहा हूं । आप बिराजें ।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाएं । सरकार बैठी हुई है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मतदाता सूचियों में नाम जुड़ गये है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें । अन्य जरिये से जानकारी करनी है । I cannot compel any minister or otherwise to....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कौनसी जानकारी लेनी है ?

श्री अध्यक्ष : मैं अभी इस बारे में नहीं कह सकता । आप बिराजें माननीय सदस्य । आप बिराजें (व्यवधान)

(74)

श्री कालीचरण सराफ : आप बाद में टाइम तय कर लें। सरकार का जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने बात रख दी है। (व्यवधान) श्री रामचन्द्र जी।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य ' मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे कोटपूतली क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जयपुर से दिल्ली के बीच में इतना बड़ा दूसरा अस्पताल नहीं है, कोटपूतली में रोज 20 से 30 मौतें एक्सीडेन्ट से होती हैं लेकिन इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं हैं कि जो भी घायल हो जाए उनकी देखभाल अच्छे ढंग से कर सकें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं, युवा हैं और पूरी समस्या को समझते है। यह एक बार जब कोटपूतली पधारे थे तो वहां की जनता ने इन्हें सारी बातें बतायी थीं। हम कोटपूतली अस्पताल में एक ट्रोमावार्ड बनवाना चाहते हैं ताकि वहां जो एक्सीडेंट हो वह सारे के सारे वहां जाएं। ट्रोमावार्ड के डाक्टर्स की यूनिट हो और सारी की सारी व्यवस्था वहां हो। दूसरा, वहां पर थियेटर, ब्लड बैंक, के लिए बिल्डिंग बनकर तैयार है। कोटपूतली में जो घायल व्यक्ति होता है, उसको दिल्ली या जयपुर लाया जाता है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां जो इन्चार्ज लगा रखा है वह पिछले 12 साल से कंटीन्यू बैठा है, वहां कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। श्री भरत सिंह जी।

श्री रामचन्द्र रावत : अगर वहाँ एक्सरे मशीन खराब हो जाए तो एक साल तक एक्सरे मशीन ठीक कराने का कोई नाम नहीं। अगर बिजली चली गयी तो जनरेटर चलाने का कोई नाम नहीं। इस तरह से पिछले 12 साल से आपने वहां जो लगा रखा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामचन्द्र रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट लूंगा। मैं केवल तीन चीजे मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटपूतली अस्पताल में ट्रोमा यूनिट कब तक खुल रही है? दूसरा, कोटपूतली में बिल्डिंग तैयार है, थियेटर बन चुका है वहां ब्लड बैंक कब तक खोलना चाहते है? तीसरा बारह साल से कंटीन्यू वहां जो इन्चार्ज है उसको आप दूसरी जगह क्यों नहीं सेवा करने देना चाहते है? वह वहां पर रहना नहीं चाहता है। आप उसको कब तक हटा रहे हो? यह तीन चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। श्री भरत सिंह जी।

श्री रामचन्द्र रावत : माननीय मंत्री जी जब पधारे थे तो कोटपूतली की जनता ने काफी...(व्यवधान) मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। यह ऐसे जवाब नहीं दे सकते। मैं उनको कह नहीं सकता। वह सुप्रोमोटो देना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब देना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र रावत : मंत्रीजो जवाब देने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्ति बनाये रखें। प्लीज को आपरेट मी। If he wants to give, certainly can.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस चिकित्सक के खिलाफ आपने यह प्रश्न खड़ा किया है मैं उसकी जांच कराऊंगा। अगर वह दोषी पाये गये तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। ट्रोमावार्ड की आपने बात कही है। अगर जन सहयोग उसमें मिलेगा तो निश्चित रूप सें उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर उसके लिए जो भी कार्यवाही करना संभव होगा वह करेंगे। मैं इंचार्ज के खिलाफ पूरी जांच कराऊंगा और जांच के पश्चात् आपको यह आश्वासन देता हूं कि आपको व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करूंगा।

श्री अध्यक्ष : कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें। श्री भरत सिंह जी।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ के हरिगढ़ कस्बे में 24 तारीख की रात्रि को एक हरिजन महिला को डायन बता कर उसके साथ मारपीट की गयी। 25 तारीख को खानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गयी परन्तु वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उन लोगों को, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की, मालूम पड़ा कि यह महिला खानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गयी तो 27 तारीख को फिर उनको पकड़ कर अच्छी तरह से पीटा गया। झालावाड़ एस पी. के पास उसने शिकायत की पर उन्होंने सुनवाई नहीं की। फिर उसने डी. आई. जी., कोटा के पास शिकायत की और वहां से कार्यवाही हुई। अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक ग्रामीण महिला को, हरिजन जाति की महिला को डायन बता कर उन लोगों ने मारा है उसकी आप जांच कराएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बारबार हाथ ऊंचा मत करो, आप का सबसे नीचे नम्बर है। अभी मेरे पास 20 स्लिपें हैं। बिराजें।

श्री भरतसिंह : तो उन लोगों ने मारा है जिनके खिलाफ थाने में सन् 1980 से अनेकों प्रकरण मारपीट के दर्ज हैं। हैबीचुअल लोग हैं जो मारने वाले हैं। आप इसमें कार्यवाही करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । बात हो गयी । माननीय श्री दीपेन्द्रसिंह जी ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी ।

श्री अध्यक्ष : अभी आप बिराजें, आपका नम्बर भी आयेगा । यूं करेंगे तो फिर नहीं आयेगा, मुझे फिर बन्द करना पड़ेगा । माननीय श्री दीपेन्द्र सिंहजी ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री माधोपुर में काफी समय पहले एक कार्यक्रम में माननीय विधि मंत्री महोदया, पधारी थीं । क्योंकि अभी जो ए. डी. जे., कोर्ट है वहां करीब 60 पर्सेंट से ऊपर मामले मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, बार एसोसिएशन और स्थानीय जनता के आग्रह पर मुकदमों की बहुतायत को देखते हुए माननीय विधि मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया था कि ए. डी. जे. का कोर्ट कैम्प कार्यालय श्री माधोपुर में यथाशीघ्र खोल दिया जाएगा । मैं मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से विधि मंत्री महोदया का इस बात के लिए तो आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने अपने वादे के अनुसार कार्यालय खोलने के आदेश कागज पर दे दिये, किन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि न जाने क्यों विधि मंत्रीजी के आदेश होने के बावजूद उन आदेशों की पालना सालभर में नहीं हुई । न कोर्ट खुला, न स्टाफ गया, न कार्यालय चालू है । धन्यवाद मात्र इस बात का है कि आपने आदेश करने की कृपा की । इस अवसर पर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मन से, कर्म से, वचन से विधि मंत्री महोदया ने आदेश दिये और करना भी चाहती हैं लेकिन न आज तक स्टाफ पहुंचा, न आज तक काम शुरू हुआ लोग आज भी तरस रहे हैं कि उनके आदेश की पालना होगी । यदि आदेश दे दिये तो उसकी पालना नहीं होना और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

श्रीमती शशि दत्ता (राज्य मंत्री, विधि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि श्रीमाधोपुर के आगमन पर इन्होंने मेरे सामने यह समस्या रखी और जब मैं वहां गयी थी उस समय टिबरेवाल भी मेरे साथ गये थे । हम लोक अदालत प्रोग्राम में गये थे । मैंने इनके यहां लम्बित प्रकरणों और माननीय वकीलों द्वारा दिये गये ज्ञापन के आधार पर हाई कोर्ट से यह निवेदन किया कि वहां वास्तव में कोर्ट खोलने की जरूरत है और कोर्ट खोला भी गया लेकिन अभी माननीय सदस्य ने धन्यवाद के बाद जो शोक जाहिर किया उसके लिए भी मैं उन्हीं को दोषी मानती हूं कि उनका नीतिगत और पार्टीगत कोई मसला है जिसको ये दोनों जने लेकर बैठ गये । आज मोदीजी यहां नहीं है....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने आदेश कर दिया पर लागू नहीं हुआ ।

श्रीमती शशि दत्ता : To be very frank, I am telling yon each and everything. Please listen.

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने आदेश कर दिया उसको लागू करवा दीजिए।

श्रीमती शशि दत्ता : You may please sit down and listen. मैंने कोर्ट खोल दी, कोर्ट के आदेश दे दिये लेकिन जैसे ही इनको आदेश मिले, नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर के वकीलों के बीच में झगड़ा चालू हो गया और दोनों पक्ष जाकर हाई कोर्ट में पेश हो गये और चीफ जस्टिस महोदय को कह कर कोर्ट को स्थगित करवा दिया। न तो इसमें सरकार दोषी है, न मैं स्वयं दोषी हूं। अगर दोषी हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायक हैं। इनकी वजह से वहां कोर्ट नहीं खुल पा रहा है। फिर भी मैं आपको आश्वासन देती हूं कि आप इस को राजनीतिक रंग नहीं दे, मैं आज भी अपने वक्तव्य पर कायम हूं कि जितना जल्दी हो सकेगा, मैं स्वयं चीफ जस्टिस से बात करके आपकी कोर्ट चालू करवा दूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाशजी। (अनुपस्थित)। श्री शिवनाथजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, मैं सरकार का और खास तौर से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से दिलाना चाहूंगा। हमारे झुन्झुनूं शहर में सेठ मोतीलाल कालेज एक प्रतिष्ठा प्राप्त शैक्षणिक संस्था है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। इस साल वाणिज्य के द्वितीय पेपर में 73 विद्यार्थी बैठे और उनमें से सिर्फ 9 पास हुए बाकी के सब फेल कर दिये गये। उसका कारण क्या हुआ? माननीय अध्यक्षजी, जो पत्र था वह 40 अंक का था और 40 अंक में से किसी-किसी विद्यार्थी को दो अंक और किसी को तीन अंक दिये गये जबकि उन्हीं विद्यार्थियों के बाकी चार प्रश्न पत्र में फर्स्ट डिविजन के नम्बर हैं, किसी के सैकण्ड डिविजन के नम्बर हैं। इसलिए इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी हो नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह षड्यन्त्र के रूप में हुआ है। उस प्रतिष्ठा प्राप्त शैक्षणिक संस्था को डाउन करने के लिए यहीं कहीं यूनिवर्सिटी में या जहां कापियों की जांच होती है वहां यह षड्यन्त्र किया गया है बच्चों के साथ में। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस शैक्षणिक संस्था को बदनाम किया गया है और हमारे जिले के विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले की जांच करें ताकि उन बच्चों को राहत मिल सके। दुबारा कापियों की जांच की जाए और उस अध्यापक के खिलाफ, उस एक्जामिनर के खिलाफ, जिसने इस प्रकार की लापरवाही और गड़बड़ की है, एक्शन लिया जाए और भविष्य में उसको किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र नहीं दिये जाएं इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंहजी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ में एक चामू नाम का गांव है वहां उसमें सैकण्डरी स्कूल है और उस सैकण्डरी स्कूल का जो भवन है उसमें करीब 14 कमरे हैं । अभी वर्षा होने के बाद न मालूम किस कारण से एक कमरा गिर गया और उस कमरे के नीचे एक मास्टर दब कर मर गया । क्लास खतम हुई थी, लड़के सब बाहर निकल गये थे, परन्तु दो लड़के अन्दर रह गये और वे भी दब गये । यह एक बहुत ही भयंकर घटना हुई....

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : साहब, पूरी बात कहने दें । मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उस अध्यापक की फैमिली को कुछ राहत दी जाए । मैं यह भी चाहूंगा कि उसके परिवार में से किसी एक को नौकर रखा जाए । मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि चीफ मिनिस्टर फण्ड्स से उनको मदद दी जाए । साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि वह भवन किस वक्त में बनाया गया था, उस वक्त कौन सरपंच था, उस वक्त किस ने उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया, इस प्रकार से सारी जांच होनी चाहिए । उनके खिलाफ क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है । उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके कार्यवाही की जानी चाहिए । यदि इस प्रकार आपने कार्यवाही नहीं की तो कई ऐसे कच्चे भवन बन जाएंगे । पंचों को इससे सारी हकीकत मालूम हो जायेगी, सारी पंचायतों के अन्दर यह डर बैठेगा कि अगर हम इस प्रकार के भवन बनाएंगे तो हमारे हथकड़ी पड़ सकती है । लिहाजा मेरा खास तौर से यह निवेदन है कि उसकी जांच करवाने के लिए गवर्नमेंट के यहां से आर्डर दें और कलक्टर, एस. ई., एक्स. ईएन. को भेजकर इस पूरे भवन को दिखवाएं । ऐसा नहीं हो कि वह भवन फिर गिर जाए । उसमें बैठने की हालत है या नहीं यह भी सारी जानकारी करें । इसकी पूरी जांच करवाएं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोहनलाल मोदीजी ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे यहां टोडा ग्राम में एक बवासिर हास्पिटल चल रहा है और उसमें बिना लाइसेंस के कार्बोलिक एसिड, तेजाब, आदि जीवन नाशक रसायन तत्व मिला कर इंजेक्शन बनाते हैं और वह इंजेक्शन मरीज को लगाते हैं । उस इंजेक्शन से कई मरीज तो मर जाते हैं और कइयों के नासूर हो जाता है । न उनके पास कोई लाइसेंस है, न उनके पास इंजेक्शन बनाने का लाइसेंस हैं, न दवा बेचने का लाइसेंस है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप तुरन्त वहां से हटायें । उनकी जांच करवाएं । तुरन्त आप जब्त करिये । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 250 रुपये उस इंजेक्शन

(श्री मोहनलाल मोदी)

का वे लोग लेते हैं, 100 रुपया फीस का लेते हैं और अनाउंसमेंट करते हुए विज्ञापन देते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मामला है जिससे सैंकड़ों लोग मर गये।

श्री अध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण हैं। जो चुन कर आते हैं उन सबका महत्वपूर्ण ही मामला होता है।

श्री मोहनलाल मोदी : वहां की पुलिस इनसे मिली हुई है। वह पुलिस वहां किसी की रपट दर्ज नहीं करती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आप उनको गिरफ्तार करें और उनका माल सीज करें। पूरी तरह से जांच कराकर उनका चालान करायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें। मेरी भी लिमिटेशन है। अब आप क्या करवा रहे हैं? I am not going to have any debate. This is not a debating issue. इसमें डिबेटिंग बात नहीं हो रही है। कोई अल्पकाल की बात है तो क्यों नहीं कह रहे हैं? आप बिराजें। माननीय लक्ष्मणसिंहजी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों आदमी मर गये। गैर कानूनी दवाइयां बना रहे हैं, इंजेक्शन बना रहे हैं, आप कुछ तो व्यवस्था करायें। (व्यवधान) विधान सभा में नोटिस दिया। सैंकड़ों लोगों के आगे मरने की संभावनाएं हो रही हैं। लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब, बिराजें। बाद में बात कर लेना।

श्रीमती कमला (बैराठ) : मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने जो कहा वह गृह मंत्रीजी भी सुन रहे होंगे। रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो आप चार घण्टे तक इसी पर डिबेट करवाना चाहती हैं क्या?

श्रीमती कमला : इस तरह लोग मर गये हैं, इस तरह के अनधिकृत कार्य हो रहे हैं जो अहितकर हैं और उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती, ऐसा माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मोदीजी ने बात रख दी है। आप बार-बार रिपीटेडली फरमा रही हैं।

श्रीमती कमला : बार-बार नहीं, आप इसको साधारण चीज समझ रहे हैं और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : और तो मैं क्या करूं। आप बैठ जाएं यहां पर, और तो क्या

(श्री अध्यक्ष)

करूं ? चालीस पर्चियां दी हैं। मैंने पहले अलाऊ नहीं किया फिर भी आप मान नहीं रहे तो मैंने कहा-चलो अलाऊ करो। तो मैं क्या करूं ? बिराजें आप।

श्रीमती कमला : रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हो रही है, जांच करके रिपोर्ट दर्ज कराएं। हरेक मुद्दा एक जैसा थोड़े ही है। गृह मंत्रीजी आश्वासन दें कि रिपोर्ट दर्ज करायेंगे। यह बहुत बड़ा आफेंस है।

श्री अध्यक्ष : How can I go and handle this ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कुछ जिलों में अकाल राहत कार्य चालू कर रखे हैं जिनमें बहुत से काम चल रहे हैं। उनमें बहुत से पक्के कार्य चलाये जा रहे हैं। पहला बिन्दू तो यह है कि उदयपुर सम्भाग के कई ग्रामों में अभी भी वर्षा की स्थिति बहुत विकट है, संतोषप्रद नहीं है। किसानों ने जो बुआई कर दी है उसके बाद दूसरी बरसात नहीं होने के कारण उनके बीज भी नष्ट हो गये हैं। पहली आवश्यकता तो यह है कि 15 जुलाई तक जो सीमित अकाल राहत कार्य चलाये जा रहे हैं, अकाल राहत मंत्रीजी अगर सुन रहे हो तो उनको 30 जुलाई तक चलायें। राजसमन्द, उदयपुर और संभवत: मावली क्षेत्र में भी अकाल राहत कार्य चलाने की आवश्यकता है।

दूसरा बिन्दू यह है कि अकाल राहत कार्यों के लिए मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा बिलकुल नहीं दिया जा रहा है इस कारण लेबर कम्पोनेंट, जो 60 प्रतिशत है, भी बिलकुल बेकार बैठा हुआ है। मैटीरियल कम्पोनेंट के पैसे के लिए जब जिला कलक्टर, राजसमन्द से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास से ऐसे निर्देश हैं कि इस वक्त पैसा कम है। 15 जुलाई तक जो काम चल रहे हैं उनमें मैटीरियल कम्पोनेंट के पैसे आपके पास नहीं है तो लेबर कम्पोनेंट किस काम की होगी ? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस विषय को सरकार गम्भीरता से ले और 15 जुलाई के स्थान पर आगे 30 जुलाई तक उदयपुर सम्भाग में अकाल राहत कार्य बढ़ाये जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री ताम्बी साहब। (अनुपस्थित)। श्री रिछपालसिंहजी। (व्यवधान) एक मिनट ठहरिये, आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी, जो यहां बिराजमान नहीं हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नागौर जिले की जनता अभी बाढ़ और अतिवृष्टि की मार से उबरी नहीं है और वहां अधिकांश जगह कातरे का प्रकोप हो गया है। वहां के किसानों ने 2-3 बार बिजाई की लेकिन ज्यों ही अंकुर निकलता है उस उगते हुए अंकुर को कातरा नष्ट कर देता है इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के किसानों के लिए

(श्री रिछपालसिंह)

कीटनाशक छिड़काव या दवाएं कृषि विभाग उपलब्ध कराये ताकि कातरे को नष्ट किया जा सके और किसान बार-बार की बुआई और अन्य खर्चों से उबर सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरजी।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान मुकेश हत्याकाण्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। चार तारीख को प्रातः आठ बजे मुकेश अपनी मां को यह कह कर गया कि वह भोजन तैयार रखे, मैं अभी हनुमानजी के दर्शन करके आता हूं। मां भोजन के लिए उसकी प्रतीक्षा करती रही और आततायियों ने उस बालक का अपहरण कर लिया और उसके बाद छह तारीख को प्रातः पांच बजे उसे बेहोशी की हालत में उसी के घर पर आटोरिक्शा में डालकर छोड़ गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ तथ्यों की ओर माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब बालक घर से आने के लिए कह कर गया और कुछ समय पश्चात् तक नहीं आया तो घरवालों ने आसपास बालक की तलाश की। जब बालक नहीं मिला तो थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो थानेदार ने उनको यह कहा कि देखिये, बालक कहीं गया होगा, आ जाएगा इसलिए अभी रिपोर्ट लिखाने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद कुछ गाड़ियां लगातार उस परिवार के चक्कर लगाती रहीं। परिवार वालों ने उसके बाबत पुलिस को कहा भी। 20-25 टेलीफोन भी उनके घर पर आए पर रिसीवर उठाने के बाद आवाज नहीं आती थी। यह काम लगातार दो दिन और दो रात तक चलता रहा।

छह तारीख को प्रातः काल किसी पड़ोसी ने कहा कि आपका बालक अध-मरा चबूतरे पर लेटा तड़फड़ा रहा है तो घर वाले जगे और उस बालक को देखा। उस बालक ने उन्हें कुछ शब्द कहे कि मुझे तीन बजे पानी के साथ जहर दिया है, मुझे बचा लीजिये। वहीं पास में डाक्टर शारदा का प्राइवेट नर्सिंग होम है, उसमें दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसको तुरन्त हास्पिटल ले जाएं।

प्रातः 5 बजे उस बालक को वे घर छोड़ गये, 5.10 बजे पुलिस को इत्तला दे दी उसके बावजूद भी पुलिस न वहां पहुंची और न हास्पिटल में पहुंची। घर-वालों के पास 100 बार टेलीफोन आने और दो दिन से चल रहे घटनाक्रम को देखने पर वहां के नागरिकों ने पुलिस को बार-बार इस बात के लिए सावचेत किया कि एक मोटर साइकिल, एक मारूति वैन और एक मारूति थाउजैण्ड गाड़ियां पूरी बस्ती को टेरेराइज करने के लिए चक्कर लगा रही हैं। फिर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जघन्य घटना जयपुर में पहली बार हुई

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

है। मैं गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस घटना पर प्रकाश डालें और उस थाने में....

श्री अध्यक्ष : कालीचरणजी, आपको भी इस पर कुछ कहना है ?

श्री रामेश्वर भारद्वाज : एक मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं। सारी बात सुन ली है।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : एक मिनट, पूरी बात तो कहूं। इस क्षेत्र में अनेक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कई बालक घर से गायब कर दिये गये हैं। थाने के बाद एक भी बालक कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है इसलिए मेरी यह मांग है....

श्रीमती इंदिरा मायाराम : आप हाउस को कैसे चलाते हैं ? आप अनुशासन की बात करते हैं, +++ वह पर्ची बाद में आपको दी, उनको बुलवाया।

श्री अध्यक्ष : क्या हुआ है आपको ? आपको यह भी सलीका नहीं है कि विधान सभा में किस तरीके से पेश हुआ जाता है।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मैं यही कह रही हूं कि पर्ची पहले मैंने दी कि नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : बिराज रही हूं पर....

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये आप। इन्होंने पहले दी, कालीचरणजी ने बाद में कहा कि मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि वहां का जितना भी स्टाफ है, इंचार्ज है उसको बदलें। इस प्रकरण की जांच कराएं ताकि इस प्रकार की घटनाएं आगे नहीं हों। अन्यथा वहां के लोगों में इतना भय व्याप्त है कि नागरिक किसी को कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा....

श्री अध्यक्ष : +++ एक्सपंज करिये।

श्री कालीचरण सराफ : (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीने का कोई भी समाचार पत्र उठा कर देख लीजिये, आए दिन जयपुर शहर में एक हत्या हो रही है। ये हत्याएं पुलिस की मिलीभगत और लापरवाही के कारण हो रही हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री कालीचरण सराफ)

चार तारीख को कोई व्यक्ति मन्दिर में दर्शन करने के लिए जाए और वापस न आने पर उसके घर वाले थाने में जाकर कहें कि इसकी रिपोर्ट दर्ज करो तो थाने का इन्चार्ज यह कहे कि वह अपने आप गया है, शाम तक आ जाएगा और रिपोर्ट दर्ज न करे और उसके घर वालों को वहां से भगा दे ? उसके बाद लगातार 25-30 टेलीफोन उसके घर पर आए और उनकी टेप की कोई व्यवस्था नहीं। एक मारुति थाउजेण्ड, एक मारुति वैन, और दो मोटर साइकिल उनके घर के चक्कर लगाये उनके नम्बर भी थाने में दे दिये पर कोई कार्यवाही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि आखिर पुलिस जयपुर शहर का क्या करना चाहती है ? मैं गृह मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि इस प्रकार के पुलिस अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मुकेश 22 साल की उम्र का लड़का है, खुद स्कूटर मेनटेन करता है, कपड़े की दलाली कर 10 हजार रुपये महीने का कमाने वाला है। कल शाम को जब मैं पुलिस के हैड एस. पी. और डीवाई. एस. पी. से मिला तो वह कहते हैं कि उसकी जेब से हरिद्वार से दिल्ली का टिकट निकला है, वह तो अपनी मर्जी से घूमने चला गया। इतने जिम्मेदार व्यक्ति के मामले में पुलिस लीपापोती करे और उस एक बस टिकट को आधार मानकर चले और यह कहे कि इसका कोई अपहरण नहीं हुआ, किसी ने हत्या नहीं की। इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि वहां के डीवाई. एस. पी दिनेश शर्मा जो वहां इन्चार्ज हैं, इस तरह के पुलिस अधिकारी जो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्रीजी कार्यवाही करें। सात लड़के तीन महीने में गायब हुए हैं। एक लड़का 15 दिन से नहीं आया, उसको जालंधर में ले जाकर 3 मंजिले मकान में बन्द कर दिया, वहां से वह किसी तरह पार होकर आया है। वह लड़का आज भी घबराया हुआ है और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। जनता में ऐसी घटनाएं आए दिन सुनते हैं। कभी विद्याधर नगर थाने में लाश मिली है, कभी क्या, घटना, कभी क्या घटना।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

(13.00)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों ने और खास तौर से माननीय कालीचरणजी ने जो आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से यह अपराध हो रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट करता हूं। यह आवेश में बात कही है, इस तरह की कोई स्थिति सामने नहीं आई है....

श्री कालीचरण सराफ : वहां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उन्होंने मना कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है, कोई अपराध हो सकता है, दुर्घटनाएं घट सकती हैं....

श्री कालीचरण सराफ : रिपोर्ट दर्ज नहीं की.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : श्री गोपीराम कल मुझसे मिले थे। यह जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, उसमें श्री मधुसुदन, जो एडीशनल एस. पी. हैं, को मैंने विशेष तौर से कहा है कि सारे प्रकरण की जांच करें, पुलिस का इसमें क्या रोल है। उन्होंने मुझे यह भी बताया है कि एक टिकट मिला है। तो आखिर पुलिस को कोई न कोई लाइन पर इन्वेस्टीगेशन तो करना पड़ेगा, तफतीश तो करनी पड़ेगी और इन सारे वाकियात के आधार पर मैंने कल ही निर्देश दिये हैं। आज भी मैंने कहा है कि मुझे जल्दी रिपोर्ट करें। जो भी मसला मेरे सामने लाया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी तरह से उसकी कार्यवाही होगी। कल श्री गोपीरामजी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमण्डल मिला था और मैंने उनके सामने ही एडीशनल एस. पी. को विशेष तौर से सारे प्रकरण को देखने, तफतीश करने और जो भी अपराध हुआ है, उन्होंने किया है, उन अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलवाने के बारे में निर्देश दिये हैं और व्यक्तिगत तौर से मैंने कहा है कि नियमित तौर पर आप मुझे बताइये कि इसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

तो जो भी मसला मेरे ध्यान में, पुलिस के अधिकारियों के ध्यान में या मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाया जाता है, उनके ऊपर पुख्ता कार्यवाही की जाती है। अपराध नहीं हों, यह हम सब चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अपराध होते हैं। तो उसके बाद में एक प्रक्रिया है वह अपनाई जाती है। उसमें पुलिस मिली हुई है, निकम्मे हैं और सारा यह है, इस तरह के आरोप लगाना, मैं, माननीय, अध्यक्ष महोदय, सोचता हूं कि किसी तरह से भी उचित नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : उस इलाके विशेष में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान) यह सदन आरोपों के लिये नहीं है। बिराजें आप। (व्यवधान) बिराजें, बिराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे भी असहमति प्रकट करता हूं कि बेग आरोप लगाये जाएं। इस तरह से सहन नहीं किया जाएगा। मैं इसके लिए प्रोटेस्ट करता हूं। आप डेफीनेट केस लाएं, उसमें आरोप लगाएं। मेरे पास गोपीराम जी आते हैं, कालीचरण जी आते हैं, जो भी आते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : बराबर आरोप लगाया जा रहा है, मैं इसके लिए प्रोटेस्ट करता हूं। आप डेफीनेट केस ले आए।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं जो भी आता है। उनकी बातें सुनता हूं। टेलीफोन पर कहते हैं, मैं आपको सुनता हूं। ऐसी स्थिति में वेग आरोप लगाना, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

श्री कालीचरण सराफ : कोई अपराधी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री अमरा राम जी (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस ठीक ढंग से काम कर रही है। यह इन्होंने जो गैरजिम्मेदाराना आरोप लगाया है उससे मैं असहमती प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जरूर कोई बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल होगा....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आरोप सत्य हों या असत्य हों एक ही पार्टी के हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी, जल्दी कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज राजस्थान में....

श्री कालीचरण सराफ : आप इस तरह से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण जी, आवेश में नहीं आए। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : दबाना चाहते हैं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई बात कह रहे हैं ....(व्यवधान) यह क्या कह रहे हैं। आप ?

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मामला गम्भीर है। एक माननीय सदस्य को एक माननीय मंत्री जी इस प्रकार से धमकाते हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजे।

श्री शिवनाथ सिंह : ....यह उनका वर्शन है कि दबा रहे हैं। इस प्रकार की बात है। धमकाते है, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारे घर की बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। अभी बहुत कार्य बाकी है। कृपया शांति बनाये रखें। एक गिलास ठंडा पानी पी लें आप।(व्यवधान) ऐसा ही होता है। मर्जी आए जो लगा सकते हैं, कोई लिमिटेशन तो है नहीं।

श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पुलिस की अकर्मण्यता के कारण आज इस राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार इतनी तेजी के साथ बढ़ रहें हैं...

श्री अध्यक्ष : आप किसी पर्टीकूलर की बात कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं आप ? महिलाओं पर पूरे पर हैं तो गृह मंत्रालय की मांग पर आप फरमा दें।

श्री अमराराम : महिलाओं पर आज राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, अत्याचार बड़ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वह हों, शामिल हैं, डाक्टर शामिल हैं, पुलिस के कर्मचारी शामिल हैं और जब रिपोर्ट लिखाने जाएं तो लिखी नहीं जाए और उसको बचाने के लिए पुलिस के अधिकारी काम करें, इस तरह की घटनाएं राजस्थान में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। चाहे वह बरसाना की घटना हो, उन घटनाओं के विरोध में आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और अन्य महिला संगठन की महिलाएं हजारों की संख्या में प्रदर्शन करके इसका प्रतिकार कर रही हैं। तो निश्चित रूप से सदन से भी मेरा अनुरोध है कि जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार अपने पुलिस विभाग को सख्ती से निर्देश दे कि जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं चाहे वह टौंक में हों, या अलवर में हों या गंगानगर में हों और चाहे सीकर में हो और जो भी फरियादी पुलिस थाने में आये उसकी मुकम्मिल रिपोर्ट दर्ज कर सख्ती से निपटा जाए। जिससे इन घटनाओं में कमी आ सके।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डावर थाने में जो किशोर मीणा की पुलिस हिरासत में हत्या हुई थी उस मुकदमे की सरकार द्वारा कोई पैरवी नहीं की जा रही है। अभी कठूमर में उसका चालान किया, आपका ए. पी. पी. वहां मौजूद नहीं था। डिस्ट्रिक्ट जज के यहां एप्लीकेशन लगाई वहां पर भी आपका कोई सरकार पैरोकार मौजूद नहीं था। गृह मंत्रीजी, उस बेवा के पति की जो हत्या हुई है उसमें आप सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए किसी को नियुक्त करें।

दूसरा, उस बैवा की एक एप्लीकेशन आई है। उस बैवा को दुबारा मारने की धमकी दी जा रही है। उसने अपनी सुरक्षा की मांग आपसे की है। मेरा अनुरोध है, गृह मंत्रीजी, उस किशोर मीणा की बैवा पत्नी की सुरक्षा का आप पुख्ता इन्तजाम कर दें। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके बाल बच्चों को और उसको भी खतम कर दिया जाए। अब चालान पेश हो चुका है। आपने 50 हजार की घोषणा की थी, उसका चैक उस बैवा को जल्दी दिया जाए। आप उसकी सहायता जल्दी कीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति हो चुकी है। माननीय विधायक को भी यह बात पता है।

श्री परसादीलाल मीणा : उसकी सुरक्षा का क्या इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष 30--8--95 को नगरपालिका अलवर की एक बैठक में एजेण्डा को लेकर कोई विवाद हुआ था उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य पार्षदों को कुल पांच को सस्पैण्ड कर दिया था। इनमें से कुछ लोगों को हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। हाई कोर्ट ने यह कहा था क्योंकि सरकार ने न्यायिक जांच बैठा रखी थी और न्यायिक जांच अधिकारी आदरणीय श्री आर. एन. सिंह थे, आदरणीय श्री आर. एन. सिंह जी ने अपनी जांच पूर्ण करके सरकार को जांच सौंप दी और जांच में यह पाया गया है कि यह सारे लोग निर्दोष हैं और इनको गलत तरीके से सस्पैण्ड किया गया है।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है, खास तौर से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कि आप द्वारा गठित न्यायिक जांच की रिपोर्ट में निर्दोष साबित हो गये, उनको बहाल करिये और श्री योगेश सैनी जो कि वहां के अध्यक्ष थे उस समय में, उनको अध्यक्ष पद का चार्ज दिलाइये ताकि नगरपालिका के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हो सके क्योंकि अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग राजनीति करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलवर शहर के हित के लिए मेरा निवेदन है कि इसमें राजनीति नहीं लाकर इसका तुरन्त प्रभाव से निस्तारण किया जाय और इन लोगों को चार्ज मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गत सप्ताह पैट्रोल के दामों में वृद्धि हुई और एक लीटर में करीब पांच रुपये बढ़े किन्तु जयपुर के जो आटोरिक्शा चालक और टैम्पो चालक हैं उन्होंने सवारियों पर दुगुने दाम कर दिये। आज यह स्थिति हो गयी है कि स्टेशन से यदि कोई मानसरोवर जाना चाहता है तो उससे 125-150 रुपये ले रहे हैं। कोई निर्धारित रेट, मापदण्ड नहीं रहा है। इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। राज्य सरकार को चाहिए कि जो पैट्रोल के दाम बढ़े हैं उसके अनुसार निर्धारित स्टैण्डर्ड से अभिवृद्धि करके नयी दरें तय करें। जनता और यात्रियों की जिस तरह लूटमार हो रही है, आज टैम्पो चालकों की हड़ताल है, आटो रिक्शा चालक मनमानी लूट नहीं करें इसके लिए सरकार कुछ करे।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

माननीय यातायात मंत्री महोदय, आप बताइये कि क्या कर रहे हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है, राजधानी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बुरड़क साहब।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्री बताएं कि यह जनता की जो लूट हो रही है इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बाद में बात कर लेना। बिराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कब तक रेट निर्धारित करेंगे और यह लूट कब रुक जाएगी ? जो मनमाने ढंग से पैसा लिया जा रहा है यह कब तक रुक जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : हो गयी बात। अब बिराजें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : 22वां था। आपका 26वां है श्रवण जी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में पैसे कमाने की दृष्टि से जो विद्यालय चल रहे हैं वह छात्रों और अभिभावकों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक जयपुरिया विद्यालय नाम का स्कूल है जवाहर लाल नेहरु मार्ग पर, उन्होंने आठवीं तक मान्यता ली है और भर्ती 9वीं और 10वीं के छात्रों को कर लिया जबकि उसको आगे की मान्यता नहीं मिली है। यह मामला जब राज्य सरकार के ध्यान में आया तो राज्य सरकार ने उनको लिखा कि बिना मान्यता के आप नवीं और दसवीं की कक्षा नहीं चलावें। उन्होंने उन छात्रों को भर्ती कर लिया और अब यह कह रहे हैं कि सरकार ने हमें रोक दिया। उन छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि अब दूसरी जगह वह एडमिशन के लिए जाएंगे तो एडमिशन मिलना मुश्किल है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि इस प्रकार जो अन आथोराइज्ड विद्यालय चल रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे और जिन्होंने गलत रूप से, चाहे किसी भी रूप से छात्रों को भर्ती कर लिया उन छात्रों को किसी दूसरी स्कूल में भर्ती कराने की व्यवस्था करें, यह राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने

(श्री भवानी जोशी)

मार्बल की खानें स्वीकृत कराने के लिए अपने आवेदन दिये हैं, राज्य सरकार ने अपनी नीति बनायीं उसके उपरांत भी आज तक उन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को माइंस प्लाट नहीं की जा रही हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को खानें आबंटित की जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर 10 लाख से ज्यादा की आबादी का शहर है। जलदाय मंत्रीजी, आज जोधपुर शहर की पानी के मामले में इतनी खराब हालत है कि केवल 15 दिन का पानी शेष बचा है। 250 लाख गैलन पानी की प्रतिदिन आपूर्ति वहां होनी चाहिए जिसके एवज में 82 लाख गैलन ही पानी आप दे पा रहे हैं। हालत यह है, जो फलौदी लिफ्ट नहर टूटी, उसके बारे में यहां से सरकार में ऊपर से बहुत तेजी से कार्यवाही करने का आदेश दिया गया और केवल यह कहा गया कि दो किलोमीटर में टूटी है। जबकि जो टूटी है वह करीब 20 किलोमीटर से ज्यादा है, उसके अन्दर टेण्डर करवाये। आपने तेजी से काम करने के आदेश दे दिये। उसमें 5 तारीख को टेण्डर भरने का आदेश दिया, 6 तारीख को टेण्डर खुलने का आदेश दिया लेकिन 6 तारीख को टेण्डर खुले नहीं और 7 तारीख को टेण्डर खुले हैं। ढाई करोड़ का टेण्डर है, 300 पर्सेण्ट से ज्यादा उसकी रेट आयी है और करीब साढ़े सात करोड़ के अन्दर भी वह काम दो महीने से पहले किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। पानी आपके पास है नहीं, हालत बहुत खराब है। तो कैसे जोधपुर शहर को पानी पिलाओगे? यह चिन्ता की बात है। मंत्रीजी, उसके बारे में जरूर अपनी बात कहें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन जी मेघवाल।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज ही नरपत सिंह जी राठौड़, हमारे जिलाध्यक्ष जोधपुर ने सूचना दी है कि एयरफोर्स एरिया से एयरफोर्स कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर 25-30 आदमियों का अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की। मौहल्ले वाले घबराकर राठौड़ के पास गये और उन्होंने जाकर वहां एयरफोर्स चौकी इन्चार्ज से कहा इस प्रकार की घटना घटी है। एयरफोर्स चौकी इन्चार्ज ने कहा मैं कि इसमें कुछ नहीं कर सकता।

मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि इससे यह साफ जाहिर होता है कि एयरफोर्स अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस वालों की मिलीभगत से यह सारा मामला हुआ है। इसलिए इसकी जांच करके दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंहजी।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर सम्भाग में वर्षा नहीं आई, यह सर्वविदित है। अभी सबसे बड़ी समस्या पशुधन की हो रही है। वहां घास नहीं है। लोग बोरियां लेकर जगह-जगह घूम रहे हैं, आंखों में आंसू लिए हुए घूम रहे हैं, रो रहे हैं पशुओं को देख-देखकर। पशु मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और सरकार बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है। यह कहा गया है कि सब संस्थाओं को दे दिया गया है, अलाटमेंट किया है पर संस्था वाले जो भी यह काम कर रहे हैं, खाली एकाध गाड़ी लाकर तहसील के सामने दौड़ा देते हैं, तहसीलदार को दिखा देते हैं कि यह गाड़ी जा रही है परन्तु चारा नहीं मिल रहा है। कृपया करके पूरी-पूरी व्यवस्था करें ताकि पशुओं को बचाया जा सके।

इसके अतिरिक्त अकाल राहत के कार्य बन्द कर दिये गये हैं उनको भी 31 जुलाई तक चालू रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की एक अविवाहित अध्यापिका कुमारी चन्द्रकांता वर्मा, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धीरी, पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड़ में कार्यरत है। इस शाला के प्रधानाध्यापक श्री तुफेल मोहम्मद व ग्राम धीरी के असामाजिक तत्वों जिसमें मुख्य मुलजिम परमानन्द खाती है, के द्वारा कुमारी चन्द्रकांता के साथ अभद्र व्यवहार व अत्याचार किये गये हैं। यह कि 12 जनवरी, 1995 को प्रधानाध्यापक श्री तुफेल मोहम्मद के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : पढ़ करके नहीं, अपनी बात कहनी हो तो कह दें। हो गयी बात कि वहां अत्याचार हो रहा है। बिराजें आप।

श्री हरिनारायण : कुमारी चन्द्रकांता वर्मा और बच्चों को ताले में बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणकुमार जी।

श्री हरिनारायण : बच्चों और अध्यापिका के चिल्लाने के बाद गांव वालों ने उनको खोलकर निकाला है। उसकी शिकायत चन्द्रकान्ता वर्मा ने दिनांक 6-7-95 को मुलजिम परमानन्द और प्रधानाध्यापक के खिलाफ की है किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 14-7-95 को गांव की महिलाओं को बुला कर के उस अध्यापिका के साथ में अभद्र व्यवहार किया है, उसको पिटवाया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री श्रवण जी।

श्री हरिनारायण : एक साल से वह अध्यापिका घर पर बैठी हुई है। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से कई बार मिला हूं, लिख करके दिया है कि इसका स्थानान्तरण करवाया जाए लेकिन अभी तक नहीं करवाया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्रवण जी।

श्री हरिनारायण : मेरी पूरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : अब हो गयी बात। बिराजें आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री हरिनारायण : इसमें दो-दो मंत्रियों के लैटर हैं और दो रजिस्टर्ड पत्र हैं....

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झुन्झुनूं नगरपालिका....

श्री हरिनारायण : माननीय सदस्य, एक मिनट मेरी पूरी बात सुनें। यह दोनों रजिस्टर्ड डाक हैं, यह भी वापस लौटा दी गयी हैं और नहीं ली हैं। उस अध्यापिका के....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बात कर लें आप। बिराजें।

श्री हरिनारायण : मैं कुछ बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई जीरो आवर में इस तरीके से डिबेट थोड़े ही होती है। इतना आपने नॉलेज में ला दिया। बिराजें आप। श्रवण जी।

श्री हरिनारायण : उसके साथ में क्या करने जा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अनुसूचित जाति की महिला अध्यापिका है, 300 किलोमीटर दूर रह रही है।

श्री अध्यक्ष : आपने आधा पौन घंटे के लिए कहा था। आप सबने यह स्वीकार किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य अपनी कोई बात कह रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ये कभी-कभी बात कहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत दुःखी हैं। ये मेरे साथ बस में आते हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप जा करके मंत्रीजी से बात करें। (व्यवधान)

श्री हरिनारायण : क्या समझ में आया ? नहीं, मेरी बात का मतलब क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आजकल रोज बोल रहे हैं।

श्री हरिनारायण : नहीं, सदन में क्या कहा मैंने ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो अभी आपने बात नालेज में ला दी है। आप मंत्रीजी से बात करना, सुन ली है, आपका हो गया। ये कह रहे हैं कि कार्यवाही क्या हुई ?

श्री हरिनारायण : नहीं, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने जिला चेंज नहीं करवाया। अत्याचार के मारे वह साल भर से विद्यालय नहीं जा रही है। उसका भाई अभी गया है। तीन बार मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से मिला हूं लेकिन उनका जिला चेंज नहीं करवाया.... (व्यवधान) और इनकी परवाह नहीं। आप क्या चाहते हैं इनसे ?

श्री अध्यक्ष : अभी पंचायती राज मंत्रीजी हैं नहीं, आप उनसे मिल लें।

श्री हरिनारायण : नहीं वे चाहते क्या हैं कि इनका शोषण होता रहे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप मेरे से भी बात करें बाद में।

श्री श्रवण जी।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि झुन्झुनू नगर पालिका में भ्रष्टाचार के गोरख-धन्धे बन्द करो, जन सुविधा का प्रबन्ध करो, इस बात के लिए दो जुलाई, 1996 से लोग धरने पर बैठे हैं। वहां का चेयरमैन कालोनियों के अन्दर कार्मशियल काम्पलेक्स बगैर इजाजत बनवा रहा है। झुन्झुनू नगरपालिका को नगरपालिका की जगह नरकपालिका बना दिया। वहां सात दिन से लोग धरने पर बैठे हैं। बहुत जन आक्रोश है। वहां कोई अप्रिय घटना घट सकती है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, जल्दी से उसका मालूम करवाओ और वहां की बिगड़ती व्यवस्था को सुदृढ़ करवाओ वरना वहां की जनता में बहुत आक्रोश है वहां अप्रिय घटना घट सकती है। तत्काल कलक्टर साहब से फैक्स से सूचना मंगवाये कि वहां घटना क्या है। वहां के लोग धरने पर बैठे हैं, जल्दी से जल्दी उनको उठवाया जाए और उनकी मांग पूरी की जाए।

एक बात और है। सूरजगढ़ पंचायत समिति में तीन माह से अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गया। तीन दिन पहले भी आपने यह बात उठायी है। आप बिराजिये। श्री रामस्वरूप जी।

श्री श्रवणकुमार : अध्यक्ष महोदय, तीन माह से उनके बच्चे रोटी के लिए और एडमिशन के लिए तड़प रहे हैं। उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। तीन माह से पंचायत समिति सूरजगढ़ में अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। 15 जुलाई से प्रत्येक अध्यापक हड़ताल पर आएगा और सरकार की बड़ी तौहीन होगी। और इसलिए कि तौहीन होगी, बाद में पैसा दोगे, इससे अच्छा है कि 7-8-10 तारीख तक उनको पेमेन्ट करवाया

(श्री श्रवण कुमार)

जाए और होने वाली हड़ताल को रोका जाय। जय हिन्द।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति का एक परिवार एक जीप में बैठकर नेशनल हाईवे पर दौसा से जयपुर की तरफ आ रहा था। अभी जब मैं आ रहा था वहां से तो रास्ते में एक ट्रक ने उसको कुचला और पूरे परिवार पर होकर ट्रक बिलकुल जीप को दबा गया। तीन की तो वहां दर्दनाक मौत हो गयी बाकी लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। शायद उनमें से भी कोई नहीं बचा हो। इसी प्रकार की दो दुर्घटना मुझे और परली तरफ मिली हैं जिनमें भी लोग घायल हुए हैं। बहुत दुःख की बात है।

माननीय गृह मंत्रीजी, आप कोशिश कर रहे हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपने अभियान चलाया था लेकिन वह अभियान बन्द हो गया है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक माता के दो इकलौते बेटे थे, दोनों ही मर गये और वह भी अनुसूचित जनजाति के थे। क्या आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे? क्या यह रोजाना हत्या नहीं हो रही हैं? क्या इसका नाम हत्या नहीं है? इस प्रकार लोग दारू पीकर के ट्रक चलाएं और आंख मींचकर लोगों को मार दें और निर्दोषों की हत्या कर दें, क्या इस बारे में माननीय गृह मंत्रीजी विशेष अभियान से दुबारा चलायेंगे? क्या कोई अभियान दुबारा चालू कर रहे हैं? क्या इन दुर्घटनाओं को आप रोकेंगे और जो घायल हुए हैं, उनको आप क्या देंगे? यह मेरा विनम्र निवेदन है।

माननीय गृह मंत्रीजी, ऐसी गम्भीर घटना हुई है, एस. टी. के लोग मरे हैं और उसके बारे में विचार नहीं किया जा रहा है बिलकुल भी। गृह मंत्रीजी चुपचाप बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : एटरेन्डम विचार कहां होगा? मोटवानी जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो शब्द तो कम से कम उनके लिए कह दें, कोई आंसू तो बहाता इस सदन में उनके लिए। इतनी बड़ी घटना है और गृह मंत्रीजी चुप बैठे हुए हैं। कुछ भी नहीं सुनें। कैसे बचाया जाए दुर्घटनाओं से? यहां ऐसी घटना होगी, फिर हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि यहां एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट होना है कहीं न कहीं तो। होगा एक्सीडेंट कहीं न कहीं तो इसलिए, माननीय गृह मंत्रीजी, या तो दुर्घटनाओं को रुकवाइये और मरने वालों को रूकवाइये वरना सदन के अन्दर हमारा और आपका बैठने का कोई औचित्य नहीं रहता। इस प्रकार की नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर अब तक 500 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ताज्जुब की बात है, डेली दुर्घटना हो रही है, दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं, परिवार के परिवार निपट रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं। यदि

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कोई घर पहुंच जाता है तब तसल्ली आती है किसी को कि सुरक्षित आ गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपकी बात हो गयी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत दुःख की बात है, इसके बारे में आप पुनः विचार करें।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो अभियान चलाया था, बहुत सक्सेसफुल अभियान था और उससे राजस्थान के अन्दर एक वातावरण बना, लोगों में अंकुश लगा, गाड़ियां जो चलती थी ओवरलोड होकर....

श्री अध्यक्ष : आप उसी के बारे में कह रहे हैं ?

श्री परसराम मोरदिया : मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है, इसको पुनःअभियान के तौर पर राजस्थान में चलाएं, उससे दुर्घटनाओं पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। यातायात मंत्री जो बैठे हैं (व्यवधान) आपने एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया और अभियान से राजस्थान के अन्दर ऐक्सीडेंट्स पर रोक लगी, मैं पुनः मांग करना चाहूंगा कि उसको दुबारा चालू करवायें।

श्री किशन मोटवानी : ये जवाब दे रहे हैं ? जवाब दें, अच्छा है। इच्छा है जवाब देने की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसी के बारे में बोलना चाहते थे, आप... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह दुर्घटना वाला है।

श्री अध्यक्ष : इसी बारे में आप कहना चाहते थे ?

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा में भी एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, स्लिप के माध्यम से उठाये जाने वाले मामलों के जवाब सरकार किस प्रकार अधिकृत रूप से दे पाएगी ? इन मामलों का जवाब अगर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप इसको लम्बा नहीं करें। मुझे और डिबेट लेनी है। बिराजिये आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह स्लिप के माध्यम से एक सूचना देने की बात होती है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको क्या तकलीफ हो रही हैं इसमें ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, देना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री जी बोल रहे हैं, वे जवाब दे रहे हैं और आप बीच में ही खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) टीकमजी, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको क्या दु:ख हो रहा है इसमें ? माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह किसी को कम्पेल नहीं किया जा रहा कि जवाब दें ही दें। मिनिस्टर चाहें तो दें, नहीं दें तो न दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो जवाब।

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दुर्घटनाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने 17 जून से एक सघन अभियान चलाया था दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए। इसमें सबसे बड़ी प्राब्लम है कि आज सड़कों पर जिस प्रकार से यातायात बढ़ा है, फोर एक्जाम्पल, मैं दिल्ली से जयपुर रूट की आपसे बात करूंगा। नेशनल हाईवे के ऊपर इस समय 20,000 पैसेन्जर कार यूनिट का स्कोप है और यह बढ़कर 40,000 पैसेन्जर कार यूनिट यातायात, आवागमन बढ़ गया। इस तरह लगातार यातायात का दबाव आज बढ़ता जा रहा है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने चिन्ता इस विषय में जताई है कि जो अभियान चलाया था उसको रोक दिया गया। हमने इसको रोका नहीं। बरसात के कारण क्योंकि पैसेन्जर्स को थोड़ी असुविधा होती है, एक गाड़ी जो परमिट का उल्लंघन करके गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को हम सीज करते हैं तो पैसेन्जर्स को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उन सवारियों का सामान भीग जाता है और सवारियां खुद भीग जाती हैं। इसलिए बरसात की वजह से इसको फार दी टाइम बीइंग पोस्टपोन किया है। हम इसको कंटीन्यू रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मोटवानी जी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर में एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम से चल रहा है और एक्जामिनेशन में अच्छा रोल उसका चल रहा है किन्तु वहां पर कुछ अनियमितताएं व्याप्त हैं, उससे रुष्ट होकर तीन तारीख को हमारे सम्माननीय आदरणीय उप-कुलपति स्वयंसेवक चतुर्वेदीजी का घेराव किया। उनको पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। आज पुन: उनका घेराव हो रहा है।

इन सब बातों के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वह चिन्तन करें इस बात का कि इसके कारण क्या हैं। मैं आपको 2-3 कारण बताना चाहता हूं मैं समझता हूं, सरकार निश्चित रूप से इन पर चिन्तन करेगी। इतना बड़ा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित है इसकी अपने आप में ख्याति है। एक तो उप-कुलपति की नियुक्ति अनियमित है, उसके बाद एम. बी. ए. के कोर्स को लेकर अभी रोष चल रहा है। एम. बी. ए. के डीन की नियुक्ति अनिय-

(श्री किशन मोटवानी)

मित है। पूर्व का रिजेक्टेड कैंडीडेट है और दुबारा उनको लेकर डीन बना दिया। उस डीन के द्वारा प्रवेश में. एक्जामिनेशन्स में और रिजल्ट्स में गड़बड़ी की जा रही है। अब आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है एम. बी. ए. का क्योंकि वे विशेष विद्यार्थी में इण्टरेस्टेड हैं। उसके बाद उनका भाई कोचिंग क्लासेज चलाता है। एडमिशन के नाम पर पूर्व में पैसा ले लिया जाता है। अभी तक एडमिशन की लिस्ट नहीं निकली, न डिक्लेयर हुई। आज पुनः उनका घेराव कर रहे हैं।

मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं परन्तु चिन्तन के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय की साख है और नाम है उस साख और नाम को बनाये रखें। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ताम्बी साहब।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, महिलाएं आज यहां धरना दे रही हैं, बड़ी चौपड़ पर धरने पर हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उनसे गृह मंत्रीजी को मिलना चाहिए। वे धरना दे रही हैं। अत्याचार विरोधी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने आपको अभी अनुमति नहीं दी है। बिराजिये आप।। मैं अनुमति दे दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं यह जानना चाहती हूं कि महिलाओं ....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देवली कस्बे के आस-पास जहाजपुर तहसील है, कुवरवाड़ाकलां, ऊंचा गांव है और देवली के अधिकांश सरकारी भवन जहाजपुर तहसील सीमा में स्थित है, इसके आस-पास बड़े व्यापक तौर से पिछले 3-4 सालों में अवैध कब्जे हुए हैं। प्रशासन को बार-बार पंचायत के आग्रह करने के बाद भी वे समाप्त नहीं हुए हैं। एक तरीके से वहां इस बात को लेकर आक्रोश था। इसी बीच नगरपालिका देवली ने 1993 तक के जो ढाई सौ परिवार एस. सी./एस. टी. और अन्य गांव के गरीब लोग वहां पर थड़िया और स्टालें किराये पर लेकर नगरपालिका....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो मिनट, साहब। पूरी बात तो करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट तो बहुत होते हैं। पहले तो आप एब्सेन्ट रहें और अब ज्यादा समय लें?

श्री रतनलाल ताम्बी : किसी कारण से जाना पड़ा, बाहर मुझे बुला लिया लोगों ने। बाहर वापस जाना पड़ा था मुझे।

श्री कैलाश मेघवाल : भाषण देने के लिए बुलाया था इनको भाषण देने।

श्री रतनलाल ताम्बी : भाषण देने अब जा रहा हूं, अभी नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया जल्दी समाप्त करें। समाप्त करें, आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस बीच में दुर्भावना के कारण नगरपालिका ने चुपचाप 1993 में एक प्रस्ताव पास किया। उन लोगों को मालूम नहीं और उसके बाद पैसा लेना उनसे बन्द कर दिया जबकि स्वीकृत थड़ियां उनकी थीं। डिवाइडर के नाम पर वहां पर इस प्रकार राजनीतिक भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। कहीं तो चौड़ाई रख जा रही है, कहीं सकड़ाई काफी रखी जा रही है। एक तरीके से योजना में नहीं होने से न तो ढंग से डिवाइडर वहां बनाए जा रहे हैं और उन थड़ियों वाले गरीबों को सबको हटाने की बात हो रही है।

मंत्री महोदय से मेरी विनती है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, इस मामले को गम्भीरता से लें, पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाएं तब तक वहां लोगों को हटाने की कार्यवाही बन्द की जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती इन्दिरा जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही पहले यह निवेदन करूंगी कि भारत सरकार तो 33 प्रतिशत रिजर्वेशन न जाने कब करेगी आप कृपा करके विशेष ध्यान न दें पर साधारण ध्यान देकर....

श्री अध्यक्ष : विशेष ध्यान देते हैं पर आपको हमेशा अपनी भाषा का रेस्ट्रेन्ड करना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, साधारण ध्यान देकर के महिला सदस्यों को बोलने का समय देने की कृपा करें।

अब आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी से यह कहना चाहती हूं कि महिला अत्याचार विरोधी जो जन-आन्दोलन चल रहा आज बड़ी चौपड़ पर इतनी संस्थाओं की बहिनें बैठी हैं-जनवादी महिला समिति; प्रगतिशील महिला समिति, प्रगतिशील लेखक संघ, महिला पुनर्वास समूह राजस्थान प्रगतिशील महिला संगठन, पी. यू. सी. एल., भारत ज्ञान विज्ञान समिति; राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था समग्र सेवा संघ, नागरिक मोर्चा, जनचेतना परिषद्, इस्टा राजस्थान महिला संगठन....

श्री अध्यक्ष : अब आप सब नाम तो नहीं, लें आप अपनी बात कहें, क्या कहना चाह रही हैं ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं आपको महिलाओं की बता रही हूं। यह जो सारी औरतें इतनी बैठी हुई हैं सारे राजस्थान भर की उनकी जरा-सी समस्याएं तो सुन

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

लीजियेगा । पिछले दिनों अलवर यौन शोषण कांड, जयपुर, टोंक, गंगानगर, झुन्झुनूं के विशेष बलात्कार एवं बालिकाओं के साथ यौन हिंसा, अलवर में दलित महिलाओं कि निर्मम पिटाई, घरियावाद उदयपुर में कामकाजी महिलाओं की हत्या जैसी सनसनी खेज व दिल दहलाने वाली घटनाएं....

श्री अध्यक्ष : आप जो पढ़ रही हैं, यह क्या पढ़ रही हैं ? यह पढ़ने का नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह उनका आया मैं । मैं आपको बताना चाह रही हूं वे क्यों धरने पर बैठी है । बहिनों की जो स्थिति हैं, इन महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं जिनके लिए मैंने पहले भी आपसे कहा था वे बैठी हैं धरने पर तो मैं आग्रह करूंगी गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से कि उनके एक प्रतिनिधिमण्डल से मिलें और मिलने के बाद उनको आश्वासन दें कि इन समस्याओं के बारे में वे कुछ कार्यवाही करेंगे । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति की महिलाएं भी इसी में हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री ओम प्रकाशजी, आप पहले एब्सेन्ट हो गये थे अब वापस दिया जा रहा है । ये इस तरह से तो नहीं करें कम से कम । जीरो आवर इतना लम्बा करवा दिया ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी के 77 गांव सिंचाई विभाग ने असिंचित घोषित कर दिये । ये किये तो 3 वर्ष पूर्व थे परन्तु इनमें कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी आराम से पहुंच रहा है । केशोरायपाटन के बिलकुल पास केशव नगर है और हैड पर है उसको भी इसमें ले लिया गया है । कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है । अन्थला है वहां पहुंचता है, साथेली है । ऐसे गांव हैं जहां पानी पहुंच रहा है उनको भी ले लिया गया है । मेरा निवेदन करना यह है कि इन गांवों में पानी पहुंच रहा था, इन गांवों की नहरें ठीक की जाएं, मिट्टी जो भर गयी उसको निकाला जाए, ड्रेनेज खोदी जाएं न कि इसके बजाय उन गांवों को ही असिंचित घोषित कर दिया जाए । अगर एक व्यक्ति बीमार होता है या उसके हाथ में जख्म हो गया है तो हाथ को काटा नहीं जाता, उसको ठीक किया जाता । मेरा निवेदन करना यह है कि सिंचाई विभाग और सी. ए. डी. खास तौर से इन नहरों को और ड्रेनों को ठीक करे । नहरों को पर्याप्त रूप से पानी दे और इन गांवों को सिंचाई विभाग में वापस लें । तीन वर्ष पूर्व जब राज्यपाल शासन था उस समय इन गांवों को असिंचित घोषित कर दिया गया था । आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 77 गांवों, जिनमें 46 गांव केशोरायपाटन तहसील के हैं

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

31 गांव बूंदी तहसील के हैं को वपस सिंचित क्षेत्र माना जाए और ड्रेनों और नहरों को ठीक किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री भीम राज भाटी, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

श्याम नगर (विस्तार) जयपुर, जी ब्लाक में पानी की पाइप लाइन डालने बाबत

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्यामनगर (विस्तार) जयपुर (जी) ब्लाक में पानी की पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिक उपस्थापित करता हूं। धन्यवाद।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996

श्री अध्यक्ष : माननीय भंवरलाल जी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह निवेदन है कि कल इसको रख दें और नियमों में शिथिलता प्रदान कर दें ताकि माननीय सदस्य अपना कोई संशोधन पेश करना चाहें तो कल तक कर दें।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि इस विधेयक पर 9 जुलाई, 1996 को विचार होगा अतः माननीय सदस्य आज एक बजे के स्थान पर....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कल तक कर दीजिये, साहब। कब तो स्टेडी करेंगे और कब....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, कल तक कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कल सुबह कब तक करें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कल सुबह 9.00 बजे तक।

श्री अध्यक्ष : कल सुबह 9.00 बजे तक विधेयक पर संशोधनों की सूचना दे सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर दो। अपने तो सुझाव ही आएंगे, अच्छी बात है। आने दो, बढ़िया बात है।

वित्तीय समिति का गठन

निर्वाचन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। माननीय मुख्य सचेतक।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

जन लेखा समिति 1996-97

(1) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति 1996--97 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

प्राक्कलन 'क' समिति, 1996-97

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (क) 1996-97 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

प्राक्कलन 'ख' समिति 1996-97

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (ख) 1996-97 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

राजकीय उपक्रम समिति, 1996-97

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-ख (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1996-97

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

श्रीमती उजला जी । आय-व्ययक (बजट) पर ।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, 15 मार्च को इस सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है । इस बजट पर चर्चा चलते चलते कई दिन हो गये हैं । विपक्ष के सदस्यों ने यहां पर जिस तरह की आलोचना और बातचीत की है उनको कुछ थोड़ा-सा मैं मेरे पक्ष के माध्यम से बताना चाहूंगी । अन्त्योदय के बाद बजट का सामाजिक रूप से आम जन को लाभ मिले, इस प्रकार का सरकार का प्रयास रहा है । दशम् विधान सभा के पिछले दो बजट में से एक शिक्षा को और एक चिकित्सा को समर्पित रहा था ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रदेश भर में शिक्षा के विस्तार का इतना बड़ा कार्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । चिकित्सा के क्षेत्र में भी आम जन को 2001 तक स्वास्थ्य मिल सके इसके लिए प्रयास विशेष बजट देकर तो किया ही गया है लेकिन आज तक भी जारी है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बार काफी कुछ बजट रखा गया है । यही नहीं, यह बजट पेयजल के सम्बन्ध में और ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में लाया गया है । प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य किया जायेगा । जब हम गांवों से चुनकर आए तब हमने यह महसूस किया, जैसा हमको ग्रामीण क्षेत्र मिला था, कांग्रेस सरकार की रीति-नीति जो हमने देखी, वहां विकास की कोई गति नहीं थी । सर्व-प्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य हो सके इस हेतु काम के बदले अनाज योजना से हाथ में काम लेकर आज तक बजट का अधिकांश हिस्सा गांवों के विकास के लिए खर्च होता आ रहा है और इस बार भी विशेष रूप से प्रयास किये जाएंगे । मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि जिन क्षेत्रों में सरकार कभी नहीं पहुंची उन क्षेत्रों के विकास के लिए और प्रकाश के लिए कार्य-क्रम हाथ में लिये गये हैं । यह एक बहुत बड़ी बात है । बजट में राजस्व का घाटा उठाकर भी समाज के अधिकतम विकास के लिए कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं । यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है ।

पिछले दिनों यहां पर बजट घाटे की, और कई बातों की चर्चा की गयी । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग क्या यह चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, पेयजल और विकास के कार्य न हों ? अगर यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कार्य हाथ से लिये जायेंगे तो निश्चत रूप से कुछ घाटा तो रहेगा ही। केन्द्र सरकार के समकक्ष अगर बोनस की राशि राज्य कर्मचारियों को नहीं दी जाए तो उस आन्दोलन में भी कई लोग अगुआ होकर यहां पर बात करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी यह एक बहुत अच्छा कदम है कि समाज के उस तबके तक भी बजट पहुंचा जिसकी उपेक्षा रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहां एक पक्ष था जिस पर चर्चा की जा सकती थी लेकिन मेरे साथी माननीय सदस्यों ने नहीं की। महिलाओं को 20 प्रतिशत, खास तौर से सर्विसेज में विशेष अवसर देने की बात और पुलिस के महकमे में 10 प्रतिशत देने का जो निश्चय किया गया है, जो आरक्षण करने की बात कही गयी है, यह बहुत प्रशंसनीय बात है वरना इधर से उधर तक महिलाएं भटकती रहती हैं। पिछले दिनों में भी राज्य सरकार ने निश्चय किया था कि विधवाओं को, परित्यक्ताओं को सर्विसेज मे एक अवसर दिया जायेगा। इस पर तो कार्य जारी है लेकिन यह महिलाओं को जो विशेष सुविधा दी गयी है, एक बहुत प्रशंसनीय बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस पर माननीय चन्दनमल जी का ध्यान गया ही नहीं, देते तो अच्छा था।

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने, वित्त मंत्रीजी ने बजट में दहेज की समस्या के समाधान के लिए, दहेज का यह अभिशाप हटे और सामूहिक विवाह हों इसलिए सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 1 हजार रुपया प्रति जोड़े के लिये, 25 जोड़ों पर अपनी ओर से राशि देने की जो बात की, एक बहुत प्रशंसनीय बात है। मैं समझती हूं कि पिछले दिनों जयपुर में 25 ही नहीं, 151 जोड़ों की शादी हुई है और एक बहुत बड़ा काम हुआ ट्रेण्ड से हटकर समाज में यह जो कार्य हुआ। है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार के कदम न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे हिन्दुस्तान की सरकार के लिए दिशा निर्देशक बनेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है।

मान्यवर, जन कल्याण की इन घोषणाओं के साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर विशेष व्यवस्था रखी है, कमजोर वर्ग के लोगों के अगर एक वाल्व खराब हो जाए तो 15 हजार रुपये और दो वाल्व खराब हो जायं तो 25 हजार रुपये। इसी प्रकार गुर्दा प्रत्यारोपण में भी वह सहयोग देने की जो बात कही गयी है, एक जीवन बचाने की, परिवार बचाने की बात कही गयी है। मैं प्रशंसा करती हूं कि ऐसी बातों पर भी सरकार ने बारीकी से ध्यान रखा है कि हम किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं।

रोजगार के विशेष अवसरों के लिए उद्योगों में स्थानीय लोगों को लगाकर काम कराये जाने के सम्बन्ध में 70 प्रतिशत अकुशल और 50 प्रतिशत कुशल कर्मचारियों को लगाये जाने लिए जो उनका 50 प्रतिशत लक्ष्य है उसको पूर्ण कर दिये जाने पर पर उनकों करों में छूट देने की जो बात कही गयी है, बहुत प्रशंसनीय बात है। मैं समझती हूं, इस ओर भी प्रतिपक्ष के लोगों का ध्यान जाना चाहिए था। यह सुविधाएं उनके जमाने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में दिये जाने की बात छोड़िये, सोची ही नहीं गयी थीं। लोग दर-दर भटकें, स्त्रियां परेशान हों और बीमार आदमी भटकता फिरे। मैं समझती हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, वित्त मंत्रीजी ने जो यहां पर जीवन रक्षा के लिए प्रावधान किये हैं, यह बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

मैं और छूटों की बात करूं, उससे पहले मैं कहना चाहती हूं कि राजस्व घाटे में 825 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया था, माननीय चन्दनमल जी यहां बिराजमान हैं, मैं कहना चाहूंगी, संशोधित अनुमानों में 547 करोड़ रुपये पर यह घाटा लाया गया और 1996-97 के बजट अनुमानों में इसको और कम करके 332 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की जो स्थिति लायी गयी है, यह एक बहुत प्रशंसनीय बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अन्य मदों पर भी 523 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के कारण यह घाटा हुआ लेकिन यह घाटा जो भी, है निश्चित रूप से अपरिहार्य कारणों से है और जो अपरिहार्य कारण हैं सामाजिक उत्थान के, यह प्रशंसनीय हैं। बिना कर लगाए इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करें और इस प्रकार की सुविधा आम जन को मिले तो सोचिये कि बजट हमारे लिये आया। मैं तो अभी देख रही थी कि केन्द्रीय बजट आया भी नहीं लेकिन हरेक आदमी की जेब पर एक अच्छी डकैती पड़ गयी, हरेक महिला के घर का बजट बिगड़ गया। रसोई गैस पर 30 प्रतिशत कर बढ़ाकर, डीजल पर 15 से 30 प्रतिशत करके और पैट्रोल पर बढ़ाकर केन्द्रीय सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। आप प्रशंसा करें तो कैसे करें साझा सरकार के न्यूनतम कार्यक्रम में अगर इस प्रकार के कार्यक्रम आने लगे तो, मैं समझती हूं, बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मैं यह कहना चाहूंगी, राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार यहां पर कुशल ऋण वसूली, बेहतर संग्रहण, अल्प बचत में वृद्धि, राहत और छूटों के बावजूद भी इस स्तर पर बजट का लाया जाना एक कुशलतम प्रयास ही कह सकती हूं। मैं यह कहना चाहूंगी कि आगे आने वाले समय में और भी प्रयास जारी रहेंगे तो यह जो थोड़ा बहुत असन्तुलन है यह भी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार आम जन को राहत देने की बात जो राज्य सरकार ने की है, यह प्रशंसनीय है। गृहिणियों को शिशु आहार, सिलाई मशीनों में और अन्य चीजों में भी कमी, यह एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया गया है।

मान्यवर, मैं यह कहूंगी पेयजल के सम्बन्ध में बजट की जो विशेष स्थिति रखी गयी है, यह बहुत जरूरी थी और बहुत जरूरी है। इसके कुशलतम प्रबंधन की आवश्यकता है। हर ढाणी और हर गांव, हरेक मजरे में यह देखा जाए कि कहां पेयजल की आवश्यकता है और कहां पर इस पैसे को लगाया जाए, कहां खास बड़ी जगहों पर टंकियों की व्यवस्था की जाए या पाइप लाइन डालकर के जल का वितरण किया जाए।

(13.50)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आवश्यकता इस बात की भी है कि बनास योजना को जयपुर तक लाकर जयपुर की

(104)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए। इस प्रकार जो अत्यन्त आवश्यक कार्य है; जो हाथ में लिया गया है इसका प्रबन्ध होना चाहिये।

मैं यह निवेदन करूंगी कि हम बजट का प्रावधान कर देते हैं लेकिन बजट प्रावधानों के बाद पैसा उस विषय पर लगे, समय पर लगे, इसको देखना बहुत जरूरी है। जब तक जो पैसा लगाया गया है उसका मूल्यांकन और समय का मूल्यांकन हम नहीं करेंगे, समय तो बीतता जाता है और अगर पैसा समय पर खर्च नहीं होगा या हो सकता है अगले साल की आमदनी में जुड़ जाए, मैं कहना चाहूंगी कि कुशल प्रबन्धन में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए कि वे पैसा समय पर खर्च करें और उसका मूल्यांकन करें। अच्छे काम करने वालों की प्रशंसा की जाए और समय पर उपयोग न करने वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कुछ उचित कदम उठाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। जब तक ऐसा हम आंकलन नहीं करेंगे तो कार्य भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएंगे। पुराने समय का खाका बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारने में कुछ तो समय लगेगा।

यहां माननीय चन्दनमलजी ने 427 करोड़ रुपये की बात कही। मैं कहना चाहूंगी, मैंने सारा बजट ढूंढ लिया, बजट स्टडी ढूंढ ली, मुझे कहीं 427 करोड़ के घाटे की बात नजर नहीं आई। कुल मिलाकर 332 करोड़ की बात थी। आपने किस प्रकार से एक सौ करोड़ रुपये की राशि को आगे बढ़ा दिया, यह चिंता की बात है। कृपया अपने इस सारे अध्ययन से हमें भी बताइए कि कहां से आप ले आए और नहीं लाए तो यहां पर असत्य भाषण हेतु आपको खेद प्रकट करना चाहिये, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी।

मैं इसी बात के साथ भविष्य में भी आशा करती हुई अच्छे कुशल प्रबन्धन के लिए मेरी बात समाप्त करती हूं। मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बड़े सुन्दर आवरण में छपा हुआ बजट का प्रस्ताव हम लोगों को दिया; उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। इतने सुन्दर आवरण के साथ छपे इस बजट से राजस्थान की जनता की आशाएं निराशा में परिणत हुई हैं, केवल टाइप करके भिजवा देते तो भी हमको संतोष हो जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने से पता लगता है और बजट को देखने से ही नहीं, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं एक समारोह में घोषणा की थी कि सरकार की आर्थिक स्थिति की हालत यह है कि कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। जिस सरकार को कर्ज चुकाने के लिए

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

कर्ज लेना पड़े, उस सरकार के दिवालियापन का आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं। ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इस वर्ष इतना ऋण लिया, उससे ज्यादा चुका दिया। ठीक कहा है विद्वान कपूरचन्द जी ने-कोल्ड स्टोरेज के आलू के रूप में। तो मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि कोल्ड स्टोरेज का आलू भी यदि कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहे तो पड़े-पड़े सड़ जाता है, वही हाल आपके मंत्रिमंडल का हो रहा है और वही राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता का करना चाहती है। चौमूं से आने वाले माननीय बड़े भाई घनश्याम जी ने कहा कि नहीं। तो पिछले दिनों के आपने अखबार पढ़े होंगे, बंगाल में कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ आलू सड़ गया और बंगाल सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या इस बात की पैदा हो गयी कि इस सड़े हुए आलू का क्या करें। इसको यदि बाहर निकलवा कर फेंकते हैं तो बीमारियां फैलेंगी। कहीं ऐसा नहीं हो, राजस्थान की गली-सड़ी सरकार के ये आलू निकाल भी दिये गये तो यह राजस्थान की जनता को तबाह कर दें।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : यह तो सच्चाई नहीं हुई। इसमें विद्युत सप्लाई रुक गयी थी, इस कारण से हुआ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : यह झलक इस बजट में मिलती है। राजस्थान के आर्थिक भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बजट भाषण है क्या ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सुनिए, सुन लीजिए। बार-बार घोषणाएं की गयीं योजनाओं का आकार बढ़ाने के लिए। बड़ी तारीफ की गयी, अखबारों में छपवाया गया, योजनाओं का आकार बढ़ा है। आकार तो बढ़ा दिया लेकिन एक सवाल राजस्थान की जनता पूछना चाहती है, उस बढ़े हुए आकार में राजस्थान की स्वयं की पूंजी क्या है ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अपने स्रोतों को कितना बढ़ाया आपने, यह बहुत बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है।

आपने बहुत सी पालिसी दीं। आपने औद्योगिक पालिसी की घोषणा की, आपने खनिज पालिसी की भी घोषणा की, आपने पर्यटन पालिसी की भी घोषणा की आपने शिक्षा की नीति की भी घोषणा की सड़क की भी की, मुझे याद नहीं आए तो आदरणीय घनश्यामजी बताते रहें, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश की जनता का मुख्य आर्थिक स्रोत, रोजी-रोटी कृषि पर आधारित है, राजस्थान की सरकार गत तीन वर्षों से बार-बार घोषणा करने के बावजूद भी आज तक कोई कृषि नीति राजस्थान की जनता को क्यों नहीं दे पाई ? शिक्षा की नीति की चर्चा करते हैं। कौनसी शिक्षा नीति आपने दी ? किस प्रकार की

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

शिक्षा नीति देना चाहते हैं ? आपने घोषणाएं तो कीं लेकिन शिक्षा नीति जो सरकार घोषित करे वेलफेयर स्टेट अपने आपको घोषित करे, उस शिक्षा के लिए शिक्षा के केन्द्रों की बिक्री करना चाहती है। दो साल का पैसा लाओ, तीन साल का पैसा लाओ, मकान तुम बनाओ। उसके बावजूद भी दानदाताओं ने पैसा देने की होड़ लगाई, वह भी आप स्वीकार नहीं कर पाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई नीति आपकी सफल नहीं हो पा रही है।

राजकीय उपक्रमों की जो स्थिति है, जो घाटा राजस्थान की जनता को बरदाश्त करना पड़ रहा है उसका जवाब राजस्थान की जनता इस सरकार से चाहती है। किस प्रकार से घाटा होता है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। आपने एग्रो इण्डस्ट्रीज में घाटा महसूस किया लेकिन इसके पीछे क्या कारण थे ? एग्रो इण्डस्ट्रीज का काम सीड कारपोरेशन ने शुरू कर दिया और एग्रो इण्डस्ट्रीज घाटे में चला गया। फिर सीड कारपोरेशन घाटे में आ गया। आपने उसकी लायबिलिटी अपने माथे ले ली। आपने तिलम् संघ बनाया। किस बात के लिए बनाया ? आज कौन जिम्मेदार है जो राजस्थान की जनता को तिलम् संघ के माध्यम से लूटा गया इसका ? क्या आपने उसकी जांच की ? अनुत्तरित सवाल पड़े हैं। राजस्थान के बहुत ही मशहूर, इंटेलीजेंट, सरकार के बहुत प्रिय, ज्ञानी, प्रबुद्ध अधिकारी को सहकारिता का सचिव बनाया गया। उन्होंने नई नीति की घोषणा की कि तिलम् संघ के माध्यम से राजस्थान के अन्दर कायापलट कर देंगे। अफसरों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए, डकैती करने के लिए, राजस्थान की जनता को लूटने के लिए यदि इस प्रकार के कारपोरेशन आप बनाएंगे तो इसका अंजाम क्या होगा, यह फैसला करने के लिए सदन को बाध्य होना पड़ेगा। राजस्थान की जनता के पैसे को राजस्थान के नौकरशाहों को लूटने के लिए छूट मत दीजिए।

उप मुख्य मंत्री महोदय, आज एक आम वातावरण बना हुआ है जब मर्जी चाहे अधिकारी लोग विदेश यात्राओं पर जाते हैं। आज तक कितने आई. ए. एस. अफसरों को आपने विदेश यात्रा पर राजस्थान की जनता के पसीने की कमाई पर भिजवाया ? बिजली के मामले में भी आई. ए. एस. जायेगा, कृषि के मामले में भी प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे। आप टैक्निकल लोगों को भेजिए।

(14.00)

इंजीनियरों को भेजिए। बिजली दिखाइए, खेती दिखाइए, राजस्थान का भला कीजिए लेकिन अर्थ कितना निकलता है ? भेड़-ऊन विभाग में काम करने वाले डायरेक्टर, आई. ए. एस. अधिकारी यदि बाहर जाएंगे तो वापस आने के बाद उनको बिजली विभाग में लगा दिया जाएगा। बिजली विभाग में काम करने वाला आई. ए. एस. अधिकारी यदि बाहर जाएगा तो वापिस आने के बाद उसे आर्थिक एवं

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

सांख्यिकी विभाग में लगा दिया जाएगा। आखिर आपकी यह कौनसी नीति है? अगर जाए तो किसलिए? राजस्थान की जनता की खून-पसीने की कमाई को खर्च करने के लिए जो लोग जाते हैं वे बाहर जाकर क्या करते हैं?

पिछले दिनों राजस्थान के मुख्य सचिव गये, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष गये, ऊर्जा सचिव गये। भारत सरकार के उच्चाधिकारी बनकर गये, लेकिन वे क्या करके आए, क्यों गये, कहां ठहरे, कितना खर्च हुआ, इन अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब आपको राजस्थान की जनता को देना होगा। आपको जानकारी दे दूं, मुझे जैसा पता लगा है, पिछले दिनों मुख्य सचिव के नेतृत्व में टीम गई थी। कहां गये, किसलिए गए? क्षमा करें, मुख्य सचिव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वर्ल्ड बैंक में उनको नौकरी का आफर मिला हुआ है, उस आफर का टाइम खतम होने जा रहा है। यहां उनकी नौकरी का टाइम थोड़े दिन का बच गया है; उस आफर की तारीख को बढ़वाने के लिए राजस्थान का चीफ-सैक्रेटरी यदि जाता है और राजस्थान की जनता का पैसा खर्च करके आता है, तो राजस्थान की जनता यह कतई बरदाश्त नहीं करेगी। उन अधिकारियों की आवभगत किसने की? बिजली बोर्ड के चेयरमैन गये, ऊर्जा सचिव गये, कहां ठहरे, किसनें सेवा की, किसने पलक-पावड़े बिछाए? जोधपुर में जिस शरद टांक को बिजली का पावर हाउस लगाने का कारखाना दिया जाने वाला है, वह व्यक्ति उनकी सेवा करता है। वहां उनको ऐशो आराम कराए जाते हैं और राजस्थान की जनता से बिल भरवाए जाते हैं। किसका खर्चा किया जाता है? आखिर इन+ + + को राजस्थान की जनता कब तक बरदाश्त करेगी? इन सवालों पर आपको सोचना पड़ेगा।

कृषि के लिए अधिकारी इजरायल गये, कृषि मंत्रीजी गये, दूसरे विद्वान भी गये होंगे, आखिर नतीजा क्या निकला? केवल इतना ही नतीजा निकला कि राजस्थान की जनता पर खर्चे का भार बढ़ गया और आपकी वाह-वाही लूटी कि वहां की सरकार ने बुलाया है, जानकारी देंगे। क्या जानकारी लेकर आए? अगर कुछ जानकारी लाए तो राजस्थान की जनता को उस जानकारी का क्या लाभ मिला? उपाध्यक्ष महोदय, कंसलटेंसी सेवा देनी पड़ गयी, लाखों रुपये देने पड़ गये, लेकिन उससे राजस्थान की जनता को कितना लाभ हुआ, यह बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं, अच्छी वर्षा हुई है, अच्छा उत्पादन हुआ है। उत्पादन के आंकड़े पेश किये जाते है,

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

और कृषि विभाग कहता है रिकार्ड उत्पादन हुआ है । हर साल का रिकोर्ड देखिए, वाह-वाही लूटी जाती है। दूसरी तरफ फ्लड राहत विभाग कहता है, अच्छी वर्षा हो गई, कृषि विभाग कहता है, अच्छा उत्पादन हो गया। बाढ़ विभाग कहता है, अच्छी बरसात हुई है जिसकी वजह से तबाही हुई है, तो फिर दूसरी तरफ राहत विभाग अपना काम शुरू करता है। डेढ़ सौ करोड़ रुपये कलक्टर्स को राहत के काम के लिए दिये जाते हैं।

हमने दो क्रोप तो सुनी थी, रबी की और खरीफ की। एक तीसरी क्रोप भी राजस्थान में वर्षों से चल रही है। मैं इस क्रोप की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अकाल राहत के नाम पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने वर्षों से लूट का रिवाज बना रखा है। इसको रोकने के लिए आपको कोई न कोई स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हर बार अकाल पड़ता है, हर बार सड़कों पर मिट्टी डलवाते हैं, हर बार मजदूरों का आंकड़ा पेश किया जाता है, लेकिन कब तक यह सिलसिला चलेगा, कब तक यह थर्ड क्रोप जारी रहेगी। इन सवालों पर जब तक सरकार गम्भीरता से नहीं सोचेगी, तब तक लूट बन्द नहीं होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा। जिस प्रकार से राजस्थान की जनता की सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का सरकार ने निर्णय लिया है उसको मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्या स्थिति पैदा हुई है। इस बजट में वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा कहा गया है, "देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित मंदिरों के सर्वांगीण विकास हेतु अगले वर्ष में एक करोड़ रुपये का व्यय किया, जाएगा"। किस प्रकार से आप मंदिरों का विकास करना चाहते हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें बहुत बड़े घोटाले का अंदेशा है। 50 लाख रुपये के घोटाले की आम चर्चा वाला यह उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जयपुर शहर में, जयपुर शहर में भी विधान सभा के पास, मुख्य शहर के बीच में, जलेबी चौक में, सिटी पैलेस में एक बृजनिधि जी का मंदिर है। उस मंदिर में 5 हजार स्क्वायर फुट की जगह हैं, 4 मंजिल का मन्दिर है। राजस्थान सरकार उसको इस्कॉन को देना चाहती है। प्रस्ताव पास हो गया है, तय कर लिया गया है, कैबिनेट में पास होने वाला है। इस्कॉन कौनसी संस्थान है? उपाध्यक्ष महोदय, इस्कोन वह संस्थान है जो "हरे-रामा, हरे-कृष्णा" के नाम पर मन्दिरों में सेवा-पूजा का काम दिखाना चाहती है।

राजस्थान में भी सी. आई. ए. का अड्डा बनाने का षड़यंत्र शुरू किया गया है। चार लाइन इंटेलीजेंस की, मेरी नहीं हैं, राजस्थान इंटेलीजेंस के आईजी. ने कैबिनेट को लिखकर भेजी हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, चका-चौंध वाली लाइनें हैं ये। इसमें इस्कॉन के

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

लिए लिखा है-"इस संस्था की अमेरिका शाखा से सम्बन्धित 3 व्यक्तियों को अप्रैल, 1995 में राजस्थान के ग्राम पुलधारा, जिला जैसलमेर में मेटल-डिटेक्टर, वाकी-टाकी के साथ गुप्त खुदाई करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पुराने मुगलकालीन सौ चांदी के सिक्के बरामद किये गये। पुलिस द्वारा इंडियन ट्रेजर ट्राव एक्ट के अन्तर्गत केस दर्ज किया गया।" वे अंग्रेज गिरफ्तार होने के बाद में अमेरिका चले गये। उस संस्था को, उस संस्था से सम्बन्धित लोगों को राजस्थान के जयपुर में और जयपुर के अन्दर महत्वपूर्ण स्थान पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पुजारी और राममंदिर की भक्त, रामजी की पूजा करने वाली यह सरकार सी. आई. ए. का अड्डा बनाने के लिए देना चाहती है, यह राजस्थान की जनता बरदाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसका विरोध भी किया था। खोल के हनुमानजी का मन्दिर दिखाया कि शहर के बीच में नहीं करने देंगे, नहीं चली। देवस्थान मंत्रीजी अड़े हुए हैं कि मन्दिर इस्कॉन को दो। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से मन्दिर बेचने की कार्यवाही 50 लाख रुपये का सौदा करके कम से कम भारतीय जनता पार्टी चाहे करने का षड्यन्त्र करे, कांग्रेस इसको किसी भी सूरत में करने नहीं देगी। राजस्थान की जनता के साथ इस प्रकार का धोखा हम लोग बरदाश्त नहीं कर सकते।

राजस्थान में किस प्रकार की लूट मची हुई है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने लाटरी का प्रस्तुत करना चाहता हूं। बार-बार घोषणाएं की गईं, पिछले सदन में भी घोषणा की गई कि लाटरी बन्द कर दी जाएगी। क्या लाटरी बन्द कर दी गयी? कितनी आय इससे होती है? चौंकाने वाले तथ्य हैं। किसी को लाटरी विभाग का पता नहीं, क्या होगा। मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी कि लाटरी बन्द करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में अंशुमन सिंहजी ने "महेश झालानी बनाम सरकार" के मुकदमे में फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विकास की आड़ में अनैतिक कार्य नहीं होने चाहिए। इसके बावजूद लाटरी का धन्धा चालू है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यन्त्र है। कारण क्या हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लाटरी की जो टिकटें उधार में दी जाती हैं, जो वितरण किया जाता है उसके हिन्दुस्तान में 10 कार्यालय खुले हुए हैं। आलीशान होटलों में इनके दफ्तर हैं। ऐशगाह बनी हुई हैं। दिल्ली में इम्पीरियल' जैसी होटल है, अहमदाबाद में 'रूक्मणी' जैसी होटल है। इन कार्यालयों में एक गू डी. सी. ग्रेड का आदमी इंचार्ज होता है। लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। सरकार को कोई कुछ बताता नहीं और जो हालत हैं, आप

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में सरकारी कर्मचारी, यू. डी. सी. स्तर के लोग, इनका करोड़ों रुपया हजम कर गये और राजस्थान की सरकार बरदाश्त करती जा रही है मैं करोड़ों रुपये कह रहा हूं। के. एल. भास्करन नाम का, यू. डी. सी. ग्रेड का एक आदमी, जो चार साल से लापता है, दो करोड़ की टिकटें पता नहीं कहां लेकर भागा है। राजस्थान की सरकार उससे आज तक वसूल नहीं कर पाई। घनुमल पंजाबी, मोहनलाल गर्ग, ऐसे पता नहीं, कितने कर्मचारी हैं जो कई करोड़ों रुपयों की टिकटें लेकर लापता हो गये। आज तक टिकट के लिए कोई रिकवरी नहीं, एफ. आई. आर. दर्ज नहीं, राजस्थान सरकार वसूल कर नहीं सकती और लाटरी बन्द करने की घोषणा करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षडयन्त्र है, आप इसे बन्द कर नहीं सकते। इसके पीछे बहुत बड़ी डकैती चल रही है। इसको बन्द करना आवश्यक है।

किस बात का बजट आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस प्रकार आप राजस्थान की जनता पर आर्थिक व्यय भार बढ़ाना चाहते हैं कौनसी शिक्षा राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं ये अनुत्तरित प्रश्न हैं। चाहे आप बहुमत के बहाव में हमको दबा कर हमारी जबान रूका दें लेकिन राजस्थान की जनता और आने वाले इतिहास के पन्ने इस बात को बरदाश्त नहीं करेंगे। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से हमेशा-हमेशा के लिये पूछें जाएंगे। आज लाटरी की जो स्थिति है, आप ताज्जुब करेंगे कि नकली ड्रा निकले हैं। ड्रा निकल गये, उसके बाद नकली टिकटें मिली हैं। टिकट एक ड्रा पर निकली है, लेने वाले कई लोग आ गये। कई तरह की टिकटें छपी हैं। आज तक इन्क्वायरी हुई ? बिना बिकी हुई टिकटों को रिकार्ड में लाया जाता है, सूचना दी जाती है हैड ऑफिस को कि इतने करोड़ की टिकट नहीं बिकीं। लेकिन सूचना कब आती है, जब लाटरी निकल जाती है। ड्रा निकल जाता है उसके बाद सूचना आती है। जो बची हुई टिकटों में ड्रा निकल गया, उसकी सूचना नहीं आएगी। करोड़ों की हेरा-फेरी रेगुलर चल रही है, जिसकी आड़ में राजस्थान की सरकार घोषणाओं के बावजूद लाटरी बन्द नहीं करना चाहती। यह कब तक चलने वाला है इसका फैसला सरकार को करना चाहिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस हालत को राजस्थान की जनता आज बरदाश्त कर रही है, इन कारनामों में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा शराब के घोटाले का कांड राजस्थान में हुआ। मध्य प्रदेश से केडिया ग्रुप की शराब आई। दो नम्बर में आई। रिकार्ड पर नहीं आई। छापा पड़ा, कुछ अधिकारियों ने तत्परता दिखाई। छापा पटका। छापा पड़ा, छापा पड़ने के बाद मामला खुला, कई करोड़ों की अवैध रूप से शराब आ रही थी। इंडियन मेड फौरेन लिखकर के ऊपर 15 परसेंट का टैक्स है, उसकी चोरी हो रही थी। राजस्थान के रिकार्ड में चढ़ नहीं

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

रहा था। ऊपर की ऊपर बेची जा रही थी। कई करोड़ों का जब घोटाला पकड़ा गया तो राजस्थान से कुछ ईमानदार ऑफिसरों को भोपाल भेजा गया। मध्य प्रदेश से आ रही थी, जबलपुर से आ रही थी। राजस्थान की सरकार के अधिकारियों को मध्य प्रदेश में न फैक्ट्री ने कुछ बताया और न वहां की सरकार ने बताया कि कितनी शराब गई है, कितनी शराब के कार्टून निकले हैं। कितनी शराब अवैध रूप से बिक गई है इसका आज तक पता नहीं लग पाया। मुकदमे बने छोटे कानून के दायरे में, लेकिन उन मुकदमों की आड़ में कितनी बड़ी स्मगलिंग हुई है? इसकी मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दूं तो ताज्जुब होगा। मुकदमे बनें, रातों-रात छापे पड़ें। अधिकारियों ने सतर्कता बरती। उदाहरण के लिए गंगानगर के अधिकारियों को डूंगरपुर भेज दिया, अजमेर के अधिकारियों को चित्तौड़गढ़ भेज दिया, उदयपुर के अधिकारियों को जोधपुर भेज दिया। छापा पड़ा, पकड़े गये। अब उसके बाद रातों-रात उच्च स्तर से सूचनाएं पहुंची, छोड़ो, केडिया बहुत बड़ी ताकत हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोक सभा का चुनाव लड़ना था। जनवरी में घटना घटी है। बड़ी रकम केडिया से ली गई। मामलों को दबाया गया और करोड़ों का घोटाला कुछ मुकदमों के अन्दर थोड़ा-बहुत खानापूर्ति कर, चालान करके स्वाहा कर दिया गया। किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था आप देना चाहते हैं, यह सवाल मैं करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि कई बार समाचार पत्रों में घोषणाएं हुईं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में विधान सभा के चुनाव के मौके पर घोषणा की गई कि राजस्थान में नगरपालिकाओं में चुंगी माफ कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं; उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि आपने घोषणा की थी; चुंगी माफ करिए। दबाव पड़ा, फिर भी सरकार नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश-अध्यक्ष रामदासजी अग्रवाल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दिया कम से कम, इतिश्री की कि भारतीय जनता पार्टी चुंगी समाप्त करना चाहती है। फिर क्या हुआ? आज तक चुंगी क्यों नहीं माफ हुई? आज स्थिति क्या है? जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो जेल के अन्दर ट्रान्सपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों को वर्तमान मुख्य मंत्री जी और हमारे मित्र वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रीजी भूख हड़ताल तुड़वाने गये। आश्वासन दिया कि चुंगी माफ कर देंगे, हमारी सरकार आ गई तो। तीन साल पहले आश्वासन दिया, लेकिन आज तक चुंगी माफ नहीं हुई। आप ताज्जुब करेंगे, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, 29 मई, 1993 को घोषणा की गई थी कि प्रदेश में 15 अगस्त से चुंगी

(112)

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

समाप्ति का फैसला कर लिया जायेगा। आज तक वह फैसला नहीं हो पाया। फिर 30 सितम्बर, 1993, को अखबारों में छपा कि राज्य में ट्रक यूनियन की हड़ताल समाप्त कराने के लिए पूर्व मुख्य मंत्री ने ट्रक यूनियन के नेताओं को राज्य में भाजपा सरकार बनते ही तुरन्त चुंगी समाप्त करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने केन्द्रीय कारागार में घोषणा करते हुए ट्रक आपरेटर यूनियन के नेताओं से कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही तुरन्त प्रभाव से चुंगी समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के समय चुंगी हटाने का नीतिगत निर्णय तो ले लिया गया और अगर एक हफ्ता भी सरकार और रहती तो चुंगी समाप्त कर दी जाता, किन्तु चुंगी समाप्ति के अन्तिम चरणों में राजस्थान के राज्यपाल ने हमारी सरकार भंग कर दी। अब तो बना ली आपने सरकार। तीन वर्ष से भोग रहे हो। राजस्थान की जनता तीन वर्ष से आपको बरदाश्त कर रही है। अगर थोड़ा बहुत भी ज़मीर है तो अभी आप निर्णय ले लीजिए, अभी कुछ कर दीजिए। मुझे खुशी होती और विपक्ष में होते हुए भी मैं इस बजट भाषण पर राजस्थान की सरकार को धन्यवाद अर्पित करता कि आपने कम से कम कहा हुआ तो पूरा किया, चुनाव घोषणा पत्र में दिया हुआ वायदा तो जनता को धोखा नहीं देकर पूरा किया। वह भी आप नहीं कर पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों के भारी दबाव के कारण 26 मार्च, 1995 को चुंगी वसूली की ठेका व्यवस्था रद्द करने का निर्णय लिया गया था, पार्टी मीटिंग में, बी जे. पी. द्वारा। वह व्यवस्था आज तक बरकरार है। 21 मार्च, 1995 को राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री रामदासजी अग्रवाल ने स्टेटमेंट दिया था और फिर कहा था कि राजस्थान ने फिलहाल चुंगी नहीं हटायी जाएगी। आखिर यह कौनसी नीति है ? आखिर कहां आप चलना चाहते हैं ? उसके बाद आप आगे चलिये। उसके बाद जब इनके ऊपर पार्टी का प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने घोषणा कर डाली कि अब हम चुंगी के मामलों में स्वायत्तशासी संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हस्तक्षेप मत करिए, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करके राजस्थान की निहत्थी जनता को शराब माफिया ठेकेदारों के गिरोह को चुंगी का ठेका देकर चुंगी के नाम पर शहरों में लूटने की इजाजत देने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया।

आज स्थिति क्या है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों चुंगी के ठेके हुए। इनकी नीति थी, इन्होंने घोषणा के बाद भी बरकरार नहीं रखी और बदल गये। खैर, अब चुंगी के ठेकों का आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि क्यों नहीं बन्द करना चाहते हैं। इसके पीछे भी एक माफिया काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भरण-पोषण और नीचे से ऊपर तक जो व्यवस्था चल रही है, जो गंगा वह रही है, उसका उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। नगरपालिका

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

दौसा का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। 1994 में एक करोड़ इक्कीस लाख का चुंगी का ठेका हुआ था। एक साल ठेका चला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्थक, इनके चेले, बी. जे. पी. लोगों की वहां म्यूनिसिपैलिटी, एक साल ठेका चला, उसके पश्चात् दूसरे साल का ठेका होता है। यदि ठेका एक साल में निरस्त होता है तो कोई बात नहीं है। दूसरे साल यदि ठेका दिया जाता है तो 15 परसेंट बढ़ा कर देना चाहिये। एक करोड़ इक्कीस लाख का 15 परसेंट यदि जोड़कर देते तो समझ में आता। इन्होंने रिजर्व प्राइस भी नहीं रखी। उसी ठेकेदार को बुलाया। उसके भाई-भतीजों के नाम से दूसरे ठेके का एग्रीमेंट कर लिया और म्यूनिसिपैलिटी को चालीस लाख का घाटा हुआ। यह चालीस लाख किस-किस में बंटा ? इस चालीस लाख के भागीदार कौन-कौन हुए ? किसका संरक्षण प्राप्त है ?

इसी प्रकार का उदाहरण संगरिया का है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका है, जिसके अध्यक्ष कहते हैं कि हम चुंगी में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए इसको समाप्त करेंगे। विधान सभा चुनावों के वक्त भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह घोषणा करते हैं कि हम चुंगी को समाप्त करेंगे। उसी नगरपालिका, जिसको आपने स्वायत्ता दे दी, स्वायत्ता का नमूना पेश कर रहा हूं। सांगरिया में पहला ठेका 1994 में 90 लाख का, ठीक है। दो साल के लिये ठेका होना चाहिये था। 15 परसेंट जोड़कर दूसरे को दिया जा सकता था, यदि वह ठेका अगली साल दूसरे को होता। दुबारा 70 लाख में दे दिया, उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं ठेकेदारों को, उसी गिरोह को, नाम बदल कर। 90 लाख और यह 70 लाख के बीच में 20 लाख की रकम के भागीदार कौन कौन बनें ? इस बात की जांच, इस बात के फैसले के लिए मैं स्वायत्तशासी संस्थाओं को छूट देने वाले, चुंगी के मामलों में छूट देने वाले सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं।

आपने स्वायत्ता दी तो इस इस स्वायत्ता में करणपुर पीछे क्यों रह सकता था, क्योंकि वहां भी आपकी नगरपालिका है। पहला ठेका हुआ 51 लाख का, कोई बात नहीं। 1994 में 15 परसेंट जोड़कर देते तो ठीक था, लेकिन परसेंट कम करके दिया है। इसमें कौन-कौन भागीदार रहे ? इस प्रकार की स्वायत्ता यदि आप देना चाहते हैं और राजस्थान की जनता को यदि आप लूटने का अधिकार गिरोहों को देना चाहते हैं तो किस प्रकार का बजट पेश करके कौनसी वित्तीय स्थिति का आप दिशा निर्देश हमको देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट छपा कर इन्होंने दिया है, इसके कुछ नमूने आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इन्होंने आइटम नम्बर चार पर कहा है केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का भी अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा।" आपने बड़ा सुन्दर प्रयास किया है। क्या प्रयास किया

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

है। इसकी एक बानगी देखिये, उपाध्यक्ष महोदय। इनको 1,132 करोड़ रुपया सालना खर्च करना था। नौ महीने में 600 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया। 50 प्रतिशत राशि खर्च करने के बाद सदन से ये शाबासी चाहते हैं कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की धनराशि का इन्होंने उपयोग किया है। यदि यही आपकी गति रही तो फिर क्यों केन्द्र से पैसा लाते हो, क्यों पैसा लैप्स कराने की स्थितियां बनाते हो? जो पैसा खर्च नहीं कर पाएँ। उसको अब बचे हुए समय में खर्च करना चाहते हैं। डी. आर. डी. ए. को हुक्म मिलेगा, फर्नीचर खरीदा जायेगा, स्टेशनरी खरीदी जाएगी, गाड़ियां खरीदी जायेंगी, पैसे को पूरा खर्च करके वाहवाही लूटी जाऐगी। बीस सूत्री कार्यक्रम में अव्वल रहे, इस बात की घोषणा की जायेगी। आप ही बजट में आपने कहा हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को पौन-पौन घण्टे का टाइम दिया है आपने, मैं कांग्रेस की तरफ से समय ले रहा हूं बी. जे. पी. का समय नहीं ले रहा हूं। आपको मेरी बात कड़वी लग रही है तो मुझे क्षमा करना।

श्री उपाध्यक्ष : आप के दल का समय करीब-करीब....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपको मेरी बात कड़वी लग रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कड़वी नहीं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : कटु सत्य तो सुनने के लिये बाध्य सरकार को करना चाहिए। कुछ समय और लूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आसन को कड़वी नहीं लगती, आसन को मीठी लगती हैं सब बातें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मीठी लगती हैं। अच्छा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : चलिए, धन्यवाद।

श्री चन्दनमल बैद : आपको तो लग रही है, मुझे मालूम है। और किसी को लगे न लगे आप को तो लग ही रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह अभी पता लग जाएगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपके इस बजट में आइटम नम्बर 8 पर बड़ा सुन्दर छपा है, राज्य की नौवी योजना लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की होने की सम्भावना है। परियोजनाओं के आधार पर कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये की बाह्य सहायता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होगा। कल मैंने इसको पढ़ा और दुर्भाग्य सरकार के इससे सम्बन्धित एक अधिकारी को मैंने टेलीफोन किया। मैंने कहा, मेरे यह समझ में नहीं आया, कृपया हमको इतना बता दें कि बजट के अन्दर जो प्रोविजन रखें हैं वे कहां से आयेंगे? यह

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

पांच हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कहां से होगी ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको जान कर आश्चर्य होगा, वह अधिकारी बहुत बड़े अधिकारी जो इससे सम्बन्धित थे, मुझे कहते हैं कि अभी तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमने नहीं कहा था, जिन्होंने छपाया है उनसे आप पूछिए, हम इस पर प्रयास करेंगे जब छप ही गया है । क्या इस प्रकार का बजट पेश करना है ?

आपने इसमें लिखा है आइटम नम्बर 10 पर, भाग पांच पर, "राजकीय सम्पत्तियों का समुचित संधारण तथा उपयोग होगा ।" आपने बड़ा सुन्दर आश्वासन हमको दिया है, लेकिन 49 वर्षों में कितने बांध बनाए कांग्रेस सरकार के जमाने में, कितने भवन बनें, कितनी मशीनें बनीं, कितनी पाइप लाइन, कितने फिल्टर हाउस, कितने पावर हाउस बने, आपने अपने बजट में, अपनी योजनाओं में अपनी क्रियान्विति में, अपने पदचिन्हों में उनके रख-रखाव पर क्या व्यवस्था की ? जहां देखते हैं, जहां जाते है, एक ही जवाब मिलता है, बना था उस जमाने में । आज हमारे हर बार आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं, हमारे यहां जो बांध बने उनकी नहरें नहीं बनीं, जो सड़कें बनीं उनकी मरम्मत नहीं हुई, जो बिजली के कारखाने लगे वे बंद हो जाते हैं, जो फिल्टर हाउस बने, चलते नहीं हैं, पाइप लाइन जो कांग्रेस के जमाने में बनी थीं वे एक इंच आगे बढ़ी नहीं है । आखिर किसका रख-रखाव आप करना चाहते हैं, कौनसी योजनाएं आप--रखरखाव की हमको देना चाहते हैं ? इन सवालों का जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि किस प्रकार का हम से सहयोग चाहते हैं किस प्रकार का बजट आप राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं ?

आपने बड़ी वाहवाही लूटी बिजली के मामले में । इसमें आपने कहा, "मथानिया में बनने वाले । 35 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र काफी प्रगति कर चुका है ।" कौनसी प्रगति कर चुका है ? माननीय नरेन्द्र सिंह जी, आदरणीय विधायक वहां से आते हैं, इनको पूछिए, क्या प्रगति रही । 9 दिन चले ढाई कोस....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ईंट नहीं लगी है वहां पर । यह प्रगति हुई है ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : इतनी प्रगति जरूर हुई है । लोगों को कहा, सौर ऊर्जा आएगी । लोग सूर्य की तरफ देखते हैं, पता नहीं राजस्थान की भाजपा सरकार कौनसी ऊर्जा ऊपर से टपकाएगी, हमारा कल्याण होगा, हमको भी बिजली मिलेगी । किस प्रकार की योजनाएं आप इस बजट में देना चाहते हैं ?

आपने वाहवाही लूटी 25 हजार कनेक्शंस की । भगवान के लिए राजस्थान के गरीब किसान को आप आश्वासनों के आडम्बर में मत लपेटिए । घोषणाएं

(116)

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

करने में सरकार माहिर है, हम इस बात को स्वीकार करते है। हम तो आप का नमूना जानते हैं कि आप घोषणाओं के कारीगर हैं, घोषणाओं के शेर हैं, लेकिन घोषणा मात्र से हम तो भयभीत नहीं हैं, हमारी मति भ्रमित नहीं होती, लेकिन जिस गरीब किसान के पास पहुंचती हैं. आपकी की हुई घोषणाएं अखबारों में छपती हैं तो वह राजी होता है, खुश होता है, 25 हजार कनेक्शंस होंगे, 10 साल से मेरा कनेक्शन बाकी है अब तो शायद मेरे कुएं पर रोशनी टिमटिमाएगी, मेरे पम्प से पानी निकलेगा। लेकिन जब वह जाकर जे ईएन.- ए.ईएन. से पूछता है तो कहते हैं, बता क्या लाया है जेब में, तब तेरे को प्रायोरिटी नम्बर बताऊंगा। उसके बाद रेगूलर कनेक्शन नहीं होगा, नर्सरी में लेना पड़ेगा। डिमाण्ड नोटिस अगर ऑर्डिनरी का निकल गया तो भी यदि नर्सरी का पैसा जमा नहीं कराएंगे, कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। वह बेचारा वकीलों के चक्कर खाता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाता है, हाई कोर्ट उसको स्टे देता है तब राजस्थान की सरकार के नमूनों की कालिख खुलती है। क्यों घोषणाएं करते हो ? आप घोषणा करिए भले ही बजट में कि हम 2000 कनेक्शन दे देंगे लेकिन साधारण कनेक्शन देंगे, बिना नर्सरी के कोटे के कनेक्शन देंगे।

आपने बड़ी घोषणाएं की। पिछले दिनों राजस्थान भर के भूतपूर्व सैनिकों का एक सम्मेलन करवाया। राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन किसी भी राजनीतिक दल का हो वह भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन होता है, सब उसका सम्मान करते हैं। हमारे क्षेत्रों के लोग भी जब आपके सम्मेलन से आये तो हमारे घरों में मिलने गए और हमसे कहा, बड़ी घोषणाएं की हैं हमारा कल्याण हो गया। आज वही भूतपूर्व सैनिक हमसे कहता है भगवान के लिए उन घोषणाओं को तो छोड़ो, राजस्थान की सरकार को, विद्युत मंत्री को, विद्युत बोर्ड को कहो किसानों को जो कनेक्शन का कोटा देते थे वह तो बरकरार करने की कृपा करो। केवल घोषणाओं के आधार पर जब आप बजट की तारीफ कराना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि राजस्थान के दूसरे दलों के विधायक और राजस्थान की जनता आपके इस भंवरजाल को नहीं समझ पाएंगे और केवल आपके बताए हुए बजट पर तालियां थपथपा कर उसका स्वागत करेंगे यह कितना सम्भव है' कितना उचित है यह फैसला आप स्वयं कर लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय' मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसी बजट में इन्दिरा आवास के नाम पर गरीबी की रेखा से नीचे 50 हजार परिवारों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है। बड़ा अच्छा किया आपने, लेकिन आपने उपलब्धि कितनी हासिल की है ? हिन्दुस्तान के पैमाने पर दूसरे स्टेट्स को देखें तो आपका नम्बर कौनसा है ? इंदिरा आवास की स्वीकृतियों में और स्वीकृतियों के बाद बन जाने के बाद उनकी पेमेंट में कितना भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक होता

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

है, कितनी लूट आपके कर्मचारियों ने मचा रखी है और वह भी उस गरीब के साथ जिसका अंत्योदय करने की कल्पना आपने की थी ? अंतिम छोर पर बैठे हुए उस गांव के गरीब का उत्थान करने की आपने कल्पना की थी, उसको इंदिरा आवास के नाम पर एक झांकी दिखा कर, एक तस्वीर दिखा कर, शीशे में चमचमाती तस्वीर दिखा कर लूटने के लिये डी. आर. डी. ए. को सौंप दिया, लूटने के लिये पंचायत समितियों को सौंप दिया, बिल के नाम पर एकाउंटेंट और जे. ईएन. को लूटने का अधिकार दे दिया। क्या इस प्रकार की इंदिरा आवास योजना के भरोसे आप इस प्रदेश का कायाकल्प और कल्याण करना चाहते हैं ?

पेयजल समस्याओं के बारे में आपने घोषणा की और मुझे खुशी है, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में कहा कि पेयजल पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। उससे पहले पिछले दिनों एक अखबार में समाचार पढ़ा था कि यह वर्ष राजस्थान में पेयजल को समर्पित होगा। मैं आपका को ध्यान दिलाये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि आपने कृपा की, राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने की, लेकिन इतना तो हमको बता दीजिए कि प्यासे राजस्थान को स्वप्न दिखाते वक्त आपने अपने घर की पूंजी से क्या दिया ? राजीव गांधी मिशन, दिल्ली पैसे दे रहा है, केन्द्र सरकार का बजट आ रहा है और वाहवाही आप लूटना चाहते हैं। ज्यों ही आपको पता लगा कि पेयजल मिशन का पैसा आयेगा, राजीव गांधी पेयजल मिशन ढाणी-ढाणी के लिये पैसा दे रहा है, आपने घोषणा कर डाली कि राजस्थान में यह वर्ष पेयजल को समर्पित। आपने शिक्षा को भी समर्पित किया था कटारियाजी। आपने स्वास्थ्य को भी समर्पित किया था, अब आपने पेयजल को समर्पित कर दिया। इस राजस्थान की जनता को आश्वासन समर्पित कर दीजिये, घर से पूंजी कितनी दे रहे है, राजस्थान सरकार अपने खाते से क्या देना चाहती है उसके बाद वाहवाही लूटें।

भारत सरकार ने सर्वे किया है, आज भी सोलह हजार बस्तियां बिना पानी के प्यासी हैं। उन बस्तियों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या योजना है, क्या दिशा हैं, क्या निर्देश हैं ? पाइप खरीदने का पैसा नहीं है। पैसा तो उनमें घोटालों की फेहरिस्त में है। पाइप सप्लायर कम्पनी के कारनामे आपके सामने हैं। हैण्ड-पम्प लगा दिए कांग्रेस के जमाने में लेकिन उन हैण्ड पम्पों को ठीक करने की आपके पास मशीनरी नहीं हैं। आप गर्मियों में घोषणा करते हैं पंचायतों के माध्यम से हैण्ड पम्प ठीक होंगे। आप पता लगाइए कि कितने प्रतिशत हैण्ड पम्प ठीक हुए। हैण्ड-पम्प ठीक करने का कितना सामान आपने पंचायत समितियों को दिया और उस सामान में से कितना बाजार में बिका। आपने जो हैण्ड पम्प अपने जमाने में लगाये, एक-एक साल से उन हैण्ड पम्पस के ऊपर का प्लेटफार्म तक नहीं बना। पेमेंट हो गये। ऐसी योजना आप

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

देना चाहते हैं। किस प्रकार पेयजल की समस्या का समाधान करना चाहते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो इस बजट के बारे में राजस्थान की जनता आपसे करती है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सिर्फ एक मिनट और लूंगा। आपको मेरी बात कड़वी लगी उसके लिये क्षमा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मुझे कोई कड़वी नहीं लगी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपने घोषणा की कि समाज कल्याण करना चाहते हैं। बड़ा सुन्दर सपना है आपका। समाज कल्याण मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा, अलवर का समाज कल्याण तो उन्होंने पूर्णरूपेण कर दिया। पहले तो एक होस्टल में कर दिया था। अब शालिनी के मार्फत कर दिया। पिछले दिनों जयपुर नगर निगम ने यहां के होस्टल में जाकर कल्याण कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें उलझ गये, मामला रफा-दफा कर दिया। कोई बात नहीं। अब आप कौनसा समाज कल्याण करना चाहते हैं प्रभु? राज्य के महिला सदन में आवासनियों व बेवा महिलाओं के पुनर्वास के लिए बड़े आतुर हैं। घोषणा कीजिए कई लोग मिल जायेंगे आपके साथ वाले, उनका भी कल्याण और इनका भी कल्याण। जो योजनाएं आप बनाते हैं, जिन योजनाओं को आप मूर्त रूप देना चाहते हैं, जिन योजनाओं पर आप धन खर्च करना चाहते है उनके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा।

अन्त में, मैं आधा मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। वह आधा मिनट इस बात का लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने पत्र लिखा है, केवल यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। लेटर हैड पर लिखा है। मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जन मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप नागौरी ने पाली से व्यक्तिगत एवं गोपनीय पत्र लिखा है और यह रजिस्टर्ड ए. डी. से लिखा है–"आदरणीय अनंग कुमार जी जैन, आबकारी मंत्री, राजस्थान, सरकार, जयपुर के नाम है। विषय लिखा है, "आपके द्वारा माहवारी के एक लाख रुपये प्रति माह लेने के सम्बन्ध में तत्काल स्पष्टीकरण देने बाबत।" मैंने आरोप नहीं लगाया। यह भारतीय जनता पार्टी का पत्र.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : इनके पदाधिकारी का पत्र और एफेडेविट राजस्थान की जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का एफेडेविट, मंत्री पर एक लाख रुपये लेने का आरोप, एक लाख रुपये महीने खाने का आरोप, भार-

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत).

तीय जनता पार्टी के नेता के पक्ष में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का आबकारी में, लाटरी में, स्वायत्त शासन में, देवस्थान में, समाज कल्याण में कौनसा निर्देश, कौनसी झांकी, कौनसी प्रस्तुति इस बजट में और देखना बाकी रह गयी, केवल मुझे इतना ही निवेदन करना है। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है और इसमें यह तो निश्चित है कि 1952 से लेकर 1996 तक चाहे प्रतिपक्ष की सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की भैरोंसिंह जी की सरकार रही हो, निश्चित रूप से बजट में निरन्तर वृद्धि होती रही है। लेकिन इस बजट में वृद्धि के साथ-साथ इस गुण के रूप में भी वृद्धि होती जा रही है, भ्रष्टाचार के रूप में और कमीशन के रूप में। आज हालत यह है कि जो भी बजट जिस किसी विभाग में अलॉट किया जाता है, मैं समझता हूं उसका बहुत कम हिस्सा आखिरी लोगों तक पहुंच पाता है। वह इसलिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वे इस बात की पहले से ही थीं और वे अब दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज निश्चित रूप से इस बात से कोई इंकार नहीं करता कि ग्राम पंचायतों द्वारा जो ग्रामीण विकास होता है उसमें सब दूध के धुले हुए हों, लेकिन अगर ग्राम पंचायत से होने वाला विकास और राजस्थान के डिपार्टमेंट से होने वाला विकास का अगर कम्पेरीजन किया जाये तो उसके व्यय में तीन गुना फर्क है और ग्राम पंचायत में कुछ पैसे का भी अपव्यय होता है। इसलिए निश्चित रूप से उस ग्राम पंचायत की शिकायतें ग्रामीण लोगों के द्वारा हमारी सरकार, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। वे इन पर कितना एक्शन लेते हैं वह तो इन पर निर्भर है। बाकी उनमें तीन गुना खर्चा होने के बाद भी निश्चित रूप से जो सम्पत्ति क्रिएट होनी चाहिए वह पूरी नहीं होती और यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी का कारण है कि बजट बढ़ाया है और समय के अनुसार बजट बढ़ना भी चाहिए। लेकिन इसकी पहुंच कहां तक है। इसकी पहुंच निश्चित रूप से घटती जा रही है और इसी का कारण है कि सुबह से लेकर शाम तक, आठ साल की आयु से लेकर अस्सी साल की आयु तक जो किसान काम करता है, आजादी के 50 साल बाद भी उसके घर की कांटे की दीवार नहीं टूटी और जो अधिकारी बन जाता है उसकी पांच साल बाद में राजधानी के अन्दर आलीशान कोठी हो जाती है और इसी का कारण है कि वे हमारे स्रोत रहे हैं।

जहां तक किसानों का सवाल है, जहां राजस्थान के विकास की हम बात करते हैं, जब हम रोजगार की बात करते हैं, समृद्ध राजस्थान की बात करते हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा रोजगार देने का साधन

(122)

(श्री अमरा राम)

जो हो सकता है, वह जमीन है और जमीन में सीलिंग में जो एक्ट बनाये गये हैं, उनके जो लूप-होल्स छोड़ी गये हैं, आज राजस्थान की सरकार ने मुझे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया, आज भी हजारों एकड़ जमीन उन राजा और रानियों के पास में बरकरार है चाहे वह कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कारण रही हो। पचास साल के बाद में वह सरप्लस में आई हुई जमीन को न कांग्रेस सरकार दिला पायी और न भैरोंसिंह जी की सरकार दिला पायी।। आज भी राजस्थान के करोड़ों भूमिहीन किसान, गरीब खेत मजदूर इस बात के लिये लालायित हैं कि उसको पांच बीघा जमीन मिल जाये लेकिन वे लूप-होल्स के कारण, अपनी समृद्धि के कारण न्याय को अपने पक्ष में मोड़ करके आज भी 50 साल की आजादी के बाद उस जमीन को अपने कब्जे में किए हुए हैं।

आज भी बहुत से प्रशासनिक अधिकारी जिनके परिवार का एक भी व्यक्ति जमीन पर काम नहीं करता, राजस्थान की उस सिंचित भूमि जो आज भी 40-40, 50-50 मुरब्बे बेनामी जमीन हैं, जिनका काश्त से कोई लेना-देना नहीं है, दो नम्बर के पैसे को एक नम्बर में करने के लिये बना रखा है, जिनमें काश्त नहीं करते, सही रूप से अगर वह जमीन उन भूमिहीन किसानों और खेत मजदूरों को दी जाये तो राजस्थान का उत्पादन बढ़ेगा, राजस्थान की बहबूदी बढ़ेगी। लेकिन यह तब हो सकता है जब सरकार की इसमें इच्छा शक्ति प्रबल हो। आज इस बात को छोड़ा जा रहा है। आज तक जो जमीन नीलाम की जाती है, मैं समझता हूं राजस्थान का वह गरीब, जिसको गणेश मानकर यह सरकार योजना बनाने की बात करती है, जिनका करोड़ों रुपया इस जमीन को हरी-भरी बनाने के लिये लगा है, उसको एक बीघा भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर चार लाख रुपये मुरब्बा दिया जाएगा तो राजस्थान का गरीब, जिसको सरकार गणेश मानती है, वह तो मुरब्बा नहीं ले सकता। वह ही ले पाएगा जिसके पास दो नम्बर का पैसा है चाहे वह येन-केन प्रकारेण कमाया हो, चाहे शराब माफिया बनकर कमाया हो, चाहे वह भू-माफिया बनकर कमाया हो। वह ही उस जमीन को ले सकता है। इसलिए राजस्थान की सरकार अगर राजस्थान को खुशहाल देखना चाहती है तो उस सीलिंग एक्ट के जो लीकेज हैं, उनको रोकना चाहिए और कानून में जो कमियां हैं उनको हटाकर उस जमीन को लोगों तक पहुंचाए और जो सिंचित जमीन है, चाहे कोटा में हों, गंगानगर में हो, हनुमानगढ़ में हो, चाहे सीकर में हो, जहां सिंचाई के साधन हैं, जहां जमीनों के बड़े मालिक हैं जो अपनी जमीन पर काश्त नहीं करते, सीरी को देते हैं, अगर उसको हम श्योर करेंगे, अगर उसकी भागीदारी निश्चित करेंगे उस भूमि मालिक को जमीन से नहीं हटाने का सरकार की ओर से कानून बनाकर उसको पुख्ता मालिक बना देंगे। निश्चित रूप से भूमि के मालिक को उसका

(श्री अमराराम)

हिस्सा मिलना चाहिए। अगर उसके अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, और शेयर क्रोपर के, सीरी के, बंटाईदार के अगर आप हकों को कानून के द्वारा मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से जो कृषि का उत्पादन है वह दुगुना होगा। उससे उसको भी लाभ होगा और क्रोपर को भी फायदा होगा।

जहां तक पानी का सवाल है, पानी हमारे राजस्थान में चाहे नहर से हो, चाहे बांध से हो, आज हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जहां नहरी इलाका है, एक तरफ तो सेम के कारण हजारों-हजार एकड़ जमीन बरबाद हो रही है, किसान बरबाद हो रहा है, गांव बरबाद हो रहा है और एक तरफ उसी जिले में हजारों एकड़ जमीन आज भी बाकी है जो थोड़े से प्रयास से ही सिंचित हो सकती है, राजस्थान में उत्पादन का साधन हो सकती है लेकिन इसके केवल आश्वासन मिलते रहे हैं। वह पानी एक तरफ बरबाद हो रहा है और दूसरी तरफ उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां नहर, बाढ़ का सवाल है इस पानी को रोका जा सकता है, सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर जो डार्क जोन घोषित हो गये हैं, वहां तक पहुंचाया जा सकता है। नहर के पानी को वहां तक पहुंचा कर किसान की दुर्दशा हो रही है, उसे रोका जा सकता है। आज जहां डार्क जोन घोषित हो गया है वहां, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मध्यम किसान हैं, जो धनी किसान हैं वे कुआं बना लेते हैं, पम्पिंग सैट भी लगा लेते हैं, लेकिन जिस गरीब को गणेश मानती है सरकार योजना बनाना चाहती है, मैं पूछना चाहता हूं कि कुआं और पम्पिंग सैट लगाने पर एक लाख से ज्यादा खर्चा आता है, बिजली के लिए एक लाख रुपया सिक्योरिटी आज जमा करानी पड़ती है, क्या वह गणेश अपनी छोटी-मोटी जमीन पर कुआ बना सकता है ? नहीं बना सकता है। इसलिए अगर सरकार गरीब को गणेश मानती है तो उस पानी का उपयोग होना चाहिये। जो दशा किसान के रूप में उसकी की गयी है, उसको दूर किया जाना चाहिये।

जो दूसरा, उत्पादन होता हैं किसान को, उसमें सबसे भयंकर लूट किसान की होती है, उपभोक्ता की होती है। चाहे सब्जी का सवाल ले लीजिये। उसको न तो पहले की सरकार बचा पायी है और न आज की सरकार बचा पा रही है। जो किसान पैदा करते हैं उसको पचास पैसे मिलते हैं और उपभोक्ता को दस दिन के बाद मिलने वाले पांच रुपये में मिलती है। इस बात के लिए सरकार उल्टे व्यवस्थाएं करती है, कृषि उपज मण्डी, सब्जी मण्डियां विकसित करके उनको लूट का केन्द्र बनाती जा रही हैं जो किसान को भी लूटता है और उपभोक्ता को भी लूटता है। दोनों को संरक्षण अभी भी हम नहीं दे पा रहे हैं।

जहां तक गरीबों को गणेश मानने का सवाल है, राजस्थान के तीस प्रतिशत या तो खेतिहर मजदूर या निर्माण मज-

(श्री अमराराम)

दूर हैं। वह मजदूर जो राजस्थान की राजधानी में भी? चाहे गोपालपुरा मोड़ हो, चाहे सीकर रोड हो हजारों की संख्या में सुबह इकट्ठे होकर अपनी मजदूरी बेचने के लिए आते हैं। इस राजस्थान के निर्माण का चाहे वह खेत को बनाने का सवाल हो, चाहे सड़क को बनाने का सवाल हो, चाहे इमारत बनाने का सवाल हो, 30 प्रतिशत गरीब चाहे वह खेतिहर मजदूर हो, चाहे निर्माण मजदूर हो, उन्होंने इस राजस्थान को विकसित करने में अहम भूमिका निभायी है। लेकिन जहां तक खेतीहर मजदूर का सवाल है, हमारी राजस्थान की सरकार के बजट से उसको एक पैसा, उसको सामाजिक सुरक्षा, उसकी मजदूरी निश्चित करने और जब उसकी वृद्धावस्था सो जाय तब उसको पेंशन देने के लिए तथा उसको पैसा देने के लिए सरकार, जिसको गणेश मानती है, आश्वासन देती है, वह 30 प्रतिशत राजस्थान का जो गरीब है, सबसे निम्नतम है, उसके लिए कानून में कहीं प्रोविजन नहीं है। जो राजस्थान की टोटल पापूलेशन का 30 प्रतिशत है, जिसमें मेजर हरिजन हैं, गरीब हैं उनके लिए, खेतिहर मजदूर के लिए राजस्थान में एक कानून नहीं है। जब वह शरीर से समृद्ध है, वह मजदूरी कर सकता है, तब तो वह मजदूरी करे। मैंने देखा है इन महलों में जब मजदूर इकट्ठे होते हैं, जो मजदूरी के लायक और हृष्ट-पुष्ट होते हैं उनको ले जाते हैं। जो वृद्ध हो गये हैं वे सुबह से शाम तक बैठे रहकर आ जाते हैं, उनको मजदूरी के लिए कोई भी लेकर नहीं जाता।

जहां तक पेंशन का सवाल है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। जब हमारे कलक्टर से लेकर चपरासी तक के और हमारे आई. जी., डी. आई. जी. और एस. पी. से लेकर सिपाही तक को पेंशन मिल सकती है, तो जो राजस्थान को विकसित करे, राजस्थान में सड़क मुहैया कराए, राजस्थान को कुआं बनाकर दें, राजस्थान को नहर बनाकर दे, उसके लिए हमारे पास पेंशन नहीं हैं। वृद्धावस्था पेंशन के नाम से केवल पेंशन उनको मिलती हैं, जो लावारिस जिनके औलाद नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है। मैं समझता हूं उन लोगों के लिए पेंशन का प्रोविजन है जो राजस्थान के के लावारिस हैं। सरकार यदि गरीब को गणेश मानकर चलती है तो उनके लिए, जो कि राजस्थान के सबसे निम्नतम 30 प्रतिशत हैं, मजदूर हैं, उनके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन उनके लिए इसमें व्यवस्था नहीं है।

जहां तक श्रमिकों का सवाल है, हमारे मुख्य मंत्रीजी भी घोषणा कर रहे हैं कि राजस्थान पूर्ण साक्षर होना चाहिए। हम भी शत-प्रतिशत उनसे सहमत हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिन बालकों की उम्र छः से दस साल है, जिनको प्राइमरी स्कूलों में जाना चाहिए, राजस्थान के हर शहर में आज होटलों पर झूठे कप-प्लेट धो रहे हैं। वे स्कूल में नहीं जा सकते। अगर आप सम्पूर्ण साक्षर करना चाहते हैं, हम चाहते, राजस्थान की सरकार चाहती है कि राजस्थान का भविष्य पढ़ा-लिखा हो, लेकिन हर शहर में बाल श्रमिकों के लिए जो भी कानून बना हुआ

(श्री अमराराम)

है उसका रत्ती भर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता । हम हर शहर में निश्चित रूप से ऐसे छात्रावास और स्कूल बनाएं, जिनमें आवासीय सुविधा उपलब्ध हो जिससे बाल श्रमिक जो राजस्थान के होटलों में कप-प्लेट धोते हैं, वे स्कूलों में अध्ययन कर सकें । उनके माता-पिता इस बात के लिए खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं । वे या तो गांवों के अन्दर बड़े-चौधरियों के या बड़े ठाकुरों और बड़े-बड़े जमीदारों के यहां पशु चराते हैं, उनके घरों में जाकर, गोबर डालते हैं या फिर शहर में आकर माता-पिता और परिवार का लालन-पालन करने के लिए यहां आकर होटलों पर झूठे बरतन धोते हैं । निश्चित रूप से उन पर हमें विचार करना चाहिए । सम्पूर्ण साक्षरता के लिए भी इसका निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए । और कर भी रहे हैं लेकिन मात्र ये आंकड़े हैं ।

मैं सीकर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं । सीकर को सम्पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया लेकिन वह कागजों में सम्पूर्ण साक्षर हो सकता है । आज 25 पर्सेण्ट से ज्यादा उसमें साक्षर नहीं हैं । 25 पर्सेण्ट भी मुश्किल से है । जहां कहीं भी समझदार थे, वहां कार्य हुआ है बाकी केवल कागजों में हुआ है । जो परीक्षाएं ली गई, आप आश्चर्य करेंगे कि जहां अल्पसंख्यकों के गांव थे....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । आधा मिनट ।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । वहां के बच्चों को बुरका पहनाकर परीक्षाएं दिलवाई गई, केवल आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए ।

आज सत्ता पक्ष के लोग पंचायत राज की बात कर रहे हैं । निश्चित रूप से चुनाव करवाए गये, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन चार साल तक उन अधिकारियों के पास अधिकार रखने वाली भी यही सरकार है । चुनाव कराने के बाद पंचायत राज में पंचायत समिति और जिला परिषद् के डाइरेक्टर्स की जो दुर्गति हुई है, मैं समझता हूं, हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुई होगी । कोई नहीं पूछता, उनको यही पता नहीं है कि हमारा काम क्या है ? केवल बोर्ड दे दिया, महीने वाले दिन मीटिंग में आ गये । बाकी पंचायत में जो आरक्षण किया गया है, हरिजन का, महिलाओं का, जो पंचायत समिति में आता है बी डी. ओ. और वहां के कोई भी अधिकारी, उनको बैठने तक को नहीं कहता । उनकी दुर्गति होती है, क्योंकि पंचायत समिति की मीटिंग में वह मेम्बर नहीं है इसलिए बैठ नहीं सकते, वे उस मीटिंग में अपनी व्यथा सुना नहीं सकते । इसलिए उन सरपंचों की दुर्गति होती है । मैं भी दो दफा सरपंच रहा हूं । सरपंचों की इतनी दुर्गति कहीं भी नहीं हुई और उन भोले-भाले लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता । यहां तक कि जो आपने सचिव लगाए हैं उन्होंने बुरी तरह से चार साल तक लूट मचाई है । उन सरपंचों का जो रिजर्वेशन से आये हैं, सबसे बड़ा उनका शोषण किया है ।

(श्री अमराराम)

ग्रामीण विकास में आप कहते है कि हम जनता पर विश्वास करते है । गांव के विकास में डी. आर. डी. ए. का सबसे बड़ा रोल है, सबसे ज्यादा पैसा उसके द्वारा खर्च किया जाता है । उसका आपने जिलाधीश को अध्यक्ष बनाकर बैठा दिया । जबकि आपकी जिला परिषद् चुनी हुई हैं आपके प्रधान चुने हुए हैं, आपके विधायक चुने हुए हैं, आपके सांसद चुने हुऐ हैं । यदि सरकार जन प्रतिनिधियों पर विश्वास करती है, तो निश्चित रूप से डी. आर. डी. ए. जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए । जनता के पैसे से जहां भी कलक्टर की मर्जी हो गयी वहां सड़क, गांव में दो ओर से जा रही है, कलक्टर साहब ने तीसरी ओर से भी उसको पास कर दिया । जन प्रतिनिधि चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, कम, से कम उसकी लाइबिलिर्टी होगी, वह जिले का रहने वाला होगा, अगर वह गलती करेगा तो उसका खामियाजा भुगतान पड़ेगा । डी. आर. डी. ए. का गांव के विकास में बड़ा उपयोग हो सकता है अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को अधीन दिया जाए ।

जहां तक पानी का सवाल है, पिछली बार इसी विधान सभा के सत्र में बढ़िया योजना बनायी गयी, जनता जल योजना । सरकार गांवों में ज्यादा सहयोग की बात करती है । गांव के लोगों ने कुआं बनाया, पम्पिंग सैट लगाया लेकिन वे बिल नहीं चुका सकते । राजस्थान की सरकार ने जनता जल योजना शुरू की, धन्यवाद की पात्र है । हमने यहां मंत्रीजी को कहा था कि उनके बिल का पुनर्भरण गांव वालों से क्यों किया जाय । सीधा जिस तरह से टी. एस. एस. का सरकार चुकाती है उनका भी चुकाऐ । मंत्रीजी ने यहां आश्वासन भी दे दिया था कि निश्चित रूप से टी. एस. एस. की तरह इन जनता जल जल योजनाओं का बिल भी हम चुकाएंगे लेकिन आज तक नहीं चुका रहे हैं । मैंने बात की तो कह रहे हैं कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने नहीं माना । कौनसा फर्क है ? महीने की महीने गांव का एक आदमी चालीस किलोमीटर से बिल जमा कराने के लिये आएगा । चार दिन बाद वह चैक कटवाने के लिये आएगा और ऐ. ईएन. साहब वहां नहीं मिलेंगे । तीन चक्कर काटने पड़ते हैं । जितना बिल नहीं आता उससे आधा पैसा पुनर्भरण के अन्दर खर्चा करना पड़ता है । ऐसी व्यवस्थाएं जितनी वाटर वर्क्स में हैं, मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ भी आप फरमा रहे हैं यह ऐसा लगता है कि आप डिमाण्ड्स पर बोल रहे हैं, बजट पर नहीं बोल रहे हैं ।

श्री अमराराम (धोद) : यह डिमाण्ड ही है । जहां वाटर वर्क्स का सवाल है, इतना सामान जो पम्पिंग सैट्स, मोनो-ब्लाक, पूरे राजस्थान के लिये नहीं लेकिन सीकर जिले के लिये कह सकता हूं कि जितने पम्पिंग सैट्स आपने दिये हैं पिछले दो साल में, उनमें से एक भी वर्किंग आर्डर में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। समय का अभाव है।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिये खरीद में कमीशन जिस सामान में ज्यादा मिल सकता है और कमीशन उसी में ज्यादा मिलेगा जो घटिया माल होगा। हो सकता है आप कागजों में उन गांवों को, उन ढाणियों को पानी पिला दें, लेकिन वह पानी नहीं पी सकता। हम जब भी वाटर वर्क्स के अधिकारी से मिले हैं तो कहते हैं कि एक साल पहले मोटर दे दी। एक साल तो क्या एक दिन भी नहीं चलती। ऐसी पाइपों की हालत है। इसलिये निश्चित रूप से आप यह व्यवस्थाएं कराएंगे और जनता के लिये कुछ करेंगे। (धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर आम बहस पर मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा जो कांग्रेस के प्रिंसिपल प्रवक्ता श्रीमान् चन्दनमलजी बैद ने कहीं, क्योंकि हमारी तरफ से बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य राजपालसिंह जी, नरपतसिंहजी ने तथ्यात्मक आंकड़े सदन में प्रस्तुत कर दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में मूलभूत आपत्ति कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से की गयी, वैसे तो इस बार बजट के भाषण पर श्री रामनारायण जी चौधरी का भाषण बहुत बढ़िया था। उन्होंने संविधान के आधार पर जो-जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स का वर्णन करते हुए और आर्टिकल्स को महात्मा गांधी के हिन्द स्वराज से जोड़ते हुए जिस प्रकार का भाषण दिया उसी प्रकार का बजट, उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत किया। लेकिन श्रीमान् चन्दनमल जी बैद का जो विचार था, जो थिंकिंग थी वह विचारधारा उनकी थी, वह कांग्रेस पार्टी के वास्तविक स्वरूप का प्रस्तुतीकरण कर रही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बजट में राजकोषीय घाटा बहुत अधिक है। उसका जवाब राजपाल सिंह जी ने दिया कि आपने गलत आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये हैं और वह एक हजार करोड़ कम है। इसी प्रकार उन्होंने राजस्व घाटे की बात की, प्रति व्यक्ति आय कम होने की बात की, राजस्थान पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, इसकी बात की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आजादी के पचास साल पूरे होने जा रहे हैं, दो-चार साल में पूरे हो जाएंगे उसके बाद क्या राजस्थान या हिन्दुस्तान के गांव बिना पानी के रहेंगे, उसके बिना क्या हमारे गांव बिना सड़क से जुड़े रहेंगे, उसके बिना क्या हमारे गांवों में बिजली का प्रकाश नहीं होगा? कहां चिकित्सा की और शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं होती। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों के इस तर्क से सहमत हूं कि यह बात कहने में कोई तथ्य नहीं है कि कोई आज यहां पर खड़ा होकर कह दे कि कांग्रेस पार्टी ने चालीस साल तक कोई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

काम नहीं किया और हम ही काम कर रहे हैं। यह बात गलत है, मैं नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी ने भी काम किया है, जो पार्टी आयी है उन पार्टियों ने काम किया है, कांग्रेस ने भी किया है उदाहरण देकर पूनमचन्द जी ने कहा था कि हमने भाखड़ा बनाया, हमने वह बनाया। वह सब कांग्रेस पार्टी ने बनाए, उनके राज में बने, यह कहने में आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये। लेकिन इस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां बन गयी हैं उन परिस्थितियों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने भाखड़ा नांगल बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज में राजस्थान के सभी सौ प्रतिशत गांव विद्युतीकृत नहीं हुए, यह बात तो माननीय चन्दनमल जी बैद भी स्वीकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस सरकार ने बनाये, कांग्रेस पार्टी ने थोड़े ही बनाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक ही बात है। इसी प्रकार कांग्रेस ने कहा कि हमने यहां जयपुर से लेकर जोधपुर तक सड़क बनाई, बनाई। जयपुर से दिल्ली तक नेशनल हाई-वे बनाया, बनाया। उसके बाद राजस्थान के चालीस हजार गांवों को सड़क से जोड़ने का काम भी था जो करना है। वह काम एक दिन में पूरा नहीं हो सकता था लेकिन जो भी सरकारें आएंगी उसको काम करना पड़ेगा।

बजट के बारे में जो मूल विरोध कांग्रेस पार्टी का था वह यह था कि राजस्थान की सरकार कर्जा ले रही है और कर्जा लेकर इन कामों को पूरा कर रही है। इसी प्रकार दीपेन्द्र सिंह जी ने भी प्रश्न उठाया कि आपका क्या लग रहा है, आप कह रहे हो हम यह काम कर रहे हैं, पेयजल का कर रहे हैं, चिकित्सा का कर रहे हैं, शिक्षा का कर रहे हैं, आपका क्या लग रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का विरोध करना चाहूंगा कि यह पैसा भारत सरकार का या राजस्थान सरकार का है, लेकिन क्या फर्क है? राजस्थान भारत में ही है। जो पैसा भारत सरकार के पास आता है वह सारे हिन्दुस्तान से आता है और हिन्दुस्तान के सब राज्यों में एक फार्मूले के आधार पर बांटा जाता है, और वह पैसा अगर हमारे मुख्य मंत्री ज्यादा लेकर आते हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई डरने की, घबराने और आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, अभी एक बात उठाई गयी थी, राजस्थान को केन्द्रीय सहायता या केन्द्र से धनराशि लाने में जितनी निपुणता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हासिल की है, माननीय चन्दनमल जी आपने वह निपुणता हासिल नहीं की। इसका कारण था कि कांग्रेस पार्टी में जो मंत्री बनते थे, मुख्य मंत्री बनते थे, उन लोगों को वहां ऊपर का ध्यान रखना पड़ता था, ज्यादा जमकर मांग नहीं कर सकते थे, हिम्मत नहीं थी और हमारे मुख्य मंत्रीजी की हिम्मत है। इसलिये चन्दनमल जी ने और तो कुछ नहीं कहा,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनके लिये शब्द प्रयोग किया, मैं अंग्रेजी साहित्य पढ़ा हुआ....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : हिम्मत है तब ही आपको बाहर रखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बात भी मैं सही कह रहा हूं, और कोई कहीं होता तो बाहर नहीं रहता मैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अबके जमने की सम्भावना दिखती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सम्भावना तो आप खतम कर दीजिये। चतुर्थ श्रेणी में आने वाला मैं नहीं हूं इसलिये चौथी बार भी मेरा नम्बर नहीं है यह समझ लीजिये आप। उस प्रश्न को तो छोड़ दीजिये।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस हिम्मत से मुझे बाहर रखा उसी हिम्मत से उन्होंने राजस्थान की जनता के लिये केन्द्र से अधिक से अधिक पैसा प्राप्त किया। इस बात को आप भी मानते हैं। आप योजना के बढ़े हुए आकार को स्वीकार करते हैं। आप बजट के बढ़े आकार को स्वीकार करते हैं और मैं माननीय चन्दनमल जी आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी महानता है। पिछली बार भी आपने गलत तथ्य प्रस्तुत किये थे और बाद में आपने सदन में खड़े होकर उन तथ्यों को स्वीकार कर लिया। इस बार भी आपने दो तथ्य गलत सदन में प्रस्तुत किये। एक तो जी. डी. पी. का दस प्रतिशत जो आपने राजकोषीय घाटा बताया है वह तथ्य आपका गलत है। दूसरा, आपने राजकोषीय घाटे को जिस प्रकार से बी. एल. पनगड़िया के आर्टिकल के आधार पर यहां प्रस्तुत किया वह गलत है। दोनों तथ्य आपके गलत हैं। मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। माननीय मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब देंगे। आप तो खुद समझदार हैं, आप जितना ज्ञान मुझे वित्तीय मामलों का नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य मैं आपसे नहीं उलझूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब उसका खण्डन करेंगे तब मैं उनसे उलझूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी हुई कि माननीय चन्दनमल जी मेरे से नहीं उलझ रहे, मुझे तो आशीर्वाद दें तो ही ठीक है और मुख्य मंत्री से ही उलझें तो ठीक है लेकिन मुझे इस बात की और खुशी है कि उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है और जिस दिन वह भाषण दे रहे थे उस दिन भाषण के साथ उन्होंने शारीरिक शक्ति का भी जो प्रदर्शन किया, इस उम्र में उनके मुकाबले कोई दूसरा आदमी सदन में नहीं है। उन्होंने दोनों हाथ हिला-हिला कर कहा कि मुख्य मंत्री जी शेखी बघारने का काम करते हैं।

(15.00)

मुख्य मंत्रीजी शेखी बघार रहे हैं कि नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बधार रहे, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक काम राजस्थान के लिए किया, जितना शिक्षा पर पहले साल खर्च किया उतना आपने कर दिया। आप बार-बार यह बात उठा रहे है कि प्रतिवर्ष 6 हजार प्राइमरी स्कूल चाहिये लेकिन आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम कर्ज लेकर स्कूल खोल रहे हैं। कर्जा भी एक सीमा में है। आज कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि राजस्थान की सरकार का एक पैसा भी क्रेडिट का, ब्याज का पैसा या किश्त का पैसा राजस्थान की सरकार चुकाने में असमर्थ रही है। कोई यह बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि राजस्थान सरकार ने जो कर्जा लिया वह कर्जा हमारी सीमाओं के बाहर है। यह कहने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आपने जितने बजट बनाए थे, बजट की कुल राशि का जितना पर्सेण्ट कर्जा आप पर था, पिछला 1995-96 का बजट था, सबसे कम कर्जा राजस्थान की सरकार पर पिछले साल था, यह आंकड़ों से प्रमाणित है यह आंकड़े मेरे नहीं हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। इसलिए आपका यह कहना बिलकुल तर्क रहित गलत है कि राजस्थान को कर्जे में डुबाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, 3-4 विकल्प खुले रहते हैं, सरकार किस प्रकार चलती है उसके विकल्प खुले रहते है। दो काम सरकार कर सकती है तो सरकार चल जाएगी। एक तो भू-राजस्व की उगाही के लिए पटवारी रख ले और एक पुलिस का डंडा हाथ में लेकर थानेदार या सिपाही रख ले, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूत नहीं है। लेकिन आपको जब विकास करना है तो विकास काहे से करोगे? टैक्स लगा कर। मैं समझता हूं कि टैक्स लगाने की अधिकतम सीमा तक हम पहुंच गये हैं। कितना टैक्स लगाओगे? टैक्स हम लगा नहीं सकते। टैक्स लगाने का आप विरोध करते हो। टैक्स लगा नहीं रहे हैं, हम तो कम कर रहे हैं। पांच साल से टैक्स नहीं लगाया, रिकार्ड है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लगाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप लगाओ। आपकी मनचाही यह नहीं करेंगे। आप मांग करो, आपकी मांग भर देंगे, पूरी कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांग इन्होंने कर ली है। बहुत ठीक मांग की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो टैक्स बढ़ाने की मांग की है वह जरूर पूरी की जाए। कर्ज किसके लिए? आप भाषण दे रहे थे कि टैक्स रेवेन्यू का 46 पर्सेण्ट कर्ज चुकाने में चला जाता है। राजस्थान सरकार की आय नान-टैक्स रेवेन्यू की है। टैक्स रेवेन्यू से मतलब क्या है? टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स बढ़ गया तो उसका पर्सेण्ट कम आ जाएगा। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, यह गलती कर दी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को बाहर से भी सहायता मिल रही है। राजस्थान सरकार को यह बात देखनी और पूरी करनी है कि 20 प्रतिशत गांवों में आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है। आने वाले दो-तीन सालों में इन गांवों को पूर्णतः विद्युतिकृत किया जाना चाहिये। इसके लिए चाहे कर्जा लेकर किया जाए, चाहे सहायता लेकर किया जाए। राजस्थान के गांवों को 21वीं शताब्दी में जाते समय अन्धकार में लेकर हम नहीं जा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिये, कर रही है कि हर गांव में दो कि. मी. पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलें बहुत खोली गयीं, बहुत पब्लिक स्कूल भी खोल रहे है। गरीब आदमी के लिए प्राथमिक स्कूल की आवश्यकता है और वह काम सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए 6 हजार स्कूल नहीं भी खोल सकें प्रतिवर्ष, तो हमको यह व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कि स्कूल जाने वाले अधिकांश बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन दिला सकें। कर्ज लेकर भी हमको व्यवस्था करनी पड़े तो कर्ज लेकर भी व्यवस्था करनी चाहिये।

इसी प्रकार चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमारा बजट चिकित्सा को समर्पित रहा। चिकित्सा में हमने सब-सेन्टर्स भी खोले, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भी खोले, मेडिकल में दवाइयों का विस्तार भी किया। आज गरीब आदमी के सामने क्या समस्या है? आज इलाज पर बेतहाशा खर्चा होने लगा है और मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार की व्यवस्था की जैसा उजलाजी ने बताया, किडनी के ट्रान्सप्लान्टेशन के बारे में, बाईपास सर्जरी के बारे में की है, बड़ी बीमारियों पर राज्य सरकार द्वारा जिस तरह का पैसा देने की व्यवस्था की गयी है वह आवश्यक है। एक पैसे वाला आदमी चिकित्सा करवा सकता है, एक सरकारी कर्मचारी सरकार के पैसों से चिकित्सा करवा सकता है लेकिन एक किसान, एक मजदूर, एक छोटे आदमी जो मजदूरी करके चलता है, उसके हार्ट की तकलीफ हो गयी, अगर उसके किडनी की तकलीफ हो गयी तो वह इलाज का इतना पैसा अपने पास से नहीं जुटा सकता।

मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पैसे के बारे में आप पुनर्विचार करें। आपने जितना बढ़ाया उसका स्वागत है लेकिन गरीब आदमी की चिकित्सा का जिम्मा राज्य सरकार उठाए। राज्य सरकार नहीं उठा सकती तो किसी न किसी प्रकार का एक ट्रस्ट या कोष राज्य सरकार को बनाना चाहिये ताकि उस आदमी की अधिकतम मदद कर सकें। यह जन कल्याणकारी राज्य की कल्पना के आधार पर काम है। यह हमको करना चाहिये। इसलिए मैं इस तर्क को पूर्णतः निरस्त करता हूं। यह तर्क आज के जमाने के लायक नहीं है। यह बजट किसी व्यापारी का बजट नहीं है, माननीय चन्दनमलजी.

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो दो पैसे का हानि-लाभ देखकर काम करे। यह बजट किसी जागीरदार का बजट नहीं है। यह बजट किसी गृहस्थी का बजट नहीं है। बजट राजस्थान की आम जनता का बजट है और राजस्थान की सरकार का दायित्व और कर्तव्य है कि हमको किसी न किसी प्रकार से प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये। उसके लिए कर्जा लेना पड़े तो कर्जा भी लेना चाहिये, उसके लिए सहायता लेनी पड़े तो सहायता भी लेनी चाहिये और उसके लिए माननीय सदस्य की बात मानकर अगर टैक्स लगाना पड़े तो टैक्स लगाना चाहिये लेकिन आम आदमी के लिए इस प्रकार का काम निश्चित रूप से पूरा करना चाहिये। सरकार के आयाम बदल रहे हैं, सरकार के काम बदल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई प्रकार की चर्चा की गयी। यहां पर एक चर्चा मैं विशेष रूप से करना चाहूंगा जो कल हुई थी। वह हिन्द स्वराज्य के बारे माननीय रामनारायण जी ने की थी। (व्यवधान) उन्होंने उसको पढ़कर सुनाया। मैंने वह किताब पढ़ी थी लेकिन आपके कहने के बाद में मैंने दुबारा पढ़ी और पढ़ने के बाद में एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कही लेकिन उसमें 2-3 बात महात्माजी ने और कही थी, उन बातों को कांग्रेस पार्टी भूल गयी। महात्माजी ने उस हिन्द स्वराज्य की किताब में लिखा है कि गौ रक्षा का प्रश्न, गौ-हत्या बन्द करने का प्रश्न मेरे लिए स्वराज्य से भी बड़ा प्रश्न है। यह संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों में भी है। लेकिन जब 13 दिन की सरकार का आप मजाक उड़ा रहे थे और 13 दिन की सरकार ने जब अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया और उसमें गौ-रक्षा की बात कही तो कांग्रेस पार्टी की ममताजी बनर्जी विरोध करके गयी और वाकआउट किया। यह कांग्रेस पार्टी का करेक्टर होता जा रहा है। आप इसको भी थोड़ा बहुत जान करके कहिए। इसी प्रकार दूसरी बात पर.... (व्यवधान) ...

श्री जगतार सिंह कंग (श्रीकरनपुर) : इसके बारे में आपने आज तक क्या विचार किया? (व्यवधान) आपको यह बात हमसे नहीं पूछनी चाहिये थी। गौ-वध के लिए आपने क्या किया है? हमने कुर्बानियां दी है गौ-वध के लिए। आपको अपने स्टेटस के मुताबिक बात करनी चाहिये। बिलो कैडर बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सदस्य, आप यह बता दें कि आपने राजस्थान में गौ कानून पास करने के बाद में गौ रक्षा में कितनी गायों को रक्षा दी, कितनी गौ-शालाएं खोलीं और कितना पैसा खर्च किया?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौ-शालाएं खोलने का कोई प्रावधान नहीं था, गौसेवा आयोग बनाने का था। वह हमने बना दिया है और काम शुरू कर दिया है।

श्री जगतारसिंह कंग : ग्रापने गायें कितनी रखी हैं ? ग्रायोग खोलने से काम नहीं चलता । गायें तो ग्राज भी बाजार में घूम रही हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । घनश्यामजी, बोलें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ग्रौर सरकार को मैं इस बात के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्री मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर उन्होंने राजस्थान में गौ-हत्या बंदी का बिल पास किया । ग्रौर मुख्य मंत्रीजी को पूर्णत: गौ-हत्या बंद करने के मामले में इस विधान सभा में जो आपने मदद की ग्रौर सर्वसम्मति से गौरक्षा का बिल पास किया इसके लिए ग्रापको धन्यवाद देना चाहता हूं (व्यवधान) थोड़ी बहुत तो सुनो, मीठी भी तो कह रहा हूं ।

गौरक्षा के मामले में राजस्थान की सरकार ने जिस तरह की बात की है वह बहुत धन्यवाद की पात्र है ।

ग्रध्यक्ष महोदय, शराब बंदी के मामले में महात्माजी ने उस पुस्तक में जो लिखा है, मैंने पढ़ा है । उसमें लिखा है कि शराब ऐसा नशा है जो मां ग्रौर बहिन के रिश्ते को भुला देता है । शराबबंदी हरियाणा में हो गयी है, गुजरात में हो गयी है, तमिलनाडु में ग्रौर ग्रांध्र में हो गयी है । मैं ग्राज मांग नहीं करना चाहता लेकिन सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि 7 सौ करोड़ की हमारी शराब की ग्राय है, मुख्य मंत्रीजी ने 1977 में शराबबंदी की थी ग्रौर उसके लिए उनको धन्यवाद भी मिला था, शराबबंदी के मामले पर सारे सदन को पुनर्विचार करना चाहिये । शराबबंदी जब तक नहीं होगी तब तक राजस्थान का हम जितना ग्रधिक उद्धार करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे । ग्राज सही बात यह है कि कई गांवों में रात को सात बजे बाद में भले ग्रादमी प्रवेश नहीं कर सकते शराब के कारण से । ग्राज इस प्रकार की हालत है । शराब पर किसी प्रकार का नियन्त्रण करने की बात निश्चित रूप से सोचनी चाहिये और इसमें जितना घाटा होने वाला है उस घाटे के बारे में विचार करना चाहिये । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत विकास में कटौती भी होती है । तो इस बार नहीं तो ग्रगली बार, दो साल के बाद में इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए । इसके दो पहलू हैं । कई लोग कहते हैं कि शराबबंदी से क्या शराब का पीना बंद हो जाएगा । इल्लीसिट लिकर निकलने लग जाएगी ग्रौर उसके ग्राधार पर माफिया गैंग बन जाएंगे । यह कल्पना तो कोई भी नहीं कर सकता कि 95 करोड़ ग्रादमी शराब का प्याला हमेशा के लिए बन्द कर देंगे । हमने चोरी के खिलाफ कानून बनाया, पूरी तरह से चोरी रुकी नहीं है लेकिन नियंत्रित है । ग्रगर शराबबंदी होगी तो हमारे सामाजिक मूल्य ऊंचे उठेंगे और निश्चित रूप से हम उस ग्रोर ग्रागे बढ़ सकेंगे । इसलिए मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से और सारे सदन से कि शराबबंदी के बारे में भी विचार-विमर्श करें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने यहां जबरदस्त आलोचना की कि सत्ता के भूखे हैं, इनकी लार ही पड़ने लग गयी, इनको ऐसे ही बुलाया राष्ट्रपति जी ने तो और शपथ ग्रहण करने चले गये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने पैट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि का विरोध किया और उनका समर्थन कर रहे हैं। साथ सोएं और मुंह छिपाएं, यह नहीं चल सकता। इसका अर्थ आप सब समझते हों। इस देवेगौड़ा सरकार का समर्थन करके (व्यवधान) आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। बहुत वर्ष हो गये आपको अच्छी तरह से समझे हुए। यदि देवगौड़ा सरकार का समर्थन करके आप लोग जनता में केवल स्टेटमेंट देकर कहना चाहेंगे कि हम पैट्रोलियम पदार्थों, रसोई गैस, पैट्रोल, नेफ्था के भावों में वृद्धि का विरोध करते हैं तो लोग नहीं मानेंगे। इन भावों में वृद्धि से जो भी वृद्धि मूल्यों में होगी उसके लिए यू. डी. एफ. की जो सरकार है वह आगे जाने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी ही मूल रूप से जिम्मेदार है। अभी अमराराम जी तथा सब लोग कह रहे थे कि हम साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक होकर आए हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अछूतों के खिलाफ आए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अछूतों के खिलाफ एक होकर आए हैं। अनटचेबिलिटी आपने शुरू की है। अछूतों के खिलाफ यह एक हो रहे हैं। लेकिन एक यह हमारे लिए नहीं हो रहे है, एक इसलिए हो रहे हैं कि यूरिया स्कैण्डल से हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री कैसे बच जाएं। यह एकता साम्प्रदायिकता के खिलाफ नहीं है। अगर यह साम्प्रदायिकता के खिलाफ एकता है तो मैं कहना चाहता हूं कि किस बात की साम्प्रदायिकता की आप बात करते हैं? भाषण देकर आपने कहा है कि धारा 370 को हटाने का आप समर्थन करते हैं इसलिए आप साम्प्रदायिक हैं। अगर धारा 370 को हटाने के नाम पर हम साम्प्रदायिक हैं तो हम निश्चित रूप से ऐसा साम्प्रदायिक कहलाना पसंद करेंगे। अगर समान कानून बनाने के नाम पर यह कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक है तो हम निश्चित रूप से उनसे अछूत रहना चाहेंगे। अगर हम राम मन्दिर बनाने की बात पर कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों में साम्प्रदायिक कहलाना पसन्द करेगी। लेकिन इस बात पर एक नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इधर तो टोकते हैं और उधर नहीं टोकते हैं। इनको क्यों नहीं टोकते हैं? आप उधर भी टोकने की हिम्मत करें।

श्री परसादीलाल मीणा : यह तो बजट पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कंक्लूड करें। पूरा करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने खुद ने उठाया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब साम्प्रदायिक दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं?

श्री परसादीलाल मीणा : बजट पर बोल रहे हैं?

***एक माननीय सदस्य** : यह तो दिखाई दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो बजट का मूल तत्व है। हम बजट कहां पेश कर रहे हैं, आप समझें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप बहुत मौलिक विचारों वाले व्यक्ति हैं, कहां घिसी पिटी पुरानी बातें कह रहे हो। नयी बातें कहिये कुछ। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप बजट पर बोलें। आप तैयारी करके नहीं आये हैं। तैयारी करके आया करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नयी बात कह रहा हूं। मैं चार लाइनें पढ़ रहा हूं। इन्होंने भी एक लाइन पढ़ी थी, चार मैं पढ़ देता हूं। आपने हमारा विरोध किया यह ठीक है लेकिन जिनका समर्थन कर रहे हो वह कौन हैं? जिस पार्टी का अध्यक्ष देश के सबसे बड़े करोड़ों रुपए के घोटालों में फंसा हो, जिस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष विदेश में पैसा जमा कराने के लिए चार्जशीट हो चुका हो, जिस पार्टी के एच. आर. डी. मिनिस्टर का 35 लाख रुपए में नाम हो, जिस पार्टी के एक सदस्य के घर पर मंत्री बनने के पहले सी. बी. आई. ने छापा मारा हो और नौ करोड़ रुपये पकड़े गये हों, पांच लोगों पर 302 के मुकदमे हों, जिस पार्टी के गृह राज्य मंत्री पर बलात्कार का आरोप हों, जिस पार्टी के प्रधान मंत्री का पहला काम ऐसी फाइल पास कराना हो जो हर कानून को तोड़ती हो, ऐसी पार्टी को अपने अन्दर झांकना चाहिए। श्रीमती मेनका एक आईना हैं........ (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पार्टी का एक भी सदस्य यहां नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसके समर्थक आप हो जिसके कारण से यह बैठी हुई है। आप उन लोगों का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी पार्टी के माननीय अध्यक्ष महोदय हवाला काण्ड में अभियुक्त है।

श्री अमराराम (धोद) : आडवाणीजी का भी नाम ले लें, ठीक रहेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम समर्थन करते हैं लेकिन गलत मुद्दों पर नहीं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम करें तो पाप और आप करो तो पुण्य। वाह भई वाह।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय तिवाड़ी जी, आपके भाषण से कोई मजा नहीं आ रहा है। आपके भाषण से कोई आनन्द नहीं आ रहा है। कोई अच्छी बात करें। क्या यह घिसी-पिटी बात कह रहे हो ?

श्री कालूलाल गूजर : यह सदन आनन्द के लिए नहीं है, चर्चा के लिए है।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी पढ़कर बताया भ्रष्टाचार की बात आपने कही है। मैंने इस सदन में कुछ आरोप लगाये थे उसके बारे में जांच कराने की मांग की थी। सरकार पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाये थे। शुक्रवार को मैंने जो सदन में आरोप लगाये थे उसके बारे में कुछ कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर आपके आरोप जवाब लायक होंगे तो जवाब मिल जाएगा। मैं यह कह रहा हूं कि इन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो मेरी बात समाप्त करता हूं लेकिन मैं संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां पर यह कहकर आपने दिग्भ्रमित करने की कोशिश की कि भैरोंसिंह जी के झांसे में आकर अटलजी प्रधान मंत्री बन गये। जब इस बात घोषणा हो गयी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्पष्ट रूप से कहा था कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए हैं, यदि राष्ट्रपति जी बुलायेंगे तो जाएंगे और हमारी नीति रखेंगे और नीति रख करके सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, मुझे दुःख है कि जितने प्रकार के भ्रष्टाचार थे, उन भ्रष्टाचारों से बचने के लिए कांग्रेस को एक अम्ब्रेला की आवश्यकता थी इसलिए यू. डी. एफ. का अम्ब्रेला लिया। कांग्रेस साम्प्रदायिकता के नाम पर अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए और सारे देश पर महंगाई थोपने के लिऐ उस सरकार का समर्थन कर रही है। लेकिन वह ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बजट में राजस्थान की जनता के लिये कुछ किया है क्या ? आप उपलब्धियां बताएं। यह तो संसद में तय हो गया कि कांग्रेस और बी. जे. पी. में से कौन भारी बहुमत से जीत रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार का बजट यहां पर पेश किया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है वह विकास को गति देने वाला है। वह राजस्थान में 20 पर्सेण्ट गांवों को बिजली के द्वारा अंधकार से प्रकाश में लाने वाला है। यहां जो बजट पेश किया गया, उसकी आलोचना की गयी थी। सड़क नीति, शिक्षा नीति, और खनिज नीति की आलोचना की गयी थी। किस बात की आलोचना की गयी थी ? अब तक अनीति के आधार पर सड़क बनती रही है इसलिए ? अब तक अनीति के आधार पर स्कूल खुलते रहे है इसलिए ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : खुलेंगी ही नहीं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, खुलेंगी ही नहीं। आपके लोग बोल-बोलकर थक चुके हैं कि जितने स्कूल गुलाबजी ने आपके यहां खोले हैं उतने हमारे यहां नहीं खोले। यह नीति का फायदा तो आपको ही हो रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक स्कूल भी खोला है आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार-बार व्यवधान नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब ज़माना आ गया है कि राजस्थान की जनता इस बात को बरदाश्त नहीं करेगी कि विकास के कार्यों से अछूते रहें। अगर कांग्रेस पार्टी विकास को रुकवाने के नाम पर कर्ज का विरोध करती है तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विकास का विरोध राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रही है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सारे हिन्दुस्तान के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक इस प्रकार के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वह कह दे कि यूरिया स्केम की जांच करा लो। 133 करोड़ रुपये चले गये और एक दाना यूरिया का नहीं आया। और वही इनके अध्यक्ष हैं। और वही इनके संसदीय दल के नेता हैं। कितने स्कैण्डल्स एक के बाद एक करेंगे। इन स्कैण्डलों को बचाने के लिए यह कर रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यावरण के बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिये। जयपुर में जिस प्रकार से पर्यावरण की स्थिति हो रही है, जितना धुआं जयपुर की सड़कों पर है, आम आदमी इस धुऐं से बचना चाहता है। इस धुएं से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। जयपुर ऐयर पोल्यूशन में हिन्दुस्तान में सबसे आगे जा रहा है। अगर अजमेरी गेट से हास्पिटल के सामने तक चले जाएं तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। अगर अजमेर वाली पुलिया में आप टैम्पो के पीछे आ गये तो जिस प्रकार से आपके कपड़े और शरीर हो जाऐगा वह बहुत ही दुःखद स्थिति है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा, मैं एक बात और जयपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जो जयपुर की जमीनों के बारे में है। उन मामलों को किसी न किसी स्तर पर निपटाया जाना चाहिये। चाहे तो इसको जुडिशियल आयोग बना कर निपटा दिया जाए, चाहे विधायकों की समिति बना कर निपटा दिया जाए और चाहे तो सरकार इसको निपटा दे। जिस प्रकार से भू-खण्डधारी व्यक्ति हैं, मैं सोसायटीज की बात नहीं कर रहा हूं, कभी किसी का आपने कह दिया कि यह सोसायटी रेजीडेंस की है, दूसरे दिन हवाई अड्डे के लिए, तीसरे दिन कोई पर्यावरण के लिए, चौथे दिन पार्क के लिए। इसलिए इसका समाधान निश्चित रूप से निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कर देना चाहिये।

एक गलती छूट गयी या रह गयी, डिस्ट्रिक्ट आयोजना समिति बनाने की बात थी जो कांस्टीट्यूशनल प्रावधान है। डिस्ट्रिक्ट आयोजना समिति बनाने की मांग थी और वह संवैधानिक प्रावधान है, उस संवैधानिक प्रावधान को लागू किया जाना चाहिये और जिला आयोजना समितियों का गठन निश्चित रूप से हमको करना चाहिये।

इसी प्रकार संविधान में 73वां और 74वां संशोधन है, उसमें प्रावधान किया गया था कि 10 लाख से ऊपर का अगर कोई शहर है, चाहे उसमें दो राज्यों की सीमाएं मिलती हों, चाहे दो जिलों की सीमाएं मिलती हों उसके 30 किलोमीटर के रेडियस में महानगर विकास परिषद् का गठन किया जाना चाहिये। राजस्थान में एकमात्र ऐसा शहर जयपुर है। इसलिए जयपुर में महानगर विकास परिषद् का गठन निश्चित रूप से राज्य सरकार को करना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : जोधपुर में भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोधपुर में 10 लाख की आबादी नहीं हैं, जब हो जाएगी तो वहां भी लागू हो जाएगा।

इस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस विकासोन्मुख बजट को सर्वसम्पति से पारित करें। इन्ही शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह जी।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से यह तीसरा बजट पेश किया है। वित्तीय अनुशासन, वित्तीय प्रबन्ध आदि कई बातें कही जाती रही हैं। इधर से फाइनेन्शियल बिजार्ड शब्द भी प्रयोग किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि वित्तीय प्रबन्ध किस को कहते हैं। मेरी समझ से अपने घर को देख कर और सोड़ के अनुसार पैर पसारा जाए, यह वित्तीय प्रबन्ध का मूल सिद्धांत है। आमदनी से अधिक खर्च आवश्यक हो तो किया जाए लेकिन जहां तक सम्भव हो उसको रोका

(श्री शिवनाथसिंह)

जाए और खर्च किये गये धन का उपयोग जिस कार्य के लिए किया जाए उसका प्रतिफल भी हमको मिलना चाहिये, यह वित्तीय प्रबन्ध के खास-खास मुद्दे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, जब फाइनेंशियल बिजार्ड शब्द आया, मुझे माफ करेंगे, मेरा अंग्रेजी का ज्ञान बहुत कम है, बिजार्ड शब्द की जगह और कोई ऐसा मिलता-जुलता शब्द था जिसका किरकाट या वो क्या, समानार्थक होता था । मैं समझ नहीं पाया कि ये उपमाएं क्यों दी जा रही हैं। मैंने डिक्शनरी में दिखवाया, फाइनेंशियल बिजार्ड का मतलब होता है-जादूगर । मैं सोच कर बाद में, उपाध्यक्ष जी, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस गिरगिट में और जादूगर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता । असलियत को छिपा कर दूसरा रंग दे दिया जाए वही जादूगर करता है और वही गिरगिट करता है, लाल को पीला और पीले को लाल । माननीय उपाध्यक्षजी, तीन बजट हमने देखें और इन बजट भाषणों में जो कहा गया वह आंकड़े प्रस्तुत करते वक्त सामने नहीं आया । जो आंकड़े प्रस्तुत किये और बजट प्रावधान किये गये उनको यदि हम जमीन पर नापें तो कहीं ठिकाना नहीं लगता है। इसलिए मैं इस नीति को या इस चतुराई को वित्तीय प्रबन्ध की संज्ञा नहीं दे सकता । हमारे मुख्य मंत्रीजी बार-बार इस सदन में कह चुके हैं, हमारे पूर्व प्रधान मंत्रीजी का और दूसरा, वित्त आयोग के उपाध्यक्षजी का उदाहरण दे चुके हैं कि मुझे इन लोगों के सर्टिफिकेट्स हैं, मैं वित्तीय प्रबन्ध में बहुत होशियार हूं। उपाध्यक्षजी, उनके सर्टिफिकेट्स अपनी जगह पर हैं लेकिन इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स देने के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक एक संस्था है और उसके सर्टिफिकेट्स ही मेरे ख्याल से ज्यादा मान्य हैं और ज्यादा सही भी हो सकते हैं।

उपाध्यक्षजी, बहुत समय नहीं लेउंगा, बहुत आंकड़े भी नहीं देउंगा, राज्य सरकार के लेखों में लिखा गया है कि 1994-95 के अन्त में 11888,33 करोड़ रुपये की देयताओं के समक्ष परिसम्पत्तियां 10671 करोड़ की थी। उपाध्यक्ष जी, बार-बार कहते हैं, इधर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हम कर्ज लेते हैं, रुपया उधार लेते हैं उससे परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है। उपाध्यक्षजी, आज जिस चीज पर एक हजार रुपया खर्च किया जाएगा उसका 12 महीने बाद में मूल्यांकन होगा तो 1200 और 1300 रुपया होगा। उस बढ़े हुए मूल्यांकन के बाद भी जिन परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है वह हमारे खर्च किये गये रुपयों के मुकाबले बहुत कम हुआ है। यह परिसम्पत्तियों के निर्माण की कथा है।

उपाध्यक्षजी, 1994-95 के दौरान 6321 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों के समक्ष 6746 करोड़ का राजस्व व्यय हुआ। यदि यही वित्तीय प्रबंध है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो संस्था, देश या प्रांत अपने साधनों से अधिक खर्च कर परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं करता है वह घाटे में जाएगा और अन्ततः आगे

(श्री शिवनाथसिंह)

आने वाली पीढ़ियों को उससे भुगतना पड़ेगा।

उपाध्यक्षजी एक आंकड़ा आपने दिया है, 1994-95 के दौरान लिये गये, 1342 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान का जो पूरे बजट का 15 प्रतिशत था। इसमें क्या हुआ कि 60.17 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। आपने अनुपूरक मांगे स्वीकार करायीं। माननीय उपाध्यक्षजी, अनुपूरक मांगे वह होती हैं जो साल के अंत में किन्हीं कारण से कोई खर्चा बढ़ जाता है और बजट में उसका प्रावधान नहीं होता है उसके लिए यह प्रावधान किया जाता है। उसमें 60 करोड़ रुपये की आपने ऐसी अनुपूरक मांगे इस सदन से पास करवायीं जो अनुपयुक्त थीं।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी बार-बार किसानों के लिए कहते हैं कि किसानों की हालत सुधारने के लिए मैं दिन रात बैचेन रहता हूं। केन्द्र से रुपया आता है और उस केन्द्र के रुपये का सदुपयोग यहां नहीं हो पाता है। इसका भी इस किताब में जिक्र है। माननीय उपाध्यक्षजी, वह लिखते हैं कि 204 जलग्रहण क्षेत्रों के अन्तर्गत आवृत्त होने वाली प्रस्तावित 339950 हैक्टेयर भूमि के समक्ष 1990 से 1994 के दौरान मात्र 22507 हैक्टेयर भूमि को ही आवृत्त किया गया और इसके लिए जो रुपया खर्चा जो होने वाला था वह खर्च नहीं हो पाया। भारत सरकार केन्द्र से रुपया आया उसको भी हम पूरा खर्च नहीं कर पाये। माननीय उपाध्यक्षजी, इसी तरह के कई सर्टिफिकेट यहां दिये गये। एक हैडिंग इन्होंने दिया है "कुछ रोचक तथ्य"। उसके अन्दर उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत जगह सिंचाई विभाग के पहले से मकान बने हुए हैं वे उपयोग में नहीं आ रहे हैं और अनावश्यक रूप से फाइव स्टार होटलों की नकल करने के लिए इस प्रकार से खर्चा किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट के मुकाबले में इस सर्टिफिकेट को भी देखें और अपना निर्णय करें कि वह वहां स्टैण्ड करते है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 1995-96 का बजट पेश करते वक्त यह कहा था, अभी तिवाड़ीजी भी कह रहे थे कि जो व्यक्ति सक्षम और समर्थ हैं उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग के लिए भुगतान करना चाहिये परन्तु निर्धन और आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को सेवाएं और सुविधाएं रियायती दर पर प्राप्त करने का अधिकार है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने इस बहुत बड़े सिद्धांत की अनुपालना में क्या किया? आज तक किसी भी पैसे वाले को, जिसने समाज के रुपयों से अपनी हैसियत बढ़ायी है, टैक्स नहीं किया गया और बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों को बार-बार किसी न किसी तरह से छूट दी गयी और उसका नुकसान गरीब आदमी को हुआ, उसकी भलाई के लिए साधन नहीं दे पाए।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों

(श्री शिवनाथ सिंह)

की आय बढ़ाने के लिए लाभप्रद रोजगार के लक्ष्य बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरा, विकास की कुछ अतिरिक्त योजनाएं पंचायत राज संस्थाओं को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। कितनी ही उनकी इस प्रकार की घोषणाएं हैं। उपाध्यक्षजी, इन घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या मिला? आज पंचायत समितियों और जिला परिषदों की क्या हालत है? कौनसे अतिरिक्त काम उनको दिये गये?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1959 के पंचायत समिति-जिला परिषद एक्ट में प्रधान और पंचायत समिति और जिला प्रमुख को अधिकार थे, आज आपने उन सबको पंगु बना दिया। आपने पंचायत समिति के प्रशासनिक अधिकारी विकास अधिकारियों को दे दिये। वहां की स्टैण्डिंग कमेटी और प्रधान किसी पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता। आज स्कूलों में स्थिति यह है कि अध्यापक जाता नहीं है फिर भी वहां का प्रधान कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। माननीय उपाध्यक्षजी, बड़ी शर्म की बात है। ऐक समय था जब किसी विकास अधिकारी या कर्मचारी को लगाना या हटाना होता था तो वहां के प्रधान की कंसेंट ली जाती थी। आज वे सब प्रावधान खतम कर दिये गये हैं और पंचायत समितियों, उनके प्रधानों और सदस्यों को बिलकुल नाकारा कर दिया गया है। मेरे ख्याल से इस प्रकार के पंचायती राज से बहुत लाभ होने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बार-बार यह कहते आ रहे हैं कि हम अधिकार देंगे। मेरे ख्याल से तो उनका मन नहीं है और वह इसलिए नहीं है कि बी. जे. पी. सरकार नहीं चाहती कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वहां लीडरशिप पनपे। इस ओर उनका ध्यान नहीं है। बारबार इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लीडरशिप आगे नहीं आएं। उनको खतरा है लेकिन यह खतरा उनको भुगतना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वे चाहे ग्रामीण क्षेत्र को कितना ही दबाएं वह लीडरशिप उभर कर आएगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, हमने शिक्षा को और चिकित्सा को पूर्व बजट समर्पित किये। इस वर्ष का बजट पीने के पानी को समर्पित करना चाहते हैं। आज शिक्षा का क्या हाल है? आपने भाषण में कहा कि मैं चाहता हूं कि सन् 2001 तक राजस्थान में एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहे। आज आप जिस रफ्तार से स्कूल खोल रहे हैं उससे क्या आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? आज आपने अलग-अलग योजनाएं बनायी है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली में कहा कि योजनाओं का रुपया एक साल एक काम के लिए लगाया जाए और दूसरे साल दूसरे काम के लिए लगाया जाए। लेकिन यहां बिखराव हो रहा है।

उपाध्यक्षजी, सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम पर हंसी आती है। यहां उसकी आलोचना करें तो बुरा लगता है और बरदाश्त भी नहीं कर पाते हैं। अनौप-

(140)

(श्री शिवनाथ सिंह)

चारिक शिक्षा केन्द्रों पर इतना रुपया लगाने पर भी वह वहां तक नहीं पहुंच पाता है। स्कूलों की दशा आज किसी से छिपी हुई नहीं है। उपाध्यक्षजी, आज ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को वे सुविधाएं और सहूलियतें मुहैया नहीं हो रही हैं कि वे शहरी छात्रों से कम्पीट कर पाएं और कई सेवाओं में आगे बढ़ पाएं।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी आबकारी नीति की बात आई। आबकारी की क्या नीति है? अभी 2-3 दिन पहले आबकारी मंत्रीजी कह रहे थे कि हम आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को शराब पीना सिखाना चाहते हैं।

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के जवाब में यह बात कतई नहीं कही। आप उसको मिसकोट मत करिये। मैंने हाउस में जो जबाब दिया वह मौजूद है। मैंने तो माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि माननीय सदस्यों की भावना है कि आदिवासी क्षेत्रों में ठेकेदार महंगी शराब बेचते हैं जिससे उनका शोषण होता है इसलिए उनकी भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां उचित दर पर उनको शराब मिले इस प्रकार की व्यवस्था हो। मैंने यह नहीं कहा कि उनको शराब पिलाना सिखाया जाएगा। साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में एक कस्टमरी रूप में शराब का सेवन होता है और कई बार वहां पर अवैध शराब भी निकलती है जिसको रोकने का प्रयास सरकार कर रही है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ कहा आपके रिकार्ड पर है, मैं इस बात के विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ठेके नीलाम किये और ठेकेदारों को दुकानें दी। आज स्थिति यह है कि उन स्वीकृत दुकानों के अलावा जगह-जगह पर शराब बिक रही है। आपने गांव में एक ठेका दिया है लेकिन उस गांव में 10 जगह शराब बिक रही है। उसका नतीजा यह हुआ कि माफिया गिरोह पैदा हो रहे हैं। आये दिन झगड़े होते हैं। गांव में महिलाओं और बच्चों का घरों से बाहर निकलना कठिन हो रहा है। इस सदन में बार-बार मांग की गयी, मैंने भी की कि इस प्रकार की दुकानों को निर्धारित करने और नियंत्रित करने के लिए जो जिला कमेटियां बनायी हैं उनको आप कुछ सोचने का अधिकार दें। आपने कहा कि नहीं, हमारे ठेकेदार कितनी ही दुकानें चलाएं पर इस सम्बन्ध में जिला कमेटी को उन्हें देखने के लिए कोई अधिकार नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, आप क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन मैं उनमें नहीं जाना

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहता । मैं राजस्थान के विकास के लिए चिंतित हूं । उसके विकास में बाधा आती हैं तो पीड़ा होती है । आज राजस्थान का विकास रुक रहा है, अवरूद्ध हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि इस सरकार में खींचतान हो रही है । आज मुख्य मंत्रीजी एक तबादला नीति बताते हैं तो उप-मुख्य मंत्रीजी दूसरी बात कहते हैं । कल ही इनकी एक मीटिंग हुई है उसमें जितनी छिछालेदार हुई है, मेरे ख्याल से उतनी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई । (व्यवधान) आप बीच में डिस्टर्ब मत करो । माननीय उपाध्यक्षजी, उस मीटिंग में यह साफ आरोप लगाए गये हैं कि मंत्रियों को अधिकारी नहीं मानते हैं । इस बात का उदाहरण सिरोही से आने वाले माननीय सदस्या ने दिया कि भंवरलालजी को मैंने बार-बार कहा, इन्होंने डायरेक्टर से कह दिया कि इसको हटा दें उसको लगा दें, इनके कहने की सिंसियरिटी में डाउट नहीं था लेकिन अधिकारी उनकी नहीं मानते । आज यह स्थिति है । यह स्थिति क्यों पैदा हुई ?

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : ट्रांसफर कराने में ही अधिकारियों का मानना न मानना कोई मापदण्ड नहीं है । अन्य विषय भी है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : लेकिन उस दिन आपके धक्का-मुक्की भी तो हुई ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : कोई धक्का-मुक्की नहीं हुई है । आपके साथ हुई हो तो पता नहीं । हमारी पार्टी की मीटिंग में तो कोई धक्का मुक्की नहीं हुई । मैं कह रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं हुई ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : आपके लगी तो नहीं ?

श्री किशनगोपाल कोगटा : धक्का मुक्की नहीं हुई । आपको कोई सूचना है तो उसके चक्कर में गलत सूचनाओं का स्टेटमेंट मत देना ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे पीड़ा होती है । इनको पार्टी का मामला है । पार्टी का मामला हो मुझे दिक्कत नहीं है । आपकी पार्टी राजस्थान में राज कर रही है । इनके आपसी विद्वेष का, आपसी खींचातानी का राजस्थान के प्रशासन पर असर पड़ता है और यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी का मंत्रियों पर विश्वास नहीं है । इनके ऊपर कोई काम छोड़ना नहीं चाहते हैं और मुख्य मंत्रीजी जब इनका विश्वास नहीं करते तो हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वह इन मंत्रियों को कोई + + + यह स्थिति बन गयी । मुख्य मंत्रीजी ने सब अधिकार अपने पास समेट लिए हैं । माननीय

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज उनका शिकंजा भी ढीला हो गया है। हमारा शेर बूढ़ा हो गया। आपने जंगल की कहानी सुनी होगी। जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांपता है लेकिन शेर बूढ़ा हो जाता है तो वह गुर्रा सकता है और काट नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता। इसलिए अधिकारी आज स्वच्छंद घूम रहे हैं मुख्य मंत्रीजी का कोई अंकुश इनके ऊपर नहीं है, मंत्रियों पर कोई अंकुश नहीं है और यह नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसका प्रशासन पर नीचे तक असर पड़ता है। राजस्थान के विकास पर असर पड़ रहा है। इसलिए हमें सोचना है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : कभी शेर भी थकता है क्या? न शेर बूढ़ा होता है और ना थकता है

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शेर के साथ चीता और लगा हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : राजस्थान के विकास के लिए मेहरबानी करके आप या तो सही रूप से प्रशासन को दिशा दीजिए, शासन कीजिए। पार्टी के झगड़े आपके हो सकते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान के ऊपर, हमारे प्रशासन के ऊपर हमारे विकास की गति पर उसका असर नहीं पड़े। इसलिए हम सभी को चिन्ता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश किया गया है उससे परिलक्षित होता है कि राजस्थान दिवालियापन के कगार पर पहुंच चुका है। आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे पूर्व वित्त मंत्री ने कहा और आंकड़ों का जवाब उधर से दिया गया उधर का जवाब फीका था, रस नहीं था। इन्होंने जो तर्क दिये हैं उनका कोई मुकाबला नहीं था। आंकड़ों की लड़ाई दिमागी लड़ाई है। मैं तो जमीन की लड़ाई देखना चाहता हूं। क्या प्रभाव पड़ा इतना रुपया खर्च होने के बाद में? इतनी योजनाएं बनाने के बाद में? आप कहते हैं कि हम योजनाओं में बहुत रुपया लाए, योजना हमारी बढ़ गयी लेकिन उस योजना से क्या हुआ? उस गरीब को क्या मिला? गरीब जो खेत में काम करता है, हल बाता है, सिंचाई करता है मजदूरी करता है उसके लिए आप इन योजनाओं के माध्यम से एक भी फायदा नहीं कर पाए। इसलिए आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए और आपसी लड़ाई बंद करके राजस्थान के विकास की चिन्ता आप कीजिए। मुख्य मंत्रीजी और उप-मुख्य मंत्रीजी के झगड़े आप समाप्त कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी। चार बजे सरकार की ओर से जवाब

(श्री उपाध्यक्ष)

आएगा इसलिए कृपया आप समय का ध्यान रखें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति ने जो समय का निर्धारण किया था उसके हिसाब से आपके दल का समय कल ही समाप्त हो गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : समय तो बढ़ा दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो यह जितना चाहते थे उतना ही हम समय बढ़ा देते थे। हमने तो कभी यह चिन्ता ही नहीं की। यह कहते थे तीन घण्टे बढ़ा दो तो हम बढ़ा देते थे। बढ़ा दो, क्या है। कुछ बोलने वाले हैं, कुछ अच्छे सुझाव हैं तो उनसे आपको लाभ होगा। उसमें नुकसान क्या है ? बढ़ा दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय तो एक मिनट भी नहीं बढ़ाया। जब आप यहां बैठते थे तो आपका रवैया बिलकुल गैर लोकतांत्रिक था।

एक माननीय सदस्य : जितना आप समय चाहते थे उतना समय देते थे।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट बाकी हैं उसमें आपके जितने भी सदस्य बोलना चाहें, बोल लें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट की बात शुरू करूं उसके पहले निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बजट की चर्चा के दौरान स्वर्गीय हरिदेवजी जोशी और स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में एक माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे। इस राजस्थान के विकास में जितना बड़ा योगदान उन दो व्यक्तियों का रहा है मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय तक और आगे आने वाली सदी तक स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी और श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया को कोई नहीं भुला पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें एक्सपन्ज कर दिया था। आप आगे चलिये।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक्सपन्ज कर दिये मुझे जानकारी नहीं थी। अगर आपने एक्सपन्ज कर दिये होते तो मैं अपनी बात नहीं कहता।

श्री उपाध्यक्ष : उसी समय कर दिये थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक्सपन्ज कर दिये थे, विष्णु जी को मैंने यहीं कहा था और मेरी उनके प्रति कोई बुरी भावना से कोई बात नहीं थी। मैंने जो कहा उसकी जो कही थी वह छपा है। इसको आप मिस अण्डरस्टैण्ड नहीं करें।

श्री विष्णु मोदी : आपकी भावना नहीं थी तो अच्छी बात है लेकिन जो शेखावत और सुखाड़िया....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जो शेखावत सुखाड़िया का है वह मैं भी मानता हूं।

श्री विष्णु मोदी : तो उसमें मेरा यह मानना है कि सुखाड़िया साहब ने जो व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के साथ में मित्रता निभाई है वही शेखावत साहब निभा रहे हैं। शेखावत साहब का मैं आदर करता हूं तो इसी बात का आदर करता हूं कि जो सुखाड़ियाजी ने इस प्रदेश में परम्परा डाली उसको वह अभी तक भी निभा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्रीजी भी हैं, यह तीसरा बजट पेश किया है। पहला बजट शिक्षा को समर्पित था। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद ही इसका आंकलन करा लें। क्वांटिटेटिवली तो आप यह बता सकते हैं कि हमने इतने स्कूल खोल दिये, इतने क्रमोन्नत कर दिये लेकिन क्वालिटेटिवली मैं समझता हूं कि जो शिक्षा का स्तर था उसमें निरन्तर गिरते जा रहे हैं। दूसरा बजट उन्होंने समर्पित किया स्वास्थ्य और चिकित्सा को। मैं समझता हूं उसी वर्ष पूरे देश में और इण्टरनेशनल स्तर पर राजस्थान की चिकित्सा की पोल खुली और उसी वर्ष मलेरिया से सैकड़ों लोग मारे गये और राजस्थान के बारे में ऐसी धारणा बनी कि जिस धारणा को आप आगे आने वाले कई बरसों तक नहीं मिटा सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में मंशा तो जाहिर नहीं की लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे यह पेयजल को समर्पित है। आज भी अजमेर में 85 घण्टे के अन्दर पानी आता है। तो आप किस तरह से समर्पित करते हैं, वह आपकी कथनी और करनी में जो हमेशा से अन्तर रहा है वही बात है। आप नारों से विकास को गति नहीं दे सकते। एक आपने अगर अच्छा काम किया है तो यह है कि योजना का आकार बढ़ा है। उसी आकार के ऊपर आप राजस्थान का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस इस बजट का सवाल है, बजट तो एक आदमी का अपने घर का भी होता है, एक व्यापारी के व्यापार का भी बजट होता है लेकिन यह बजट किस दिशा को दिखाता है ? एक परिपाटी तो इस सदन में यह बनी कि पिछले पांच साल में यह था, पिछले पांच साल में यह था। मैं समझता हूं कि अगर राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाना है, जैसा कि वह कहते हैं तो आल इण्डिया लेबल पर हम कहां हैं यह बताना चाहिए। आपने ऐसा किया था। हमने किया था वह किया होगा। उस समय की पुकार थी वैसा किया है। हम भी चुनकर आये थे। लेकिन आप आल इण्डिया में कहां फिगर करते हैं यह कोई नहीं बताता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतन बड़ा योजना का आकार बनने के बा इतनी विनियोजन करने के बाद में जो पिछले साल ग्रोथ रेट थी, 1995-9 की आर्थिक समीक्षा में कहा है कि वर्ष अच्छा नहीं रहा। अभी विकास केवल 3.9 प्रतिशत है जबकि आल इण्डि का एवरेज था 6.2 प्रतिशत। तो देख लें कि आपकी योजना का इ

(श्री विष्णु मोदी)

बड़ा आकार होने के बाद में भी, आपका इतना कुशल वित्तीय प्रबन्धन होने के बावजूद भी आपने क्या ग्रोथ रेट पाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना ही क्या योजना है जिसमें कि ग्रोथ रेट नहीं बढ़े। इसके साथ में आप देख लीजिए, आप योजना तो इसलिए ला रहे हैं कि राजस्थान का विकास हो और राजस्थान के विकास से लोगों को लाभ मिले, आपकी परकैपिटा इनकम पिछले साल बढ़ी। खाली 1.78 पर्सेण्ट बढ़ी। जबकि उस वक्त आल इण्डिया की 4.8 पर्सेण्ट परकैपिटा इनकम बढ़ी है। तो आप खाली बात से, खाली इसके लिखने से विकास नहीं कर सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में क्या हुआ? कोई भी सरकार की नीति फिस्कल डेफिसिट रहने से आगे नहीं बढ़ सकती। फिस्कल डेफिसिट क्या है? आपका रेवेन्यू डेफिसिट रह सकता है लेकिन फिस्कल डेफिसिट की स्थिति यह है कि 1992-93 में जहां 1159 करोड़ रुपये था वहीं 1995-96 में 2476 करोड़ रुपये हो गया और 1996 में आप बताते हैं कि हम इसको घटायेंगे। लेकिन यह पर्सेण्टेज वाइज बढ़ा है। पिछले साल 22 पर्सेण्ट था और सरकार दावा कर रही है कि हम इसको 15 पर्सेण्ट पर रखेंगे। लेकिन मेरी आशंका है और जिस तरह से आपका पिछला ट्रेक रिकार्ड है वह 25-26 तक है और यह जो 30 पर्सेण्ट की पैट्रोलियम की वृद्धि हुई है इससे आपका फिस्कल डेफिसिट 30 पर्सेण्ट से भी ऊपर चला जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आदरणीय चन्दनमलजी वैद ने भी कहा और दूसरे माननीय श्री घनश्याम जी तिवाड़ी भी कह रहे थे कि हम कर्ज ले रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं, हम तो विकास में लगा रहे हैं। आप कर्ज लो और विकास में लगाओ तो बात समझ में आती है लेकिन कर्जे की एक लिमिटेशन होती है और वह लिमिटेशन टैन्थ फाइनेंस कमीशन ने बतायी है। यह नहीं है कि वह चन्दनमल जी ने बतायी है या मैंने बतायी है। आपकी जो देनदारी पहले 1241 करोड़ रुपये थी वह 1995-96 में 1519 करोड़ रुपये हो जाएगी। जो आपका टैक्स रेवेन्यू है, इसको तो 46 पर्सेण्ट है और पहले 15 पर्सेण्ट थी कुल रेवेन्यू की, अब 19.3 पर्सेण्ट हो गयी। फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 17 पर्सेण्ट से ज्यादा जिन स्टेट्स ने कर्जा लिया है वह फिस्कल डेफिसिट स्ट्रेस में आ गये। तो जो दूसरे स्टेट्स हैं जिनका कर्जा 17 पर्सेण्ट से ऊपर बढ़ा है वह स्ट्रेस में आ गये और वहां की जो स्थिति बनी है, मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं कि वह स्थिति राजस्थान की बन जाएगी। आप कर्ज लें लेकिन कर्जे की लिमिटेशन टैन्थ फाइनेंस कमीशन ने बतायी है।

अभी कह रहे थे कि हमने पांच साल से टैक्स नहीं लगाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजा चेलैया भारत सरकार के टैक्स एडवाइजर हैं उन्होंने और दुनिया

(श्री विष्णु मोदी)

भर के इकोनोमिस्ट्स ने यह बात अध्ययन करके कही है कि जो टैक्स रेट है वह मैक्सिमम आ गयी है और जहां भी आप टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो आपकी रवेन्यू बढ़ेगी। तो आपने टैक्स इसलिए नहीं लगाया कि आप कोई राहत देना चाहते थे। लेकिन जो टैक्स रेट थी वह आलरेडी इस लिमिट तक जा चुकी थी कि आपको टैक्स रेट तो घटानी पड़ेगी और वह टैक्स रेट इसलिए घटानी पड़ रही है कि आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। जैसे कान्त साहब ने फ्राइडे को बताया था कि हमने मोटर व्हीकल पर जब सेल्स टैक्स कम किया तो हमारी रेवेन्यू बढ़ी। तो यह एक सर्वविदित है कि आपने कोई बिल के कारण या इसके कारण टैक्स नहीं लगाया, इस तरह की कोई बात नहीं है।

श्री टीकमचन्द कान्त : आपने कब घटाना शुरू किया?

श्री विष्णु मोदी : घटाना तो अब जब आपको टैक्स मिलना बन्द हो गया.... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : यह राजा चेलैया वाली सलाह आपने तो मानी ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री चन्दन मल बैद : राजा चेलैया उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू घट रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, मितव्ययता पर कोई रोक नहीं है। उसके बाद में मैं समझता हूं कि इसे दिशाहीन कहूं तो ज्यादा उपयुक्त वर्ड है। इस बजट में कोई दिशा नहीं है।

हमारे जो 5-7 आइटम हैं मेन टैक्स रेवेन्यू के, चाहे वह सेल्स टैक्स हो, एक्साइज हो, स्टाम्प ड्यूटी हो वह भी घट रही है। मैं समझता हूं कि जब तक आप कोई मूल रूप से फैसला नहीं लेंगे, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे यह सरकार हो, योजना आप कितनी ही बड़ी बना लें, आप उसमें कोई एक नहर बना लें या आप पी. एच. ई डी. की स्कीम ले लें लेकिन किसी भी योजना के रख-रखाव का जब तक आप कड़ाई से फैसला नहीं करेंगे, यह जो हमने डवलपमेंट किया है, इस डवलपमेंट को कैपीटल इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट ने कर दिया लेकिन आप इसकी मेंटीनेंस को भी अपने बजट से पूरा करते रहेंगे तो चाहे कोई भी सरकार को, कोई वित्त मंत्री हो, कोई मुख्य मंत्री हो, वह राजस्थान को जितनी समस्याएं हैं उसको नहीं रोक पाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह आदमी तो आज भी वंचित है जिसको आजादी के बाद से आज तक कभी डवलपमेंट का फल चखने को नहीं मिला। जिनको डवलपमेंट मिल गया वह तो सुविधा भोग रहे हैं लेकिन जो आज प्रतीक्षारत व्यक्ति है वह तब तक प्रतीक्षारत रहेगा, आप कितनी ही बड़ी योजना बना लें, जब तक आप कड़ाई से यह फैसला

(श्री विष्णु मोदी)

नहीं करेंगे कि हमारी योजना के रख-रखाव पर, मेंटीनेंस पर जिसको लाभ मिल रहा है उससे उसका पैसा नहीं लेंगे। तब तक आप राजस्थान का विकास नहीं कर सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स रेवेन्यू बढ़े। टैक्स तो क्योंकि यह सर्वविदित हो गया कि आप बढ़ायेंगे तो उलटा कम आएगा। तो राजस्थान के सामने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, आज सैल्स टैक्स में इवेजन है, आज एक्साइज में इवेजन है, आज माईनिंग में इवेजन है, आज रोड टैक्स में है....

श्री कैलाश मेघवाल : कौन कर रहे हैं माइनिंग में ?

श्री विष्णु मोदी : वह तो आपकी भी जानकारी में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने जिक्र किया, 5 जुलाई, 1995 को माननीय भैरोंसिंह जी साहब ने प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से कहा कि रोडवेज का तो इतना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है और प्राइवेट का इतना आ रहा है और उस टैक्स डेफ़िसिट को आपने आज तक पूरा नहीं किया। लेकिन अब जब मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, चूंकि उनको आरोप लगाने की आदत है, अगर उनको उस वक्त यह जानकारी नहीं थी कि सेंट्रल एक्ट इसके बीच में आड़े आ रहा है तो मैं समझता हूं कि एक प्रतिपक्ष का नेता सरकार के उपर आरोप लगाये कि 22 करोड़ रुपये की इसमें लीकेज है और उनको यह जानकारी नहीं हो कि सेंट्रल एक्ट के कारण स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं बढ़ा सकती, तो यह स्थिति भी ठीक नहीं है। और अगर जानकारी थी तो भी यह स्थिति ठीक नहीं है कि जानकारी होने के बावजूद आप इतने दिन से, 6 साल से, 7 साल से आप राज कर रहे हैं आपने क्या किया। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे टाइम में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने कल कारखाने लग रहे हैं, इतने उद्योग लग रहे हैं और हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। स्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अगस्त, 1991 से अगस्त, 1995 तक जो इन्वेस्टमेंट कण्ट्री में हुआ उसमें गुजरात में एक लाख चार हजार 322 करोड़ रुपये का हुआ जो आल इण्डिया का 19.78 पर्सेंट था। महाराष्ट्र में 90 हजार 415 करोड़ रुपये का हुआ जो आल इण्डिया का 17.14 पर्सेंट था। उत्तर प्रदेश में 50 हजार 461 करोड़ रुपये हुआ जो आल इण्डिया का 9.56 पर्सेंट था। आन्ध्र प्रदेश में 44 हजार 505 करोड़ का हुआ जो आल इण्डिया का 8.43 पर्सेंट था। मध्य प्रदेश में 42 हजार 72 करोड़ रुपये हुआ जो आल इण्डिया का 7.97 पर्सेंट था और बाकी राज्यों का 37 प्रतिशत था। राजस्थान तो बाकी पूरे जो स्टेट्स हैं उनकी कैटेगिरी में आया हुआ है। राजस्थान के अन्दर इन्वेस्टमेंट इण्डस्ट्रियलाइजेशन में नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि हमने औद्योगिक नीति बनायी, हमने खनिज नीति बनायी, मैं तो यह कहता हूं, मेरा सरकार

(श्री विष्णु मोदी)

पर आरोप है और मैंने हर सदन में कहा है कि आप उन नीतियों को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा करें, आपकी नीतियों के कारण आपने अवरोध पैदा किया है कि राजस्थान विकास नहीं हो [illegible]

यही स्थिति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी पूंजी के इन्वेस्टमेंट की हैं। आज अभी चिदम्बरम् साहब ने कहा कि हम ग्रोथ बढ़ायेंगे, इसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेंगे तो उसके लिए अगले पांच साल में हमें दो सौ बिलियन रुपये की आवश्यकता है और उसमें फिफ्टी बिलियन रुपये की आवश्यकता हम विदेश से इन्वेस्टमेंट के रूप में लायेंगे। पिछले पांच साल में जो फौरेन इन्वेस्टमेंट आया जो कि मैनली इन्फ्रास्ट्रक्चरल एरिया में था, यह कोई इण्डस्ट्री में नहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चरल एरिया में है महाराष्ट्र में 26 पर्सेंट, दिल्ली में 13 पर्सेंट, गुजरात में 8.89 पर्सेंट, तमिलनाडु में 5.92 पर्सेंट, पश्चिम बंगाल में 5.18 पर्सेंट, आन्ध्र प्रदेश में 5.19 पर्सेंट और राजस्थान में 1.14 पर्सेंट है। यह जो फौरेन इन्वेस्टमेंट आया है, अपने तो पांच हजार करोड़ रुपये लायेंगे, जो रियल स्थिति है वह आज राजस्थान का 1.14 है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी से ज्यादा पब्लिक सैक्टर को समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है।

(16.00)

क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लम्बे समय तक पी. यू. सी. का अगर कोई चेयरमैन रहा है तो माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत रहे हैं और जब आप पहले आये थे तो उन्होंने मथुरादास कमेटी भी बनायी कि इसका क्या कर सकते हैं और उसके बाद में अभी भी जो स्थिति राजस्थान में पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग की है कि 30 अरब रुपये से ज्यादा लोन एण्ड कैपीटल के रूप में लगा हुआ है उसके ऊपर रिटर्न जीरो। और है तो मामूली।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में इस सरकार के सामने दो ही स्थितियां बचती हैं। आज 30 अरब का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तो हालत यह है कि सिवाय आई. ए. एस. अफसरों के अलावा कोई चेयरमैन नहीं है और वह निरन्तर घाटे में जा रहा है। जब तक आप वर्किंग कल्चर स्टेट में पैदा नहीं करेंगे, जब तक एफीशियंट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब तक टैक्निकल लोगों को या फाइनेंस के लोगों को कारपोरेशन में नहीं बैठाएंगे, आज बैंक में भी रुपया जमा होता है तो उसका 20 प्रतिशत रिटर्न मिलता है लेकिन 30 अरब रुपये का इस राजस्थान में कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, जब तक इस स्टेट में पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग में इनकम नहीं आएगी, जब तक यह सरकार अपने टैक्स लीकेज को नहीं रोकेगी तब तक इस प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है और यही स्थिति बनी रहेगी जो स्थिति जिस तरह से चली आ रही है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेंगे माधवसिंह जी, पांच मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपने लिखकर दिया था ।

श्री माधवसिंह दीवान : (सोजत) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में यह कहा कि सारे के सारे लोग क्रिटिसाइज हो क्रिटिसाइज करते हैं, कोई भी सुझाव गवर्नमेंट सुधारने के लिए नहीं देता है । हालांकि यह काम तो सत्ता पक्ष का है, हमारा तो काम ही क्रिटिसाइज करने का है फिर भी आउट आफ वे जाकर कुछ सुझाव जो वाकई में लागू हो सकते हैं वह देना चाहूंगा पर सुझाव लागू करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए विल चाहिए, वह तो कम से कम इस केबिनेट को, इस सत्ता पक्ष को लेनी पड़ेगी ताकि राजस्थान का समुचित विकास हो सके ।

मैं एक-एक बिन्दुओं पर ही बोलूंगा । राजस्थान की जनता ने और राजस्थान के विधायक दल ने नेता भैरोंसिंह जी शेखावत को चुना । उन्होंने अपनी केबिनेट चुनी है, यहां के विधायक ने केबिनेट को नहीं चुना । पिछले ढाई सालों में कोई केबिनेट रिशफल नहीं हुई । क्या सारे मंत्री एफीशियेंट हैं ? क्या सारे ही मंत्री अपने-अपने महकमों का काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं ? पता नहीं, मुख्य मंत्रीजी को टाइम ही नहीं मिला कि वे अपने किसी मंत्री को इनएफीशियेंट हुआ तो हटाते, किसी का प्रमोशन करते । किसी के पास दो-दो महकमे हैं । टाइम नहीं मिल रहा है । जैसे भंवरलाल जी शर्मा के पास स्वायत्त शासन और पी. एच. ई. डी. है । पी. एच. ई. डी. में उनको एक मिनट फुरसत नहीं मिलती । तो महकमा लेकर दूसरे किसी मंत्रीजी को देते, जो बिना काम बैठे हैं । उस इच्छा शक्ति का कहीं प्रदर्शन नहीं किया । वेटिंग लिस्ट मंत्रियों की बढ़ती जा रही है और इधर ये मंत्री बैठे हुए हैं । अगर ये चाहते हैं कि काम हो तो काम मंत्री पद से ही शुरू होता है । नम्बर एक, हरेक मंत्री को एक टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर दें कि आपको डेढ़ महीने-तीन महीने-छह काम महीने में यह काम ऐसे करके दिखाने हैं तो आप इस पद पर रहेंगे, यह महकमा रहेगा नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा । परन्तु क्या है कि जैसे स्कूलों के अन्दर दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हैड मास्टर और एक मानीटर, हैड मास्टर का काम होता है पूरे स्कूल को सुचारू रूप से चलाना और मानीटर का काम होता है क्लास को चुप रखना, हमारे मुख्य मंत्रीजी मानीटर बने हुए हैं, सबको चुप किये हुए हैं । स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई लेना देना नहीं, कोई बोल नहीं सके विधायक क्योंकि हैडमास्टर को तो दूर और डंडा लिये हुए मानीटर क्लास में खड़ा रहता है उस तरह से खड़े हुए हैं । कोई लेना-देना नहीं कि स्कूल में काम क्या चल

(श्री माधवसिंह दीवान)

रहा है। (व्यवधान) अगर आपको कुछ करना है तो काफी अनपापूलर डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि हम लोग भी उससे बचते रहे है और अनपापुलर डिसीजन लेने के लिए अंग्रेजी में कहावत है, 'Unwilling leaders are the best leaders. मतलब आप तैयार हैं कि अगर मुझे यह निर्णय लेने से गद्दी भी छोड़नी पड़े, अगर इसके कारण लोगों में नाराजगी भी हो, अगर कोई निर्णय राजस्थान की जनता के लिए अच्छा हो तो मैं उसको लूंगा। वह इच्छा शक्ति और वह काम करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप काम कर सकते हैं।

अब सबसे बड़ी प्राब्लम है कि इनडिसिप्लीन यानी अनुशासनहीनता। खासकर थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास एम्प्लोयीज, एल. डी. सी. चपरासी, वर्कचार्ज एम्प्लायी, बाबू हैण्डपम्प मिस्त्री कोई ए. ईएन. का कहना नहीं मानता। कोई भी मौके पर जाता नहीं, मास्टर पढ़ाता नहीं। यह थर्ड डिवीजन और फोर्थ डिवीजन क्लास के एम्प्लायीज हैं, इन पर आपके अफसरों का कोई कट्रोल नहीं। इनका तरीका एक ही हो सकता है कि आप तो इनके अन्दर यूनियनबाजी को बन्द करें। सरकार में यूनियनबाजी की कहां जरूरत है आज प्राइवेट में कोई यूनियन है या फैक्ट्री में यूनियन रख सकते हैं। सरकारी एम्प्लायी अगर यूनियनबाजी करेंगे तो उसका भुगतभोगी जनता को होना पड़ेगा। अगर हिम्मत हो इन सरकारी कर्मचारियों में से यूनियनबाजी हटा दीजिये कि कोई कर्मचारी यूनियन का सदस्य नहीं हो सकता। आपको अगर कोई शिकायत हो तो उनके लिए एक सैल बना दीजिये जहां उनकी शिकायत सुनी जाएगी और उनका निराकरण होगा। अगर आप यह यूनियन बाजी हटा देते हैं तो यह नहीं होगा कि सारे अफसर जो मौके पर बैठे है, आज कोई तहसीलदार बाबू को कुछ कह ही नहीं सकता, ए. ईएन. जे. ईएन. किसी को कुछ कहे तो वे लोग कागज फाड़कर उनके सामने मुंह पर फेंक पर जाते हैं और दूसरी बात कि इन थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के लिए कोई पालिटिकल लीडर सपोर्ट नहीं करेगा। अगर इनका ट्रांसफर होता है तो 10 जने हमारे साथी पहुच जाते हैं कि यह तो यही रहना चाहिए। एक आदमी जबरदस्ती वहां ए. ईएन. की छाती पर रह रहा है तो 10 जने काम नहीं करेंगे। इसके लिए कम से कम हीं न कहीं तो पालिटिकल बिल होनी चाहिए। भैरोंसिंह जी आज थोड़े ही पैदा हुए हैं, 50 साल इस विधान सभा के अन्दर रगड़ाई हुई हैं तो भैरोंसिह जी शेखावत पैदा हुए हैं और अगला भैरोंसिह शेखावत पैदा पता नहीं कब हो पाएंगे और वह आदमी भी अगर पालिटिकल बिल नहीं दिखाएगा, वह आदमी अगर इस राजस्थान की बिगड़ी परिस्थिति को ठीक नहीं करेगा तो फिर कहां से दूसरा आदमी लाएंगे और राजस्थान को कब तक पीछे छोड़ते चले जाएं तो। सबसे पहले तो आप यूनियनबाजी के बारे में निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए और हम कोशिश करेंगे, अगर आपके वे निर्णय राजस्थान

(श्री माधवसिंह दीवान)

के विकास के लिए अच्छे होंगे तो हम उसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि .

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री माधवसिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं समाप्त करदूं। (व्यवधान) मेरे 2-3 सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपके बाद वी. पी. सिंह जी बोलना चाहते हैं एक मिनट, इसलिए कह रहा हूं।

श्री माधवसिंह दीवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप गांव में पधारें तो मास्टर स्कूल में आते नहीं, ए. एन. एम. वहां रहती नहीं। इनके अलग-अलग महकमे हैं, मेडिकल मिनिस्टर अलग, एजूकेशन मिनिस्टर अलग। अगर आपको कोई सुधार करना हो तो एक-एक जिले के अन्दर सुपरटाइम स्केल के एक सैक्रेटरी को या कमिश्नर को इन्चार्ज बना दीजिए और उनके पास और कुछ नहीं देना है, एक रिलीव करने के आदेश दे दीजिए। किसी गांव में गये, मास्टर वहां नहीं मिला, उसको रिलीव करके जयपुर भेज दिया। उनके पास और कुछ देने की जरूरत नहीं है। बांसवाड़ा के मास्टर को जब रिलीव करके यहां जयपुर भेजा जाएगा, अलवर के मास्टर को रिलीव करके यहां जयपुर भेजा जाएगा, सारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। सिर्फ एक सैक्रेटरी को या कमिश्नर को रिलीव करने का आदेश दे दीजिए। वह गांव में बिना किसी इत्तला के पहुंच जाए, एक माह में किसी पांच दिन जिले का दौरा कर ले, अनएक्सपेक्टेडली कहीं पहुंच जाए और अगर ए. एन. एम. नहीं है, मास्टर नहीं, है, कोई कर्मचारी नहीं है तो तुरन्त वहां से रिलीव कर दे। उनसे न तो एक्सप्लेनेशन पूछना है, न कोई सस्पैण्ड करना है, उनको वहां से तुरन्त रिलीव करके किसी को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर पर बुला लें और किसी को जयपुर बुला लें। इससे अपने गांव में अटेंडेंस बढ़ जाएगी - सरकार को चाहिये कि अनएक्सपेक्टेडली, अनइन्फार्म्ड वहां चैकिंग करने वाले पहुंचे जिसकी न तो किसी की सिफारिश हो और न किसी के लिये वहां जगह हो।

अब रही करप्शन की बात। करप्शन तरह-तरह के है। सबसे बड़ा करप्शन तो यह है कि हर अफसर ने मंथली लेना शुरू कर दिया है कमीशन के तौर पर मैं इंजीनियर हूं मुझे पता है कि सारे इंजीनियर्स के फिक्सड हैं। दो प्रतिशत जे. ईऐन. के.. तीन प्रतिशत्त ए. ईऐन. के.... (व्यवधान) डेढ़ प्रतिशत, वह पहले था। वह टोटल 10 प्रतिशत अंग्रेजों के राज से चला आ रहा था, हमारे राज में भी चला और वह 10 प्रतिशत से 28 प्रतिशत हो गया। अब इस 28 प्रतिशत के लिए कहते हैं तो कहा जाता है कि मंत्रीजी शामिल हैं, चीफ इंजीनियर, जो पहले नहीं लेता था वह भी ले रहा है। यह जो कमीशन की बीमारी है, मंथली आपके रोड ट्रांसपोर्ट इंसपेक्टर खड़े-खड़े वसूली कर रहे हैं वहां रोड पर, सड़क पर रोक-रोक कर। इसका तरीका सिर्फ यही है कि आप 50 आदमी, 100 आदमी अनआइडेंटीफाइड

(152)

(श्री माधवसिंह दीवान)

छोड़ दीजिए आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, राजस्थान की सरकार आपके पास है, अनआइडेंटिफाइ लोग छोड़ दीजिये, जनता के अन्दर हवा बन जाये, अफसरों में हवा बन जाये कि अनआइडेंटिफाइड लोग, जोकि मुख्य मंत्रीजी के खास आदमी हैं, घूम रहे हैं जिससे कि तहसीलदार कम से कम रजिस्ट्री का पैसा लेगा तो उसको चिन्ता होगी कि कहीं पैसा देने वाला ही तो सी. एम. से अटैच्ड नहीं, है, जो ठेकेदार कमीशन देगा उसमें एक डर तो पैदा होगा। आज इस सिस्टम में मंथली ले रहे है। एक्साइज इस्पेक्टर ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं, किसी को डर नहीं है कि कहीं कोई देखने वाला है या कहीं कोई रोकने वाला है या ऊपर कोई शिकायत हो गयी तो उसकी कार्यवाही होगी। अगर आप 100 आदमी इस तरह के चूज कर लें कि जो आपको ही जानते हों, आप उनको ही जानते हों, और जनता के अन्दर अफसरों के अन्दर, किसी से बात की नहीं हो तो कम से कम उनको जिस तरह से भगवान का डर रहता है कि भगवान देख रहा है, उसी तरह एक पैरेलल चीज हो कि कोई न कोई देख रहा है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करते हुए, उस पर तो रोक लगने की कम से कम कहीं जगह होगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको जैसा कि माननीय विष्णु जी ने कहा, इन कम में तो इन्क्रीज करना ही पड़ेगा। जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, आज पानी की कमी है, पानी की कमी क्यों है कि सारे के सारे नल हैं उनमें टूंटी लगी हुई नहीं है। आपकी पानी की रेट इतनी कम है कि अगर कोई आदमी पूरा नल चलता रहे, पूरे दिन भर चलता रहे तो 30 रुपये फ्लेट चार्जेज है। आप सिंचाई जो दे रहे हैं, चाहे चम्बल में दे रहे हों, चाहे वहां दे रहे हों, पूरे गेहूं की सिंचाई चार पाए 8 रुपये बीघा में और बिजली और है। सारी जो डिफरेंसेज है, कहीं न कहीं यह निर्णय बड़े मुश्किल हैं कुए से कर रहे हैं वो 200 रुपये बीघे में ही नहीं हो। के लेने पड़ेंगे। इसमें खतरा होगा, इसमें आन्दोलन होंगे, इसमें हल्ला होगा परन्तु राजस्थान का विकास करने के लिए अगर यह निर्णय भैरोंसिंह शेखावत नहीं ले सकता तो अगला कौन आदमी इतनी हिम्मत कर पाऐगा जो जनता को भी साथ रख सके, अफसरों को रख सके, प्रेस को भी रख सके। प्रेस तो आपके साथ है ही और विपक्ष भी जो है... (व्यवधान) ऐसा आदमी जो आये....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री बी पी. सिंह जी।

श्री माधवसिंह दीवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सी इल्लीगल कार्यवाही हो रही है जो पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय; मैं यही अर्ज कर रहा हूं आज से 3-4 दिन पांच दिन पहले मैंने एक प्रिविलेज मोशन पेश किया था अध्यक्ष जी को। उपाध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन सबसे पहले लिया जाता है। 157 के तहत मैंने पिछले सत्र में भी दिया। मतलब आज ढाई साल से यह इश्यू मुख्य मंत्री जी के बारे में और उनके दामाद साहब के बारे में मैं उठा रहा हूं लेकिन वो चीज वैसे के वैसे पैण्डिंग रह रही है। हर नये सत्र में मुझे यह उठाना पड़ रहा है। इसलिए पहली बात तो यह अर्ज कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो पत्र व्यवहार मेरे और केन्द्रीय मंत्रालय के बीच हुआ है वह तो पत्र में टेबल पर रख रहा हूं और अगर आप मुझे बोलने का समय देंगे 157 के तहत तब तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने को तैयार हूं और आप समय नहीं देते तो मैं धरने पर बैठने को मजबूर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं दे पाऊंगा। बिराजिए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि बजट की सामान्य चर्चा पर उन्होंने आलोचना भी की, सुझाव भी दिये और राजस्थान का विकास इस प्रकार की इच्छा भी प्रकट की। उपाध्यक्ष महोदय, पूरा देश इस समय आर्थिक दृष्टि से एक संक्रामक काल से गुजर रहा है। आज से कुछ वर्षों पहले हमारी यह मान्यताएं थीं कि जो भी विकास होगा वो पब्लिक सैक्टर में होगा। 1990 से आर्थिक सुधार का एक वातावरण चला और धीरे-धीरे यह मान्यता बन रही है कि प्राइवेट सैक्टर को इस प्रकार के काम दिये जाये जो आज तक सरकार स्वयं करती रही है। प्राइवेट किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेगा यह उनके सोचने का विषय है लेकिन इन दोनों के बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बना कर रख सकते हैं वह हर राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा। आज चाहे बिजली पैदा करने का प्रश्न हो, चाहे सड़क बनाने का प्रश्न हो, चाहे औद्योगिक विकास का प्रश्न हो, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र के अन्दर ज्यादा-से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रश्न हो, हम इस सम्बन्ध में प्राइवेट सैक्टर का सहयोग ले सकते हैं लेकिन कुछ उत्तरदायित्व ऐसे है कि हम प्राइवेट सैक्टर के भरोसे नहीं रह सकते। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि जिस समय पब्लिक सैक्टर में हमने काम शुरू किया था, कई कारपोरेशन बनाये। उसके पीछे एक भावना थी कि जिस सैक्टर में प्राइवेट सैक्टर नहीं जा सके, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके, उस क्षेत्र में घाटा खाकर के भी काम करने का उत्तरदायित्व सरकार का हो। अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि राजस्थान ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बना और सारे संसार में इस प्रकार के कारपोरेशन बने। इन कारपोरेशन में घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा था उस समय कई बार जब घाटे का प्रश्न आया तो चाहे राज्य सरकार हो,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहे केन्द्र सरकार हो उन्होंने एक बात की ओर संकेत किया था कि प्राइवेट सैक्टर उन क्षेत्रों में ही गाड़ी ले जाएंगे। जहां उनको मुनाफा हो और यदि मुनाफे के आधार पर इस प्रकार की सेवाएं चालू की गयीं तो वे क्षेत्र वंचित रह जाएंगे जो पिछड़े हुए हैं, जहां पर किसी प्रकार के आवागमन के साधन नहीं हैं, जहां सड़कें नहीं हैं, जहां अच्छी प्रकार की गाड़ियां नहीं जा सकतीं, इसलिए घाटा खा करके हमें इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उन क्षेत्रों में करनी पड़ेगी। इसलिए घाटा हो रहा है इस घाटे से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें घाटा खाने की भी आवश्यकता है। यह मैंने केवल उदाहरण इसलिए दिया कि आज चाहे राजस्थान हो, चाहे इस देश के अन्य प्रान्त हों, सब में सामाजिक सेवाएं, समाज के प्रति जितनी सेवाएं करनी हैं वो चाहे शिक्षा की हों, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पेयजल की हों, चाहे बिजली की हों उन सारी समस्याओं को हम आज पब्लिक सैक्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सरकार को अपना उत्तरदायित्व है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार से जनता को राहत मिले उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। अब यदि वो निर्वहन करना है तो हमारे सामने दो ही तरीके हैं। हम या तो अपनी आय बढाएं, आय में जहां लीकेज हैं उसको रोकें, जो पी एस. यूज हैं उनका घाटा रोकें, हम बाहर से सहायता लें, कर्जा लें और कर्जा लेने के साथ इस प्रकार की कोशिश करें कि जनता की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की हम किस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं। कर्जा इस सरकार ने लिया है, नयी बात नहीं है। कर्जा हमेशा सरकार लेती रही है। कोई राजस्थान की सरकार ही कर्जा ले रही है। इस प्रकार की बात नहीं है। केन्द्र सरकार भी कर्जा ले रही है। और

(16.20)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि मूलधन तो हम नहीं चुका पाते लेकिन कर्जा चुकाने के लिए भी हमने ऋण लिया है। कोई राज्य सरकार बची हुई होगी लेकिन केन्द्र सरकार निश्चित रूप से बची हुई नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कर्जे को हम बिलकुल डिस्कार्ड कर दें कि कर्जा नहीं लेना है, यह उचित नहीं है। कर्जा किस सीमा तक लेना है इसका मापदंड एक है कि आपके बजट का आकार कितना है और उस बजट के आकार के अनुरूप आप कितना कर्जा ले रहे हैं। कर्जे में अगेंस्ट में आप परिसम्पत्तियां कितनी बना रहे हैं उन परिसम्पत्तियों में भी दो बातें देखनी पड़ेंगी कि कौनसी परिसम्पत्ति प्रोडेक्टिव हैं, कौन सी अनप्रोडेक्टिव है। लेकिन आपकी परिसम्पत्ति निश्चित रूप से है। उस आधार पर जब कर्जे का प्रश्न आता है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो कर्जा लिया है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस कर्जे में यदि आप थोड़ा एक ध्यान रखें कि कर्जा लिया हमारे बजट के कुल आकार का कितना प्रतिशत उस बजट में शामिल है उन फिगर्स को देख लें तो आपको यह पता लगेगा कि 1982-83 में बजट का कर्जे का पर्सेण्टेज था 118.37। बजट छोटा था। आज जितना बजट भी नहीं है। उस बजट का पर्सेण्टेज कर्जे का क्या था, कर्जे का उसमें भाग कितना था? वो 118.37 प्रतिशत और 1995-96 का बजट इसमें है 110.5 प्रतिशत। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि कर्जा हम ज्यादा लेते जा रहे हैं और वैद जी को तो मालूम होगा, उन्होंने भी 4-5 बजट पेश किये हैं, कोई बजट ऐसा नहीं होगा जिस बजट में कर्जे का भाग नहीं हो। 1985-86 का बजट पेश किया था उसमें हाइएस्ट जो हिस्सा था, वह कर्जा था 157.22 प्रतिशत। अब इससे आप अंदाज लगा लें। आज केन्द्र सरकार का बजट देख लें, राज्य सरकारों का बजट देख लें, राजस्थान का बजट देख लें, कोई बजट ऐसा नहीं होगा जिसमें कर्जे का एलीमेंट नहीं हो। कर्जा कोई तनख्वाह चुकाने के लिए ले रहे हों, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं आज यहां बैठा हुआ दूसरे राज्यों के बारे में कुछ कह नहीं सकता लेकिन तीन दिन की कांफ्रेंस में मुझे यह भी पता लगा है कि राजस्थान फिस्कल मेनेजमेंट में कहां खड़ा है और बाकी के राज्य कहां पीछे पड़े हैं, वहां हमने सोशल सर्विसेज में प्रगति की है और दूसरे राज्य इन सोशल सर्विसेज में कहां तक पीछे रह गये। ये सारे आंकड़े मेरे पास हैं। आप देखना चाहें तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर्जा केवल एक भूत बने कि सरकार कर्जदार है, मैं कहता हूं कर्जदार है, कौन सा जमाना है जिसमें सरकार कर्जदार नहीं रही? जमाना केवल एक देखना पड़ेगा कि जितना बजट का आकार है उस आकार के अनुरूप पुरानी व्यवस्था के पर हम ऐसी स्थिति में तो नहीं पहुंच गये कि बजट के आकार का अधिकांश हिस्सा कर्जा है और बाकी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स का भी नहीं है, पी एस यूज की इनकम भी नहीं है, भारत सरकार से अनुदान मिलता है वह भी नहीं है, विदेशी सहायता हम ले रहे हैं उसका भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कर्जे के भूत से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि जितना कर्जा लिया है वह कर्जा प्रोडेक्टिव कामों में खर्च होगा, जनता की सेवा करने में खर्च होगा और कर्जा चुकाने की राज्य सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी। आज हमारी क्षमता है कि हम कर्जा आराम से चुका सकते हैं लेकिन अब यह सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी।

अब ऐसी स्थिति में केवल कर्जे के आधार पर हम चलें, वह सोच, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगी। माननीय खेतसिंह जी बैठे और चन्दनमल जी बैठे हैं, आपको मालूम है कि जिस समय गंग कैनाल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बनी थी उस समय बीकानेर का कुल बजट 65 लाख था। हालांकि स्टेट कहलाती जाती थी डेढ़ करोड़ की। लेकिन बजट केवल 65 लाख का था और 65 लाख का जिस समय बजट था, महाराजा गंगा सिंहजी ने गंग कैनाल के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया। उस समय उनके सलाहकारों ने कहा, आपके पास पूंजी तो तनख्वाह चुकाने के लिए ही नहीं है, आपके पास पूंजी तो और बाकी आवश्यक सेवाओं में लगाने के लिए ही नहीं है, आप गंग-कैनाल कैसे बनायेंगे ? तो उन्होंने यह कहा था कि मैं अपने जेवर बेचूंगा, मैं लोगों से उधार लूंगा, मैं लोगों से मांगूंगा लेकिन गंग-कैनाल को बनाऊंगा। तो उन्होंने जो कुछ लिया, आज वह गंग-कैनाल उस क्षेत्र के लिए एक ऐसा वरदान है, उस वरदान को बनाने में उन्होंने कर्ज से काम लिया, जेवर बेचे, अपने साधन बेचे लेकिन एक इस तरह की स्थायी सम्पत्ति का निर्माण कर दिया कि आज गंगासिंहजी को लोग याद करते हैं कि उस समय यदि यह कैनाल नहीं लाते तो आज गंगानगर और बीकानेर जिलों के जिन काश्तकारों को जो लाभ हुआ है उस प्रकार का लाभ नहीं होता।

मैं इसलिए कहता हूं कि कई बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कई बार जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट में हमारे पास साधन नहीं हों तो साधन हमें ढूंढने पड़ेंगे, साधन हमें लाने पड़ेंगे और यह कहकर कोई बच जाए कि हमारी जितनी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जितनी हमारी राजस्व आय है उसके आगे हम खर्चा नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान इन सोशल सर्विसेज के पैरामीटर्स में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा नीचे चला गया है। आज कोई मुझे लगे कि अमुक सरकार ने कोई कर्जा नहीं लिया, केन्द्रीय सरकार ने कर्जा नहीं लिया या राज्य सरकारों ने कर्जा नहीं लिया और केवल मैं ही कर्जा ले रहा हूं तो मेरे लिए चिन्ता की बात होगी लेकिन मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कर्जा लिया है उस कर्जे का सदुपयोग हो, उस कर्जे से ज्यादा से ज्यादा परिसम्पत्तियों का निर्माण हो और उस कर्जे से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक प्रकार से की जाए, इस आधार पर कर्ज लिया है। अब यह हो सकता है कि आप उसको ज्यादा समझें। मैं समझता हूं हमारी सीमा के और हमारी क्षमता के बाहर नहीं है।

और भी कई प्रश्न इस डिबेट में यहां पर उठाये हैं, राजस्थान सरकार के वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में। मुझे जानकारी मिली है तो मैंने कुछ भाषण, उनके सारांश भी देखे हैं कि पूर्व वक्ताओं ने उनका ठीक प्रकार से जवाब दिया है और यही बातें जो इस सत्र में उठी हैं या इस चर्चा में उठी हैं वह बातें जिस समय वोट ऑन अकाउण्ट लिया गया था उस समय में भी उठी थीं। वोट ऑन अकाउण्ट के ऊपर भी मैंने ठीक प्रकार से उन सारी शंकाओं का निराकरण करने की कोशिश की थी। मैं समझता हूं वही बातें अधिकांश इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चर्चा में आई हैं। मैं उनका ज्यादा विश्लेषण करना नहीं चाहता और इसके लिए माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे।

प्रश्न यह आता है कि आज राजस्थान जिस प्रकार की स्थिति में है कई माननीय सदस्य बोल रहे थे, तीन दिन पहले चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई थी, सारी राज्य सरकारों ने वहां उनकी क्या-क्या उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का उल्लेख किया है, उल्लेख करने के बाद मैंने अपनी तरफ से कहा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आज 1996 है 40 वर्षों या 45 वर्षों के इस शासन में हम कोई यह गारण्टी से कह सकते कि हैं कि हमने एक न एक कोई सोशल सर्विस को पूरी तरह से, उसका काम कर दिया है? क्या हम यह गारण्टी से कह सकते हैं 1947 से लेकर अब तक 1996 तक हमने लोगों के पीने के पानी का प्रबन्ध कर दिया? क्या हम यह कह सकते हैं कि गांवों को हमने सड़कों से जोड़ दिया? क्या हम यह कह सकते हैं कि हमने शिक्षा की सारी व्यवस्था कर दी? दुनियाभर की स्कीम्स हम बनाकर चलते हैं लेकिन स्कीम्स पर कंसंट्रेशन नहीं होता। अगर आज के 10 वर्ष पहले हम एक-एक समस्या का समाधान करने को चुनौती के रूप में लेते, चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दोनों मिलकर सारे फण्ड्स को इकट्ठा करके यदि पीने के पानी के काम में लगा देते तो, मैं समझता हूं, पीने के पानी की समस्या का कुछ समाधान हम कर पाते। अगर आज शिक्षा के क्षेत्र में हमने सारी एनर्जी वेस्ट की होती, हमारे सारे साधन लगाये होते तो आज राजस्थान नहीं हिन्दुस्तान इस निरक्षरता के कलंक से मुक्त हो जाता। यदि गांवों को सड़कों से जोड़ने का कोई प्रश्न आता तो उस प्रश्न के ऊपर भी हम समाधान कर पाते। लेकिन सारी राशि को, छोटी-छोटी राशि को हर काम में अगर बिखेरने की कोशिश करेंगे तो नतीजा कोई नहीं निकलेगा। मुझे इस बात की खुशी है और मैं आज कह सकता हूं कि मैं चीफ मिनिस्टर्स की कई कांफ्रेंस में गया हूं, कई बार एन. डी. सी. की बैठक में गया हूं, कई बार इंटिग्रेशन कौंसिल की बैठक में गया हूं लेकिन सब लोगों की प्रशंसा करना चाहूंगा कि इस विचार के ऊपर सब लोगों ने समर्थन किया और अल्टीमेटली यह नतीजा निकला कि तीन क्षेत्रों में प्रायोरिटी मानी जिसमें पानी, सड़क और शिक्षा है, इन तीनों को मानकर किस प्रकार से हम दो वर्ष के अन्दर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की जाए। यह कम उपलब्धि नहीं है। यह मेरी उपलब्धि नहीं है, यह सारे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन तीन समस्याओं को लेकर किस प्रकार से उस पर कंसंट्रेट करेंगे और कंसंट्रेशन के साथ उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब इसी स्थिति में आज कई बार राजस्थान का मुकाबला महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से करते हैं। मैं इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि राजस्थान में प्रकृति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने राजस्थान को दिया भी है लेकिन प्रकृति ने राजस्थान के साथ कई क्षेत्रों में अन्याय भी किया है। प्रकृति ने जो कुछ दिया है हम अभी तक उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति ने राजस्थान को क्या नहीं दिया सिवाय इसके कि समय पर बरसात नहीं होती। बरसात नहीं हो तो फेमिन आता है। फेमिन में राज्य सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन उस खर्चे के उपरान्त भी कुछ स्थायी परिसम्पत्तियां उससे बन रही हैं। और स्थायी परिसम्पत्तियां बनती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। जब ऐसी स्थिति में यह विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान में जो प्राकृतिक साधन हैं उन साधनों का किस प्रकार से ज्याद से ज्यादा उपयोग किया जाए। अब कई साधन हैं, जैसे आज सुबह माननीय सदस्य, जो पुष्कर से आए हैं, कहा कि हमारे इंजीनियरों ने खोज करके उसमें से पैट्रोल निकालने में सफलता प्राप्त की। अब पैट्रोल निकालने का काम एक दिन में नहीं हुआ। मैं यह देखता हूं कि 1965 के पहले हमने ड्रिलिंग का काम शुरू किया। कितना खर्चा हुआ होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितने टेक्नोलोजिकल मिशन्स वहां जाकर देखकर आये होंगे और देखने के बाद आज राजस्थान के भाग्य में एक अच्छा दिन है कि वहां पैट्रोल निकला है। पैट्रोल निकला है तो उसका फायदा राजस्थान को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है लेकिन हम उसका उत्खनन नहीं कर पाते, उसका पूरी तरह से एक्सप्लायटेशन नहीं कर पाते। आज एक्सप्लायटेशन करने की हमारी क्षमता धीरे-धीरे कम होती जा रही है और धीरे-धीरे जब एक्सप्लायटेशन की क्षमता कम होती जा रही है तो हमें विदेशों में जाना पड़ता है। हमें विदेशों में जाकर उस प्रकार के एक्सपर्टस, जिनकी राय लेनी पड़ती है, को इनवाल्व करना चाहते हैं। एक्सपर्टस जब हिन्दुस्तान में आते हैं तो अपनी शर्तों के आधार पर आने की कोशिश करते हैं। शर्तें कभी भारत सरकार को सूट नहीं करतीं, वही शर्तें कभी राज्य सरकार को सूट नहीं करतीं, वही शर्तें कभी जनता को सूट नहीं करतीं। उसमें विलम्ब होता है। लेकिन एक प्रोसेस शुरू हुआ है और उस प्रोसेस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल सकती हैं। धीरे-धीरे यह काम चालू हुआ है। मैं नहीं कहता कि कोई बी. जे. पी. के काम से वहां पैंट्रोल निकला है, मैं यह भी नहीं कहता कि कांग्रेस के काम से पैंट्रोल निकला है। पैंट्रोल था इसलिए निकला।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : पैंट्रोल नहीं, गैस।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, गैस थी इसलिए निकली। गैस निकली है। गैस से बिजली पैदा भी हो रही है। 35 मेगावाट बिजली का गैस पर आधारित कारखाना रामगढ़ में लगा है। उससे और ज्यादा बिजली का विस्तार होगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजली का उत्पादन उसमें और ज्यादा होगा।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, 'आज बहुत बड़ा क्षेत्र है, राजस्थान का जो सारा सर्वे कराया गया उस सर्वे के आधार पर राजस्थान में इस प्रकार के खनिज बहुत है। वो खनिज धीरे-धीरे निकलेंगे। उस खनिज पर आधारित उद्योग राजस्थान में लगेंगे तो राजस्थान का निश्चित रूप से विकास होगा इसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे अब हमने कहा कि हम प्राइवेट सैक्टर को भी उन चीजों में अलाउ करेंगे और प्राइवेट सैक्टर आ भी रहा है और आने के साथ ही अनुबंध भारत सरकार के बीच में भी हो रहा है, राज्य सरकारों के बीच में भी अनुबंध हो रहा हैं और उस आधार पर, मैं तो यह समझता हूं कि हमारा व्यक्तिश: चाहे कांग्रेस पार्टी और बी. जे. पी., इन दोनों का भाग्य' उज्ज्वल हो या नहीं हो, लेकिन यह विश्वास से कह सकता हूं कि राजस्थान का भाग्य उज्ज्वल है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं हो सकती। यह राजनीति का विषय भी नहीं है। राजस्थान अपने पैरों पर खड़ा हो, पैरों पर चलेगा और चलने के साथ-साथ राजस्थान की व्यवस्था ठीक प्रकार से होगी।

दूसरा प्रश्न आता हैं, माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि राजस्थान की सरकार टैक्स नहीं लगा पा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : ऊर्जा की तो बात ही नहीं की आपने। सबसे बड़ी प्रकृति की देन जो राजस्थान में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसराम जी, मैं ऊर्जा की बात शायद बाद में कर पाऊं। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं हर विषय का जवाब दे पाऊं।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो इसलिए निवेदन किया था कि प्रकृति की देन की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रकृति की देन वो है। I am very sorry that I have interrupted you. In future I wiil not do, it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इंटरप्शन की नहीं है चिंता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं बिजली की भी कह दूं, अब आपने छेड़ी है तो मैं कहता हूं मैं समझ गया आपकी बात। मैं इतना ही कह रहा हूं, टैक्स की बात बाद में लेऊंगा।

अब यह सौर उर्जा का प्रश्न है। अब यह राजस्थान में सूरज तो हमेशा चमकता है; राजस्थान में हमेशा गर्मी पड़ती है और मैं यह नहीं कहता कि मेरे कारण से सोलर एनर्जी के कोई प्लांट यहां लग रहे हैं। सारे संसार में इस प्रकार की स्थिति बहुत कम है। अब जब उन लोगों ने अमरिका है केलिफोर्निया की स्टेट में जब यह देखा कि हम किस प्रकार के तापमान से बिजली पैदा कर सकते है....

श्री परसराम मदेरणा : टैक्नोलाजी, बिजली नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां टैक्नोलाजी। वो टैक्नोलाजी वहां इम्प्रूव हो रही है। उन्होंने देखा की बिजली पैदा कर सकते हैं तो सारे संसार में इन्होंने जांच की कि सूर्य का तापमान कहां सबसे ज्यादा है और उस तापमान में राजस्थान का भी नम्बर आया। राजस्थान में उस तापमान को उन्होंने देखा और उनको विश्वास हो गया कि इस तापमान से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। यह हमारा एक नेचरल रिसोर्स है और इस नेचरल रिसोर्स का जितना एक्सप्लायटेशन होगा उतना ही राजस्थान में यह इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर का डवलप होगा। राजस्थान में लिग्नाइट है। पहले एक जगह पर लिग्नाइट की हमको जानकारी थी, वह थी पलाना की। बीकानेर स्टेट में पलाना से बिजली पैदा होती थी। मै पूरी तरह से नहीं कह सकता, तीन-साढ़े तीन मेगावाट बिजली पैदा करते थे। आज उस पलाना का लिग्नाइट तो मिल रहा है, मैं यह नहीं कहता कि लिग्नाइट का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हिन्दुस्तान में नेवेली में लिग्नाइट मिला, उस लिग्नाइट के आधार पर वहां पर बिजली के कारखाने कायम हो गये। हम उसमें पीछे रहे और पीछे रहने के बाद में अब धीरे-धीरे इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया। कुछ पार्टीज इसमें आई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, मैं आज भी कहता हूं कोई राजनीति नहीं है और इस राजनीति को केन्द्रीय सरकार भी मान गयी, जो मैं आज के दो वर्ष पहले से लगातार कह रहा था कि हिन्दुस्तान में बिजली उत्पादन करने का काम हमने जिस कानून में बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, वो 1948 में बनाया था। 1948 में और आज में अंतर है। जिस समय 1948 का हमने कानून बनाया था उस समय हमारे कन्सेप्ट यह था कि बिजली का उत्पादन केवल पब्लिक सैक्टर में होगा, इसमें प्राइवेट सैक्टर प्रवेश ही नहीं कर सकते। कानून की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं पब्लिक सैक्टर को कोई एक्सप्लायट नहीं कर पाए, पब्लिक सैक्टर के काम्पीटिशन में कोई प्राइवेट सैक्टर आ नहीं जाए, पब्लिक सैक्टर को हमें हर प्रकार से प्रोटैक्ट करना है, इस आधार पर थीं और आज पब्लिक सैक्टर में कुछ हो नहीं रहा है। पब्लिक सैक्टर का कन्सेप्ट चेंज हो गया, प्राइवेट सैक्टर का कन्सेप्ट आ गया है लेकिन कानून वो का वो है।

मैंने आज के दो वर्ष पहले इसी सदन में कहा था कि जब कन्सेप्ट चेंज हो गया तो कानून की व्यवस्था भी चेंज होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि भारत सरकार धीरे-धीरे इस बात को स्वीकार कर रही है और यह उसी का परिणाम है कि आठवी पंचवर्षीय योजना में 43 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था और आज मैं कह सकता हूं आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन्स्टालेशन्स तो रहे हैं लेकिन बिजली का उत्पादन एक मेगावाट भी नहीं हो रहा है, एक मेगावाट। फास्ट ट्रेक प्रोजेक्ट के नाम से जो भी प्रोजेक्ट हम लाते हैं वो विवादास्पद

(श्री भैरोसिंह शेखावत)

हो जाते हैं और नतीजा यह निकला कि हिन्दुस्तान में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होना चाहिए, वह चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बैंगलौर हो, कोई भी राज्य हो, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होना चाहिए वह डवलप नहीं हो पा रहा है और डवलप नहीं हो रहा है तो देश का जितना विकास हम करना चाहते हैं, वह विकास आज देश का नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा था भारत सरकार से, धीरे-धीरे वो इस लाइन पर आए कि हमें इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन करके आज के कन्सेप्ट के अनुसार इस कानून को बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार जल्दी-से-जल्दी इस प्राइवेट सैक्टर कन्सेप्ट के आधार पर हिन्दुस्तान में कानून बनाए ताकि परियोजना लें और उसकी मंजूरी में किसी प्रकार का टाइम नहीं लगे, कास्ट एस्कलेशन का कोई मौका नहीं आए और जल्दी से जल्दी पावर का प्रोडक्शन हो सके।

अब अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विकट प्रश्न है और धन्यवाद देना चाहूंगा चन्दनमलजी को, इन्होंने उठाया और यह जरूर कहा कि मैं कमजोर हूं इस मामले में कि मैं टैक्स नहीं लगा पा रहा, मैं पापूलर होना चाहता हूं बिना टैक्स लगाए। मैं ऐसा समझता हूं कि उनका कहना कुछ हद तक सही है। मैं इससे इंकार नहीं करता। इंकार मैं इसलिए नहीं करता, आज जब समस्याएं खड़ी हो गयीं, आज पावर प्रोजेक्ट में कोई आदमी आना चाहता है तो पावर प्रोजेक्ट में आने वाले की सबसे पहली शर्त होती है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस पावर को परचेज करेगा और पावर का जितना भी उनका रेट है उस रेट के हिसाब से भुगतान करेगा। आज की रेट्स के हिसाब से तो भुगतान नहीं किया जा सकता। इसलिए अम्प्लीमेंट हो? अगर हिन्दुस्तान में पावर लानी है, राजस्थान में पावर लानी है और पावर के प्रोड्यूसर को उसका पेमेंट करना है तो पेमेंट करने में सरकार किस सीमा तक सब्सिडी दे सकती है, सरकार का बजट कहां तक की सब्सिडी के लिए हमें अलाउ करेगा उस सब्सिडी के बारे में भी हमें जानना है। तो रेट्स के अन्दर हमें कोई न कोई सामंजस्य बनाना पड़ेगा। सदन के विपक्ष के नेताओं ने और माननीय सदस्य जितने भी हैं उन सब ने कहा कि अगर रेट्स बढ़ायी जाएं तो हमको आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि आपकी सलाह के और आपके सुझाव का मैं निश्चित रूप से लाभ उठाऊंगा, यह मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : यह किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा। पहले बढ़ायी थी उनको घटाने के लिए कहा था हमने तो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

करता हूं कि सदन का समय यह उत्तर पूरा होने तक बढ़ाया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : किस का उत्तर ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बजट पर वाद-विवाद का उत्तर। माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी के उत्तर तक समय की अवधि बढ़ायी जाए। यह चीफ व्हिप का कोई उत्तर तो है नहीं यहां।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन के माननीय नेता का वक्तव्य पूर्ण होने तक समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है, अभी सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं, एक बात तो यह कही कि सरकारी कर्मचारी अफसर का कहना नहीं मानते और कारण यह बताया कि उनकी युनियंस बनी हुई है, दूसरी उन्होंने बात यह भी कही कि कमीशन बंधा हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने स्वीकार किया कि कमीशन हमारे राज में भी बंधा हुआ है। मैं इन्हीं के शब्द रिपीट कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अंग्रेजों के राज से कहा था। यह कहा था और वह तब से चला आ रहा है, बढ़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। मैं बात मान गया। लेकिन मुझे तो राज करने का मौका चार वर्ष का ही मिला। (व्यवधान) साढ़े चार, पांच मान लो. 6 मान लो और आपकी जुबान बढ़े, 10 वर्ष मान लो। (व्यवधान) अब आप मुझे डिस्टर्ब मत करो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): आप तय कर लो, साहब, आपको कितने साल चाहिए। 10 साल ले लो। आप एक टाइम तो तय कर लो, साहब, कम से कम इसको खतम तो कर दो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मै इतना ही कहूंगा, अब कोई यह कहे कि दीवान साहब ने कहा कि पहले 10 प्रतिशत था, अब बढ़कर इतना प्रतिशत हो गया, मैं समझता हूं, उस समय एक्सपर्टस की कोई स्टडी टीम आपने अपाइण्ट की होगी उस एक्स्टर्स की टीम ने आपको यह बात कही होगी सारा निचोड़ करने के बाद में कि 10 प्रतिशत का कमीशन लिया जाता है और आज कमीशन ज्यादा लिया जा रहा है। मैं आपको यह कह सकता हूं कि 40 वर्ष में 10 प्रतिशत का कमीशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप खतम नहीं कर पाए, आपकी आंखों के सामने कमीशन लिया जाता था, आप कमीशन को स्वीकार करते रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में.. (व्यवधान) मेरी बात सुनें। अब आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री श्रवणकुमार : माननीय मुख्य मंत्री जी, न कांग्रेस वाले रोक सके और न बीजेपी वाले रोक सके, किसी निर्दलीय का राज आएगा, वह रोकेगा। (व्यवधान) पर्सेण्टेज को और कोई रोक नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा प्रश्न उठाया कि सरकारी कर्मचारियों की यूनियन्स बनी हुई हैं, ये यूनियन्स भंग कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं, मेरे सामने पूर्व वित्त मंत्रीजी बैठे हुए हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कह दीजिए ना कि आपके वक्त में बनी हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहूंगा तो क्यों नहीं ? तो मैं जो कह रहा हूं वह बात आप कह रहे हैं। आपको जवाब मालूम है कि यूनियन्स पहले बनी हुई थीं। इनके भी अधिकार हैं। मैं नहीं कहता कि इनके अधिकार नहीं हैं। संविधान में जब इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोई आदमी इस प्रकार की यूनियन बना सकते हैं तो उस संविधान का विरोध किया जाए, यह तो समझ में नहीं आता लेकिन यह बात सही है कि उसकी सीमाएं होनी चाहिए। सीमा के बाहर नहीं जाएं, इस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए। मुझे मालूम है कि चन्दनमलजी ने बड़ी बहादुरी से फेस किया था। एक बार आन्दोलन हुआ था शिक्षकों का या कर्मचारी महासंघ का, मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन उस समय सख्ती से डील किया, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन आज यह कहकर चलें कि यूनियन हो ही नहीं, मैं समझता हूं कि यह अभी सम्भव नहीं है। इसे चाहे मेरी कमजोरी मानें और चाहे आपकी बहादुरी मानें, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज तो आवश्यकता इस बात की है कि कर्मचारी वर्ग का ज्यादा से ज्यादा सहयोग हमें किस प्रकार से मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो टैक्स का पैटर्न है, उस टैक्स के पैटर्न से हम हमारे रेवेन्यू रिसीट्स में कितना इन्क्रीज कर सकते हैं। माननीय सदस्यों में से किसी ने इस बात की आलोचना नहीं की। लेकिन आप पूरे बजट की स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हम नया टैक्स लगाते और नया टैक्स लगाकर हम आमदनी बढ़ाते, इसके बजाय हमने टैक्स के लीकेज को रोका है और हमारे टैक्सेज की रिसीट्स ज्यादा बढ़ी हैं। आप चाहें तो मैं उसके आंकड़े बता दूं लेकिन बजट में वे सारे फिगर्स दिये हुए हैं। यह अनडिस्प्यूटेड बात है कि हमने अपनी रेवेन्यू रिसीट्स में लगातार वृद्धि की है। यह लगातार वृद्धि हमने उस हालात में की है जब टैक्स में हम रिलीफ देते गये हैं।

(164)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टैक्स का रिलीफ देने के साथ-साथ भी जो टैक्स थे, उनसे हमने अपनी रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाया है। रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाने के साथ यदि हम टैक्स के सिस्टम को ठीक न करें और दुनिया भर के टैक्स लगाते जाएं तो टैक्सेज की गिनती तो आप बढ़ा सकते हैं कि हमने इरिगेशन में यह लगा दिया, यह जमीन के ऊपर लगा दिया, यह अमुक काम पर लगा दिया लेकिन आमदनी नहीं बढ़ा सकते। टैक्स के स्ट्रक्चर को किस प्रकार से सुसंगिठत किया जाए, वह सुसंगठित करने की मैंने कोशिश की है और उसके आधार पर बजट में जो भी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने रेवेन्यू रिसीट्स साथ में ली हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान में जितने भी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स थे, बोर्ड थे, कारपोरेशंस थे, सब में लास था, अधिकांश में लास था। क्युमुलेटिव लास इतना हो गया कि हमारे सामने समस्याएं पैदा हो गयीं कि क्युमुलेटिव लास के कारण राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से होगी। लेकिन मुझे जानकारी देने में खुशी है कि क्युमुलेटिव लासेज को वाइप-आउट ही नहीं किया, हमने उनमें प्राफिट भी लिया। आज वह प्राफिट टैक्स की आय के साथ राजस्थान के बजट का हिस्सा भी बनता है और इससे आप अंदाज लगा लें कि उस क्षेत्र में भी हमने पूरी कोशिश की है।

तीसरा एक साधन रहता है कि हम मितव्ययता किस प्रकार करें, सरकार की फिजुलखर्ची किस प्रकार रोकें। बजट में इस बात के भी आंकड़े दिये हुए हैं कि हमने इस फिजुलखर्ची को रोकने के लिए कितने उपाय किये और कितने उपाय हमारे सफल हुए, इस कारण हम कितनी बचत कर पाए। आज आवश्यकता है कि हम अपने खर्चों में कटौती करें। खर्चों में कटौती करके कुछ बचत करें। रेवेन्यू के जो हमारे साधन हैं, उन रेवेन्यू के साधनों की लीकेज को रोकें और उससे ज्यादा से ज्यादा आय बढ़ाएं। आय बढ़ाकर भी फिर कोई आवश्यकता पड़े तो हम कोई नया टैक्स लगाएं और फिर भी काम नहीं चले तो कर्जा लें। यह अपने प्रकार से एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रक्रिया के आधार पर हम चलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : टैक्स की बोयेंसी का क्या है, अपने आप बढ़कर होती है, टर्न ओवर का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

श्री परसराम मदेरणा : हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों में और भारत सरकार के आंकड़े देख लीजिए, 15 प्रतिशत के आस पास बोयेंसी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केन्द्रीय सरकार हो, बोयेंसी की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के हिसाब से चलेंगे। कहीं पर्सेण्टेज ज्यादा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगा, कहीं परसेंटेज कम होगा । इनफ्लेशन हर जगह रिफलेक्ट करेगा, टैक्स के अमाउण्ड में । टैक्स के रियलाइजेशन में रिफ्लेक्ट करेगा, खर्च के अन्दर रिफ्लेक्ट करेगा । आज जो इनफ्लेशन की रेट है, उसको आप माइनस करके कोई फिगर्स नहीं ला सकते हैं । यह सब कुछ इन-बिल्ट सिस्टम है और इस सिस्टम में जो कुछ भी कमियां रहती हैं या जो कुछ भी लाभ रहते हैं, वे सब चीजें इसके साथ चलेंगी । इसलिये इस इन-बिल्ट सिस्टम को आज मैं कहूं कि इसमें इनफ्लेशन की रेट शामिल नहीं है, यह उचित नहीं होगा, जिस प्रकार से यह ट्रेण्ड सैट किया है, इस ट्रेण्ड को आपको एप्रीशिएट करना पड़ेगा कि जितनी भी बोयेंसी है, मैं अगर दूसरे स्टेट का मुकाबला आपके सामने करूं कि बोयेंसी के अन्दर राजस्थान कहां स्टेण्ड करता है तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हमने अपने एफटर्स में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है ।

एक बात तो मानकर चलें कि राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त कमी है । आज हम मुम्बई का मुकाबला करें, आज हम अहमदाबाद का मुकाबला करें, गुजरात का मुकाबला करें तो आज वहां पोर्ट है, वहां इण्टरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ है, आज वहां सब प्रकार की सुविधाएं हैं, सुविधाएं गुजरात में भी हैं, वहां भी हैं तमिलनाडु में भी हैं और कर्नाटक में भी हैं, हमारे समुन्द्र कहां है, कहां पोर्ट है जिसके कारण से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की सारी व्यवस्थाओं की सुविधा हो सके या जो कुछ भी हमारा प्रोडक्शन है, उसका मार्केटिंग हो सके ? हम उन राज्यों में हैं जो बिलकुल लैण्ड-लाक्ड हैं, जहां किसी प्रकार की ऐसी सुविधाएं नहीं हैं । लैण्ड-लॉक्ड स्टेट्स का और इस प्रकार के साधान सम्पन्न राज्यों का मुकाबला करें, वह स्थितिठीक नहीं है । मैं उनका मुकाबला कहां तक कर पाऊंगा यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन राजस्थान के साधन और राजस्थान की शक्ति के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन राज्यों से थोड़ा-बहुत पीछे भले ही रह जाएं इससे ज्यादा पीछे राजस्थान नहीं रहेगा, इस प्रकार की व्यवस्था की है और आज के आंकड़े भी बोलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, रोज समाचार पत्रों में समाचार आते हैं कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने का क्लाइमेट है । कई तो कहते हैं कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेसिस पर राजस्थान का पांचवां नम्बर है ।

श्री विष्णु मोदी : दसवां है, साहब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दसवां नहीं, वह आप लेटेस्ट करो । वह मैं कह रहा हूं ।

श्री विष्णु मोदी : टेंथ नम्बर है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं कह रहा हूं । आप बोलो मत, वह मैं कह देता हूं । आपको इसको दिखाने की....

श्री विष्णु मोदी : दसवां है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टेन ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए-बिराजिए ।

श्री विष्णु मोदी : बिजनेस टू डे, आप....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा देखा हुआ है ।

श्री विष्णु मोदी : इसमें राजस्थान का टेंथ नम्बर है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता देऊं....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : पांचवां नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टेंथ नम्बर नहीं । आपने तो पढ़ा है न पूरा ?

श्री विष्णु मोदी : यह पढ़ा नहीं, यह तो... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ । जबरदस्ती बीच में क्यों... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : नहीं, यह तो बिजनेस टूडे में, है जिसमें राजस्थान टेंथ नम्बर पर है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह ही दिखाना चाहते हैं कि बिजनेस इण्डिया आप ही पढ़ते हैं और कोई दूसरा पढ़ता ही नहीं है । केवल आपका इन्टरेस्ट बिजनेस में है और मेरा इण्टरेस्ट है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए ।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको ज्यादा इंटरफियर नहीं करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप करना चाहेंगे तो मैं स्वास्थ्य की चिन्ता किये बिना भी जवाब देऊंगा । उससे मुझे कोइ आपत्ति नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य जो पुष्कर से आते हैं, इन्होंने ऐसा समझ रखा है कि बुद्धि का ठेका और पढ़ाई-लिखाई का ठेका मेरा ही है । मैं ऐसा समझता हूं कि बिजनेस इण्डिया में जो फिगर्स दिये हैं, उस बिजनेस इण्डिया में भी फिगर्स में अलग-अलग चैप्टर्स हैं, किस विषय में राजस्थान आगे है, किस विषय में गुजरात आगे है, किस विषय में महाराष्ट्र आगे है और किस विषय में राजस्थान आगे है । यहां राजस्थान किस विषय में आगे है, पढ़कर सुना दो, आपको यह लगेगा कि राजस्थान में वर्किंग कल्चर है, इसके ज्यादा नम्बर हैं । राजस्थान में ट्रांसपेरेंसी है, इसके ज्यादा नम्बर हैं । वे चीजें तो आपने पढ़ी नहीं और कह दिया, राजस्थान का दसवां नम्बर है । मैं ऐसा समझता हूं इसलिये जरा ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टोटल दसवां नम्बर है । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मै समझ गया ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टोटल को एनालाइसिस किया है और टोटेलिटी में दसवां नम्बर दिया है। अब इसमें क्या चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह पाइंट तो भूल ही गये कि सेचुरेशन पाइंट प्रारम्भ हो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि आप बिजनेस इंडिया के फ्लेग लगाकर आए हैं, मैं भी जितने भी यह आते हैं इस तरह के समाचार पत्र, सबको देखता रहता हूं। मुझे मालूम है कि राजस्थान की पिक्चर किस प्रकार की बन रही है। मुझे यह मालूम है कि देश की पिक्चर किस प्रकार की बन रही है और मुझे यह भी मालूम है कि अन्य राज्यों की पिक्चर किस प्रकार की बन रही है। आपने तो एक अंक पढ़ा और इसमें राजस्थान का दसवां नम्बर आया है तो इसलिए आपने फ्लेग लगा दिया। लेकिन इसमें पूरा पढ़ा होता तो आप एप्रीशिएट करते कि जिन विषयों के ऊपर हम चल रहे हैं उन विषयों पर हिन्दुस्तान की जनता ने और इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों ने एप्रीशिएट किया है। इस फैक्टर को आप भूल गये।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सारे सोशल, सारे ऐसे पैरामीटर्स में, जिसमें आज राजस्थान को सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है वह है, इंफ्रास्ट्रक्चर का किस प्रकार से विकास किया जाए। हम सब कुछ बातें करते हैं अगर राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक प्रकार का नहीं होगा तो राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो बजट पेश किया है, उसमें इस बात का भी ध्यान रखा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के अन्दर भी कुछ करें। हमने सब बातें कर लीं और इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट नहीं हुआ तो हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं ऐसा समझता हूं कि आज जिस प्रकार का वातावरण बना है, उस वातावरण में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने का क्लाइमेट बना है और उस क्लाइमेट को हम और ज्यादा एनकरेज करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां हाउसिंग प्राब्लम को लेकर भी जिक्र किया गया। यहां पर एक्साइज की बात को लेकर जिक्र किया गया और यह कहा गया कि इससे माफिया पैदा हो रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि....

श्री शिवनाथ सिंह : यह सही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही है इसलिए मैं बोल रहा हूं। थोड़ा-थोड़ा ही बोल रहा हूं। मैं आज कहता हूं कि राजस्थान में 1985 के पहले भू-माफिया का

(169)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नाम नहीं सुना। 1985 के पहले नाम नहीं सुना कि भू-माफिया होता क्या है। पता ही नहीं था। लेकिन 1981 में जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के अन्दर एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर जमीन खरीदने का और जमीन बेचने का जिस दिन से कानून बना, इस राजस्थान में भू-माफिया पैदा हुए। (व्यवधान) कौन मुख्य मंत्री था, मैं नहीं गया उसमें। उस समय शायद अच्छे इंटेंशन से किया होगा। मैंने बताया कि अच्छे इंटेंशन से किया। लेकिन वह इंटेंशन सही नहीं निकला और उसका लाभ लैण्ड ग्रैबर्स ने उठाया और लैण्ड ग्रैबर्स इतने ताकतवर हो गये कि आज छोटे-मोटे आदमी की जमीन छीनना उनके लिए आसान बात है। अगर उस समय अमेंडमेंट नहीं होता तो राजस्थान में न एन्क्रोचमेंट की कोई शिकायत होती, उस समय अगर यह अमेंडमेंट नहीं होता तो राजस्थान में न भू-माफिया पैदा होने की बात होती। भू-माफियाओं को नियन्त्रण करने के लिए मैंने कई कमीशन बैठाएं उसमें ऐसी कई कानूनी बाधाएं उपस्थित हो गयीं। क्या हम उनका टाइटल खतम करें? जिस आदमी ने जमीन किसी एग्रीमेंट टू सेल के नाम से सेल दिखा दी हम उस आदमी का टाइटल खतम कर दें? अब टाइटल दो तरह से खतम नहीं हो सकते। कानून में बदले कि इसका लैण्ड रेवेन्यू में जो टिनेन्सी का हक है, वह हम हक खतम कर दें तो इसका अनर्थ भी हो सकता है और भू-माफिया जितना हम नहीं चाहते उससे ज्यादा लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए आल....

एक माननीय सदस्य : बिना पैसे। (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे बिना पैसे कई जमीनों के मालिक हो जाएं। अब इस सलाह के ऊपर चलने के लिए मेरे पास दो ही विकल्प थे। एक तो मैं टिनेन्सी एक्ट में अमेंडमेंट लाकर उनके टीनेन्स राइट्स खतम कर देऊं, जो मैं समझता हूं कि मेरा साहस भी नहीं हो सकता, मेरा मन भी नहीं हो सका कि मैं इस प्रकार के टिनेन्ट्स के राइट खतम करके इन भू-माफियाओं को सजा देने के लिए उन गरीबों को सताऊं, जिन गरीबों की जमीन एग्रीमेंट टू सेल के नाम से लोगों ने खरीद ली हो। अब उसमें क्या व्यवस्था हो सकती है? हमने कैम्प लगाकर लोगों से कहा कि इन भू-माफियाओं के चक्कर में आपने प्लाट्स खरीद लिए, इन प्लाट्स की जमीन को रेगूलराइज करवा लो। कई लोगों ने रेगुलराइज करवा दीं। मैं अब इस समय तो नहीं कह सकता लेकिन भू-माफियाओं की जमीन जप्त की और जप्त करने के साथ ही उनके चालान हुए। आज भी हैं। आज भी हैं, इस सिस्टम को किस प्रकार से रोका जाए, रोकने के बारे में मैं भी कोशिश कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि सदन कोई सुझाव देगा, उस सुझाव के आधार पर चलने की भी कोशिश करूंगा।

यहां यह जिक्र भी किया गया कि

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दूसरे माफिया शराब माफिया हैं। अब मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग कम से कम इस बात के लिए मेरे पर इल्जाम नहीं लगाएं....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह बढ़े हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सही कह रहे हैं। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं। 1977 में जब मैं मुख्य मंत्री बना था तो मैंने समय-समय पर शराबबन्दी का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और 1980 के अन्त तक शायद तीन जिले बचे थे, जो उस साल का जो बजट पेश किया उस समय तीन जिलों को भी हमने शामिल करके राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी कर ली। उस पूर्ण नशाबन्दी करने में भारत सरकार ने वादा किया था कि हम रिएम्बर्स करेंगे लेकिन, I am subject to correction, इस सारी शराबबन्दी के अ गेंस्ट में शायद हमें 23 करोड़ रुपये का रिएम्बर्समेंट हुआ। टोटल 23 करोड़ रुपये का और बाद में किसी प्रकार का रिएम्बर्समेंट नहीं मिला तो भी मैंने उस शराबबन्दी को चालू रखी। अब उस पक्ष में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो शराबबन्दी का कानून बनाया था उस कानून को किसने बदला ? क्या हमारी सरकार ने बदला ?

एक माननीय सदस्य : हमने बदला ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने बदला। कोई भी, चन्दनमल जी या भैरोंसिह से मतलब नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : Sir, I am extremely sorry. यह शराबबन्दी का जो कानून बना था या शराब बन्दी प्रारम्भ की गयी थी, उस वक्त वह प्रारम्भ हुई थी जब मथुरादासजी माथुर राजस्थान के एक्साइज मिनिस्टर थे। कई वर्षों तक एक-एक जिला, तहसीलें करते-करते जब आप 1979 में आए तो वनफोर्थ राजस्थान बाकी बचा था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कोई क्लेम या क्रेडिट लेने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए, आपने प्रारम्भ किया....

श्री परसराम मदेरणा : प्रारम्भ किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : और हमने पूरा कर दिया आपकी इच्छा के अनुसार।

श्री परसराम मदेरणा : टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में एक दिन डिस्कस हुई थी जिसमें आप भी बोले थे और टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर मैं उस वक्त डिप्टी मिनिस्टर, एक्साइज था, सदन में एक दिन वाद-विवाद हुआ था और मैंने उस वक्त वाद-विवाद की रिप्लाई दी थी इसलिए मुझे मालूम है। उसके बाद में प्रोहिबिशन को लागू किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, लागू कभी किया हो, आपने लागू किया मैंने इसको पूरा किया, इतना तो क्रेडिट देंगे न ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने बीच में कहा कि मैंने कानून बनाया, यह बात सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बनाया, बन्द किया न ? आपने चाहे शुरूआत की लेकिन मैंने उसको पूरा किया। अब मेरी सुनिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1981 या 82 में जो कुछ हमने प्राहिबिशन किया था उसको लागू किया। (व्यवधान) नहीं, यह तो आ गयी न। अब आप आज मुझे फिर कहे कि शराबबंदी होनी चाहिये, तो शराबबंदी राजस्थान में हो गयी थी उसको चालू क्यों की ? आप इसलिए बोल रहे हो कि इस समय आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं हैं।

(17.00)

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, हमसे, भूल हो गयी अब उसको सही कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां भूल हो गयी। आप तो कई बातों की भूल स्वीकार करेंगे। लेकिन अच्छा होता कि वह एक सिलसिला चला था उस सिलसिले को आप चालू रखते और रखने के बाद में उसके कारण से कितना रेवेन्यू लासेज होता, कितना रेवेन्यू लासेज नहीं होता, क्या प्राफिट होता, समाज में किस प्रकार का कितना सुधार होता, यह प्रश्न सब उस समय गौण हो जाते, धीरे-धीरे लोगों की एक आदत पड़ जाती। यह सही है जो शराब का बिजनेस करते हैं, उनके कमाई होती है, आप उनको माफिया ही कहें, सब-कुछ कहे लेकिन शराब माफियाओं को, खेतसिंहजी, जितना मैं नहीं जानता हूं उतना आप लोग जानते हैं.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आप बंशीलाल बन जाओ न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बंशीलालजी ने हरियाणा में बंद कर दिया, करो हिम्मत आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल, बंशीलाल जी से प्रेरणा ले रहे हो न आप।

एक माननीय सदस्य : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल खुशी की बात है। इसी प्रकार से आपको दूसरों से भी प्रेरणा लेनी पड़ेगी।

श्री शिवनाथ सिंह : मुख्य मंत्रीजी सवाल शराबबंदी का नहीं है, सवाल यह है कि जो माफिया बन गया इसको आप नियंत्रित कीजिये। शराबबंदी हो नहीं सकती, हम भी मानते हैं इस बात को और होगी तब होगी लेकिन आज जो माफिया बन गया, इतनी अराजकता फैल गयी उसको नियंत्रित करने की बात कीजिए आप।

श्री रामनारायण चौधरी : घुमा-फिरा कर....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, घुमा-फिरा कर नहीं, जो शिवनाथ सिंहजी ने बात कही वह सही है, भू-माफियाओं पर किस प्रकार से नियंत्रण लाया जाए ...

श्री रामनारायण चौधरी : यही है बस।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। उसमें आपकी बात से मैं भी सहमत हूं और इस बात का हम प्रयत्न करेंगे, इस प्रकार की स्थिति नहीं बने कि भू-माफिया या शराब माफिया किसी प्रकार से भी जनता का एक्सप्लायटेशन करें और लोग उनसे आतंकित हों। यह सारी व्यवस्था करने में आप सहयोग देंगे, राज्य सरकार भी काम करेगी और अभी इस स्थिति में हम बच कर चलने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनसे बचा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान जिस प्रकार की स्थिति में पहुंचा है, अभी यहां भाषण हुए कि जनता तो बिलकुल नहीं चाहती, जनता बिलकुल खिलाफ है, यह सब-कुछ है, यह नहीं है बहुत लम्बे-चौड़े भाषण हुए। भ्रष्टाचार के मामले भी कई रखे। भ्रष्टाचार के मामलों में दो-तीन बातें कही गयीं। वह माननीय सदस्य शायद यहां नहीं बैठे हैं उन्होंने कहा कि एक मंदिर हमने कोई अमेरिकन को दे दिया। यह उन्होंने मुझे परसों-परले दिन मेरे कमरे में आ कर कही थी कि दे दिया। मैंने टेलीफोन करके पूछा, नहीं दिया और उनको इसकी जानकारी भी दे दी। लेकिन क्योंकि यहां बोलना था, वह बोल गये। मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, वो बोलें, यह उनका अधिकार था।

अध्यक्ष महोदय, यहां केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के सम्बन्ध में कहा गया। यह बजट जो पेश किया था इस बजट में आंकड़े 6 महीने के या 7 महीने के हैं, उन आंकड़ों के आधार पर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में कितना खर्चा हुआ, उसको लेकर कहने लगे कि आगे के महीनों में 3 महीने का किया जाएगा। मैं उनकी जानकारी के लिये बता देऊं कि जितनी भी सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं उनका पैसा कोई अप्रेल में नहीं मिलता ताकि 12 महीने उसको खर्च कर दें। पैसा मई में भी नहीं मिलता, पैसा जून में भी नहीं मिलता और यदि आप आंकड़े देखेंगे तो आपको यह विश्वास हो जाएगा कि कई बार तो मार्च के महीने में पैसे मिले और कई योजनाओं का पैसा 31 मार्च को आता है। अब आप कहें कि 4 महीने, 6 महीने तो हमने काम नहीं किया और आगे के 6 महीने, 3 महीने बचते हैं उसके अन्दर सारा पैसा खर्च किया। अब खर्च होगा, तो केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भारत सरकार से जिस समय पैसा मिलेगा उसी समय तो यह सारी व्यवस्था होगी, उसके पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर आलोचना करें, आपको छूट है आप आलोचना करें, आपका अधिकार है लेकिन एक बात का तो ध्यान रख कर चलें कि सरकार में

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

आप भी रहे हैं और हम भी सरकार में बैठे हैं, सरकार की कुछ व्यवस्थाएं हैं उन सारी स्थिति में किस प्रकार से काम चल सकता हैं, वह काम चलाने की कोशिश की हैं और इसी आधार पर राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया हैं।

मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं की उन्होंने बजट के सम्बन्ध में जो चर्चा की उस चर्चा के आधार पर जो...(व्यवधान) क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भाटी साहब यहां बैठे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, भाटी साहब को तो उठवाओ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कह देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 1996 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती हैं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.05 बजे, मंगलवार, 9 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला झुन्झुनू के स्वीकृत अकाल राहत कार्य

191. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले में वित्तीय वर्ष 1996-97 में कौन-कौन से अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये ? उनमें से कितने चालू किये गये तथा 15 जून, 1996 तक कुल कितने मजदूरों को रोजी उपलब्ध कराई गई ?

(2) दिनांक 15 जून, 1996 तक कुल कितनी राशि अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गई ?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। दिनांक 15-6-96 तक कुल 58769 मानव दिवस सृजित कराये गये। (परिशिष्ट—"अ", "ब", "स")

(2) दिनांक 15-6-96 तक अकाल राहत कार्यों पर कुल रुपये 36.90.600/- की राशि खर्च की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माउण्ट आबू क्षेत्र में निर्माण कार्यों हेतु जारी अनुमति-पत्र

192. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माउण्ट आबू नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में कितने नये मकान/परिसर/होटल बनाने हेतु अनुमति-पत्र किन-किन को जारी किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्रह्मा कुमारी कन्या आश्रम एवं चिकित्सालयों को कितने परिसर कितने-वर्ग गज के बनाने हेतु अनुमति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आश्रम इस परिसर पर कब से काबिज है ?

उत्तर

(1) माउण्ट आबू नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा नवीन निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से नगर पालिका आबू पर्वत द्वारा मकान/परिसर/होटल आदि बनाने हेतु कोई अनुमति पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

(2) ब्रह्मा कुमारी कन्या आश्रम एवं ग्लोबल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर को परिसर में जितने वर्गगज में बनाने की अनुमति पूर्व में दी गई थी, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) ब्रह्मा कुमारी कन्या आश्रम पालिका में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार दिनांक 25-5-1959 से काबिज है।

(174)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

आबू पर्वत पर स्थित ब्रह्माकुमारी कन्या आश्रम एवं चिकित्सालय को दी गई अनुमति का विवरण

भवन का नाम	परिसर क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	स्वीकृत निर्माण का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)
1. ब्रह्माकुमारी कन्या आश्रम (पाण्डव भवन)	13237	6095
2. ग्लोबल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर	20182	5045.50

पंचायत समिति कोटपूतली के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

193. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटपूतली के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) अब तक पदों की पूर्ति नहीं करने के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) पंचायत समिति, कोटपूतली में सिंगल टीचर स्कूल कितने हैं और वहां दूसरा अध्यापक कब तक उपलब्ध कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति, कोटपूतली में तृतीय श्रेणी अध्यापकों का कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) पदों की पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी लेकिन राज्य से बाहर की डिग्रियों के सत्यापन में हुई देरी से नियुक्ति देरी से हो पाई है इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) पंचायत समिति, कोटपूतली में 12 प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापक विद्यालय थे। अध्यापकों का आबंटन कर दिया गया है।

वृहद् सिचाई परियोजनाओं से सिचाई

194. श्री रामनारायण मीणा (नैनवा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वृहद् सिचाई परियोजनाओं के द्वारा राज्य की कितनी-कितनी कृषि भूमि सिंचित होती है तथा इसमें से कितनी भूमि के लिए बाराबन्दी प्रोग्राम लागू किया हुआ है? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बकाया भूमि के लिए सरकार बाराबन्दी प्रोग्राम कब तक लागू करने का विचार रखती है?

(3) क्या बाराबन्दी प्रोग्राम के अभाव में सिंचित क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों के किसानों द्वारा अधिक मात्रा में पानी लेकर दुरुपयोग करने से नहरों के अन्तिम छोर के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने की शिकायत रहती है? यदि हां। तो सर्वाधिक शिकायतें किस परियोजना क्षेत्र की होती है तथा ऐसी परियोजना में बाराबन्दी प्रोग्राम से पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या एक से अधिक पानी से पकने वाली फसलों को वांछित मात्रा से कम पानी मिलने पर वृहद् सिचाई परियोजना से सिंचित होने वाली भूमि बाबत सिचाई शुल्क में राहत देने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो इस बाबत नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिन परियोजना क्षेत्रों में बाराबन्दी लागू नहीं है अथवा आंशिक रूप से लागू है वहां बाराबन्दी लागू करने में समय लगेगा।

(3) जी नहीं। बाराबन्दी के द्वारा चक में कृषक मोगे से निकलने वाले पानी को आपस में अपनी-अपनी पानी लेने की बारी का समय तय कर उस तयशुदा समयावधि के अनुसार पानी का बंटवारा कर लेते हैं। अतः चक में बाराबन्दी लागू होने या न होने का नहरों की टेलों पर पानी पहुंचने या नहीं पहुंचने से कोई सम्बन्ध नहीं है। नहरों की टेलों पर पानी न पहुंचने की सर्वाधिक शिकायतें उक्त परियोजनाओं में से चम्बल परियोजना में है। जल का सही बंटवारा करवाने की दिशा में मोघों को सही करने एवं काश्तकारों की जल उपभोग कर्त्ता समितियां बनवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(4) जी हां। राजस्थान सिंचन एवं जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 32 एवं नियम 20 के अन्तर्गत सिचाई शुल्क में राहत देने का प्रावधान है।

(176)

राज्य की वृहद परियोजनाओं से सिंचित हो रही भूमि एवं उनका क्षेत्र जहां वाराबन्दी लागू है, का विवरण :—

(सिंचाई मंत्री)

क्र. सं.	वृहद सिंचाई परियोजनाओं का नाम	सिंचित हो रहा क्षेत्रफल (हैक्ट. में)	बाराबन्दी लागू का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1	2		3
1.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	5,90,000	इन सभी क्षेत्रों
2.	गंग नहर	3,08,000	में बाराबन्दी लागू
3.	भाखड़ा नहर	3,59,000	है।
4.	जाखम परियोजना	19549	881
5.	चम्बल परियोजना	2,29,000	95000
6.	गुड़गांव नहर	4900	शून्य
7.	माही	60,000	शून्य

टेम्पों/विक्रम से प्रदूषण

195. **श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) एवं श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर व अन्य शहरों में टेम्पों, विक्रम एवं अन्य डीजल वाहनों से पर्यावरण काफी दूषित हो रहा है ?

(2) क्या सरकार ने जयपुर शहर में चल रहे टेम्पों एवं विक्रम को बन्द करने का निर्णय लिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि टेम्पों एवं विक्रम के धुंआं से जनजीवन के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ?

(4) क्या सरकार जयपुर शहर में चल रहे टेम्पों एवं विक्रम को पूर्ण रूप से बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरों में होने वाले प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण वाहन जनित प्रदूषण भी है।

(राज्य मंत्री, यातायात)

(2 से 4) राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जयपुर शहर में यात्री वाहनों में लगे टेम्पों एवं विक्रम के नये अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाये, और ना ही पूर्व के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया जाये। वैज्ञानिक शोध ने यह स्थापित कर दिया है कि वाहन जनित प्रदूषण से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र, बासनी

196. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रीको के औद्योगिक क्षेत्र बासनी प्रथम व द्वितीय चरण में पीने के पानी के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को योजना बनाने हेतु कहा गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना बनाने में कितना व्यय होगा और कब तक इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

(2) औद्योगिक क्षेत्र बासनी प्रथम, द्वितीय व हैवी इण्डस्ट्रीज एरिया के उद्योगों में आग लगने की घटनाएं वर्ष 1990 से अब तक कितनी बार हुई, इसमें अनुमानित नुकसान क्या हुआ ? पीड़ित इकाइयों को सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया ?

(3) क्या औद्योगिक क्षेत्र में आग को बुझाने हेतु फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ? अब तक व्यवस्था नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर में विभिन्न ट्रेड व राजस्थान हैड प्रोसेज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सटाइल्स एसोसियेशन के उद्यमियों ने एसोसियेशन कार्यालय के लिये भू-खण्ड की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक भू-खण्ड आवंटन नहीं करने के क्या कारण है ? अब कब तक सरकार इन्हें भू-खण्ड आवंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, रीको के औद्योगिक क्षेत्र बासनी के प्रथम चरण में प्रारम्भ से ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जल प्रदाय योजना है। द्वितीय चरण में जल प्रदाय योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को देने की कार्यवाही रीको द्वारा की जा रही है। इस योजना पर कुल 84.294 लाख रुपये व्यय होंगे। अब तक रीको द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 49 30 लाख रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना को जून, 1997 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) अग्निशमन केन्द्र, नागौर गेट, जोधपुर की सूचना के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बासनी प्रथम व द्वितीय चरण तथा हैवी इण्डस्ट्रीज एरिया में प्रति वर्ष लगभग 11 आग लगने की घटनायें हुई हैं। जोधपुर नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल अनुमानित नुकसान 24,13,600/- रुपये का हुआ है। आग से पीड़ित औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने की कोई योजना नहीं है। प्रायः राजस्थान वित्त निगम द्वारा पोषित

(उद्योग मंत्री)

सभी औद्योगिक इकाइयां बीमीत होती हैं। इसलिये आग लगने से होने वाली क्षति की पूर्ति पात्रता के अनुसार संबंधित बीमा कम्पनियों द्वारा की जाती हैं।

(3) जोधपुर नगर निगम के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा 6 फील्ड कम्युनिशन डिपों एवं 19 फील्ड आइनन्स डिपों की अग्निशमन सेवा सुविधा भी उपलब्ध हैं।

(4) जी हां, औद्योगिक क्षेत्र बासनी के द्वितीय चरण में मरूधर इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन व स्टेनलैस स्टील एसोसियेशन को रीको औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आबंटित किया गया है। राजस्थान हैण्ड प्रोसेसर्स मैन्यूफैक्चरिंग टैक्सटाइल एसोसियेशन द्वारा भूखण्ड हेतु रीको के यहां आवेदन किया गया है। किन्तु वर्तमान में रीको औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं है। रीको द्वारा जब भी नया औद्योगिक क्षेत्र नियोजित किया जावेगा उक्त एसोसियेशन को भी नियमानुसार भूखण्ड आबंटन कर दिया जावेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 197
(स्थगित)

आवसन मण्डल द्वारा विकसित आवासीय क्षेत्र

198. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में आवासन मण्डल द्वारा कौन-कौन सी कॉलोनियां विकसित की गई है तथा प्रत्येक कॉलोनी में कितने मकानों का निर्माण कराकर आवासियों को आबंटित किये गये है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आवासन मण्डल द्वारा विकसित कॉलोनियों में कौन-कौनसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं तथा कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी शेष हैं ?

(3) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल द्वारा तैयार किए गए मकानों के निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में ली जाती है, जिसके कारण उनके द्वारा निर्मित मकानों की छतों से बरसात के समय पानी टपकता है तथा दीवारों का प्लास्टर दो तीन वर्षों में गिरने लग जाता है ? यदि हां, तो आवासन मण्डल ने मकान निर्माण कराने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब व क्या ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की अपेक्षा राजस्थान आवास विकास संस्थान द्वारा तैयार किये गये मकान हर दृष्टि से बेहतर होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आवास विकास संस्थान से ही अधिक निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में आवासन मण्डल द्वारा निम्न कॉलोनी में मकान बनाये गये हैं। प्रत्येक योजना में निर्मित एवं आबंटित मकानों का विवरण भी निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	योजना	निर्मित मकान	आबंटित मकान	विवरण
1	2	3	4	5
1.	माछला मगरा योजना	179	179	क्रम संख्या 1 से 7 तक की योजनाओं में सभी निर्मित मकान आबंटित कर दिये गये है।
2.	रामसिह की बाडी	176	176	
3.	हिरणमगरी सेक्टर 13	112	112	
4.	हिरणमगरी सेक्टर नं 11	169	169	क्रम संख्या 8 एवं 9 की योजनाओं में सभी पंजीकृत आवेदकों को मकान आबंटित कर दिये गये है तथा शेष मकान खुली बिक्री योजना द्वारा
5.	हिरणमगरी सेक्टर नं. 4	597	597	
6.	हिरणमगरी सेक्टर नं. 5	2211	2211	
7.	प्रताप नगर	66	66	

(179)

1	2	3	4	5
(स्वायत्त शासन मंत्री)				
8.	गोवर्धन विलास	1846	1799	इच्छुक आवेदकों को मांगी गई राशि जमा करवाते ही आबंटन करने की प्रक्रिया चालू है। क्रम संख्या 10 की योजना पाकिस्तान से विस्तापित होकर आये सिन्धी शरणार्थियों के लिये बनाई गयी थी अभी तक मात्र 47 आवेदकों ने ही मांगी गयी राशि जमा कराई है जिनको मकान का आबंटन कर दिया गया है। शेष मकान सिन्धी समुदाय के आवेदकों को खुली बिक्री योजना द्वारा राशि जमा कराते ही आबंटन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ है।
9.	पानेरियों की मादडी	362	293	
10.	प्रताप नगर (विस्थापित)	111	47	

(2) उत्तर परिशिष्ट एक में संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(3) जी नहीं, घटिया सामग्री उपयोग में नहीं ली जाती है। उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही होती है। जो सामग्री निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं होती उसे मौके पर ही तुड़वा कर सम्बन्धित ठेकेदारो से उसी लागत पर दुबारा बनवायी जाती है। समय-समय पर सामग्री की जांच होती रहती है जब कभी जांच से सामग्री मानदण्डों के अनुसार नहीं होती परन्तु आवासन मण्डल को स्वीकार करने वाली सीमा में उनके परिणाम आते है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार से शास्ती के रूप में राशि काटी जाती है। मकानों की छतों से बरसात के समय पानी टपकने की शिकायत केवल कई दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद या कभी-कभी आवंटी द्वारा छत पर से अच्छी तरह से सफाई नहीं करने के कारण बरसात के पानी की तुरन्त निकासी नहीं होने के परिणाम स्वरूप ही आती है। अन्य स्थितियों में यदा-कदा शिकायतें प्राप्त होने पर उसका अविलम्ब निराकरण कर दिया जाता है।

(4) यह सही नहीं है कि आवास विकास संस्थान द्वारा निर्मित मकान, आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की अपेक्षा हर दृष्टि से बेहतर होते है। आवास विकास संस्थान व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की विशिष्टियों में अन्तर है, जहां आवासन मण्डल अधिकतर पत्थर व पट्टियों आदि में कार्य सम्पन्न कराता है वहीं आवास विकास संस्थान सीमेंट, ब्लाक्स व आर. सी. सी. की छतों का कार्य सम्पन्न कराता है तथा आवासन मण्डल की तुलना में आवास विकास संस्थान द्वारा निर्मित मकानों की कीमतें विशिष्टियों के अन्तर के कारण कुछ अधिक रहती है। आवास विकास के मकानों में सीमेंट की खपत अधिक होती है इसलिये आवासन मण्डल के सभी मकान आवास विकास संस्थान से बनवाना सम्भव नहीं है मण्डल की नीति यथासम्भव स्थानीय निर्माण सामग्री को उपयोग करने की है। इस सम्बन्ध में कभी तकनीकी परीक्षण नहीं किया गया है कि आवास विकास संस्थान द्वारा तैयार किये गये मकान हर दृष्टि से बेहतर होते हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला नागौर के प्राथमिक विद्यालय

199. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —:

(1) नागौर जिले में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कितनी प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई ?

(2) नागौर जिले की मूण्डवा क्षेत्र में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1994-95 व वर्ष 1995-96 में खोली गई प्राथमिक शालाओं का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है-:

वर्ष	शालाओं की संख्या
1994-95	72
1995-96	37
	योग 109

(2) नागौर जिले की मूंडवा पंचायत समिति में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कुल प्राथमिक विद्यालय खोले गए, जिनका वर्षवार विवरण निम्न है :--

वर्ष	मूंडवा पं. स. में खोली गई प्रा. शा. की सं.
1994-95	1
1995-96	1
	योग 2

(3) जी हां।

बिरोटी बांध (खैरवाड़ा) से सिचाई व्यवस्था

200. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बिरोटी बांध (खैरवाड़ा) से गांव सुलई को पानी देना था ? यदि हां, तो आज तक कितनी बार उक्त गांव के काश्तकारों के खेतों तक पानी दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की कैनाल सुलई गांव के पास बहुत गहरी है और किनारे पर सड़क होने के कारण उसमें कभी भी कोई अप्रिय हादसा हो सकता है ? यदि हां, तो विभाग उसकी सुरक्षा के तौर पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की कैनाल की बेडशीट टूट-फूट गई है ? इसलिए पानी पूरे कमाण्ड क्षेत्र तक नहीं जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस कैनाल की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1980-81 में योजना के पूर्ण होने के बाद आज तक तीन वर्षों में ग्राम सुलई के काश्तकारों के खेतों तक पानी दिया गया है।

(2) जी हां। यह सही कि उक्त बांध की कैनाल सुलई गांव के पास गहरी है, जिसके

(सिंचाई मंत्री)

साथ गांव की पहुँच सड़क जाती है। असावधानी वश अप्रिय हादसों की सम्भावना को देखते हुए नहर के साथ-साथ गार्ड स्टोन लगाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। यह सही है कि नहर की स्थिति असन्तोषजनक होने के कारण पानी पूरे कमाण्ड में नहीं जाता है। गैर योजना मद में बजट की कमी के कारण यथाचित मरम्मत एवं सुधार नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा डी. आर. डी. ए. के माध्यम से सीमित स्वीकृतियां प्राप्त कर नहर का सुधार व मरम्मत कार्य करने का कार्य प्रारम्भिक रीच में किया गया है एवं आगे और करने के प्रयास किए जायेंगे।

पाली जिले की औद्योगिक इकाईयां

201. श्री मीमराज भाटी (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में दिसम्बर, 1993 से 10 जून, 1996 तक कुल कितनी छोटी, मध्यम एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पंजीकृत इकाइयों में से, 10 जून, 1996 तक कितनी औद्योगिक इकाइयों ने राजस्थान राज्य वित्त निगम से कितना-कितना ऋण प्राप्त किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त पंजीकृत इकाइयों में से 10 जून, 1996 तक कितनी औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है और उसमें कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है तथा उनमें स्थानीय और बाहरी व्यक्तियों का क्या अनुपात है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में दिसम्बर, 93 से दिनांक 10-6-96 तक कुल 207 लघु उद्योग इकाइयों को स्थाई पंजीयन किया गया। उपरोक्त अवधि में किसी वृहद एवं मध्यम उद्योग का पंजीयन नहीं किया गया है। स्थायी पंजीकृत 207 लघु औद्योगिक इकाइयों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान वित्त निगम द्वारा माह दिसम्बर, 1993 से 10 जून, 1996 तक कुल 106 इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया है। इनमें 76 इकाइयों को निगम की शाखा स्तर पर एवं 30 इकाइयों को निगम के मुख्यालय पर यह ऋण स्वीकृत किया गया है। इकाईवार स्वीकृत ऋण का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उपरोक्त सभी स्थाई पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों द्वारा दिनांक 10-6-96 तक उत्पादन शुरू कर दिया गया है। कुछ इकाइयों द्वारा उत्पादन दिसम्बर, 93 से पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया गया था। उपरोक्त स्थाई पंजीकृत 207 इकाइयों में कुल 1901 व्यक्तियों को सीधा रोजगार सुलभ

(उद्योग मंत्री)

हुआ है। उद्योगों में लगे स्थानीय एवं बाहर के लोगों को अनुपात लगभग 60:40 का है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम पंचायत कोचरिया (भीलवाड़ा) में राहत कार्य

202. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के तहत ग्राम पंचायत कोचरिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा में कोई राहत कार्य स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो सूची श्रमिक संख्या, कार्य के नाम तथा राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों पर की गयी अनियमितताओं की जांच अतिरिक्त कलक्टर (विकास), भीलवाड़ा द्वारा की गई ? यदि हां, तो कब तथा उसके क्या परिणाम रहे ? जांच के बाद अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त कोचरिया पंचायत द्वारा कराये जा रहे मंडपीया अप्रोच सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की गिट्टी विभाग की स्वीकृति के बिना कार्य में ली जा रही है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के कारण उक्त पंचायत के सरपंच के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, निरीक्षण पर पाया कि पुलिया निर्माण के लिये सावल मशीन का उपयोग किया गया जो कि अनुचित था। अतः सावल मशीन पर हुये व्यय को अमान्य करने हेतु विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही इस मार्ग से लेकर कोचरिया व सुन्दरपुरा के निवासियों में मतभेद पाया गया। कुछ लोग दूसरे मार्ग की तरफदारी कर रहे थे तो कुछ चालू मार्ग को उचित बता रहे थे। ग्रामवासियों के एकमत नहीं होने व आपसी विवाद तीव्र होने से अति, कलक्टर (विकास) की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्य बन्द करवा दिया गया। एक अन्य कार्य उ. प्रा, वि. कोचरिया के कार्य की विस्तृत जांच जारी है जो, शीघ्र पूरी की जावेगी।

(3) जी हां।

ग्राम पंचायत कोचरिया में अकाल राहत संवत् 2052 के
तहत् स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि				विवि.
		श्रम	सामग्री	योग	श्रमिक	
1.	मण्डफिया से अमरगढ़ रास्ता	1.00	1.00	2.00	30	
2.	मुजरास तालाब को पूर्ण कराना	0.80	1.20	2.00	15	
3.	उ. प्रा. वि. कोचरिया अपूर्ण को पूर्ण कराना	0.20	0.30	0.50	10	
4.	मण्डारनामे तालाब	1.00	1.50	2.50	55	
5.	सुन्दरपुरा से कोचरिया रास्ता	1.20	1.80	3.00	15	विवाद होने से कार्य बन्द कर कराया 1-6-96 से
6.	मण्डपिया एप्रोच सड़क	0.80	1.20	2.00	40	दि. 19-6-96 को श्रमिक कम किये जाने से पंचायत को पत्र लिखा गया

1	2	3	4	5	6	7
7.	रूपपुरा से अमरगढ़ रास्ता	0.80	0.20	1.00	25	
8.	आयुर्वेदिक औषधालय	1.00	0.80	1.80	20	
9.	सालमपुरा से माताजी रोड	1.20	0.80	2.00	30	
	योग :—	8.00	8.80	16.80	245	

अलवर में शराब कारखानों से प्रभावित ग्रीनबैल्ट

203. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर में शराब के कारखानों की बहुलता व ग्रीनबैल्ट की बर्बादी से डार्क जोन क्षेत्र में पीने के पानी व सिंचाई के लिए पानी की कमी का संकट पैदा हो रहा है ?

(2) क्या शराब के कारखानों को होर्टीकल्चर क्षेत्र तथा बांध के मध्य में ही लगाया जा रहा है ?

(3) क्या भूमि अधिग्रहण के समय होर्टीकल्चर का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में औद्योगिक कारखानों, सिंचाई व पेयजल के लिये भू-जल का दोहन किया जा रहा है जिससे भू-जल स्तर प्रतिवर्ष 50 से 90 सेमी नीचे जा रहा है। अलवर जिले में प्रतिवर्ष समस्त दोहन 973.26 (एमसीएम) की तुलना में औद्योगिक इकाइयों द्वारा 7.67 एम सी एम भू-जल का दोहन किया जा रहा है। नई इकाइयों के आने पर 6.01 (एमसीएम) दोहन और बढ़ जायेगा।

(2) जी नहीं। अलवर जिले में शराब के कारखानों को होर्टीकल्चर क्षेत्र अथवा बांध के मध्य में नहीं लगाया जा रहा है।

(3) भूमि अधिग्रहण के समय होर्टीकल्चर का पूर्ण ध्यान रखा गया है। जिले में स्थापित शराब कारखानों के लिए अधिग्रहण की गई भूमि होर्टीकल्चर क्षेत्र में नहीं है।

ग्राम पंचायत आसपुरा (सीकर) की श्मशान भूमि पर शाला भवन निर्माण का प्रकरण

204. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आसपुरा पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर में ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या उक्त भवन गैर मुमकिन श्मशान भूमि पर बनाया गया है ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस संबंध में कोई जांच भी करवाई गई ? यदि हां, तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या श्मशान की भूमि पर शाला भवन का निर्माण कराकर ग्राम पंचायत

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

ने अनियमितता की है ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण में व्यय की गई राशि सरपंच से वसूल की जायेगी ?

(7) उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । इस निर्माण कार्य पर 1,49,961/—रुपये व्यय किये गये हैं ।

(2) जी हां । जिस स्थान पर उक्त शाला भवन बनवाया गया है वह गैर मुमकिन शमशान भूमि का एक भाग है ।

(3) जी हां । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां । जांच की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) ग्राम पंचायत ने इस भूमि पर बिना भूमि आवंटन करवाये शाला भवन का निर्माण किया है । इस पर नायब तहसीलदार ने बेदखली आदेश पारित किये हैं, जिसके विरूद्ध ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हुई है ।

(6) जी नहीं । उक्त भवन का निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया गया है । इसलिए राशि वसूल करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(7) न्यायालय में प्रस्तुत अपील के निर्णयानुसार आगे कार्यवाही कीजावेगी ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फलासिया (उदयपुर) क्षेत्र के स्वीकृत कार्य

205. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कौन-कौन से कार्य, कहां कहां, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन सा कार्य पूर्ण हो गया तथा कौनसा कार्य अपूर्ण रहा ? अपूर्ण रहने कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण कराने तथा अन्य नये कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसा कार्य कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट—"क" पर संलग्न है ।

(सिंचाई मंत्री)

(2) विवरण परिशिष्ट—"क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। विवरण परिशिष्ट-"क" एवं "ख" पर सलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला डूंगरपुर के कच्चे मार्गों पर बसों का संचालन

206. श्री शंकरलाल ग्रहारी (चौरासी): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार डूंगरपुर जिले की कच्ची सड़कों (ग्रेवल रोड) पर परिवहन बसों की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में भी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 100 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर निर्धारित मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम व निजी वाहन स्वामी वाहने चलाने हेतु परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में किसी भी मार्ग पर परमिट स्वीकृत किये जाने हेतु वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं है। इस प्रकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अथवा निजी वाहन स्वामी निर्धारित मार्ग होने पर डूंगरपुर जिले की कच्ची सड़कों (ग्रेवल रोड) पर भी बसें चलाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 70, 71, 72 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के अध्याय 5 के अन्तर्गत परमिट देने का प्रावधान है।

कोटा सम्भाग के उद्योग

207. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा सम्भागीय क्षेत्र में माह जनवरी, 1990 से कितने उद्योग ऐसे हैं जो मास्टर प्लान में दर्शाये गये औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त सिंचित, कृषि भूमियों, जो मास्टर प्लान के ग्रीन बैल्ट में प्रदर्शित की गई हैं, में स्थापित किए हुए हैं?

(2) क्या उद्योग स्थापना से पूर्व सरकार ने उक्त भूमियों को मास्टर प्लान में परिवर्तित कर दिया था? यदि नहीं, तो इस अवैधानिकता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) कोटा संभाग में माह जनवरी, 1990 से अब तक मास्टर प्लान में प्रदर्शित ग्रीन बैल्ट, सिंचित कृषि भूमि पर कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। किन्तु मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट में प्रदर्शित सिंचित कृषि भूमि में से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने के उपरांत दो प्रकरणों मैसर्स आर. टी.

(उद्योग मंत्री)

एक्सपोर्ट (प्रा. लि.) एवं मैसर्स सेमकोर ग्लास लि. को क्रमशः बून्दी एवं कोटा जिले में भू-आवंटन किया गया है।

(2) जी हां। उक्त औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमियों को राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है।

जिला सीकर के राहत कार्य

208. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में पूर्व अकाल के कितने अपूर्ण कार्य थे ? उनमें से कितने कार्य इस वर्ष पूर्ण करवाये गये ?

(2) सीकर जिले में 15 जून, 1996 तक कितने लोगों को अकाल राहत कार्यों पर लगाया गया ?

(3) सीकर जिले के पंचायत समितिवार कितने ग्राम अकालग्रस्त थे तथा 15 जून, 1996 तक उनमें से कितने कार्य स्वीकृत हुए ? उनमें से कितने शुरू हुए तथा कितने पूर्ण हुए ?

(4) अकाल राहत कार्यों का भुगतान कब तक का कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में पूर्व अकाल के 73 अपूर्ण कार्य थे। इनमें से 13 कार्यों के प्रस्ताव आने पर स्वीकृत किये गये। दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(2) सीकर जिले में 15-6-96 तक निम्न प्रकार लोगों को राहत कार्यों पर लगाया :—

माह	श्रमिक संख्या
फरवरी, 96	20
मार्च, 96	1800
अप्रेल, 96	2000
मई, 96	4000
जून, 96 (15-6-96)	15380

(3) सीकर जिले के 513 ग्राम अकालग्रस्त घोषित थे। पंचायत समितिवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

नाम पंचायत	ग्रामों की संख्या
1. नीमकाथाना	57
2. फतेहपुर	75
3. लछमनगढ़	49
4. धोद	49
5. पिपराली	17
6. दांतारामगढ़	77
7. खण्डेला	75
8. श्रीमाधोपुर	114
योग—	513

(राज्य मंत्री, सहायता)

दि. 15-6-95 तक 339 कार्य स्वीकृत हुये इनमें से 241 कार्य शुरू हुये और अब तक 17 कार्य पूर्ण हो चुके है।

(4) अकाल राहत कार्यों का भुगतान 15-5-96 एवं कुछ भुगतान 15-6-96 तक भी कर दिया गया है। शेष भुगतान की कार्यवाही चालू है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पेयजल योजनाए

209. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पेयजल की कौन-कौनसी योजना कार्यरत है ? इन योजनाओं से कौन-कौन से गांवों को जोड़ा गया है ?

(2) क्या कार्यरत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गांवों को पानी नियमित उपलब्ध करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र के कौन-कौन से गांवों की योजना अभी प्रस्तावित है ? प्रस्तावित योजनाओं की लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है तहसील बौंली में मित्रपुरा गांव को नियमित पानी सप्लाई किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न 23 पेयजल योजनाओं से जुड़े 59 ग्रामों एवं हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित 160 ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) 7 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं से जुड़े 18 ग्रामों में एवं 4 पम्प एवं टैंक योजना वाले ग्रामों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन वितरण मात्रा का स्तर निर्धारित मापदण्डों से 50% से कम है। इनके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रामों में भी 50% या इससे अधिक हैण्डपम्प परित्यक्त है जिनका विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) उल्लेखित क्षेत्र के एक ग्राम हेतु प्रस्तावित योजना तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। 3 ग्रामों हेतु एक अन्य क्षेत्रीय जलयोजना के प्रस्ताव जिला कलक्टर स. माधोपुर के यहां विचाराधीन है। वांछित सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(4) ग्राम मित्रपुरा को क्षेत्रीय योजना रूंगटीमोरन के अन्तर्गत रूंगटी ग्राम में स्थित स्रोत से पेयजल आपूर्ति होती है। जब-जब विद्युत आपूर्ति में अवरोध होता है अथवा कम वोल्टेज से विद्युत उपलब्ध होती है तब ग्राम मित्रपुरा में पेयजल आपूर्ति में व्यवधान आ जाता है अन्यथा ग्राम में आपूर्ति सामान्य रहती हैं।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायतों को विकास कार्यों हेतु राशि

210. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पंचायतों को विकास कार्यों हेतु मिलने वाली राशि पंचायत के संयुक्त खाता जिसमें सरपंच व ग्रामसेवक के हस्ताक्षर हों जमा हो जाने के बाद में निकाली जाती है ?

(2) यदि हां, तो क्या पंचायत समिति इटावा, जिला कोटा में विकास कार्य हेतु पंचायत बागली के घटोद ग्राम की सड़क की स्वीकृत राशि 50,000/- रुपये एवं ग्राम पंचायत दुर्जनपुरा के ग्राम में स्कूल भवन के लिए स्वीकृत राशि 30,000/- रुपये के चैकों को ग्रामसेवक द्वारा पंचायत के संयुक्त खाते में जमा कराने से पहले ही भुगतान उठा लिया गया ?

(3) यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्या सरकार ग्रामसेवकों द्वारा ऐसा करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम पंचायत के खाते में से सरपंच एवं ग्राम सेवक के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद ही राशि का आहरण किया जाता है ।

(2) यह सही है कि ग्राम पंचायत बागली के घटोद ग्राम की स्वीकृत राशि 50,000/- का आहरण तत्कालीन ग्राम सेवक श्री रमेश चन्द शर्मा द्वारा व ग्राम पंचायत, दुर्जनपुरा में स्कूल के भवन के लिए स्वीकृत 30,000/- रुपये की राशि श्री रामधन शर्मा, ग्राम सेवक द्वारा हाड़ौती क्षेत्र ग्राम बैंक इटावा से नकद आहरण किया गया जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

(3) दोषी ग्राम सेवकों व अधिकारियों के विरुद्ध क्रमशः राजस्थान पंचायत समिति/जिला परिषद सेवा नियम (दण्ड एवं अपील नियम 1961 व राजस्थान सिविल सेवा) वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील (नियम 1961) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

अन्य राज्यों की नदियों से राज्य हेतु हिस्सेदारी

211. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कोई बारह महीने बहने वाली नदी नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के विशाल भू-भाग को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य में कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो राज्य से बाहर से सिंचाई, पीने व औद्योगिक उपयोग के लिए पानी

(श्री भीमसेन चौधरी)

लेने हेतु सरकार देश की अन्य नदियों यथा यमुना, गंगा व अन्य नदियों के पानी में हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, राज्य में विभिन्न जल स्रोतों से लगभग 1100 करोड़ घनमीटर जल उपलब्ध है जिससे राज्य के विशाल भू-भाग में आंशिक रूप से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य को अन्य राज्यों में बहने वाली नदियां यथा रावी, व्यास, सतलज, नर्मदा एवं यमुना में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा चुकी है। गंगा नदी के अधिकाय बाद जल में हिस्सेदारी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। यह प्रकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित गंगा बाढ़ नियन्त्रण मण्डल में विचाराधीन है। बोर्ड की विभिन्न बैठकों में इस प्रकरण को उठाया जा रहा है। बोर्ड की अगली (14वीं) बैठक में इस प्रकरण पर राज्य का पक्ष फिर रखा जायेगा। इस बैठक की अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है।

जिला सवाई माधोपुर में संचालित निगम की बसें

212. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने निजी बसें अनुबन्धित की हैं ? यदि हां, तो कितनी और किन-किन शर्तों पर ?

(2) क्या सरकार बसों का किराया बढ़ाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) निगम द्वारा वर्तमान में जिला सवाई माधोपुर में कितनी बसें चलाई जा रही हैं एवं कितनी बसें किन-किन मार्गों को बन्द कर दी गयी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बसों में आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निगम द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मंजिली वाहनों का किराया बढ़ाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(3) निगम द्वारा वर्तमान में जिला सवाईमाधोपुर के विभिन्न मार्गों पर दैनिक 202 बसें संचालित की जा रही है एवं निम्न मार्गों पर प्रत्येक के सामने अंकित बसें बन्द की हुई है :–

क्र. सं. 1	मार्ग 2	बसों की सं. 3
1.	टोंक सिवाली-सवाईमाधोपुर	1

(राज्य मंत्री, यातायात)

1	2	3
2.	बनैठा-सवाईमाधोपुर	1
3.	गंगापुर-बांदीकुई	7
4.	कोटा-सवाईमाधोपुर	2

मार्गवार संचालित बसों एवं बन्द की हुई बसों की संख्या दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट--1)

(4) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की समय पर फिटनेस जांच कराना, चालकों को प्रशिक्षण दिलाना, दुर्घटना रहित चालकों एवं आगारों को पुरस्कार देना, चालकों की समय-समय पर चिकित्सकीय जांच कराना एवं दुर्घटना करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना, चालकों के अनुज्ञापत्रों का समय पर नवीनीकरण कराना इत्यादि कदम निगम द्वारा उठाये जाते हैं।

सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग	दैनिक संचालित सेवाएं
1	2	3
1,	बारां—करौली वाया सवाईमाधोपुर	2
2.	बारां—सवाईमाधोपुर वाया कोटा	2
3.	गंगापुर—दिल्ली	1
4.	अलवर—गंगापुर	2
5.	अलवर—महावीरजी	3
6.	अलवर—कोटा वाया सवाईमाधोपुर	2
7.	तिजारा—महावीरजी	4
8.	दिल्ली—हिण्डौन	1

1.	2	3
9.	भरतपुर—कैलादेवी वाया हिण्डौन	4
10.	भरतपुर—बयाना—हिण्डौन	15
11.	केलादेवी—ग्वालियर	2
12.	धौलपुर केलादेवी	1
13.	धौलपुर—करौली	2
14.	जयपुर—ग्वालियर वाया गंगापुर	4
15.	बौंली—दिल्ली	2
16.	जयपुर—सवाईमाधोपुर	1
17.	जयपुर—महावीरजी	1
18.	बूंदी—अलवर वाया सवाईमाधोपुर	6
19.	बूंदी—खण्डार	
20.	बूंदी—सवाईमाधोपुर	
21.	सवाईमाधोपुर—दिल्ली	2
22.	सवाईमाधोपुर- अजमेर	4
23.	टौंक—कुन्डेरा	2
24.	टौंक—सवाईमाधोपुर	12
25.	जयपुर—बौंली	3
26.	घाटगेट—सवाईमाधोपुर	9
27.	घाटगेट—खण्डार	1
28.	घाटगेट—बौंली	2

(158)

1	2	3
29.	घाटगेट—भगवतगढ़	1
30.	घाटगेट—गंगापुर	6
31.	घाटगेट—सपोटरा	4
32.	घाटगेट—मलारना स्टेशन	1
33.	घाटगेट—नारोली	1
34.	नारायणपुर—टटवाडा	1
35.	घाटगेट—करौली	3
36.	घाटगेट—कैलादेवी	1
37.	घाटगेट—मासलपुर	1
38.	हिण्डौन—महावीरजी—शिकोहाबाद	1
39.	हिण्डौन महावीरजी—मेरठ	2
40.	हिण्डौन—कैलादेवी—सौरों	2
41.	हिण्डौन—कैलादेवी—दिल्ली	2
42.	हिण्डौन—गंगापुर—दिल्ली वाया बालाजी—टोडाभीम	2
43.	हिण्डौन—महावीरजी—सोनागिरी	2
44.	हिण्डौन—मासलपुर—दिल्ली	2
45.	हिण्डौन—बालाजी—दिल्ली	2
46.	हिण्डौन—मथुरा	1
47.	हिण्डौन—सहारनपुर	2

1	2	3
48.	हिण्डोन—बामनवास—दिल्ली	2
49.	हिण्डोन--कैलादेवी—अलीगढ़	2
50.	हिण्डोन—दिल्ली	2
51.	हिण्डोन--सपोटरा--दिल्ली	2
52.	हिण्डोन—कैलादेवी—जयपुर	2
53.	हिण्डोन—जयपुर	7
54.	करोली—जयपुर	2
55.	हिण्डोन—महावीरजी—पदमपुरी	2
56.	हिण्डोन—बयाना—जयपुर	1
57.	हिण्डोन—महावीरजी—लाडनूं	2
58.	हिण्डोन—महावीरजी—नाकोडा	2
59.	हिण्डोन—कैलादेवी—पुष्कर	2
60.	हिण्डोन—बालाजी—टोंक	2
61.	हिण्डोन—करोली—गंगापुर	8
62.	हिण्डोन—वजीरपुर	10
63.	हिण्डोन—मोठियापुरा—रामपुरा	2
64.	हिण्डोन—करोली	1
65.	हिण्डोन—केलादेवी	3
66.	हिण्डोन—खोडली	6
67.	हिण्डोन—राजगढ़	1
68.	हिण्डोन—नादोती	2

(198)

1	2	3
69.	हिण्डौन—महावीरजी	1
70.	हिण्डौन—महुवा—टोडाभीम	8
71.	हिण्डौन—बयाना	2
72.	हिण्डौन—मुंडिया	1

मार्गवार बन्द की गई बसों की सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम	मार्ग की स्थिति	बन्द किये गये परिचक्र
1.	टोंक—लिवाली—सवाई माधोपुर,	राष्ट्रीयकृत अराष्ट्रीयकृत	2
2.	बनेठा—सवाई माधोपुर	अराष्ट्रीयकृत	2
3.	गंगापुर—बांदी कुई	राष्ट्रीयकृत	12
4.	कोटा—सवाई माधोपुर	राष्ट्रीयकृत/ अराष्ट्रीयकृत	6

भीलवाड़ा जिले के निजी उद्योगों में रीको की हिस्सा राशि

213. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में रीको द्वारा कुछ निजी उद्योगों में हिस्सा राशि के रूप में नियोजन किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योगों में हिस्सा पूंजी के रूप में कितनी मात्रा में राशि विनियोजित की गई है ? सम्बन्धित उद्योगों ने कितनी-कितनी राशि हिस्से के रूप में स्वयं लगायी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(2) उक्त उद्योगों के विगत 5 वर्षों का लाभ/हानि का ब्योरा तथा उनके कार्य संचालन में रीको का किस सीमा तक दखल है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकार के पारस्परिक नियोजन में सरकार की कोई विशिष्ठ नीति निर्धारित है? यदि हां, तो उस नीति का प्रारूप, दिशा-निर्देशक सिद्धान्त सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गंगापुर (भीलवाड़ा) औद्योगिक क्षेत्र के विकास व विस्तार की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उद्योगों के लाभ-हानि का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। उद्योगों के कार्य संचालन में रीको का हस्तक्षेप सम्बन्धित उद्योग के संचालक मण्डल में निगम की ओर से मनोनीत निदेशक के माध्यम से रहता है। मनोनीत निदेशक, उद्योग के संचालक मण्डल की समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठकों का सूचना मिलने पर इसमें भाग लेते हैं तथा उक्त बैठकों में रीको के हितों एवं बैठक में विचारार्थ रखे जाने वाले बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हैं।

(3) अंशदान पूंजी विनियोजन के सम्बन्ध में रीको का यह प्रयास रहता है कि यथा सम्भव कम से कम अंशदान पूंजी का विनियोजन किया जाय चेष्ठा यह रहती है कि अंशदान में विनियोजन उतना ही किया जावे जिससे प्रवर्तक परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि जुटा सके। अंशदान में पूंजी विनियोजन करते समय प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाता है। अंशदान में विनियोजन की रीको की नीति विशेष तौर से उद्यमिता को बढ़ावा देने की रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार के प्रोत्साहन पर रीको द्वारा उद्योग श्री योजना भी प्रारम्भ की गई है जिसमें वृत्तिक क्षमतावान व्यक्तियों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिये प्रेरित करते हुए अंशदान में रीको द्वारा विनियोजन करने का प्रावधान है।

(4) गंगापुर (भीलवाड़ा) में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा 294 बीघा 19 बिस्वा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई थी। जिसमें से 199 बीघा 04 बिस्वा भूमि गंगापुर कापरेटिव स्पिनिंग मिल की स्थापना हेतु आवंटित की गई। शेष भूमि पर विभिन्न मापों के 93 भूखण्ड नियोजित किये गये। इनमें से 25 भूखण्ड 14 इकाईयों को आवंटित किए जा चुके हैं और 68 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है।

अतः क्षेत्र में रिक्त भूखण्ड उपलब्ध होने एवं उद्योग स्थापित होने की ओर अधिक सम्भावना नहीं होने से वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र के विकास व विस्तार की कोई

(उद्योग मंत्री)

योजना बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति

214. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर शहर की बढ़ती पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के स्थायी समाधान के रूप में सरकार की चरणबद्ध रूप से क्या-क्या योजनाएं हैं तथा इनके प्रत्येक चरण की अनुमानित मूल एवं संशोधित लागत तथा वार्षिक जल उपलब्धि के लक्ष्य क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्थायी समाधान को विलम्बित रखते हुए अस्थायी समाधान जयसमंद से पानी लाने की योजना क्रियान्वित की गयी है, जिससे सलूम्बर व सराड़ा के ग्रामीण किसानों के मिल रही सिंचाई सुविधायें घटी हैं ? यदि हां, तो अस्थायी समाधान की यह योजना किस वर्ष में प्रस्तावित हुई व उस समय इसकी मूल अनुमानित लागत तथा वार्षिक जल उपलब्धि क्या थी ? इसके पूरा होने के बाद इसकी वास्तविक लागत क्या आयी और पिछले तीन माहों में इस योजना से औसत जलापूर्ति कितनी रही ? जल आपूर्ति पर कितना व्यय आंका गया ?

(3) स्थायी समाधान की उपेक्षा करते हुए अस्थायी समाधान पर हुए भारी पूंजीगत व्यय को क्या सरकार उचित मानती है ? क्या अस्थायी समाधान की इस योजना के वांछित भौतिक परिणाम मूल लक्ष्यों के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके कारणों की जांच कर अग्रिम कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर की बढ़ती पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्न योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनका चरणबद्ध लाभ शहर को प्राप्त हो रहा है।

(अ) जयसमंद परियोजना : इसके अन्तर्गत जयसमंद बांध से पाइप लाइन डालकर सभी 4 पम्पिंग स्टेशनों को प्रथम चरण में 15 अगस्त, 1995 से चालू किया गया। उदयपुर शहर को 120 से 140 लाख लीटर प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। दूसरे चरण में दिसम्बर, 1996 तक पानी की इस मात्रा को बढ़ाकर 200 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया जाएगा। इस परियोजना की मूल लागत 16.16 करोड़ रुपये एवं संशोधित लागत 22.30 करोड़ रुपये है।

(ब) झामर कोटडा परियोजना : इसके अन्तर्गत झामर कोटडा से उदयपुर तक की पाइप लाइन डालकर एवं दोनों पम्पिंग स्टेशनों पर आंशिक रूप से पम्प चालू कर प्रथमचरण में 15 जुलाई, 1996 से 15 लाख लीटर प्रतिदिन एवं दूसरे चरण में दोनों पम्पिंग स्टेशनों पूर्ण क्षमता के पम्प

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

चालू कर दिसम्बर, 1996 तक 80 लाख लीटर प्रतिदिन मात्रा में पानी उदयपुर लाने की सम्भावना है। मूल योजना की स्वीकृति राशि 7. 60 करोड़ रुपये है जिसमें कोई संशोधित नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए मानसी वाकल परियोजना के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस वर्ष भूमि अवाप्ति एवं बांध की डिजाइन एवं अनुसंधान इत्यादि हेतु 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। इस परियोजना पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सहमति मिल जाने के पश्चात आगे की कार्यवाही सम्भव होगी।

(2) जयसमंद परियोजना स्थाई रूप रूप से वैकल्पिक समाधान है जिसके अनुसार स्थानीय जिलों में पानी की कमी होने पर जयसमंद से उसकी आपूर्ति करने का प्रावधान रखा गया है। इस परियोजना के कारण सलुम्बर व सरडा के ग्रामीण किसानों को मिल रही सिंचाई सुविधाओं में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि इस परियोजना के तहत जयसमंद से उदयपुर के लिए केवल 260 एम. सी. एफ. टी. जल ही लिये जाने का प्रावधान है जो कि बांध की कुल भराव क्षमता का लगभग 2 प्रतिशत ही है। जिसमें से अधिकांशत: पानी लिफट करने की सम्भावनाएं ग्रीष्म-काल में रहेगी जो कि बांध के डेड स्टोरेज से लिफट किया जाना है। अतः समग्र रूप से इस परियोजना के कारण सिंचाई हितों पर नगन्य सा प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के मूल एवं संशोधित लागतों का विवरण दिया जा चुका है।

जहां तक योजना से औसतन जल आपूर्ति का प्रश्न है इसकी वर्तमान पम्पिंग क्षमता के अनुसार अभी तक योजना के प्रारम्भ होने से (15 अगस्त, 95) अब तक अधिकतम 140 लाख लीटर प्रतिदिन पानी लिफ्ट किया जा रहा है।

(3) उपरोक्तानुसार जो परियोजनाएं स्वीकृत कर पूर्ण की गई है उन पर कोई पूंजीगत व्यय उदयपुर शहर की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित है। झामर कोटडा परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य से पूर्व आंशिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। जयसमंद परियोजना में कुछ अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ है। योजना की क्रियान्विति में विलम्ब एवं उसके फलस्वरूप इसकी लागत में वृद्धि के कारणों की जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

ग्राम नगला परसराम (भरतपुर) की प्राथमिक विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण

215. श्री मोतीलाल (रूपवास) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम नगला परसराम पंचायत, फुलवाड़ा, जिला भरतपुर

(श्री मोतीलाल)

के प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो किसने तथा उक्त अवैध कब्जे को कब तक हटा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ग्राम पंचायत फुलवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार यह सही नहीं है कि ग्राम नगला परसराम फुलवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो ।

माण्डलगढ़ के क्षतिग्रस्त तालाब व बांध

216. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में ऐसे कितने बांध तालाब हैं जो क्षतिग्रस्त हैं एवं जिनमें पानी नहीं रुकता तथा ऐसे कितने बांध एवं तालाब हैं जिनकी मुख्य नहरें पक्की नहीं बनी हुई हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने बांध व तालाब हैं जिनकी नहरें क्षतिग्रस्त हैं ?

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने बांध व तालाब हैं जिनकी नहरों के निर्माण, क्षतिग्रस्त नहरों के निर्माण के प्रस्ताव सिंचाई विभाग भीलवाड़ा द्वारा सरकार को भिजवाये गये हैं ? यह प्रस्ताव किन-किन बांधों/नहरों के कब-कब भिजवाये गये ? सरकार द्वारा इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में सिंचाई विभाग के 15 बांध व तालाब क्षतिग्रस्त थे जिनकी अब सुरक्षित स्तर तक मरम्मत करा दी गई हैं। दो बांध क्रमशः नाथ जी का खेडा व रेसुन्दा ऐसे हैं जिनमें पूर्ण समय तक क्षमता अनुसार पानी नहीं रुकता हैं, परन्तु ये क्षतिग्रस्त नहीं हैं ।

इस विधान सभा क्षेत्र में 9 तालाब ऐसे हैं जिनकी मुख्य नहरें पक्की नहीं हैं ।

(2) उक्त क्षेत्र में 15 बांधों की नहरें 1994 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई थी जिन पर अति आवश्यक कार्य करवाकर नहरें संचालन योग्य कर दी गई हैं ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक तालाब धोला दांता जो एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत अधूरा निर्मित है एवं बिसलपुर बांध के केचमेन्ट में स्थित हैं, इस बांध की नहर नहीं बनी हुई हैं। शेष सभी पूर्ण सिंचाई बांधों/तालाबों की नहरें निर्मित हैं ।

इस क्षेत्र में 15 बांध/तालाबों की नहरें जो क्षतिग्रस्त हुई थी के मरम्मत/सुधार के प्रस्ताव बाढ़ सहायता मद में वर्ष 1994-95 मे प्रेषित किये गये थे, उनकी सूची परिशिष्ट-"अ" में संलग्न

(सिचाई मंत्री).

हैं। परन्तु बाढ़ सहायता मद में सीमित राशि उपलब्ध होने के कारण केवल क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत करने के आदेश हुए थे। अतः क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत हेतु सामान्य रख रखाव मद एवं अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से प्रति आवश्यक कार्य सम्पादित कराये जाकर उन्हें सिंचाई योग्य बना दिया गया हैं। सूची परिशिष्ट–"ब" में संलग्न हैं।

वर्ष 1994 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई नहरों की सूची व मांग की गई राशि की सूचना (विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़)

फलड मद 1994-95 में

क्र. सं.	नाम-तालाब/ बांध की नहर	तहसील	मांग की गई राशि (रुपये लाखों में) (नहरों की मरम्मत हेतु)
1	2	3	4
1.	डामटी कोकड़ा	माण्डलगढ	17.00
2.	अनवासा	,,	5.00
3.	मण्डोल	,,	3.00
4.	पचानपुरा	,,	6.50
5.	गोवटा	,,	7.00
6.	रेसुन्दा	,,	1.00
7.	गेनोली	,,	0.40
8.	सुशीला सागर	,,	0.20
9.	बीकरण	,,	0.25

1	2	3	4
10.	थल	माण्डलगढ़	0.25
11.	जेतपुरा	,,	1.00
12.	दौलतपुरा (नाहरगढ़)	,,	0.25
13.	कुण्डिया खाल	,,	0.15
14.	बरून्दनी	,,	0.50
15.	बन का खेड़ा	कोटडी	0.40
		योग-	42.90

क्षतिग्रस्त नहरों के प्रति आवश्यक कार्य जो रख रखाव/अकाल राहत में किए गए व सुधार हेतु राशि का विवरण

क्र. सं.	तालाब का नाम जिसकी नहर को दुरुस्त किया गया।	रख रखाव मद (राशि लाख रु.) वर्ष 1994-95	रख रखाव मद (राशि लाख रु.) वर्ष 1995-96	अकाल राहत के अन्तर्गत किया गया व्यय 1995-96 (लाख रुपये)	पूर्ण मरम्मत हेतु अब वांछित राशि की आवश्यकता रुपयों (राशि लाखों में)	विशेष विवरण
1		2	3	4	5	6
1.	आमती कोकड़ा	1.15	....	....	3.00	अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।
2.	अनवासा	0.13	....	1.18	0.50	
3.	मण्डोल	0.22	....	....	1.00	
4.	पचानपुरा	0.56	....	....	3.50	
5.	गोवटा	1.56	0.13	....	1.50	
6.	रेसुन्दा	1.50	....	....	0.50	
7.	गेनोली	0.16	....	....	....	
8.	सुशीला सागर	0.87	0.29	....	....	

1	2	3	4	5	6
9. बीकरण	0.08	....	0.50	....	अकाल राहत कार्य प्रगति पर है ।
10. थल	0.30	....	0.18	....	अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
11. जैतपुरा	1.28	0.30	2.20	....	अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य वर्तमान में प्रगति पर है ।
12. दोलतपुरा (नाहरगढ़)	0.08	....	0.20	....	" "
13. कुण्डिया खाल	0.07	....	....	....	" "
14. वन का खेड़ा	0.05	....	....	....	" "
15. बरून्दनी	0.10	....	....	....	" "
	8.11	072	4.16	10.00	

परिशिष्ट-2

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 की सूची

वैशाली नगर "ए"—ब्लाक किन-किन व्यक्तियों द्वारा भूखण्ड के सामने फुटपाथ पर लोन व फुलवारी लगाने के सम्बन्ध में।

क्रम. सं.	प्लाट नं.	बाजार फैन्सी की लम्बाई व चौड़ाई
1.	ए-430	5×0
2.	ए-24	30×10
3.	ए-87	10×5
4.	ए-84	10×5
5.	ए-80	10×5
6.	ए-63	8×4
7.	ए-55	18×10
8.	ए-150	7×5
9.	ए-53	10×6
10.	ए-285	10×6
11.	ए-283	12×5
12.	ए-275	10×5
13.	ए-276	12×6
14.	ए-167	15×6
15.	ए-175	10×6
16.	ए-238	20×8
17.	ए-236	16×8
18.	ए-218	10×6
19.	ए-255	10×8
20.	ए-205	15×8
21.	ए-254	10×6

1	2	3
22.	ए-38	20×8
23.	ए-482	10×5
24.	ए-481	18×6
25.	ए-460	10×6
26.	ए-399	15×6
27.	ए-397	10×5
28.	ए-463	10×5
29.	ए-406	10×6
30.	ए-489	12×6
31.	ए-451	10×5
32.	ए-413	10×6

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 244 का विवरण

अजमेर जिले के शहरों में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित जल वितरण।

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	शहर का नाम	विभिन्न स्रोतों से वितरण किया जा रहा जल लाख गैलन प्रतिदिन				जल वितरण समय घण्टों में		जल वितरण अन्तराल घण्टों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर पूर्व अजमेर पश्चिम	अजमेर	बीसलपुर व	मावता	लीलासेवडी	फायसागर	कुल		
			बनास		गनोहेडा				
			82	1.20	6.30	6.0	95.50	डेढ़ घण्टा	48
2.	ब्यावर	ब्यावर	बनास	मकरेडा	जालिया	चिजान रोन्दड़ा			
			5.50	5.50	0.3	5.0	16.30	25 मिनट	48
3.	किशनगढ़	किशनगढ़	बनास	स्थानीय	....				
			2.60	6.80			9.70	1 घण्टा	48
4.	केकडी	केकड़ी	बनास	....	....			डेढ़ घण्टा	48
			50.0	....	....		5.0		

(209)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	सरवाड़	सरवाड़	बनास 2.00	....	....	....	2.00	डेढ़ घण्टा	24
6.	मसूदा	बिजय नगर	स्थानीय 1.80	....	....	....	1.80	1 घण्टा	60
7.	पुष्कर	पुष्कर	स्थानीय 2-50		....	....	2.50	डेढ घण्टा	24
8.	नसीराबाद	नसीराबाद	बनास 16.0	....	....	....	16.00	1 घंटा	48

अजमेर जिले में पेयजल योजना से लाभान्वित ग्रामीण क्षेत्र में वितरित जल प्रतिव्यक्ति/प्रतिदिन लीटर में

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कुल पेयजल-योजना से लाभांवित ग्रामों की संख्या	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल वितरितवार ग्रामों की संख्या				जल वितरण अवधि	अन्तराल
			0 से 10 ली.	10-20 ली.	20-30 ली.	30-40 ली.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पुष्कर	36	....	4	1	31	सामान्यतः 1 से डेढ़ घंटा	अधिकांश 24 घंटे में एक बार
2.	नसीराबाद	31	3	9	....	19		
3.	किशनगढ़	33	....	1	5	27		
4.	भिनाय	47	1	10	32	4		
5.	केकड़ी	24	1	8	7	8		
6.	मसूदा	21	....	....	21	....		
7.	ब्यावर	5	....	....	5	....		
	कुल	197	5	32	71	89		

211

विधान सभा क्षेत्र वार स्थापित हैण्ड पम्पों की स्थिति

क्रम सं.	विधान सभा क्षेत्र	कुल स्थापित हैंडपम्पों की संख्या	निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं, हैंडपम्पों की संख्या	सूखे हैंडपम्पों की संख्या	कार्यरत हैंड पम्पों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर पूर्व	847	....	21	808
2.	अजमेर पश्चिम	843	....	8	807
3.	पुष्कर	975	5	54	858
4.	किशनगढ़	1623	406	51	1528
5.	नसीराबाद	926	16	55	787
6.	भिनाय	1224	661	59	1074
7.	केकड़ी	876	441	23	751
8.	मसूदा	1239	466	60	1130
9.	ब्यावर	1452	532	90	1295
	कुल	10005	2500	421	9038

213

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 245 का विवरण

भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के समर ऑग्मेन्टेशन में स्वीकृत गांवों का विवरण

क्र सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृत नलकूपों की संख्या	क्या नलकूप खुद गया
1	2	3	4
1.	बारनी कलां	1	नहीं
2.	नाडसर	1	हां
3.	सूरपुरा खुर्द	1	नहीं
4.	गजसिंहपुरा	1	नहीं
5.	मैलाना	1	हां
6.	भोपालगढ़	1	हां
7.	आसोप	1	हां
8.	नान्दीया प्रभावती	1	हां
9.	कजनाऊ खुर्द	1	नहीं
10.	राम चौकी	1	नहीं
11.	कास्टी	1	नहीं
12.	दाडमी	1	नहीं
13.	बावड़ी	1	नहीं
14.	बन्नुओं की ढाणी	1	हां
15.	छापला	1	हां
16.	ढंढोरा	1	हां
17.	कुम्हारा	1	नहीं
18.	मंगेरिया	1	नहीं
19.	नागलवास	1	नहीं

1	2	3	4
20.	रुदिया	1	नहीं
21.	सुमाना	1	नहीं
22.	उस्तरा	1	नहीं
23.	खेड़ापा	1	नहीं
24.	खोयला	1	नहीं
25.	खिन्दाकोर	1	नहीं
26.	रेव	1	हां
27.	नेतड़ा	1	नहीं
28.	भणवाना	1	हां
29.	हनुमानसागर	1	नहीं
30.	चोद	1	नहीं

(215)

विभाग द्वारा मार्च, 91 में ग्राम थोग स्थित नलकूप के जल की कराई रासायनिक विलेक्षण की रिपोर्ट

DISTT. : JODHPUR

Reference : JEN/SRI/7-3-91

Date of Collection : 7-3-91 Date of Receipt : 7-3-91

Date of Collection 3-3-91

Lab Sample No.

Note: All results Except pH are in mg/l.

1.	pH	8.2
2.	Alkalinity methyl Orange ($CaCo_3$)	370
3.	Total Hardness	490
4.	Calcium Hardness	170
5.	Magnesium Hardness	320
6.	Chlorides as Cl	580
7.	Nitrate as No_3	495
8.	Total Dissolved Solids	2730
9.	Flourides	2.8
10.	Sp. Conductivity/umhoss/cm	4290

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 246 का विवरण

RELEVANT EXTRACT OF MINUTES OF THE 106TH MEETING OF PPC HELD ON 13-8-93 CONVEYING APPROVAL OF P & T WSS ACHROL, TEHSIL AMER, DISTRICT : JAIPUR.

AGENDA ITEM No. 45 : Agenda Note For A & F Sanction of P & T wss Achrol Tea. Amer, Distt : Jaipur Costing Rs. 21.00 Lac.

The item was considered in the light of the comments of T.M. and FA & CAD and it was decided to accord A & E sanction for P & T WSS Achrol, Teh. Amer, Distt Jaipur at an estimated cost of Rs. 20.52 lac as per minor corrections in the general abstract. The actual number of families of SC and ST covered by the Scheme, may be furnished for the information of PPC. As these, schemes will also be catering to the water requirements to a larger sanction of the Society (being situated on National High way to Delhi), the efficiency of thsse works and the advantages accrued there of may also be furnished for the information of PPC.

Relevant Portion of Minutes of PPC Meeting Held on 13-11-93

Containing Approval of 12 Schemes Indluding Amer Town

Agenda Item No. 1 (C)

Agenda item No. 34 : The following lines may please be added after the 4th lines :

"The packages as proposed be CE(HQ) for these 12 schames which are appended with the agenda note were also approved".

With the above modifications, the minutes were confirmed.

ग्रामीण पेयजल योजना प्रचरोल की लाभांवित जनसंख्या
का मोहल्लेवार विवरण

क्र. सं.	मोहल्ले का नाम	लाभांवित जनसंख्या
1.	कुम्हार मोहल्ला	450
2	बुनकर बस्ती	250
3.	हरिजन बस्ती नई	150
4.	नया बाजार	550
5.	पुराना बाजार	550
6.	कारीगर मोहल्ला	50
7.	कोट मोहल्ला	450
8.	रेंगर बस्ती	500
9.	रेंगर कालोनी	350
10.	हरिजन बस्ती पुरानी	250
11.	डिस्पेन्सरी एरिया	250
12.	मालियों की ढाणी	450
13.	बडगोती मोहल्ला	450
14.	महल मोहल्ला	500
15.	पुराना बस स्टेण्ड	150
16.	नया बस स्टेण्ड	450
17.	लखेर दरवाजा	150
	योग	5950

शहरी जल योजना आमेर की लाभांवित जनसंख्या
का मोहल्लेवार विवरण

क्र. सं.	मोहल्ले का नाम	लाभांवित जनसंख्या
1.	बद्रीनाथ कालोनी एवं खेरी गेट	3155

(218)

	2	3
2.	मेसक्या मोहल्ला	2253
3.	हाडीपुरा	1762
4.	भटफोडो का मोहल्ला एवं मीणा मोहल्ला	2160
5.	मेहन्दी का बास	2042
6.	कुण्डा	1705
7.	पीली की तलाई	2814
8.	जालोलाई की तलाई	2878
9.	देवी खोल व मन्शामाता	2104
10.	फुटिया कोर्ट व नयी कालोनी	2310
	योग :-	23289

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 247 का विवरण)

दिनांक 1-4-96 को बाकी बचे पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त आबादी ग्रामों की जिलेवार संख्या ।

क्र. सं.	जिले का नाम	संख्या
1.	अजमेर	1
2.	अलवर	3
3.	बारां	2
4.	भरतपुर	10
5.	बाड़मेर	206
6.	बीकानेर	25
7.	बून्दी	5
8.	चित्तौड़गढ़	5
9.	चूरू	3
10.	दौसा	9
11.	गंगानगर	139
12.	हनुमानगढ़	114
13.	जयपुर	5
14.	जैसलमेर	12
	झालावाड़	5
16.	जोधपुर	25

1	2	3
17.	कोटा	4
18.	नागौर	2
19.	सवाईमाधोपुर	15
20.	सीकर	8
21.	सिरोही	2
22.	टोंक	2
	योग	615

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 248 का विवरण)

विभाग द्वारा दिनांक 1-7-96 को ग्राम कानरपुरा में स्थित सीतारामजी के मन्दिर के कूए के पानी के नमूने की जांच रिपोर्ट।

Note : All Results Except pH are in mg/1.

1.	pH	8.6
2.	Turbidity (NTU)	Clear
3.	Colour	None
4.	Odour	Not detected
5.	Total Alkalinity (as Ca Co3)	710
6.	Total Handness (as Ca Co3)	80
7.	Calcium Handness (as Ca Co3)	30
8.	Magnesium Hardness (as Co Co3)	50
9.	Chloride (as G1)	130
10.	Sulphate (as SU 42)	64
11.	Nitrite (as No 2)	—
12.	Nitrates (as No3)	20
13.	Total Dissolved Solids	1330
14.	Residual Chlorine	Nil
15.	Fluoride	11.5

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 261 का विवरण)

भीलवाड़ा जिले में लगाये गये श्रमिकों का विवरण

क. सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत श्रमिक संख्या	कार्य पर लगे श्रमिकों की संख्या
1.	भीलवाड़ा	6125	6005
2.	सहाड़ा/रायपुर	10412	8000
3.	माण्डल	10028	8595
4.	आसीन्द	9040	800
5.	बनेड़ा/हुरड़ा	10038	8000
6.	शाहपुरा	10503	8003
7.	जहाजपुर	8145	7515
8.	माण्डलगढ़	4189	3070
	योग :–	68480	57188

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 269 की प्रति)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
कार्यालय सी. बी. एस. आगार, जयपुर।

एफ/सी. बी. एस /96 दिनांक

ड्यूटी आफिसर,
प्लेट फार्म नं. 1, 2, 3, सी. बी. एस.
जयपुर।

विषय :—माननीय विधान सभा सदस्यों को निगम वाहनों में परिचय पत्र के आधार पर यात्री सुविधा दिये जाने बाबत्।

प्रसंग:— श्रीमान उप शासन सचिव के पत्र क्रमांक प015(2) परि0/91 दिनांक 20.2.96

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्तमान में राज्य के माननीय विधायकगण रा0 रा0 प0 प0 निगम की बसों में कूपन के आधार पर यात्रा करते है। जिनके सदुपयोग हेतु आप नियन्त्रण रखें कि उक्त परिचय पत्र से दुरुपयोग नहीं होवे एवम् परिचालक बुक से ही विधायक महोदय को टिकिट जारी कराया जावें।

एस0/डी 2.4.96
मुख्य प्रबन्धक,
सी0 बी0 एस0 आगार, जयपुर।

224

परिशिष्ट--10

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख)

डी. आर. डी. ए. एवं योजनाओं में बनाये गये भवनों की जीर्ण-शीर्ण हालत

[श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता)]

महोदय,

राजस्थान पूरे प्रदेश में डी. आर. डी. ए. व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जितने भी विद्यालय, आंगनबाड़ी, पंचायत, पटवार घर इत्यादि जितने भी भवन गत वर्षों में बनाये गये हैं वह जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। कई भवनों का कुछ हिस्सा गिर चुका है।

इन भवनों की मरम्मत न तो डी. आर. डी. ए. या पंचायतों द्वारा नहीं की जा रही। इसके उपरान्त नये भवनों की स्वीकृतियां दी जाकर भवन बनाये जा रहे हैं। सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि डी. आर. डी ए. से नई नीति बनाकर भवनों की मरम्मत करवाने की व्यवस्था करावें।

ग्राम पंचायतों को भी उक्त भवनों की मरम्मत जवाहर रोजगार योजना के मद से करने की छूट दी जानी चाहिए।

—×—

विद्युत मोटर्स को रीडिंग लिए बिना बिल भेजने से व्याप्त जन-असन्तोष

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

महोदय,

उदयपुर में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई की जाती है और प्रति 2 माह में बिजली के बिल विभाग द्वारा दिये जाते हैं। गत कुछ वर्षों में लगातार जनता द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है कि बिजली के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मीटरों की रीडिंग लेने हेतु मीटर रीडर आते नहीं हैं और अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को बिल भेज दिये जाते हैं। इन बिलों में गत पठन तो अंकित कर रखे है लेकिन वर्तमान पठन अंकित नहीं है और किसी के बिल में तो 'एन' लगा हुआ है और किसी के बिल में 'एल' लगा हुआ है। इस विषय में शहर के कई उपभोक्ताओं ने अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को शिकायत की लेकिन कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हुआ है। अभी-अभी एक उदाहरण जड़ियों की ओल, उदयपुर के 27 उपभोक्ताओं की ओर से प्रस्तुत किये गये, जिनके बिलों की फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, उदयपुर को दी गई। इसी प्रकार पानेरियों की मादड़ी, हिरणमगरी, सेक्टर--3,4,5 व 11 आदि के उपभोक्ताओं ने भी यही शिकायत की है, लेकिन शिकायत एक ही है कि मीटर रीडर रीडिंग लेने आते नहीं है और बिलों में 78/- रुपये लगा दिये जाते है।

उपभोक्ताओं की यह भी शिकायत है कि कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये गये बिल दोषपूर्ण होते हैं और उनमें राशि अधिक लगा दी जाती है जिसमें संशोधन कराने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं और यही उत्तर दिया जाता है कि बिल की राशि जमा करा दें, अगले महीने के बिल में इसे समायोजित कर दिया जायेगा। और वह होता नहीं है। इस व्यवस्था से उदयपुर के नागरिकों में तीव्र रोष है। अतः माननीय ऊर्जा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

—×—

सांगानेर की पेयजल समस्या

[श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)]

महोदय,

इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम केशोपुरा में पेयजल

226

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

की टंकी होने के बावजूद भी जरी व रेगरों को पेयजल की लाइन नहीं दी जा रही है। उनसे सिक्योरिटी के पैसे भी जमा कर लिए गए हैं और अब उनसे नल लाइन डालने के पैसे भी और मांगे जा रहे हैं। वे गरीब रेगर जाति के व्यक्ति दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी नल डालने का पैसा कहां से दे सकते हैं ? और वे इस भीषण गर्मी में पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन है कि कृपया इस ओर शीघ्र ध्यान देकर पेयजल की व्यवस्था सुलभ कराने का श्रम करें।

सधन्यवाद।

—×—

बिजौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का विस्तार कार्य

[श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़)]

आदरणीय,

बिजौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 15 लाख रुपये आज से 6 महीने पूर्व करीब स्वीकृत किये गये जिनकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गयी बिजौलिया क्षेत्र में 18 पंचायतें हैं व खनन क्षेत्र होने से करीब 30,840 हजार श्रमिक कार्य करते हैं व उस क्षेत्र की जनसंख्या भी 40 हजार करीब है। इस प्रकार 80 हजार श्रमिक की जनसंख्या में केवल एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है अभी जो भवन बना हुआ है वह अपर्याप्त है और भवन विस्तार की बहुत आवश्यकता है। आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, काफी संख्या में बीमार रोज आते हैं और जिस बीमारी का इलाज वहीं हो सकता है भर्ती वहीं हो सकते हैं परन्तु भवन की कमी से कई चिकित्सा व्यवस्थाओं की वहां सुविधा होते हुए भी उन्हें रेफर करना पड़ता है स्मरण रहे कि राज्य सरकार से बिजौलिया ही नहीं राज्य के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए राशी स्वीकृत की

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

और कई जगह पी. डब्ल्यू. डी. को व कई जगह आवास विकास संस्थान को भवन निर्माण की जिम्मेदारी दी। मेरे क्षेत्र में करीब 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन विस्तार के लिए डेढ़ करोड़ की राशी स्वीकृत की। आवास विकास संस्थान द्वारा बिजोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण का कार्य चालू नहीं होने से उस क्षेत्र की जनता को भारी कठिनाई हो रही है। पंचायत ने भूमि उपलब्ध करा दी, नक्शा भी विभाग ने आवास विकास संस्थान को उपलब्ध करा दिया। मैं स्वयं कई बार सी. एम. एण्ड एच. ओ. भीलवाड़ा व आवास विकास संस्थान के भीलवाड़ा के अधिकारियों से मिला परन्तु आज छः महीने बीत जाने के बाद भी जान-बूझकर कार्य चालू नहीं किया जबकि अन्य जगहों के भवन आधे से ज्यादा बन चुके हैं।

अतः कहां कमी रही कौन इसके लिए जिम्मेदार है इसका पता लगाया जाए व अधिकारियों को निर्देश दिलावे की उक्त कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करावे जिससे जन जीवन को राहत मिल सके।

—×—

ठीकरिया औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के निर्माण का नियमितीकरण

[श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)]

महोदय,

निवेदन है कि ठिकरिया औद्योगिक क्षेत्र बांसवाड़ा को उद्योग विभाग द्वारा 1971 में विकसित किया गया था व पूर्णतया विकसित करने के बाद 1980 में रीको को स्थानान्तरित कर दिया गया। 1980 से 1987 तक रीको के उदयपुर कार्यालय स्थित अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र का रख रखाव किया जाता था। 1987 में रीको ने यहां कार्यालय खोलकर अधिकारी की नियुक्ति करी।

(श्री भवानी जोशी)

कई उद्योग ने 1980 के पहले अपनी सुविधानुसार औद्योगिक भूखण्ड पर निर्माण कर लिया, जो रीको अब अनाधिकृत बता रहा है। यह निर्माण किसी भी हालत में आवंटित क्षेत्र के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, 1980 तक उद्योग विभाग में कोई सक्षम अधिकारी का नहीं होना या उद्योग को बढ़ावा देने हेतु अनाधिकृत निर्माण जो थोड़ा बहुत हुआ होगा जो उद्योग विभाग के अधिकारी द्वारा नजर-अन्दाज कर दिया गया होगा।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि आप रीको के अधिकारियों को निर्देश देवे कि 1980 के पहले जो इकाइयां स्थापित हो चुकी थीं, उन्होंने कोई निर्माण रीको के अनुसार नहीं किया हो तो उसे तुरन्त प्रभाव से रेगूलराइज किया जावे।

—×—

भरतपुर एवं लोहागढ़ आगार की घटिया बस सेवा से परेशानी

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

महोदय,

यह कि भरतपुर स्थित लोहागढ़ आगार व भरतपुर आगार की बस सेवा इतनी घटिया किस्म की हो चुकी है कि जनता अत्यधिक परेशान है। इन आगारों में 10-15 साल पुरानी बसें चल रही हैं जिनमें बैठने को सही प्रकार की सीटें नहीं हैं। रेगजीन तक फट गई है। तख्ते निकल आए हैं। खिड़कियों के शीशे टूट गये हैं बरसात में यात्री भीगते हैं। गाड़ी में अन्दर पानी भर जाता है। बसों में अन्दर गन्दगी इतनी रहती है कि यात्री परेशान रहते हैं। बस आगार पर भी सफाई नहीं होती है कोई इन्तजाम नहीं है।

भरतपुर से देहातों को इतनी खराब बसें चलती हैं कि रास्ते में कई बार रुक जाती हैं। एक घंटे की यात्रा तीन घंटे मे होती है। जयपुर, भरतपुर की

(श्री हरिसिंह)

यात्रा की बसे भी खराब हैं। इंजनों में से धुंआं आने लगता है और रूक-रूककर यात्रा होती है।

भरतपुर आगार में एक भी डीलक्स बस सेवा नहीं हैं। न तो जयपुर की और न देहली को कोई डीलक्स बस सेवा है। कोई नयी गाड़ी इन आगारों को दी नहीं जाती है।

बस केन्द्र गन्दगी से सड़ रहा है। पानी भरा रहता है। बसों के आने-जाने से यात्रियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। पानी उछलता है।

इस दयनीय स्थिति की ओर यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर अपेक्षा करता हूं कि इसमें सुधार कर शीघ्र ही राहत दिलायें।

सधन्यवाद।

—×—

धरिया एवं कोटनोद बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने तथा करेचा एनीकट पक्का बनाये जाने बाबत

[श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)]

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में सरकार का ध्यान नियम 295 के विशेष उल्लेख के नियम के अन्तर्गत आकर्षित करने के लिए निवेदन करता हूं। धरिया बांध को पक्की दीवार की ऊंचाई उसके ओटे में रेत आ जाने से इतनी कम हो गई जिसके कारण सारा पानी बांध के बाहर चला जाता है जिसके कारण करीब 12 लाख से अधिक धन जो इस पर लगाया गया था उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिए शीघ्र ही दस दस फुट से ज्यादा ऊंची दीवार बनाई जावे ताकि इसमें पानी रह सके। और उसका लाभ किसानों को और वहां रहने वाली आम जनता पीने के पानी का उपभोग कर सके।

230

(श्री अमराराम चौधरी)

कीटनोद बांध के बन जाने से कीटनोद ग्राम के दक्षिण की ओर तरफ वाले खेतों में कई कुएं खुद चुके हैं, तथा कई नये कुएं खुद रहे हैं। इस क्षेत्र की पैदावार बढ़ी है। आर्थिक हालत ठीक हुई है। इस कीटनोद बांध की दीवार भी कम ऊंची होने के कारण पानी बाहर चला जाता है। इस कारण पानी को रोकने के लिए इस बांध की दीवार को शीघ्र ऊंची बनाई जावे।

एक एनीकट वरिया वरेना टूट गया है। जिसमें किसानों का भारी नुकसान हुआ है इस एनीकट को पुनः मजबूत व पक्का बनाने से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के कुओं का तो जल स्तर बढ़ेगा ही लेकिन किसानों के खेत नष्ट होने से बच जाएंगे।

अतः श्रीमान् के जरिए निवेदन है कि वरिया बांध कीठनोद बांध की ऊंचाई बढ़ाने वरिया, वरेचा एनीकट को पुनः पक्का बनाने का राज्य सरकार को निर्देश दिलाने का कष्ट करावें।

सधन्यवाद।

—×—

नागौर जिले में अधिकाधिक तालाबों की खुदाई एवं छोटे-बड़े बांध बनाने की स्वीकृति

[श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना)]

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्ष 1975, 1981 में नागौर जिले में भयंकर बाढ़ आई थी। इसके पश्चात वर्तमान वर्ष 1996 के माह जून में फिर बाढ़ ने भयंकर रूप धारण करके सैंकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। जिसके प्रभाव

(श्री रिछपालसिंह मिर्धा)

से हजारों व्यक्ति बेघरबार हो गए, हजारों मवेशी बहकर मर गए, हजारों कच्चे-पक्के मकान धराशायी हो गए और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हो गया और 27 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह भी देखने में आया है कि इस जिले में आने वाली बार-बार बाढ़ को ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार का सुधार करने की अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बाढ़ के कारण निम्न हैं :—

1. अनेकों गांवों में तालाबों के पायतण, गोचर, भूमि पर अतिक्रमण किये गये हैं।

2. बड़ी संख्या में हरे वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है।

3. अपनी-अपनी भूमि पर अधिक मिट्टी डालकर ऊंचा करके पानी के निकासी को रोककर पानी इकट्ठा हो जाता है और आगे बहकर नहीं जाता। अतः वर्षा अधिक होते ही बाढ़ की स्थिति बन जाती है।

बाढ़ से अधिक प्रभावित गांव रूण, खजवाना, खींवसर, अठियासन, संखवास, नागौर शहर, कुचेरा, तांकेसर, करणू, देऊ, माडसरा, आखेलीबी, सिंधलास, बूटाटी, लूणसरा आदि में कई स्थानों पर बड़े-बड़े तालाब हैं जिनके टूट जाने से यह स्थिति पैदा हुई। सन् 1981 में इस जिले में बाढ़ में भारी तबाही हुई। तथा अब पुनः 1996 में 15 वर्षों बाद फिर बाढ़ आई है। यदि इन 15 वर्षों में राज्य सरकार के अधिकारियों और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों द्वारा सर्वे कराकर छोटे-छोटे बांध अथवा पुराने बांधों की पाल को ऊंचा उठाने का कार्य किया जाता तो आज यह मुसीबत लोगों को नहीं उठानी पड़ती है। नागौर जिले में सिंचाई विभाग के कार्यालय सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। मेड़ता, अधिशाषी अभियन्ता, श्री एस. एन. सहगल, जो वर्ष 1993 से 95 के दौरान वहां कार्यरत थे, द्वारा 20 लाख रुपये से अधिक की रकम का गोलमाल फर्जी मस्टर रोल भरकर किया गया। उनके खिलाफ अनेकों बार शिकायतें की गई परन्तु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(श्री रिछपालसिंह मिर्धा)

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करता हूं कि नागौर जिले में अधिकाधिक तालाबों की खुदाई का कार्य करावें ताकि इनकी भराव क्षमता बढ़ सके और अनेक स्थानों पर सर्वे कराकर छोटे बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान करावें ताकि पानी के भराव को नियन्त्रित किया जा सके और जनता को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

—X—

बीदासर स्टैण्ड के पास स्थित खान को बन्द कराने बाबत

[श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़)]

महोदय,

मैं इस सदन का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खनिज खड्डे की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्रीमन् बीदासर-श्रीडूंगरगढ़ रोड के बीदासर स्टैण्ड से रवाना होते ही एक खनिज खड्डे में जिसमें खन्डा नामक पत्थर निकाला जा रहा है जिसकी लम्बाई करीब 1000 फुट तथा गहराई करीबन 200 फुट है। यह खड्डा इस रोड के करीबन 2 फुट पास तक बना हुआ है। श्री डूंगरगढ़ बीदासर के बीच यह एक व्यस्त सड़क है जिस पर भारी यातायात का आवागमन होता है। श्रीमान् आंधी तूफान तथा बरसात के कारण भेड़-बकरी व अन्य जानवर तथा वाहनों के गिरने का हमेशा अन्देशा रहता है जिसके कारण काफी जन-धन तथा जान-माल का नुकसान हो सकता है।

श्रीमान् काफी अर्से से यह खनन नियमों को ताक में रखकर चल रही है जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार यह खनन 75 फुट दूर होना चाहिए। इससे साफ जाहिर हो रहा है विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाने के

(श्री किशनाराम नाई)

बाद भी विभाग अनदेखी कर रहा है। इससे भविष्य में करोड़ों रुपये का हर्जाना विभाग को भरना पड़ सकता है।

यह मामला पूर्व में भी मेरे द्वारा इस सदन में नियम 295 तथा तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से उठाया गया तथा जिलाधीश महोदय को भी बार-बार लिखा गया परन्तु बड़े खेद के साथ पुनः इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि इस खनन को तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जावे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की घटना नहीं घटे और जन आन्दोलन नहीं हो।

धन्यवाद।

—×—

पानीपेच से हरमाड़ा तक छह लाइन की एवं हरमाड़ा से चौमूं तक दो लाइन की सड़क बनवाने एवं उसका विकास कार्य कराने बाबत

[श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

महोदय,

जयपुर शहर पांच राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा हुआ है। गत वर्षों राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पश्चात शहर का चहुंमुखी विकास हुआ है। इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। जिसमें जयपुर आगरा मार्ग पर घाट की घूणी एक आदर्श उदाहरण है।

जयपुर-दिल्ली, जयपुर-आगरा, जयपुर-कोटा, जयपुर-अजमेर एवं जयपुर-बीकानेर मार्ग है। क्रम से पहिले चारों मार्ग ठीक प्रकार से विकसित किये गये, उन सड़कों को चौड़ा भी किया है उसके मध्य विभाजक पट्टी भी बनाई गई, वहां मध्य में सोडियम लाइट भी उचित दूरी पर लगाई गई, उससे जयपुरवासी, जयपुर में आने वाले अन्य प्रदेशों के एवं विदेशों से आने वाले पर्यटक भी देख कर प्रसन्न हुए हैं।

234

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

मैं माननीय मंत्री महोदय, आप से ही निर्णय चाहता हूं कि क्या अन्य चार राष्ट्रीय मार्ग और बीकानेर मार्ग में कोई अन्तर दिखाई देता है, मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा होती होगी यह विषमता दूर हो।

मैं आग्रह करता हूं, कि पानीपेच से लेकर हरमाडा तक छः लाइन की तथा चौमूं तक दो लाइन की सड़क विकसित की जाय, क्योंकि वहां आये दिन दुर्घटनाओं में जनहानि होती रहती है।

यह कहते हुये भी मुझे प्रसन्नता है कि इस मार्ग को चौड़ा करने में भूमि की कोई कमी नहीं है और सारी सरकारी भूमि है। यह कार्य आसानी से हो सकता है।

मुझे भय है कि इस तरह सरकारी भूमि यदि विकास के काम न आई तो वहां अतिक्रमण हो जावेंगे, अभी भी कुछ-कुछ अतिक्रमण शुरू हो गये हैं अभी तो आसानी से हटाये जा सकते है यदि और बढ़े तो परेशानी का सामना विभाग को करना होगा।

मैं यह भी बताना उचित समझता हूं कि राजस्थान के तीसरे हिस्से के गांवों और शहरों का जुड़ाव जयपुर से है और एशिया का सबसे बड़ा स्माल स्केल का औद्योगिक क्षेत्र है। यह भी आपको ज्ञात है चौमूं एवं आसपास के कस्बे से रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध है, मावा है, साग-सब्जी है अनाज है, और बड़ी संख्या में नित्यप्रति मजदूरी एवं काम-धन्धे के लिये हजारों नागरिकगण आते एवं जाते हैं। शायद वाहनों की संख्या की तुलनात्मक दृष्टि से यह मार्ग सबसे अधिक व्यस्त है। अजमेर रोड से दिल्ली रोड जाने वाले एवं दिल्ली रोड से अजमेर रोड जाने वाले भारी वाहन भी चन्दवाजी, चौमूं, विश्वकर्मा होकर जाने से यह दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला रास्ता बनाया है।

आपने मेरे आग्रह पर एक योजना भी बनायी है जिसकी कापी भी मुझे मिली थी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी कि आप जब योजना बना लेते है तो अवश्य ही आप पूरा करवा लेते है यह सभी लोग जानते है कि आपका सोचना कार्य पूरा करवाने हेतु ही होता है।

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

मैं तथा उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी एवं बाहर से आने वाले नागरिकगण इस मार्ग के विकास होने से अत्यधिक प्रसन्न होंगे उससे ज्यादा आपका संकल्प भी पूरा हो सकेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कार्य को आप प्राथमिकता से लेंगे और समय सीमा तय कर इस कार्य को पूरा कराकर जयपुर शहर के इस असन्तुलन को भी दूर कर सकेंगे जैसा कि अन्य राष्ट्रीय मार्ग विकसित हुये हैं तथा प्रतिदिन होने वाली जनहानि को भी रोक सकेंगे। पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मार्ग का सम्पूर्ण विकास शीघ्र एवं समयबद्ध करवा कर राहत प्रदान करें।

—X—

हिण्डौन में पुलिस प्रशासन के निष्क्रिय होने से उत्पन्न स्थिति

[श्री कमल (हिण्डौन)]

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के निष्क्रिय होने के सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि हिण्डौन का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है तथा क्षेत्र की जनता को असामाजिक तत्वों से रक्षा करने के बजाय खुद उनको सहयोग कर रहा है जिसके कारण जनता भय एवं असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो गई हैं। कुछ दिन पूर्व थाना सूरोठ पर तैनात एक सहायक उप निरीक्षक ने एक व्यक्ति को बेवजह सरे बाजार में बुरी तरह से पीटा था जिसके कारण वहां की जनता में काफी रोष व्याप्त हो गया था। पुलिस ने जनता के दबाव में मुकदमा तो दर्ज कर लिया परन्तु दोषी पुलिस कर्मचारी को बजाय गिरफ्तार करने के वहां के कई व्यक्तियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही चालू कर दी तथा दोषी पुलिस कर्मचारी को फरार हो जाने का मौका दे दिया। कुछ दिनों बाद ही इस पुलिस कर्मचारी को गंगापुर थाने

(श्री कमल)

पर तैनात कर दिया गया है। आज से दो दिन पूर्व ही हिण्डौन शहर में एक महिला सरपंच जो कि अनुसूचित जाति से है बीस हजार रुपये दिन दहाड़े छीन लिये हैं तथा लूटेरे खुले आम शहर मे घूम रहे है तथा पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।

इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में आम हो गई हैं तथा जनता की जान-माल की रक्षा का कोई माकूल इन्तजाम नहीं रह गया है अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करता हूं कि हिण्डौन क्षेत्र में तैनात पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाये। तथा दोषियों को गिरफ्तार कर दण्डित कराया जाये जिससे जनता सुरक्षित महसूस कर चैन की सांस ले सके।

धन्यवाद।

—×—

बामनवास में बिजली की समस्या

[श्री हीरालाल मीणा (बामनवास)]

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र बामनबास की तहसील बोंली व बामनवास में बिजली को वर्तमान में निम्न प्रकार की समस्या के घेरे में है।

1. यह कि तहसील बामनवास में सहायक अभियन्ता पीपलाई कार्यालय में नहीं होने के कारण बिजली की सारी व्यवस्था खराब है और तहसील के उपभोक्ता को बिजली की सप्लाई नहीं होना व विद्युतीकृत गांवों के उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं मिलना।

(श्री हीरालाल मीणा)

2. यह कि सहायक अभियन्ता का कार्यालय पीपलाई में स्थापित करने हेतु 4 वर्ष से जनता की मांग चल रही है किन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । अतः सहायक अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय पीपलाई में स्थापित किया जावे ।

3. तहसील बामनवास में स्वीकृत 33 के. वी. मण्डावरी से रिवारी का कार्य चालू नही होने से उत्तरी क्षेत्र में 15 गांवों के कृषकों को एक दिन में एक घण्टा भी बिजली नहीं मिलती है । जो स्वीकृत 33 के. वी. मण्डावरी आतरी क्षेत्र काश्तकारों को सुचारू रूप से बिजली सप्लाई मिल सके ।

4. तहसील बामनवास के ग्राम बरनाला मीणा बस्ती व चक उदयरामपुरा के मोक्ताओं को 2 पूर्व डिमाण्ड नोटिस जमा करवा दिया गया है । परन्तु आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है उसे तुरन्त कनेक्शन दिलाया जावे ।

5. पीपलाई से लिवाली तक 11 के. वी. लाइन का खम्भा गाड़ रखें हैं । और 2 वर्ष से कार्य बन्द है । उक्त लाइन का कार्य पूर्ण नहीं होने से काश्तकारों की फसल जल जाती है जो 11 के. वी.पीपलाई से लिवाली का कार्य तुरन्त पूर्ण करवाया जावे ताकि बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से मिल सके ।

6. यह कि तहसील बामनवास ग्राम रामसिंहपुरा में पीने का पानी का भारी संकट को हल करने हेतु ट्यूबवैल खुदवा गये थे परन्तु बिजली का कनेक्शन नही मिलने के कारण आज भी गांव में ट्रांसफार्मर के अभाव में पानी की सप्लाई नहीं होती है । अतः तुरन्त कनेक्शन दिलाया जावे ताकि गांववासियों को पेयजल मिल सके ।

7. तहसील बोंली में 33 के. वी. दो लाइनें स्वीकृत हैं । पहली दसवास से मित्रपुरा; दूसरी खिलनी से पीपलवाड़ा । इन स्वीकृत लाइनों का कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु ट्रांसफार्मर के अभाव में काश्तकारों को नियमित विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है । शीघ्र ट्रांसफार्मर रखवाया जावे ताकि कृषकों को विद्युत सप्लाई हो सके ।

8. तहसील के बोंली के गांव नानतोड़ी के कृषकों ने कृषि कनेक्शन हेतु वर्ष

(श्री हीरालाल मीणा)

87 में 9 डिमाण्ड नोटिस जमा करवाकर "एल" फार्म भी जमा करवा दिया था परन्तु कृषकों को आज तक कनेक्शन नहीं मिला। शीघ्र कनेक्शन दिलाया जावे।

9. तहसील बोंली के ग्राम घोराला विद्युतीकृत घोषित है और उक्त गांव के उपभोक्ताओं ने 80 पत्र प्रार्थना-पत्र जमा कराये करीब 4 वर्ष पूरे हो चुके है परन्तु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से आज तक ग्राम घोराला को बिजली की सुविधा से वंचित रखा है। जो तुरन्त बिजली का कनेक्शन दिलाया जावे।

उपरोक्त समस्याओं का निराकरण तुरन्त नहीं करवाया गया तो काश्तकारों के साथ घोर अन्याय होगा और उनके बाल बच्चों की रोटी-रोजी के लिए उनके साथ जबरदंस्त, कुठाराघात होगा। अतः कृपया सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान देकर उचित कार्यवाही करें।

×